VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मार्च 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI : 22 अप्रैल, 11 AM | 6 मई, 11 AM | **JAIPUR : 12 मई**

JODHPUR : 7 मई | प्रवेश प्रारम्भ **BHOPAL | LUCKNOW**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

9 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 25+ चयन

137 AIR अंकिता कांति	182 AIR रवि राज	412 AIR जितेंद्र कुमावत	438 AIR ममता	448 AIR सुख राम	483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर	509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी	564 AIR गौरव छिम्वाल	618 AIR राम निवास सियाग	622 AIR आलोक रंजन	651 AIR अनुराग रंजन वत्स	689 AIR खेतदान चारण	718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त	760 AIR अश्वनी दुबे	795 AIR कर्मवीर नरवाडिया	865 AIR आनंद कुमार मीणा	873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा	890 AIR सुषमा सागर	893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार	899 AIR रितिक आर्य	911 AIR अरुण कुमार	921 AIR ममता जोगी	925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा	953 AIR राजकेश मीणा	998 AIR इकबाल अहमद

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ______ 5
1.1. न्यायिक जवाबदेही ______ 5
1.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन ______ 7
1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 11
1.3.1. लोक सभा में 'आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025' पेश किया गया ______ 11
1.3.2. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई ______ 12
1.3.3. दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल ______ 13
1.3.4. संसद भाषिणी पहल ______ 13
1.3.5. फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 ______ 14
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ______ 15
2.1. द्विपक्षीय निवेश संधि ______ 15
2.2. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ______ 17
2.3. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध ______ 19
2.4. भारत न्यूजीलैंड संबंध ______ 22
2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 23
2.5.1. भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का नया रोडमैप ______ 23
2.5.2. फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस ______ 23
2.5.3. स्क्वाड एलायंस ______ 25
2.5.4. ओटावा कन्वेंशन ______ 26
2.5.5. रायसीना डायलॉग ______ 27
2.6. शुद्धिपत्र ______ 28
3. अर्थव्यवस्था (Economy) ______ 29
3.1. तरलता घाटा ______ 29
3.2. कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना ______ 31
3.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण ______ 32
3.4. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष ______ 35
3.5. भारत में विप्रेषण ______ 37
3.6. यूनिफाइड पेंशन स्कीम ______ 39
3.7. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता ______ 41
3.8. इक्विलाइजेशन लेवी ______ 43
3.9. किसान उत्पादक संगठन ______ 44
3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ______ 46
3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ______ 49
3.12. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 ______ 52
3.13. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक ______ 54
3.14. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ______ 56
3.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 59
3.15.1. लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की मांग की ______ 59
3.15.2. सीएसआर, आईबीसी और ईएसजी को प्रभावी बनाना ______ 60
3.15.3. कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्रक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ______ 60
3.15.4. सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना ______ 61
3.15.5. तंबाकू ______ 61
3.15.6. विश्व बैंक ने 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना ______ 62
3.15.7. UNCTAD ने 'ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024' जारी की ______ 63
3.15.8. द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट (BSA) ______ 63
3.15.9. सड़क क्षेत्रक में सबसे बड़ा InvIT मुद्रीकरण ______ 63
3.15.10. MSMEs के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल 65
3.15.11. वेंचर कैपिटल ______ 65
3.15.12. पुनर्बीमा ______ 65
3.15.13. समर्थ ______ 65
3.15.14. अपलिंक इनिशिएटिव ______ 66
4. सुरक्षा (Security) ______ 67
4.1. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका ______ 67
4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 70
4.2.1. अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण के रुझान, 2024 ______ 70
4.2.2. भारत में सोने की तस्करी ______ 70
4.2.3. C-DOT का त्रिनेत्र ______ 71
4.2.4. गांडीव मिसाइल ______ 71
4.2.5. अश्विनी ______ 71
4.2.6. सोनिक वेपन ______ 71
4.2.7. गोल्डन डोम ______ 72
4.2.8. क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन ______ 72
4.2.9 सुर्ख़ियों में रहे युद्ध अभ्यास ______ 73

5. पर्यावरण (Environment) ______ 74
5.1. जैव ईंधन ______ 74
5.2. राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ______ 76
5.3. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज _ 78
5.4. नदी डॉल्फिन ______ 80
5.5. जंपिंग स्पाइडर्स ______ 82
5.6. मरीन हीटवेव्स ______ 84
5.7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ______ 86
5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 87
5.8.1. IUCN ग्रीन लिस्ट ______ 87
5.8.2. 58वां टाइगर रिजर्व ______ 88
5.8.3. जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) ______ 89
5.8.4. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट ______ 89
5.8.5. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू ______ 90
5.8.6. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 ______ 90
5.8.7. जलवायु कार्रवाई के लिए बजट ______ 90
5.8.8. 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न ______ 91
5.8.9. अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट ______ 92
5.8.10. अंटार्कटिका में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज की गई ______ 92
5.8.11. ओकजोकुल/ ओह-युकुल ______ 93
5.8.12. नरव्हेल ______ 94
5.8.13. ब्लू फ्लैग ______ 95
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ______ 96
6.1. सिनेमा और समाज ______ 96
6.2. सोशल मीडिया और किशोर ______ 99
6.3. पारिवारिक संस्था में बदलाव ______ 101
6.4. महिलाओं के नेतृत्व में विकास ______ 103
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 106
6.5.1. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के लिए नया SDG संकेतक अपनाया 106
6.5.2. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ______ 107
6.5.3. स्वावलंबिनी ______ 107
6.5.4. पीएम-युवा 3.0 ______ 107
6.5.5. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ______ 108
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) _ 109
7.1. मानव संवर्धन ______ 109
7.2. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व ______ 110
7.3. लाइट सुपरसॉलिड ______ 112
7.4. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां ______ 113
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 114
7.5.1. मोटापा ______ 114
7.5.2. राष्ट्रीय जीन बैंक ______ 115
7.5.3. ट्रांसजेनिक जीव ______ 115
7.5.4. MeitY ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की ______ 116
7.5.5. AI वॉशिंग ______ 117
7.5.6. नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च (NIDAR) ______ 117
7.5.7. उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना 118
7.5.8. नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे ______ 119
7.5.9. स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट ______ 119
7.5.10. उल्काभ ______ 121
7.5.11. ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) ______ 121
7.5.12. एबेल पुरस्कार ______ 122
8. संस्कृति (Culture) ______ 123
8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ______ 123
8.1.1. अशोक के अभिलेख स्थल ______ 126
8.1.2. गुप्तकालीन मंदिर ______ 128
8.1.3. तेलंगाना के मुदुमल मेन्हिर ______ 129
8.1.4. मध्य प्रदेश और ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर 131
8.1.5. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल-किले ______ 132
8.1.6. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (बस्तर, छत्तीसगढ़) 132
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ______ 134
8.2.1. विक्रमशिला विश्वविद्यालय ______ 134
8.2.2. गीत गवई ______ 134
8.2.3. ज्ञानपीठ पुरस्कार ______ 134
8.2.4. भारत के पारंपरिक नववर्ष ______ 135
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ______ 136
9.1. अनुनय ______ 136
9.2. प्रसन्नता/ सुख ______ 138
9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता ______ 140

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) _____ 144
10.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन _____ 144
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) _____ 146
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ___ 147

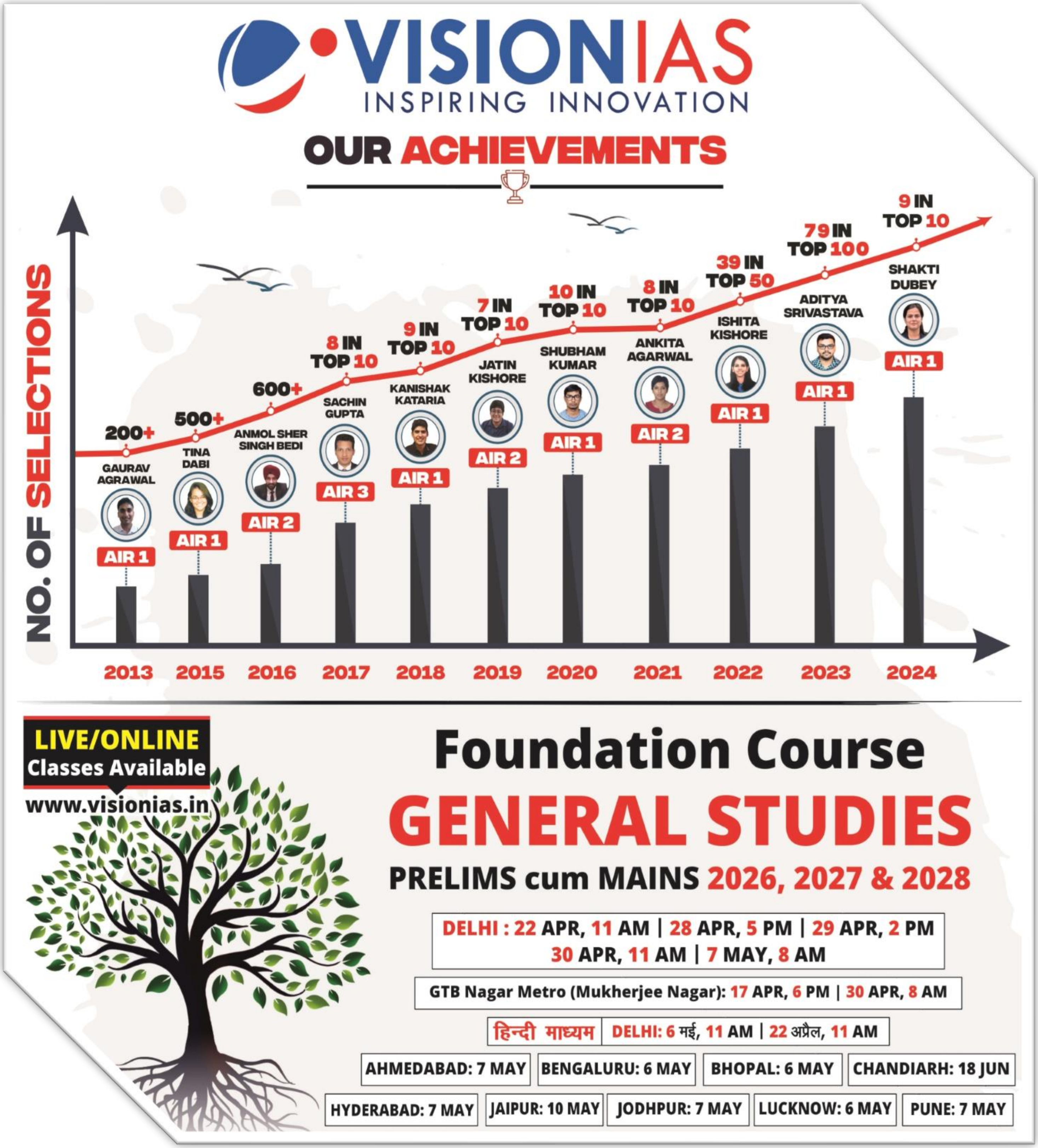

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर करोड़ों रुपये नकद मिलने से **भारत की उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़** गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल की कुछ घटनाओं ने **न्यायिक जवाबदेही पर बहस को तेज कर दिया है:**

- कुछ वर्ष पहले, **भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष पैनल का गठन** किया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए **लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।**

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमुख तंत्र

- **पद से हटाया जाना:** वर्तमान में, उच्चतर न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124, 217 और 218** तथा **न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968** के अंतर्गत प्रावधान मौजूद हैं।
- **1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया:** यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले दो महत्वपूर्ण चार्टर्स - **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, 1997**[1] और **न्यायिक आचरण संबंधी बैंगलोर सिद्धांत, 2002**[2] पर आधारित है।
  - **CJI सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त** कर सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है।
  - **तीन सदस्यीय समिति** शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। उदाहरण के लिए- **न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और निर्मल यादव** को इस प्रकार की समितियों के माध्यम से दोषी पाया गया था।
    - **किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में** गठित जांच समिति में उस हाई कोर्ट को छोड़कर **अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश तथा एक न्यायाधीश शामिल** होता है।
    - **किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत** के मामले में गठित जांच समिति में **सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश तथा अन्य हाई कोर्ट्स के दो मुख्य न्यायाधीश** शामिल होते हैं।
    - **सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत** के मामले में गठित जांच समिति में **सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश** शामिल होते हैं।

---

[1] Restatement of Values of Judicial Life, 1997

[2] Bangalore Principles of Judicial Conduct

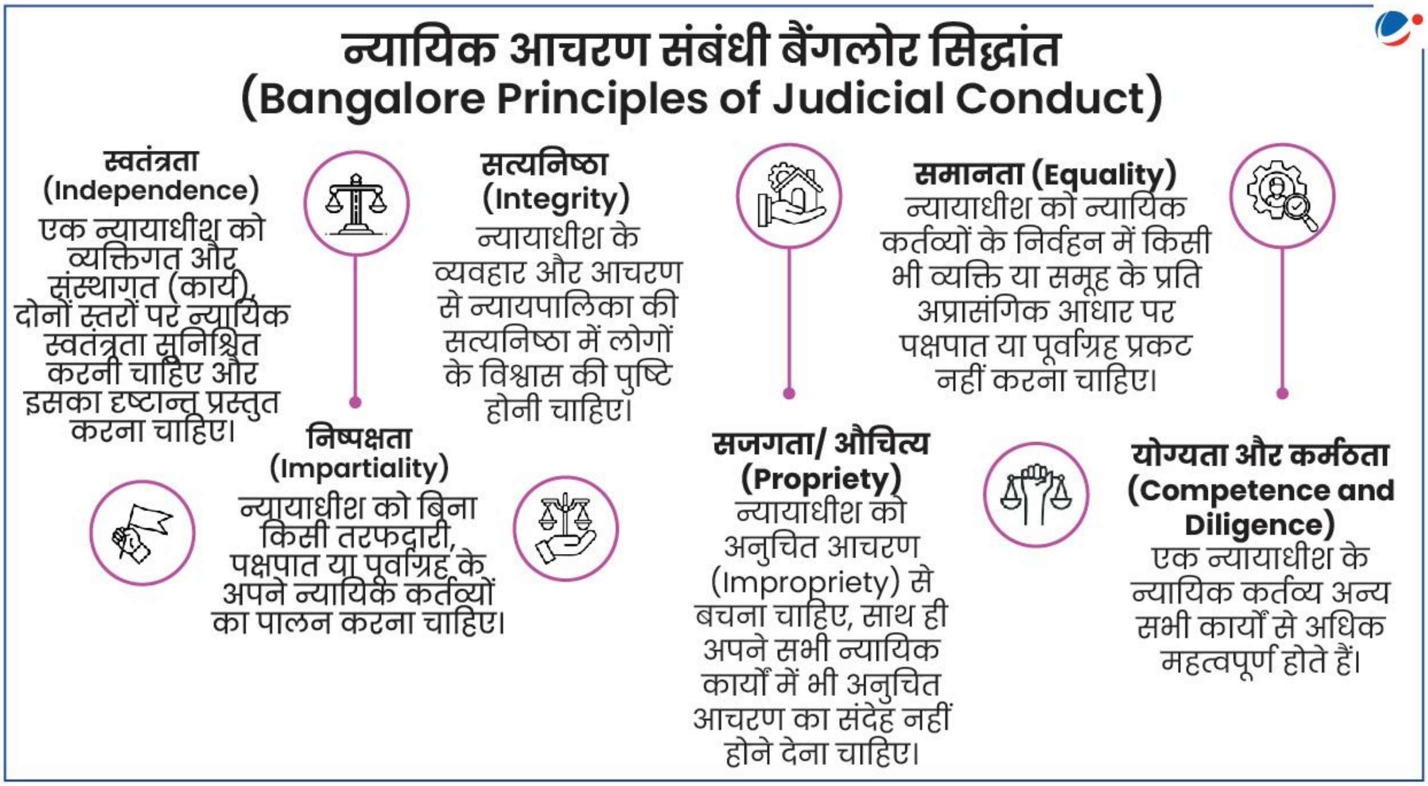

भारत में न्यायिक जवाबदेही से संबंधित चिंताएं

न्यायिक स्वतंत्रता के साथ टकराव	ज्ञातव्य है कि न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के सरकार के किसी भी प्रयास को प्रायः **न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप** के रूप में देखा जाता है। • **अपारदर्शी तरीके से नियुक्ति** करने के कारण **1993 की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना** की जाती है और इसकी कमियों को दूर करने हेतु **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। • हालांकि, **2015 के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड मामले में 4:1** के बहुमत से लिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने **NJAC कानून को खारिज** कर दिया था। ○ **NJAC में छह सदस्य शामिल होने थे:** भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।
पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया	न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया इतनी **जटिल और लंबी** है कि यह उन्हें प्रभावी रूप से जवाबदेह ठहराने में असमर्थ रही है। परिणामस्वरूप, अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस संवैधानिक तंत्र के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। • उदाहरण के लिए- **न्यायमूर्ति रामास्वामी** को न्यायालय के कोष का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था, फिर भी संसद में उनके खिलाफ पर्याप्त मतदान न होने के कारण उन्हें पद से नहीं हटाया जा सका था।
कोई अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण मानदंड नहीं	**वर्ष 1997** में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि 'न्यायाधीशों को अपने जीवनसाथी और आश्रितों सहित अपनी **संपत्तियों की घोषणा CJI के समक्ष** करनी चाहिए।' • **वर्ष 2009** में, सुप्रीम कोर्ट ने **स्वैच्छिक आधार पर न्यायाधीशों की संपत्ति न्यायालय की वेबसाइट पर घोषित करने का संकल्प** लिया था। • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के सभी वर्तमान न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर **अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने पर सहमति** व्यक्त की है। यह अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीमित नियंत्रण और संतुलन	• न्यायपालिका अपने अधिकांश पहलुओं जैसे **न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं, जांच तंत्र,** आदि को स्वयं नियंत्रित करती है।
जवाबदेही में बाधा डालने वाले अन्य प्रावधान	• **आपराधिक कार्रवाई से छूट/ उन्मुक्ति:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए **के. वीरस्वामी निर्णय (1991)** के अनुसार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए CJI की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। • **RTI पर प्रतिबंध:** सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कॉलेजियम के निर्णयों और न्यायाधीशों की व्यक्तिगत संपत्तियों के विवरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में **सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी देने से इनकार** किया है।

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक:** इसे **15वीं लोक सभा** में पेश किया गया था, लेकिन **लोक सभा भंग होने के कारण यह व्यपगत** हो गया।
    - संसद न्यायिक मानदंड निर्धारित करने तथा विधायिका या कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण दिए बिना न्यायिक कदाचार की जांच के लिए **उचित तंत्र स्थापित करने हेतु एक नया विधेयक** प्रस्तुत कर सकती है।
- **राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC):** नियुक्तियों और कदाचार की जांच के लिए **भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (80वीं व 121वीं)** द्वारा प्रस्तावित।
    - NJC को **न्यायिक सदस्य के अलावा गैर-न्यायिक सदस्य शामिल** करने की सलाह दी गई है।
- **स्थायी अनुशासन समिति:** न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए केंद्रीय स्तर पर न्यायपालिका के सदस्यों वाली एक स्थायी अनुशासन समिति गठित की जानी चाहिए।
    - यह समिति कदाचार के मामूली मामले में **चेतावनी, फटकार या सलाह** दे सकती है। हालांकि, कदाचार के गंभीर मामले में **न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत न्यायिक जांच समिति गठित करने का अनुरोध** कर सकती है।
- **न्यायिक निरीक्षण:** न्यायाधीशों के लिए एक स्थायी **प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली** विकसित की जा सकती है, जिसके माध्यम से निर्धारित मानकों में चूक, या न्यायाधीशों के संदिग्ध आचरण को तुरंत प्रकाश लाया जा सके।

1.2. बिग टेक कंपनियों का विनियमन (Regulating Big Tech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने **डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून समिति की रिपोर्ट**[3] पर जनता से फीडबैक मांगा है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि बिग टेक कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए **एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून** बनाया जाए।

पृष्ठभूमि

- इस समिति ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** की समीक्षा की है।
- बिग टेक कंपनियों की **प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं** ने गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बिग टेक कंपनियों के लिए मजबूत विनियामक उपायों की मांग की है।

बड़ी टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों के प्रमुख उदाहरण

- **मेटा और व्हाट्सएप बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भारत, 2024-25):** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप पर यूजर डेटा को साझा करके अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए मेटा पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (NCLAT)[4] के समक्ष लंबित है।
- **व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन विवाद (भारत):** व्हाट्सएप ने स्पष्ट किया था कि यदि **आई.टी. नियम, 2021** के तहत उसे मैसेज एन्क्रिप्शन को तोड़ने और संदेश भेजने वाले की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य किया गया, तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद करने पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि आई.टी. नियम, 2021 के तहत सबसे पहले मैसेज भेजने वाले का पता लगाना अनिवार्य किया गया है।

---

[3] Digital Competition Law Committee's Report

[4] National Company Law Appellate Tribunal

- **गूगल प्ले स्टोर मामला (भारत):** गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वह डेवलपर्स को अपनी बिलिंग प्रणाली का उपयोग करने या वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करने हेतु मजबूर कर रहा है। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंच रहा है।
- **एप्पल मुकदमा (संयुक्त राज्य अमेरिका, 2024):** 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग और 16 राज्यों ने मिलकर एप्पल पर मुकदमा किया था। उनका आरोप था कि एप्पल स्मार्टफोन के बाजार पर अपना एकाधिकार जमा रहा है। इसके अलावा, एप्पल पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह प्रतिस्पर्धी ऐप्स और डिजिटल वॉलेट्स को ठीक से काम नहीं करने दे रहा था, या उन पर पाबंदी लगा रहा था।

बिग टेक कंपनियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **संप्रभुता के लिए खतरा:** यूजर डेटा को अवैध रूप से एकत्रित करके और उसे देश के बाहर के सर्वरों पर भेजने से उसके दुरुपयोग का खतरा रहता है। इससे डेटा सुरक्षा एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं।
  - उदाहरण के लिए- व्हाट्सएप यूजर डेटा को अपनी मूल कंपनी मेटा को बेच रही है।
- **नेटवर्क प्रभाव:** बिग टेक कंपनियां नेटवर्क प्रभाव का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास जितने अधिक यूजर्स होंगे, वे उतनी ही मजबूत होंगी। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा। इससे कुछ ही कंपनियों के स्थायी प्रभुत्व का खतरा पैदा हो गया है।
  - उदाहरण के लिए- AI टूल ChatGPT ने केवल 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर जोड़े थे। ज्ञातव्य है कि **1 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की शीर्ष सात कंपनियों में से 6 बिग टेक कंपनियां** हैं।
- **राजकोष को राजस्व हानि:** बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर दुरुपयोग के कारण **भारत को प्रतिवर्ष लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान** होता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने **2016 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी आरोपित** की थी, हालांकि अब इसे **हटा** दिया गया है।
  - बिग टेक कंपनियां, कम कर या बिना कर वाले देशों में लाभ स्थानांतरित करने के लिए **आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS)**[5] का उपयोग करती हैं। ज्ञातव्य है कि ऐसे देशों में इन कंपनियों का वास्तविक कारोबार बहुत कम होता है, जिससे भारत जैसे देशों में कर संबंधी नुकसान होता है।
- **डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिम:** बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण से उसके दुरुपयोग, निगरानी एवं उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है।
- **नैतिक चिंताएं:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही:** बिग टेक कंपनियों के एल्गोरिदम, डेटा उपयोग तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है।
  - **लोक हित बनाम कॉर्पोरेट लाभ:** वे कभी-कभी लोक कल्याण की कीमत पर भी अधिकतम लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
  - **डिजिटल डिवाइड और समानता:** AI-संचालित शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच में ग्रामीण बनाम शहरी असमानता मौजूद है।
  - **नैतिक नीति निर्माण और विनियमन:** वे लॉबिंग, डोनेशन और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
  - **पर्यावरणीय जिम्मेदारी:** डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट निपटान का कार्बन फुटप्रिंट चिंता का विषय बना हुआ है।

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौतियां

- **विनियामक शून्यता: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** एक्स-पोस्ट मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है। हालांकि, यह पारंपरिक दृष्टिकोण वर्तमान की तेज गति वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था की जटिलताओं और गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ साबित हो रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, **तकनीकी प्रगति की गति अक्सर विनियामक प्रतिक्रियाओं से आगे** निकल जाती है।
- **प्रवर्तन में देरी:** कानून के प्रवर्तन में देरी अक्सर बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने में चुनौती पैदा करती है। उदाहरण के लिए- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA)[6], 2025 को अभी लागू किया जाना है।
- **विनियामक तंत्र का एकसमान न होना:** बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन विनियामक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं, जिससे एकसमान विनियमन प्रभावित होता है।
- **टेक्नो-राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद:** इससे देश घरेलू कंपनियों के पक्ष में हो जाते हैं।

---

[5] Base Erosion and Profit Shifting

[6] Digital Personal Data Protection Act

- **कानून की अस्पष्टता:** हाल ही में एक मामले में, एक्स ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को विनियमित करने और हटाने का आदेश देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा **आई.टी. अधिनियम की धारा 79(3)(b)** के उपयोग को चुनौती दी थी। कंपनी ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा इस प्रावधान का "दुरुपयोग" आई.टी. अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे **धारा 69A** के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है।
  - एक्स ने केंद्र सरकार के नए **सहयोग पोर्टल** का भी विरोध किया है। यह पोर्टल सभी सरकारी एजेंसियों को यह सुविधा देता है कि वे एक मानकीकृत टेम्पलेट के माध्यम से किसी भी गैर-कानूनी या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि में प्रयुक्त सूचना, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक को हटाने या निष्क्रिय करने का अनुरोध कर सकती हैं।
  - एक्स ने तर्क दिया कि ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट के **श्रेया सिंघल वाद** में दिए फैसले का उल्लंघन करता है। **श्रेया सिंघल वाद** में कहा गया था कि कंटेंट को केवल उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही ब्लॉक किया जा सकता है।

श्रेया सिंघल वाद (2015) के बारे में

- **आई.टी. अधिनियम की धारा 69A को बरकरार रखा गया:** सुप्रीम कोर्ट ने **आई.टी. अधिनियम की धारा 69A** को बरकरार रखते हुए कहा कि सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, यदि वह संविधान के **अनुच्छेद 19(2) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध)** का उल्लंघन करता है।
- **धारा 79(3)(b) के लिए संरक्षण प्रदान किया गया:** यह धारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यवर्तियों को **"सेफ हार्बर (Safe harbour)" संरक्षण** प्रदान करती है। यह धारा उन्हें उनके प्लेटफॉर्म्स पर होस्ट की गई यूजर-जनित कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है।
  - **धारा 79(3)(b):** यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ मध्यवर्ती सरकारी अधिसूचना के बाद भी गैर-कानूनी कंटेंट को ब्लॉक करने/ हटाने में विफल रहता है तो **"सेफ हार्बर" संरक्षण को हटा** दिया जाता है।
    - हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 79(3)(b) तब प्रभावी होगी, जब **अदालत का आदेश पारित हो जाएगा, या सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें कहा जाएगा कि विचाराधीन कंटेंट अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों से संबंधित है।**

बिग टेक कंपनियों को विनियमित करने के लिए प्रमुख कानून

भारत में

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023:** इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के अधिकार को स्वीकारते हुए उसकी रक्षा करे।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) या आईटी नियम[7], 2021:** भारत में बड़े यूजर आधार वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को **महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (SSMIs)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें अतिरिक्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे- विशिष्ट परिस्थितियों में सबसे पहले मैसेज भेजने वाले का पता लगाना।
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** यह अनुचित व्यवहारों को रोकने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने से संबंधित है।
  - 2023 का संशोधन **वैश्विक कारोबार** के आधार पर दंड की अनुमति देता है। CCI प्रतिस्पर्धा-विरोधी कृत्यों या प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए **पिछले 3 वर्षों की औसत आय या कारोबार के 10% तक का जुर्माना** लगा सकता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** इसमें भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कंपनियों को दंडित करने का प्रावधान है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा आदि के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है।

वैश्विक

- **यूरोपीय संघ:** डेटा संरक्षण और डिजिटल विनियमन के क्षेत्र में यूरोपीय संघ के प्रमुख कदमों में **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR), 2016** और डिजिटल सर्विसेज एक्ट पैकेज के तहत प्रस्तावित **डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA)** शामिल हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र:** वर्ष 1980 में, संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक प्रथाओं पर आयोजित सम्मेलन के तहत "प्रतिबंधात्मक व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय रूप से सहमत न्यायसंगत सिद्धांतों और नियमों के एक सेट" को स्वीकृति प्रदान की थी।

---

[7] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) or IT Rules

बिग टेक कंपनियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए आगे की राह

डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पूर्व-विनियमन की आवश्यकता:** एक **डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून** बनाया जाना चाहिए। इससे CCI केवल उन उद्यमों को विनियमित कर सकेगी जिनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है तथा जो भारतीय डिजिटल बाजार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (SSDEs)[8]:** सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र जैसी बाजार संकेन्द्रण के प्रति संवेदनशील मुख्य सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को पूर्व-विनियमन के लिए SSDEs के रूप में नामित करना चाहिए।
- **SSDEs के वर्गीकरण के लिए सीमाएं:** मानदंड में उद्यमों के संसाधन और उनके द्वारा एकत्रित डेटा की मात्रा शामिल होनी चाहिए।
- **एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज़ (ADEs):** उद्यमों को अपने समूह के अंतर्गत उन सभी अन्य उद्यमों की पहचान करनी चाहिए जो मुख्य डिजिटल सेवा की प्रदायगी में शामिल हैं। इन उद्यमों को प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत ADEs के रूप में नामित किया जाना चाहिए तथा उन्हें इसका अनुपालन करना चाहिए।
- **SSDEs के दायित्व: SSDEs को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए;**
    - अपने स्वयं के या संबंधित पक्ष के उत्पादों को प्राथमिकता देना या तीसरे पक्ष के ऐप्स को ब्लॉक करना;
    - उपयोगकर्ताओं को अपनी अन्य सेवाएं अपनाने के लिए बाध्य करना;
    - प्रतिस्पर्धा करने के लिए गैर-सार्वजनिक व्यावसायिक उपयोगकर्ता डेटा का उपयोग करना; आदि।
- **नियमों को ठीक से लागू करना:** CCI को मामलों का शीघ्र पता लगाने और निपटान के लिए महानिदेशक कार्यालय सहित अपनी **तकनीकी क्षमता में सुधार** करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, **तेजी से अपील के लिए NCLAT की एक अलग पीठ गठित** की जानी चाहिए।
- **दंड:** उल्लंघन करने पर **SSDEs के वैश्विक कारोबार के 10% तक जुर्माना** लगाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर बाजार में लंबे समय से बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के आरोप लगते रहे हैं। ये कंपनियां न केवल हमारे उपभोग के तरीकों को, बल्कि हमारी सोच और अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करती हैं। यदि इन पर प्रभावी विनियमन न हो, तो इनका वर्चस्व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र सार्वजनिक संवाद के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। ऐसा असंतुलन न केवल प्रतिस्पर्धा को दबा सकता है, बल्कि उपभोक्ताओं की पसंद को भी सीमित कर सकता है। इसलिए, नवाचार को संरक्षित रखने और बाजार में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समय पर नियामक हस्तक्षेप आवश्यक है।

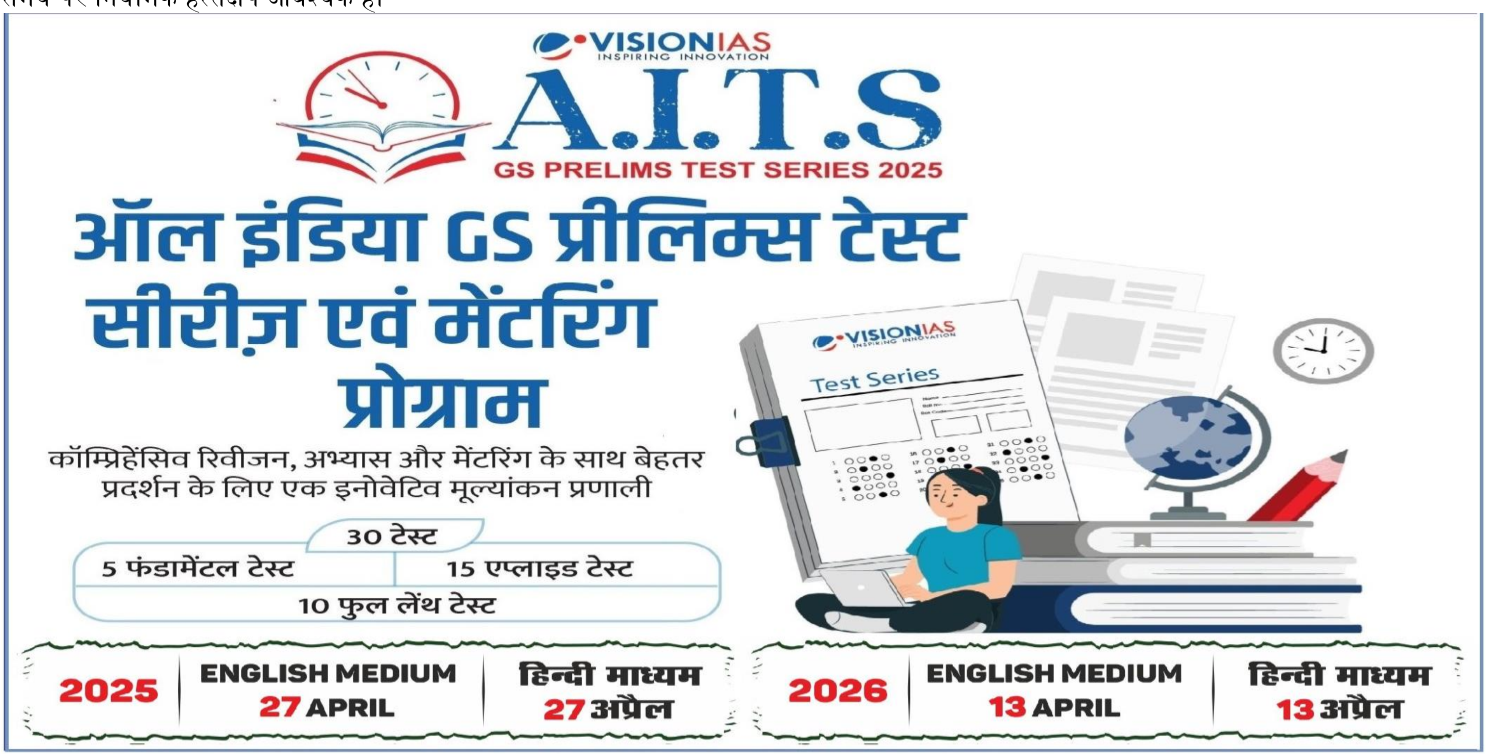

[8] Systemically Significant Digital Enterprises

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.3.1. लोक सभा में 'आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025' पेश किया गया (Immigration and Foreigners Bill, 2025 Introduced in Lok Sabha)

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य **आप्रवास (आव्रजन) और विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं को सुव्यवस्थित** करना है। इसमें भारत में उनका **प्रवेश, निकास और रहना** शामिल है।

- यह विधेयक आव्रजन और विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले **मौजूदा चार कानूनों को निरस्त करता है-**
  - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946,
  - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम (1920),
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम (1939), और
  - आप्रवास (वाहक-दायित्व) अधिनियम (2000)।
- इनमें से तीन कानून **संविधान के लागू होने से पहले के हैं, जो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध** के संकटकालीन समय के दौरान लाए गए थे।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **प्रवेश करने या ठहरने से रोकने के लिए आधार:** यदि विदेशियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य या विदेशी संबंधों के लिए खतरा माना जाता है, तो उन्हें देश में प्रवेश करने से वंचित किया जा सकता है।
  - इस संबंध में **आव्रजन अधिकारियों के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी** होंगे।
- **विदेशियों की ट्रैकिंग: शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम** जैसे संस्थानों को विदेशी नागरिकों की सूचना आव्रजन अधिकारियों को देनी होगी।
- **अन्य:** कानून के उल्लंघन पर **कठोर दंड का प्रावधान** किया गया है, जैसे- वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने पर **5 साल की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना** आदि।

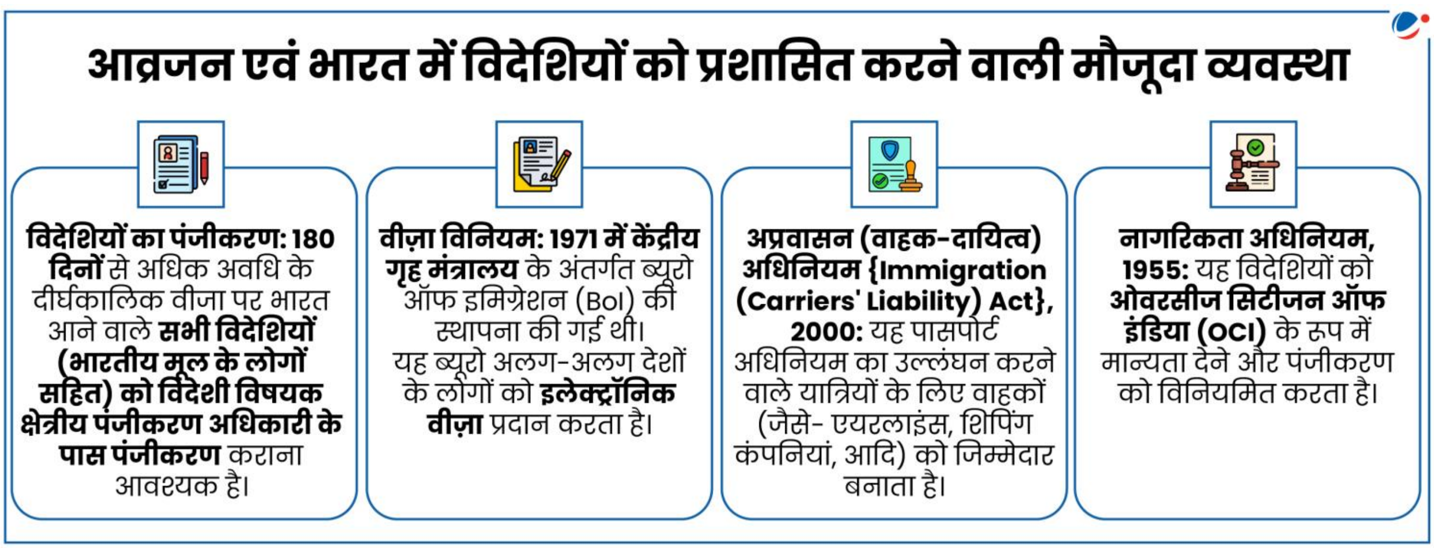

1.3.2. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई (Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj Report)

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 के लिए बजट अनुमान (BE) संबंधी आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां एवं सिफारिशें

आधार	टिप्पणी	सिफारिशें
बजट आवंटन	**संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान कम रहने की निरंतर प्रवृत्ति** देखी गई है (मुख्यतः योजनाओं के **मांग आधारित प्रावधान** के कारण)।	यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **राज्य फंड संबंधी अपनी मांग को समय पर प्रस्तुत करें** तथा आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग करें।
योजनाओं का कार्यान्वियन	**पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को प्रभावी तरीके से लागू नहीं** किया जा रहा है। इसकी वजहें हैं- जन जागरूकता और संवेदनशीलता की कमी।	**कानून को लागू करने हेतु क्षमता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा **बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित** करनी चाहिए।
	संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान: उदाहरण के लिए- इसके तहत **34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में से 14** को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोई धनराशि **नहीं मिली** है।	**राज्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उपाय** करने चाहिए, ताकि **धनराशि समय पर जारी** की जा सके।
	गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व/ SVAMITVA) योजना: मंत्रालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका (योजना के तहत बिहार में कोई कार्य नहीं किया गया) है।	इस योजना के कार्यान्वियन के लिए **ठोस कार्य योजना तैयार** करनी चाहिए और **प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित** करने चाहिए।
प्रशिक्षित जनशक्ति	**सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है।** उदाहरण के लिए- बिहार में 5 से 6 ग्राम पंचायतों का प्रबंधन केवल एक अधिकारी कर रहा है।	कार्य का बोझ कम करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए **डिजिटल गवर्नेंस संबंधी पहलों** को अपनाना चाहिए।
अनुदान के प्रकार	**सशर्त (Tied) अनुदान (आवंटन का 60%)** का उपयोग निर्धारित कार्य या योजनाओं के लिए होता है, जबकि **बिना शर्त (Untied) वाले अनुदान (40%)** का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।	**सशर्त और बिना शर्त वाले अनुदान का विलय** कर देना चाहिए ताकि अनुदान के खर्च में सहूलियत हो सके।
पंचायत चुनाव	अलग-अलग राज्यों में **पंचायत चुनावों में देरी देखी** जा रही है, जैसे- कर्नाटक में यह 2021 से लंबित है।	73वें संविधान संशोधन के अनुसार **समय पर चुनाव** कराना चाहिए।
राजस्व सृजन	**सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता** बनी हुई है।	पंचायतों को संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और अन्य स्थानीय शुल्कों को लगाने का अधिकार देकर **उन्हें अपने स्रोतों से राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त** बनाना चाहिए।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

2025 | ENGLISH MEDIUM 23 MARCH | हिन्दी माध्यम 23 मार्च

2026 | ENGLISH MEDIUM 27 APRIL | हिन्दी माध्यम 27 अप्रैल

1.3.3. दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल (Dedicated Cell For Mercy Petitions)

महाराष्ट्र ने **मृत्युदंड** की सजा पाए दोषियों की **दया याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सचिव (गृह) के अधीन एक समर्पित सेल** की स्थापना की है।

- महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय **सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2024)** का पालन करता है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा **सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** को दया याचिकाओं पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्रवाई करने के लिए अपने **गृह/ जेल विभागों** के भीतर समर्पित इकाइयां गठित करने का निर्देश दिया गया था।

दया याचिका (Mercy Petition) के बारे में

- न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद, दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका (mercy petition) दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपनी सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है।
- दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की **विवेकाधीन** शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का **कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी** ही चाहिए।
- दया का उपयोग **क्षमादान की शक्ति** के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ़ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।

क्षमादान की शक्ति

- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72)**
  - **क्षमा (Pardon):** सजा से पूर्ण मुक्ति।
  - **विराम (Respite):** दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना।
  - **स्थगन (Reprieve):** कुछ समय के लिए किसी सजा (विशेषकर मृत्युदंड) के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है।
  - **परिहार (Remit):** सजा की अवधि कम कर दी जाती है, जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है।
  - **लघुकरण (Commute):** सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे- मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना।
- **राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति** कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है।
- **राज्यपाल की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये **मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं हैं।**
- **मारू राम बनाम भारत संघ मामले (1980)** में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि **राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि सरकार की सलाह** पर कार्य करते हैं।

1.3.4. संसद भाषिणी पहल (Sansad Bhashini Initiative)

लोक सभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI-संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिणी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

संसद भाषिणी पहल के बारे में

- **उद्देश्य:** संसद भाषिणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विविध भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करना है।
  - **भाषिणी** MeitY द्वारा निर्मित एक AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है।
- संसद भाषिणी के अंतर्गत प्रमुख AI पहलों में **AI-आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए AI-संचालित चैटबॉट** आदि शामिल हैं।

1.3.5. फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 (Future of Free Speech Index 2025)

द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक नए वैश्विक सर्वेक्षण में फ्री स्पीच के समर्थन के मामले में **33 देशों में से भारत को 24वां स्थान** दिया गया।

फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 के बारे में

- **स्कैंडिनेवियाई देश** (नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन) तथा दो **निम्न लोकतांत्रिक देश** (हंगरी एवं वेनेजुएला) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री स्पीच) के समर्थन में **सबसे उच्चतम स्तर** पर हैं।
- **कुछ देशों में फ्री स्पीच के समर्थन में गिरावट: जापान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे देशों में 2021 के बाद से फ्री स्पीच के समर्थन में काफी गिरावट आई है।
- पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और AI कंटेंट जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे फ्री स्पीच को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

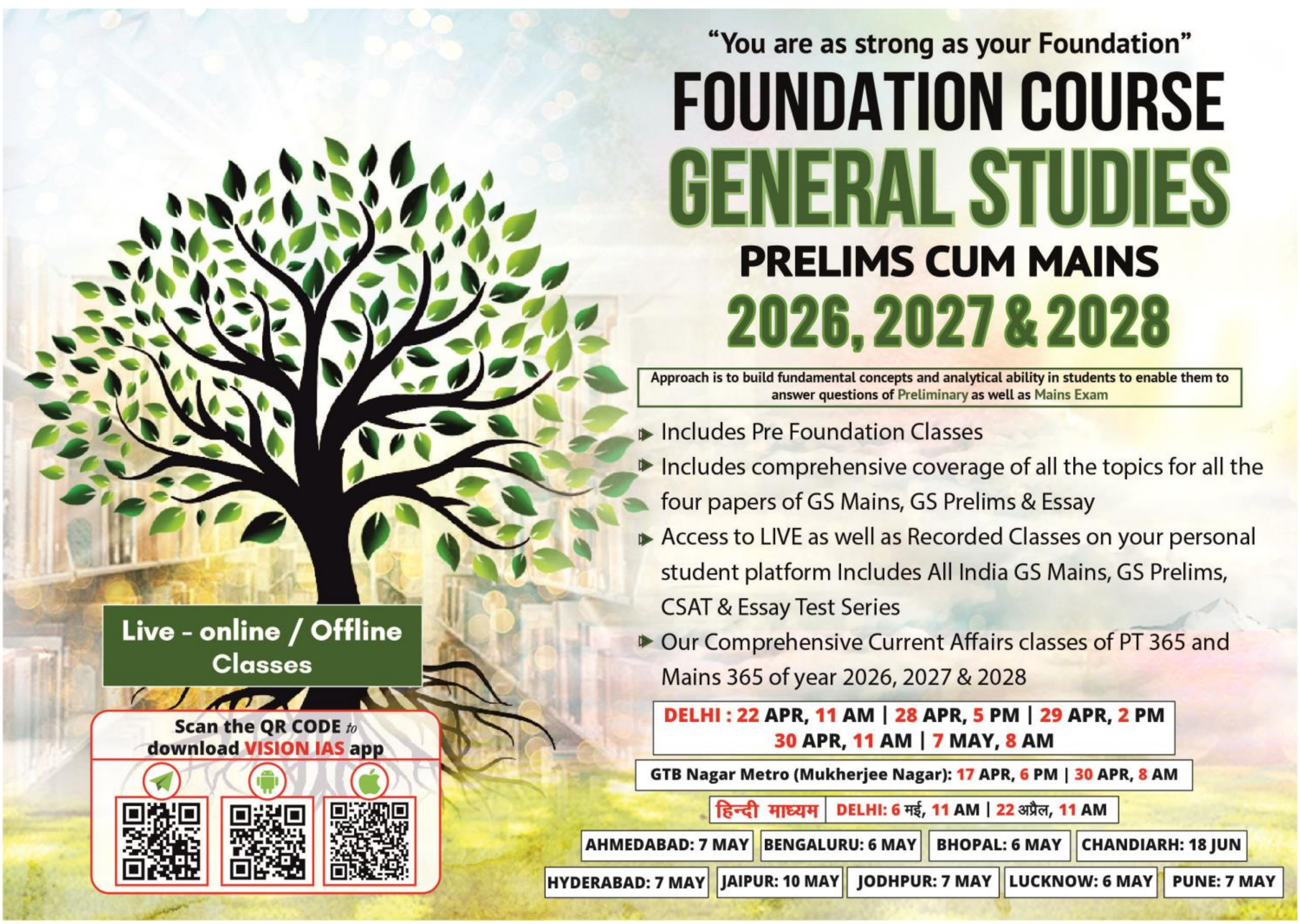

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 में **मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के प्रावधानों में संशोधन** के संबंध में घोषणा की गई थी, ताकि इसे और अधिक **निवेशक-अनुकूल** बनाया जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बारे में

- इन्हें **अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों (IIAs)**[9] के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौते विदेशी निवेशकों को उन नीतिगत या नियामक उपायों के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, जो उनके निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही, ये समझौते यह संतुलन भी स्थापित करते हैं कि एक देश को अपने क्षेत्र में निवेश को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त है।
- **अवधारणा:** ये संधियां निवेशकों को **मेजबान देश** (जैसे- भारत, जहां विदेशी निवेश किया जाता है) के खिलाफ कानूनी दावा करने का अधिकार देती हैं।
    - निवेशकों को यह अधिकार **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)**[10] प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि **निवेशक के गृह देश** (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका) को **राज्य-राज्य विवाद निपटान**[11] के माध्यम से यह अधिकार प्रदान किया जाता है।
- भारत ने **2015 में नए मॉडल BIT को मंजूरी दी थी,** जिसने **भारतीय मॉडल BIT, 1993** का स्थान लिया है।
    - तब से, इस नए मॉडल BIT का उपयोग न केवल नए BITs के लिए, बल्कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (CECA), व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPA) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के निवेश संबंधी प्रावधानों पर वार्ता या पुनः वार्ता के आधार के रूप में किया जा रहा है।
- हाल ही में, **उज्बेकिस्तान (2024 में) और संयुक्त अरब अमीरात (2024 में)** के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मॉडल BIT 2015 की प्रमुख विशेषताएं

- **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** इसका तात्पर्य एक ऐसे उद्यम से है, जिसे देश के घरेलू कानूनों के अनुसार एक निवेशक द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ गठित, संगठित और संचालित किया जाता है।
- **उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार:** इसके तहत प्रत्येक पक्ष (संधिकर्ता देश) द्वारा निवेश और निवेशकों को पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय व्यवहार:** विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों के समान दर्जा देना।
- **एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिहरण) के खिलाफ सुरक्षा**[12]**:** कोई भी पक्ष किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्ष रूप से या उस निवेश के स्वामित्व पर अधिकार कर निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता।
- **कुछ गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना:** जैसे- सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) की व्यवस्था:** एक विदेशी निवेशक को ISDS तंत्र अपनाने से पहले कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करना चाहिए।

---

[9] International Investment Agreements

[10] Investor-State Dispute Settlement

[11] State-to-State Dispute Settlement

[12] Protections against expropriation

भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं

- **अस्पष्टता:** इसमें "निवेश", "प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (CIL)[13]" आदि शब्दावली में स्पष्टता का अभाव है। इस वजह से ISDS अधिकरण द्वारा **संधि की व्याख्या में विवाद और चुनौतियां** उत्पन्न होती हैं।
  - उदाहरण के लिए- विदेश मामलों की समिति (2021-22) के अनुसार, भारत को विवाद से संबंधित **37 नोटिस** प्राप्त हुए हैं। इनमें से **8 अभी भी अलग-अलग मध्यस्थता चरणों** में हैं।
- **एक नियत समय तक स्थानीय अदालतों का उपयोग:** निवेशकों को किसी भी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से पहले भारत के स्थानीय अदालतों में एक निश्चित अवधि तक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। भारत की अदालतों पर पहले से ही काम का बहुत बोझ है, इसलिए इस नियम की वजह से विवादों का निपटारा होने में और ज़्यादा समय लग सकता है। इससे निवेशकों के लिए कानूनी प्रक्रिया और भी अनिश्चित हो जाती है।
- **ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध:** उन्हें घरेलू न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के "मेरिट" की समीक्षा करने से रोक दिया गया है, बिना यह परिभाषित किए कि "मेरिट" का क्या अर्थ है।
- **मॉडल BIT में निम्नलिखित मुद्दों के कारण विदेशी निवेशकों को सीमित अधिकार प्राप्त हैं:**
  - **"निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार" मानकों को छोड़** दिया गया है। इसके अलावा, **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) और "वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation)"** के सिद्धांत भी अनुपस्थित हैं।
  - **कर-संबंधी विनियामक उपायों को शामिल न करने से** निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है।
  - ISDS अधिकरणों के पास यह शक्ति नहीं है कि वे सरकार को अपनी नीतियों में कोई बदलाव करने का आदेश दें। वे केवल यही फैसला दे सकते हैं कि अगर किसी विदेशी निवेशक को नुकसान हुआ है, तो उसे पैसे के रूप में **मुआवजा** दिया जाए।

शब्दावली को जानें

- **सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most Favoured Nation: MFN):** इस सिद्धांत के तहत एक देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में अन्य **सभी देशों के साथ समान व्यवहार** करना होता है।
  - उदाहरण के लिए- WTO का MFN सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यदि WTO का कोई सदस्य देश किसी अन्य सदस्य को कोई व्यापारिक लाभ देता है, तो वही लाभ बाकी सभी सदस्य देशों को भी समान रूप से देना अनिवार्य है।
- **निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार (Fair and Equitable Treatment: FET):** यह **निवेश प्राप्त करने वाले देशों** को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि वे **विदेशी निवेशकों के साथ न्यूनतम मानकों के अनुरूप व्यवहार करें,** ताकि उन्हें मनमाने या भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों से बचाया जा सके।

- **ICSID सम्मेलन में शामिल न होना:** भारत **निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)[14]** का सदस्य **नहीं** है। इस वजह से, जो निवेशक ICSID के माध्यम से भारत में अपने फैसले लागू करवाना चाहते हैं, उनके पास सीमित विकल्प ही बचते हैं।
  - ICSID को **ICSID कन्वेंशन द्वारा 1966** में स्थापित किया गया था। यह **विश्व बैंक** की एक संस्था है। यह अनुबंधित देशों और अनुबंध करने वाले अन्य देशों के नागरिकों के बीच निवेश संबंधी विवादों के सुलह एवं माध्यस्थम्[15] की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- देशों और निवेशकों के लिए शब्दावली में **अधिक स्पष्टता प्रदान** करनी चाहिए तथा माध्यस्थम् संबंधी विवेकाधिकार पर अंकुश लगाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में यह साफ-साफ बताया गया है कि किस तरह की सरकारी कार्रवाई को संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इसकी बजाय, संधि में यह कहा जाना चाहिए था कि देश की कार्रवाई को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (CIL) के सिद्धांतों के अनुसार आंका जाएगा।
- **स्थानीय उपायों की अनिवार्य उपयोग अवधि को समाप्त या कम कर देना** चाहिए। साथ ही, निवेशकों को घरेलू न्यायालयों या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बीच चयन करने की अनुमति देनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी निवेशकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, BITs में MFN के प्रावधानों को उचित शर्तों के साथ शामिल किया जाना चाहिए ताकि "ट्रीटी शॉपिंग" को रोका जा सके।

---

[13] Customary International Law

[14] International Centre for Settlement of Investment Disputes

[15] Conciliation and arbitration

- ○ **ट्रीटी शॉपिंग** आमतौर पर ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति जटिल कंपनियों या कानूनी संरचनाओं का उपयोग कर दो देशों के बीच कर संधि से मिलने वाले लाभों का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने का प्रयास करता है, जबकि वह स्वयं उन देशों में से किसी का निवासी नहीं होता।

- यूरोपीय संघ की नई पीढ़ी की निवेश संधियों में शामिल **निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार**[16] के प्रावधान की तरह, भारत को भी इस सिद्धांत को एक सीमित और स्पष्ट रूप में अपनाना चाहिए। ऐसा प्रावधान किसी देश की मनमानी कार्रवाई को अवैध ठहराने की अनुमति देगा, साथ ही निवेशकों और संप्रभु राज्यों के अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा।
- विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रवर्तन तंत्र प्रदान करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए **ICSID कन्वेंशन पर हस्ताक्षर** करने चाहिए।
- **व्यापक कर उपायों को शामिल** किया जाना चाहिए। ISDS अधिकरणों को नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय प्राधिकारियों के निर्णय को स्थगित करते हुए अपमानजनक या भेदभावपूर्ण कर संबंधी कार्रवाइयों की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए।
- विदेशी कानूनी फर्मों पर निर्भरता कम करने और माध्यस्थम लागत (Arbitration costs) को नियंत्रित करने के लिए **निवेश माध्यस्थम में घरेलू संरचना का विकास** करना चाहिए।
  - ○ भारत को निवेश माध्यस्थम का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (NDIAC) को बढ़ावा देना और विकसित** करना चाहिए।
  - ○ अंतर्राष्ट्रीय निवेश माध्यस्थम में विशेषज्ञता वाले **घरेलू वकीलों और कानूनी फर्मों का एक समूह** बनाना चाहिए।

2.2. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत 2025 में अगले **दो वर्षों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA)** की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

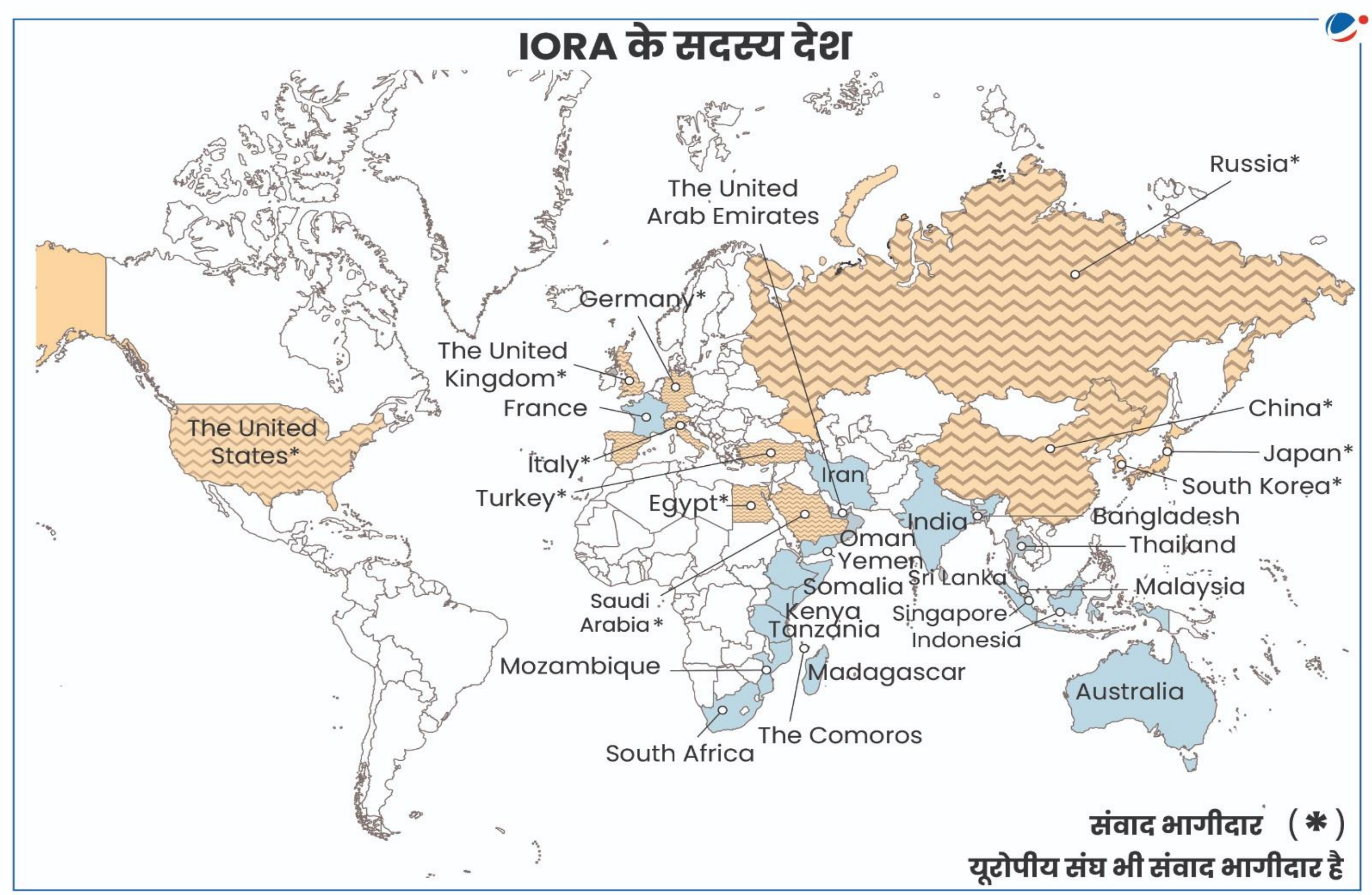

---
[16] Fair and Equitable Treatment

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह एक **अंतर-सरकारी** संगठन है। इसकी स्थापना **1997** में हुई थी। इसका विज़न **1995 में नेल्सन मंडेला** की भारत यात्रा के दौरान सामने आया था।
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करना।
- **सचिवालय:** मॉरीशस
- **सदस्य:** 23 सदस्य और 12 संवाद साझेदार (इन्फोग्राफिक देखें)
- **IORA गवर्नेंस:**
  - **IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स:** यह निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, जिसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री (या समकक्ष) शामिल होते हैं। इसकी वार्षिक बैठक होती है।
  - **ट्रोइका:** यह एक संस्थागत तंत्र है, जिसमें IORA के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (भावी अध्यक्ष), तथा पूर्व अध्यक्ष (चार्टर में पिछले अध्यक्ष के रूप में संदर्भित) शामिल होते हैं।
- **प्रमुख परियोजनाएं:**
  - **हिंद महासागर संवाद (IOD)[17]:** वर्ष 2013 में **ट्रैक 1.5 फोरम** की शुरुआत की गई थी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच खुली वार्ता को प्रोत्साहित करता है।
  - **IORA सतत विकास कार्यक्रम (ISDP):** वर्ष 2014 में इसे उन अल्प विकसित देशों (LDCs) के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें परियोजनाएं संचालित करने के लिए सहायता एवं समर्थन की आवश्यकता होती है।

भारत के लिए IORA का महत्त्व

- **हिंद महासागर क्षेत्र का भू-सामरिक और आर्थिक महत्त्व:** 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, हिंद महासागर से **वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल खपत का 50% परिवहन** होता है। साथ ही, IORA देशों के बीच व्यापार लगभग **800 बिलियन डॉलर** है।
- **अन्य क्षेत्रीय संगठनों में चुनौतियां:** उदाहरण के लिए- SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) और BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), राजनीतिक अस्थिरता, वार्ताओं का रुका होना जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **सुरक्षित स्थान:** IORA भारत और क्षेत्र के उन अन्य देशों के लिए कम विवादास्पद स्थान है, जो बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहना चाहते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **QUAD** (चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद) का नेतृत्व **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ-साथ उसके सैन्य सहयोगी **ऑस्ट्रेलिया और जापान** भी कर रहे हैं।
- **समुद्री सुरक्षा:** IORA समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करता है। साथ ही, समुद्री सुरक्षा संबंधी सहयोग पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है।

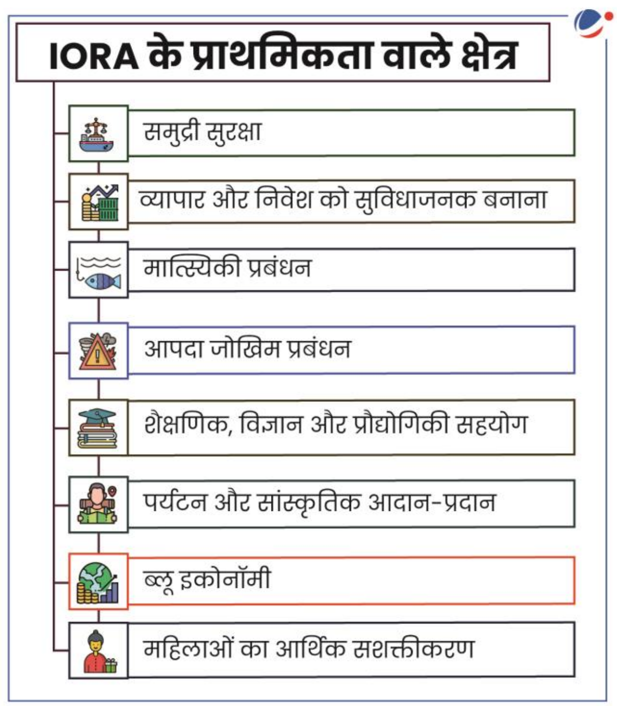

IORA के कामकाज से संबंधित मुद्दे

- **वित्त-पोषण की कमी:** IORA के फंड इसके बढ़ते संलग्नता के क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए अपर्याप्त हैं।
  - बिम्सटेक, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)[18] जैसे अन्य क्षेत्रीय निकायों के साथ प्रतिस्पर्धा से फोकस एवं संसाधन और अधिक कमजोर हो जाते हैं।

---

[17] Indian Ocean Dialogue

[18] Indian Ocean Naval Symposium

- **संस्थागत कमजोरियां:** मॉरीशस स्थित सचिवालय में सीमित कर्मचारी हैं और प्रभावी गवर्नेंस के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी सही से नहीं हो पाता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** भारत-पाकिस्तान तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन की भागीदारी जैसी प्रतिद्वंद्विताएं सदस्यों एवं साझेदारों के बीच सहयोगात्मक संवाद को जटिल बनाती हैं।
- **अन्य मुद्दे:** नीति-निर्माण और वित्त-पोषण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव; अपारदर्शी निवेश एवं अस्थिर ऋण; सदस्यों के बीच आर्थिक असमानताएं; हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चिंताएं जैसे हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में समुद्री डकैती, हूती विद्रोहियों के हमले आदि।

निष्कर्ष

भारत अपने SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) विज़न के साथ IORA के लक्ष्यों को संरेखित करते हुए, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने हेतु अपनी अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है। IORA की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सीड फंडिंग, PPPs और उद्योगों की सहभागिता के माध्यम से सतत वित्त-पोषण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा, संस्थागत क्षमता को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों और सदस्य-राज्य तालमेल के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही, मजबूत सुरक्षा ढांचे और नौसैनिक सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को सशक्त किया जा सकता है।

2.3. भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंध (India-Mauritius Bilateral Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के दौरान, भारत और मॉरीशस ने **उन्नत रणनीतिक साझेदारी**[19] **के लिए एक संयुक्त विज़न** का अनावरण किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने **समुद्री सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा** देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- भारत ने **'ग्लोबल साउथ' के लिए भारत के नए विज़न की भी घोषणा** की। इसे **"महासागर (MAHASAGAR)** नाम दिया गया है (बॉक्स देखें)।
- **सेंट ब्रैंडन द्वीप** का एक नौवहन चार्ट भी मॉरीशस को सौंपा गया।

भारत के लिए मॉरीशस का महत्त्व:

भारत ने 1948 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पहले ही उसके साथ **राजनयिक संबंध** स्थापित कर लिए थे। **मॉरीशस का महत्त्व निम्नलिखित आयामों में देखा जा सकता है:**

मॉरीशस
(राजधानी: पोर्ट लुई)

- भौगोलिक दृष्टि से यह **मैस्करीन द्वीप समूह** का हिस्सा है।
- यह एक **ज्वालामुखीय द्वीप** है और **लगभग पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है।**
- **चागोस द्वीपसमूह पर अभी UK का अधिकार है, जबकि मॉरीशस इसे अपना क्षेत्र मानता है।**
  - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने की UK की योजना को मंजूरी दे दी है।

आयाम	विवरण
सामरिक स्थिति	• मॉरीशस **पश्चिमी हिंद महासागर** में स्थित है, जो इसे भारत की समुद्री और क्षेत्रीय सुरक्षा (विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर) के लिए आवश्यक बनाता है। • यह रणनीतिक स्थान भारत को **समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे मुद्दों से निपटने में मदद** करता है।
भू-राजनीतिक महत्त्व	• **"हिंद महासागर का सितारा और कुंजी"** कहा जाने वाला मॉरीशस **चीन, यूरोप, खाड़ी देशों एवं अन्य देशों की बढ़ती वैश्विक रुचि** के केंद्र में है। • **चीन ने जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया है,** जिससे मॉरीशस की सामरिक भूमिका और बढ़ गई है।

[19] Enhanced Strategic Partnership

समुद्री सुरक्षा भागीदार	• हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के भारत के प्रयासों में मॉरीशस महत्वपूर्ण है। मॉरीशस **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का हिस्सा** है, जिसमें **भारत, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश** भी शामिल हैं। • भारत ने मॉरीशस के **अगालेगा द्वीप पर अवसंरचना में निवेश** किया है, **तटीय रडार स्टेशन** स्थापित किए हैं और अपने **नौसेना सूचना संलयन केंद्र तक पहुंच** प्रदान की है।
हवाई क्षेत्र सहयोग	• भारत ने **अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन** किया है। • मौजूदा 800 मीटर की हवाई पट्टी को पूर्ण लंबाई वाले हवाई क्षेत्र में अपग्रेड करके, **भारत अब अगालेगा द्वीप पर सीधे बड़े वाहक तैनात कर सकता है,** जिससे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी।
अफ्रीका के लिए व्यापार और आर्थिक प्रवेश द्वार	• **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)**[20] के अंतर्गत, मॉरीशस अफ्रीका में भारत के व्यापार और निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण **प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करता है। • भारत-मॉरीशस **दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA)**[21] के कारण, यह भारत में निवेश के लिए एक प्राथमिक मार्ग और अफ्रीका में प्रवेश करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
सांस्कृतिक संबंध	• **मॉरीशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है,** जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। • **गिरमिटिया (भारतीय बंधुआ मजदूर) की विरासत** भारत और मॉरीशस के बीच एक गहरा ऐतिहासिक संबंध बनाती है।

भारत-मॉरीशस संबंधों में चुनौतियां

- **व्यापार और कराधान समझौते:** मॉरीशस भारत के साथ अपने व्यापार और कराधान समझौतों में संशोधन की मांग कर रहा है ताकि वह एक पसंदीदा निवेश माध्यम के रूप में अपनी स्थिति को बहाल कर सके।
  - वर्ष 2016 में संधि में संशोधन के बाद से, मॉरीशस से भारत में FDI प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है। नतीजतन, मॉरीशस सिंगापुर की तरह समानता की मांग कर रहा है और अफ्रीकी बाजारों को लक्षित करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए स्वयं को एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित कर रहा है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन ने मॉरीशस में कई अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया है, जैसे- हवाई अड्डा टर्मिनल, बांध, खेल परिसर और क्रूज शिप टर्मिनल।
- **नृजातीय संलग्नता को संतुलित करना:** मॉरीशस के साथ संबंधों को संतुलित करने हेतु भारत को मॉरीशस की विविधतापूर्ण जनसंख्या (भारतीय, अफ्रीकी व यूरोपीय समुदाय) के साथ संलग्न होना पड़ता है
- **मादक पदार्थों की तस्करी:** मॉरीशस मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बन गया है, जो भारत के समुद्री हितों के समक्ष जोखिम पैदा कर रहा है।
- **पर्यावरणीय खतरे:** मॉरीशस को समुद्र के बढ़ते जलस्तर, चक्रवात और तटीय क्षरण जैसी गंभीर जलवायु चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या आप जानते हैं?

> 1901 में महात्मा **गांधी मॉरीशस पहुंचे थे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि** देने के लिए **12 मार्च को मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस** मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक **दांडी मार्च** की शुरुआत की थी।

निष्कर्ष:

भारत ने एक अग्रणी विकास भागीदार और संकट के समय में स्वयं को एक विश्वसनीय प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। इससे एक सहायक मित्र के रूप में इसकी छवि में वृद्धि हुई है। मॉरीशस, वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए, अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में भारत के अटूट समर्थन की सराहना करता है। भारतीय प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में इस अनूठी व बहुआयामी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

---

[20] African Continental Free Trade Area

[21] Double Taxation Avoidance Agreement

महासागर/ MAHASAGAR विज़न क्या है?

- **महासागर -** क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions: MAHASAGAR)
- **'महासागर'** भारत की 2015 की समुद्री नीति, **SAGAR/ सागर** (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) का एक विस्तारित संस्करण है।
    - **'सागर'** का ध्यान भारत के निकटतम पड़ोस पर केंद्रित है, महासागर का दायरा विशेष रूप से **ग्लोबल साउथ** तक विस्तृत है।
        - 'सागर' ने सूचनाओं के आदान-प्रदान, तटीय निगरानी, अवसंरचना के विकास और सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से समुद्री संबंधों को गहरा करने की सुविधा प्रदान की है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
    - विकास के लिए व्यापार;
    - परस्पर सुरक्षा;
    - प्रौद्योगिकी साझाकरण;
    - वित्तीय सहायता; आदि।
- **'महासागर' के तहत नई पहलें:**
    - **IOS (इंडियन ओशन शिप) सागर:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देती है।
    - **AIKEYME (अफ्रीका-इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट):** यह अंतर-परिचालनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए **अफ्रीकी देशों** के साथ **बहुपक्षीय** समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय और एकता को बढ़ावा देना है। इसका शीर्षक ***'ऐक्यम् (AIKEYME)'* है, जिसका संस्कृत में अर्थ 'एकता'** होता है।

नोट:

- **'महासागर' (मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन):** इसे **भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च** किया था। इसे **वर्ष में दो बार** आयोजित किया जाता है। यह भारत के सागर/ SAGAR विज़न के अनुरूप है।
- यह **बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया** के नौसेना अध्यक्षों एवं समुद्री अधिकारियों को एक मंच पर लाता है।

2.4. भारत न्यूजीलैंड संबंध (India New Zealand Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने **भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा** की।

यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नज़र

- न्यूजीलैंड **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI)** और **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)**[22] में शामिल हुआ।
- **पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए आवागमन संबंधी व्यवस्था पर वार्ता का शुभारंभ** किया गया। इसका उद्देश्य नवाचार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रकों में सहभागिता का समर्थन करना है।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए भी वार्ता** का शुभारंभ किया गया।

नोट: *इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर, 2024 की मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.5. तथा आर्टिकल 5.4.10. देखें।*

द्विपक्षीय संबंधों की समकालीन प्रासंगिकता

- **द्विपक्षीय व्यापार:** दोनों देशों के बीच **वित्त वर्ष 2023-24 में 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का व्यापार हुआ था। इसमें भारत का व्यापार अधिशेष **0.07 बिलियन** अमेरिकी डॉलर रहा।
    - **न्यूजीलैंड द्वारा भारत को निर्यात: भारत** ऊन, लोहा व इस्पात, फल एवं मेवे तथा एल्युमीनियम **का आयात** करता है।
    - **भारत द्वारा न्यूजीलैंड को निर्यात: भारत** फार्मास्यूटिकल्स/ दवाएं, यांत्रिक मशीनरी, मोती, कीमती पत्थर और धातुएं **निर्यात** करता है।

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** उदाहरण के लिए- दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए **संयुक्त टास्क फोर्स-150** में मिलकर काम कर रही हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग:** उदाहरण के लिए- दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता की वकालत** करते हैं। इस सुधार में **सुरक्षा परिषद की सदस्यता में विस्तार करके इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, विश्वसनीय एवं प्रभावी** बनाना शामिल है।
    - न्यूजीलैंड संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में **स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन** करता है।
- **साझा सामरिक हित:** दोनों देश **परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार, आतंकवाद का विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई** की वकालत करने के संबंध में समान रुख रखते हैं। साथ ही दोनों देश **खुले, समावेशी, स्थिर एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने तथा हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित** करने पर सहमत हैं।
    - न्यूजीलैंड ने **2011 की अपनी "भारत के लिए दरवाजे खोलने" की नीति** में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में मान्यता दी थी।
- **प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और योगदान:** भारत न्यूजीलैंड में **कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत** है और **अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत** है।
- **हरित ऊर्जा साझेदारी:** उदाहरण के लिए- न्यूजीलैंड 2024 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का सदस्य बन गया था।
- **घनिष्ठ खेल संबंध:** दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र विशेष रूप से **क्रिकेट, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों** में संबंध काफी घनिष्ठ हैं।
    - भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों के 100 वर्षों को मान्यता देने तथा इसका उत्सव मनाने के लिए **2026 में 'स्पोर्टिंग यूनिटी' कार्यक्रम** की योजना बनाई गई है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- **लंबे समय से विलंबित FTA:** 2010-2015 के बीच 10 दौर की वार्ता के बावजूद, भारत-न्यूजीलैंड FTA आर्थिक मतभेदों, विशेष रूप से **डेयरी निर्यात और कृषि शुल्कों** के कारण रुका हुआ है।

[22] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

    - भारत का डेयरी उद्योग **न्यूजीलैंड के दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पन्न संभावित व्यवधान पर चिंता** व्यक्त करता है। ऐसा इस कारण क्योंकि FTA चर्चाओं से यह क्षेत्रक विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खुल सकता है, जिससे **घरेलू कीमतें प्रभावित** होंगी।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** भारत ने न्यूजीलैंड में **'सिख फॉर जस्टिस'** समूह द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों और खालिस्तान जनमत संग्रह सहित **भारत विरोधी गतिविधियों पर अपनी चिंता जताई है।**
- **अन्य चिंताएं:** कम द्विपक्षीय व्यापार अप्रयुक्त क्षमता को दर्शाता है; **न्यूजीलैंड के चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध** हैं आदि।

निष्कर्ष

दोनों देशों को एक ऐसे मुक्त व्यापार समझौते का लक्ष्य रखना चाहिए, जो पारस्परिक लाभ प्रदान करते हुए भारतीय उद्योगों की संवेदनशीलताओं का समाधान करे। द्विपक्षीय टास्क फोर्स के गठन से अलगाववादी आंदोलनों जैसे संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और वैध विरोध प्रदर्शनों के प्रति सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा, चीन के प्रभाव जैसे भू-राजनीतिक मुद्दों पर नियमित उच्च-स्तरीय चर्चाएं क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण को संरेखित कर सकती हैं।

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.5.1. भारत के साथ आर्थिक सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया का नया रोडमैप (Australia's New Roadmap For Economic Engagement with India)

ऑस्ट्रेलिया का यह महत्वाकांक्षी रोडमैप भारत के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गहरा करने तथा उन्हें विविध बनाने पर केंद्रित है। इस रोडमैप में **"विकास के चार अहम मार्गों"** की पहचान की गई है **- स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा व कौशल, कृषि व्यवसाय तथा पर्यटन।**

आर्थिक सहयोग के लिए जारी रोडमैप के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **विशेष अवसरों की पहचान:** इस रोडमैप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उद्योग, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में **लगभग 50 विशेष अवसरों को चिन्हित** किया गया है।
- **'ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार और निवेश प्रोत्साहन निधि':** इससे ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत में नए वाणिज्यिक अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **ऑस्ट्रेलिया-इंडिया बिजनेस एक्सचेंज (AIBX):** यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक यानी बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भागीदारी में तेजी लाएगा।
- **ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम का नवीनीकरण:** इसका प्रमुख उद्देश्य वाणिज्यिक सहयोग को गति देने के लिए एक प्रभावी बिजनेस-टू-बिजनेस मंच प्रदान करना है।
- **मैत्री अनुदान कार्यक्रम:** आस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच जन संपर्क, व्यवसायों के बीच आपसी संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मैत्री अनुदान कार्यक्रम में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित होते संबंध

- **व्यापार: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 2021** ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया है। इस समझौते का उद्देश्य **2035 तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के तीन अग्रणी निर्यात बाजारों में शामिल करना है।**
- **परमाणु सहयोग:** 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने **असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किए।
- **रणनीतिक साझेदारी:** ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी **नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी (NDS) 2024** में भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **"शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार"** के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- **रक्षा सहयोग:** म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
    - दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं- **ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND), ऑसिन्डेक्स (AUSINDEX)** और **पिच ब्लैक।**

2.5.2. फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस {Five Eyes Intelligence (FVEY) Alliance}

हाल ही में, कई देशों के खुफिया अधिकारी **दिल्ली** में एकत्रित हुए जिनमें **फाइव आइज (FVEY) एलायंस के प्रतिनिधि** भी शामिल थे।

फाइव आइज इंटेलिजेंस (FVEY) एलायंस के बारे में

- इसकी नींव **1946** में हस्ताक्षरित **ब्रिटिश-अमेरिकी संचार खुफिया समझौते (BRUSA)**[23] के साथ रखी गई थी, जो **सिग्नल्स इंटेलिजेंस (SIGINT)** पर केंद्रित था।

---

[23] British-U.S. Communication Intelligence Agreement

- SIGNIT में ट्रैफिक विश्लेषण, डिक्रिप्शन और संचार दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- **प्रमुख सदस्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा **(1948 में शामिल)** तथा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड **(दोनों 1956 में शामिल हुए)।**
- **फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल (FIORC):** इसका गठन **2016** में किया गया था, ताकि सदस्य देशों की **"गैर-राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाओं"** के रूप में कार्य किया जा सके।
- **दायरा और उद्देश्य:**
  - **भू-राजनीतिक खुफिया जानकारी:** आतंकवाद, चीनी प्रभाव और साइबर खतरों जैसे उभरते खतरों की निगरानी करना।
  - **व्यापक खुफिया जानकारी:** चिकित्सा खुफिया जानकारी, आतंकवाद-विरोध, भू-स्थानिक खुफिया जानकारी, आदि।
  - **निरंतर सहयोग:** खुफिया जानकारी को लगातार गुप्त डेटाबेस के माध्यम से साझा किया जाता है।

2.5.3. स्क्वाड एलायंस (Squad Alliance)

फिलीपींस ने भारत से 'स्क्वाड' एलायंस में शामिल होने का आग्रह किया।

स्क्वाड एलायंस के बारे में

- यह एक **अनौपचारिक मिनिलैटरल (लघुपक्षीय)** गठबंधन है। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में आक्रामकता से निपटना, स्थिरता को बनाए रखना आदि।
- यह **क्वाड से अलग है** जिसमें **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया** शामिल हैं।

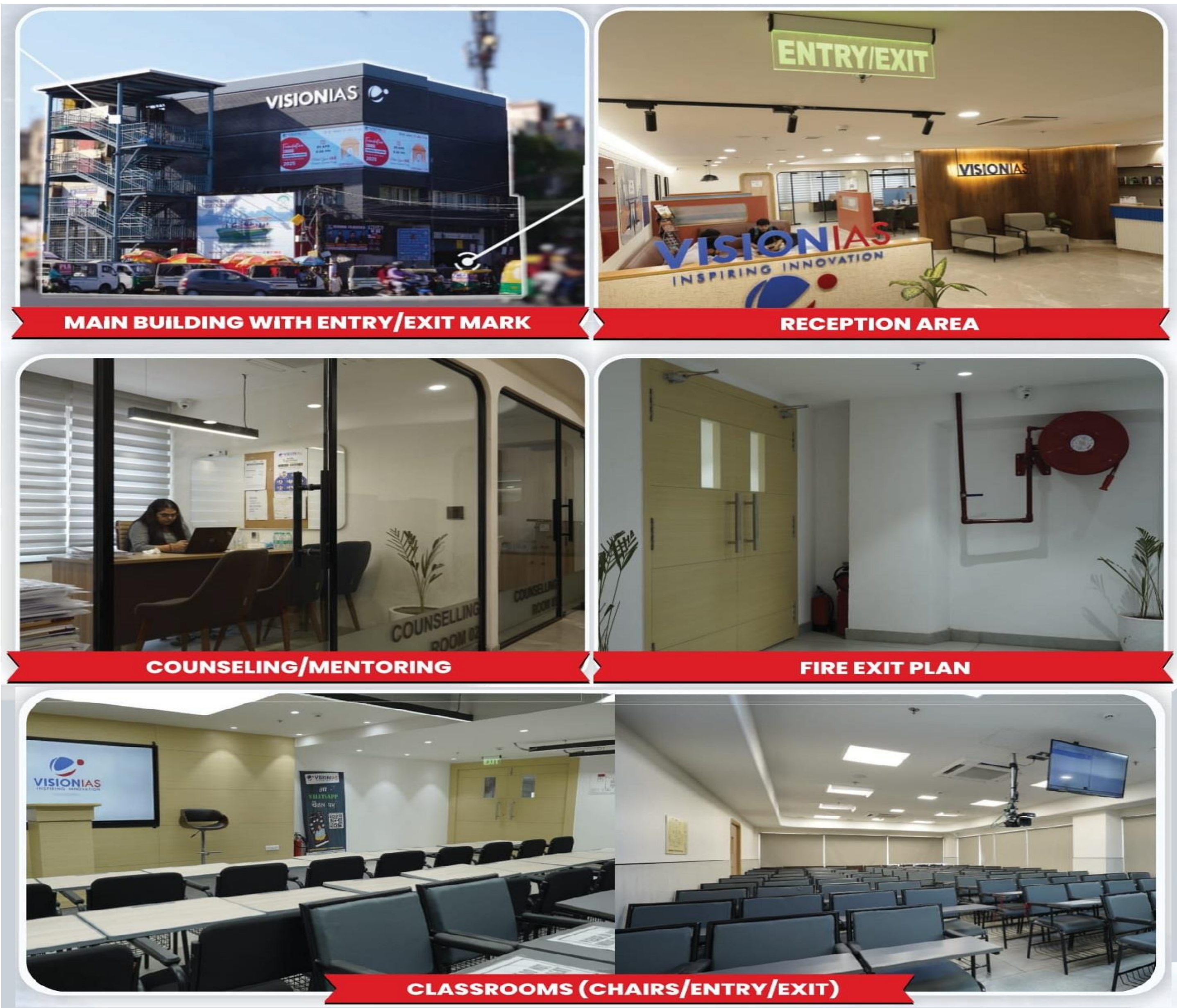

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

2.5.4. ओटावा कन्वेंशन (Ottawa Convention)

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य **पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना** बना रहे हैं।

ओटावा कन्वेंशन के बारे में

- इस कन्वेंशन का आधिकारिक नाम **'कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन'** है।
- **उद्देश्य:** यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में **एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य** करता है।
    - इसके अलावा, उन्हें **ऐसी माइंस को नष्ट करने के लिए भी बाध्य** किया गया है।
- इसे **ओस्लो (1997)** में अपनाया गया था। इसे **1997-1999** तक **ओटावा** में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह **1999** में प्रभावी हुआ था।
- **हस्ताक्षरकर्ता:** 133 देश, **भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं** है।
- **डिपॉसिटरी:** संयुक्त राष्ट्र के महासचिव।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- **Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

2.5.5. रायसीना डायलॉग (Raisina Dialogue 2025)

नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया।

रायसीना डायलॉग के बारे में

- इसकी मेजबानी **विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** (एक स्वतंत्र थिंक टैंक) करता है।
- यह **समकालीन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में** उभरा है। यह **वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित** करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- **भागीदारी:** 10वें संस्करण में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, शिक्षाविद्, थिंक टैंक, युवा आदि शामिल हैं।
- **थीम (2025): "कालचक्र - पीपल, पीस एंड प्लैनेट"।**
    - इसमें चर्चा **छह प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही,** जैसे ग्रीन ट्राइलेमा, डिजिटल प्लैनेट आदि।

2.6. शुद्धिपत्र (Errata)

फरवरी 2025 के मासिक समसामयिकी मैगजीन के आर्टिकल 2.6.3. (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) में हाल के सदस्यों {मलेशिया (2019), यूक्रेन (2025)} के बारे में दी गई जानकारी गलत है।

सही जानकारी यह है कि मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का सदस्य नहीं है। संधि पर हस्ताक्षर करने के लगभग एक महीने बाद ही उसने अपनी सदस्यता वापस ले ली थी। वहीं, यूक्रेन 2024 में अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी कर 2025 में औपचारिक रूप से ICC में शामिल हुआ।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. तरलता घाटा (Liquidity Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में उच्च तरलता घाटा यानी लिक्विडिटी डेफिसिट को कम करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान लिक्विडिटी डेफिसिट पिछले 15 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

RBI ने बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- RBI ने **खुले बाजार परिचालन (OMOs)**[24] के माध्यम से **50,000 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में बाजार से कुल 1,00,000 करोड़** रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की है।
- RBI ने 36 माह की अवधि के लिए **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की **USD/ INR खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी** आयोजित की है।
  - **स्वैप क्या है:** RBI का मुद्रा स्वैप एक प्रकार का वित्तीय समझौता होता है, जिसमें RBI एक निश्चित विनिमय दर पर किसी विदेशी मुद्रा (जैसे- **अमेरिकी डॉलर**) को दूसरी मुद्रा (जैसे- **भारतीय रुपया**) के साथ अदल-बदल करता है, और भविष्य में एक निर्धारित तिथि पर उसे वापस कर देता है।
  - इस प्रकिया में RBI पहले बैंकों से डॉलर खरीदता है और निर्धारित तिथि पर उतना ही डॉलर बैंकों को वापस बेच देता है।

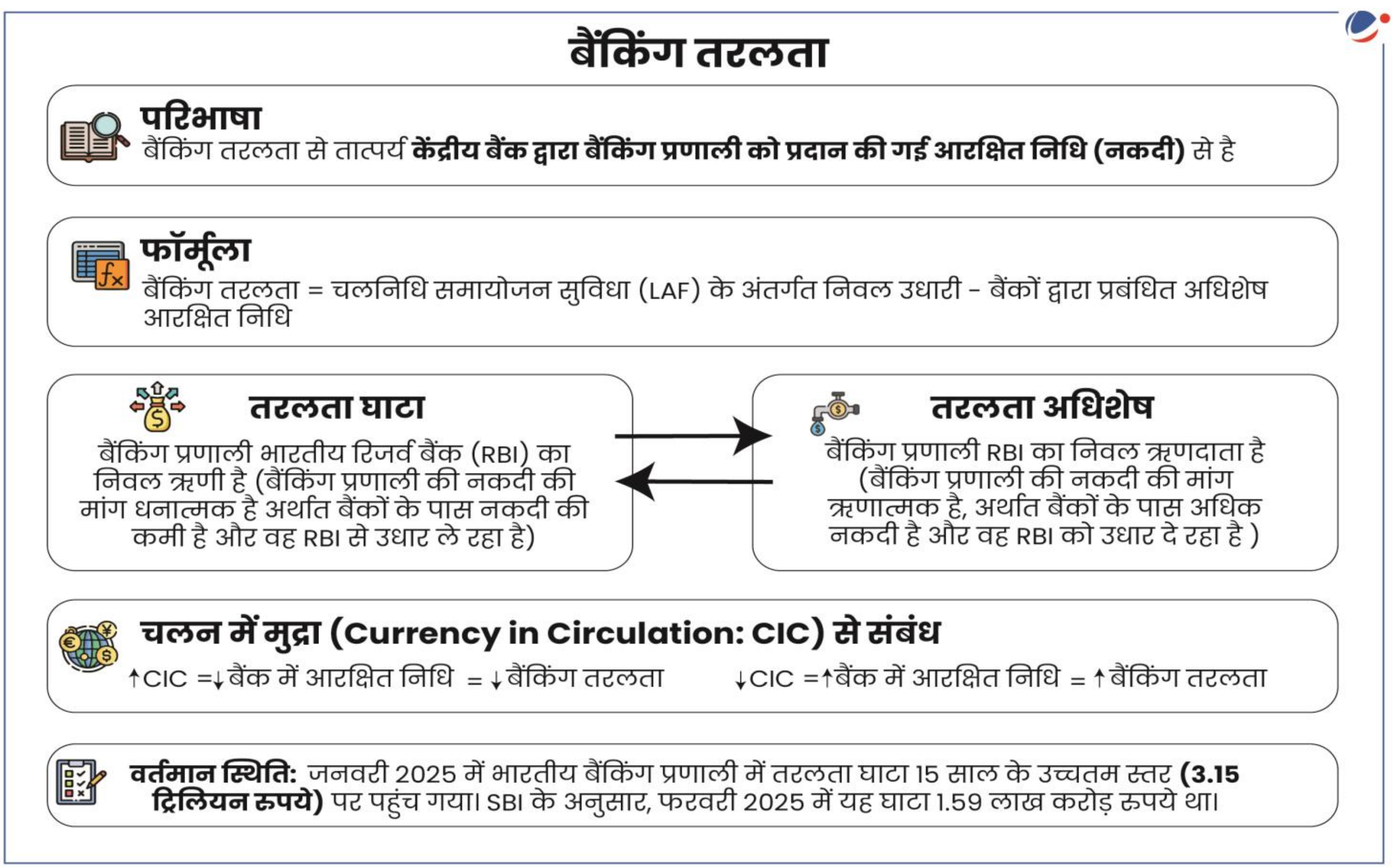

[24] Open Market Operation

लिक्विडिटी डेफिसिट के लिए जिम्मेदार कारक

- **कर भुगतान के लिए बैंकों से धन निकासी:** दिसंबर, 2024 में कंपनियों ने **अग्रिम कर** के रूप में **3 ट्रिलियन रुपये का भुगतान** किया। इसकी वजह से बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई।
  - यह राशि RBI के पास मौजूद सरकार के खाते में चली जाती है, जिससे अस्थायी रूप से बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी कम हो जाती है और बाजार में नकदी की कमी हो जाती है।
- **जस्ट इन टाइम (JIT) - सिंगल नोडल अकाउंट (SNA)-SPARSH ट्रांजिशन[25]:** सरकार द्वारा नई JIT प्रणाली लागू किए जाने के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड के ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ समय के लिए राज्यों की लिक्विडिटी में अस्थायी कमी देखी जा सकती है।
  - पहले केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य ट्रेजरी के माध्यम से फंड ट्रांसफर होता था, लेकिन SNA-SPARSH प्रणाली के तहत RBI के माध्यम से फंड ट्रांसफर होता है। इस प्रकिया में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। इससे कुछ समय के लिए बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है।
- **विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बाजार:**
  - **पूंजी निवेश में अस्थिरता:** शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs)[26] द्वारा की गई बिकवाली से देश से बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर चली गई है।
  - **विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप: RBI रुपये के मूल्यह्रास को रोकने के लिए डॉलर की बिक्री** करता है, परन्तु डॉलर की बिक्री से बैंकिंग प्रणाली में मौजूद नकदी की मात्रा कम हो सकती है।
- **त्योहारी सीजन में बैंकों से धन निकासी:** दिवाली, क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान लोगों द्वारा बैंकों से बड़ी मात्रा में धनराशि निकाले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2025 में महाकुंभ तक जारी रहा। इस प्रवृत्ति के चलते बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता पर दबाव और बढ़ गया, जिससे नकदी संकट और गंभीर हो गया।

लिक्विडिटी डेफिसिट का प्रभाव

- **उच्च उधार लागत:** बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी होने पर बैंकों को उच्च ब्याज दर पर उधार लेना पड़ता है। फिर ये बैंक आम लोगों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को उससे भी अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं। इससे आवासन और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) जैसे अहम क्षेत्रकों के लिए ऋण लेना महंगा और मुश्किल हो जाता है।
- **मौद्रिक नीति के लाभों को पहुंचने में देरी:** लिक्विडिटी डेफिसिट होने से मौद्रिक नीतिगत दरों में कमी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है या देर से मिलता है। अर्थात जब तक अधिक नकदी नहीं होगी, तब तक मौद्रिक नीतिगत दरों में कटौती वास्तविक रूप से प्रभावी नहीं हो सकती।
  - उदाहरण के लिए, RBI द्वारा जारी नवीनतम डेटा से पता चलता है कि **नीतिगत रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती किए जाने के बावजूद उधार और जमा दरों पर इसका बहुत कम असर पड़ा**, जिसका मुख्य कारण नकदी की कमी थी।
- **ऋण की उपलब्धता:** लिक्विडिटी की कमी के दौरान बैंक ऋण देना कम कर देते हैं। इससे आम लोगों और व्यवसायियों के लिए ऋण लेना कठिन हो जाता है जिससे खर्च और निवेश में गिरावट आती है।
- **बैंकों के मुनाफे में कमी:** नकदी की कमी की स्थिति में बैंकों को फंड जुटाने के लिए उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। इस वजह से **उनके मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है।
- **बाजार में अस्थिरता:** नकदी की कमी से बाजार में लोगों का विश्वास कम होता है और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका असर शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों की कीमतों पर भी पड़ता है।

लिक्विडिटी डेफिसिट के प्रबंधन के लिए RBI के पास विकल्प

- **चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)[27]:** नीतिगत दर के रूप में LAF और रेपो दर लिक्विडिटी प्रबंधन के मुख्य साधन हैं।
- **खुला बाजार परिचालन (OMOs):** OMO के तहत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री कर बैंकिंग प्रणाली में नकदी डालने या निकालने का कार्य करता है।

---

[25] Just-in Time (JIT) SNA-SPARSH Transition

[26] Foreign Institutional Investors

[27] Liquidity Adjustment Facility

* **बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS)[28]:** यह एक अल्पकालिक उपाय है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बैंकिंग प्रणाली में नकदी में हुई बढ़ोतरी को कम करने के लिए किया जाता है।
* **नकद आरक्षित अनुपात (CRR)[29]:** CRR वह अनिवार्य न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे बैंकों को अपनी कुल निवल जमा राशि में से नकद के रूप में RBI के पास रखना होता है। इस जमा राशि पर बैंकों को कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार, CRR अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी (नकदी) प्रबंधन हेतु एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करता है।
* **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)[30]:** SLR एक वैधानिक आवश्यकता है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निर्धारित प्रतिशत तरल परिसंपत्तियों (जैसे- **गोल्ड, कैश या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों)** के रूप में अपने पास बनाए रखना होता है।
* **विदेशी मुद्रा स्वैप:** यह एक मौद्रिक नीति लिखत (इंस्ट्रूमेंट) है। इसके तहत RBI पहले बैंकों से डॉलर खरीदता है और निर्धारित तिथि पर उतना ही डॉलर बैंकों को वापस बेच देता है।

3.2. कम वैल्यू के BHIM-UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme for Promotion of Low-Value BHIM-UPI Transactions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम वैल्यू वाले पर्सन-टू मर्चेंट (P2M) BHIM-UPI ट्रांजैक्शन यानी लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।

योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* **कवरेज:** यह योजना **P2M** UPI ट्रांजैक्शन पर लागू होगी। इसे **2024-25 के लिए 1,500 करोड़** रुपये की लागत से लागू किया जाएगा।
* **प्रोत्साहन:** इसके तहत **छोटे व्यापारियों** के 2,000 रुपये तक के **UPI ट्रांजैक्शन** पर **प्रति ट्रांजैक्शन 0.15%** की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  * यह प्रोत्साहन राशि **एक्वायरिंग बैंक** (जिसमें व्यापारी का अकाउंट है) को दी जाएगी, जो इसे **इश्यूर बैंक** (जिसमें ग्राहक का अकाउंट है), **पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक**, और **ऐप प्रोवाइडर** के साथ साझा करेगा।
* **लक्ष्य:** यह योजना डिजिटल डिवाइस के विस्तार का उपयोग करके **अधिक लोगों को ऋण दिलाने में मदद करेगी,** छोटे व्यापारियों को **बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI सेवाओं** का लाभ उठाने में मदद करेगी, और **कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देगी।
* **उद्देश्य:**
  * स्वदेशी **BHIM-UPI प्लेटफ़ॉर्म** को बढ़ावा देना।
  * वित्त वर्ष 2024-25 में **BHIM-UPI के जरिए 20,000 करोड़ रुपये के कुल ट्रांजैक्शन** का लक्ष्य हासिल करना।
  * **UPI को टियर 3 से टियर 6 शहरों** तक, खासकर **ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों** में पहुँचाना। इसके लिए **फीचर फोन आधारित (UPI 123PAY)** और **ऑफ़लाइन (UPI लाइट/ UPI लाइटएक्स)** पेमेंट विकल्प को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) के बारे में

* **BHIM:** यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन है। इसे **नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** ने विकसित किया है।
  * UPI एक ऐसी प्रणाली है, जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (जो किसी भी बैंक/ ऐप प्रोवाइडर का हो सकता है) कई बैंक खातों को संचालित करने की सुविधा प्रदान करती है।
* **उद्देश्य:** इसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कैशलेस भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

BHIM की मुख्य विशेषताएं

* **आसान और त्वरित ट्रांजैक्शन:** यह यूजर्स को मोबाइल नंबर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) या QR कोड का उपयोग करके तेजी से ट्रांजैक्शन को संभव बनाता है।

---

28 Market Stabilisation Scheme

29 Cash Reserve Ratio

30 Statutory Liquidity Ratio

- **UPI-आधारित भुगतान:** यह कई बैंकों से ट्रांजैक्शन करना संभव बनाता है, जिसमें **IFSC कोड या अकाउंट्स विवरण की जरूरत नहीं पड़ती।**
- **बहु-स्तरीय सत्यापन की वजह से सुरक्षित:** यह UPI पिन और SMS के ज़रिए डिवाइस को सुरक्षित रूप से लिंक करके **ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाता है।**
- **कई प्रकार के भुगतान विकल्प उपलब्ध:** इसमें यूजर UPI ID, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या + IFSC और मोबाइल नंबर के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बारे में

- NPCI भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन** के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है।
- NPCI, **भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल** है। इसकी स्थापना **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत की गई है।
- इसे **"नॉट फॉर प्रॉफिट" कंपनी** के रूप में **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8** के तहत पंजीकृत किया गया है।
- इसका उद्देश्य संपूर्ण **बैंकिंग प्रणाली** को **भौतिक** और **इलेक्ट्रॉनिक,** दोनों प्रकार के **भुगतान और निपटान के लिए आधारभूत ढांचा** उपलब्ध कराना है।
- **NPCI ने रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)**[31] जैसी **पेमेंट सेवाओं** की शुरुआत की है।

3.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (Priority Sector Lending: PSL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)** से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित नए दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये दिशा-निर्देश **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 56 के साथ धारा 21 और 35A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए)** के तहत जारी किए गए हैं।
- **किन पर लागू होगा:** RBI के दिशा-निर्देश **सभी वाणिज्यिक बैंकों** पर लागू होंगे, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB), लोकल एरिया बैंक (LAB) तथा **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB)** शामिल हैं। इनमें वेतन भोगी सहकारी बैंक शामिल **नहीं** हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** का तात्पर्य उन क्षेत्रकों से है जिन्हें **सरकार और RBI देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते** हैं एवं सरकार के अनुसार इन्हें ऋण देने में अन्य क्षेत्रकों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - **1969 - गाडगिल समिति:** इस समिति ने एरिया एप्रोच की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर **लीड बैंक योजना** को अपनाया गया।
  - **1972 - PSL का औपचारीकरण:** इसका उद्देश्य उन क्षेत्रकों को ऋण दिलाना सुनिश्चित करना था जो ऋण प्राप्ति के लिए पात्रता तो रखते थे लेकिन बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं थी।
  - **1982 - घोष समिति:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों की श्रेणियों के संशोधन एवं पुनर्वर्गीकरण की अनुशंसा की गई।

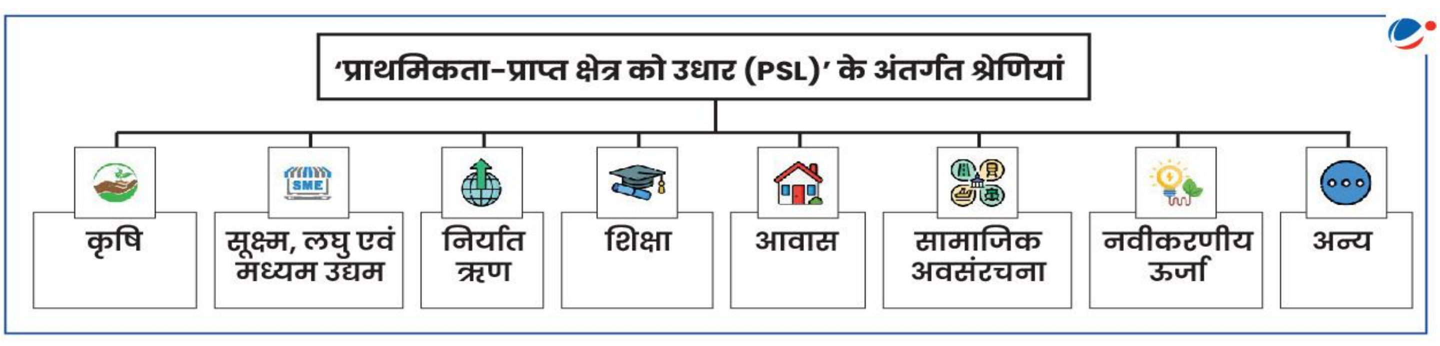

[31] Immediate Payment Service

RBI के संशोधित दिशा-निर्देशों पर एक नज़र

- **विविध ऋण सीमाओं में वृद्धि:-**
  - **शिक्षा:** अब व्यक्ति शिक्षा के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इसमें व्यावसायिक कोर्स के लिए ऋण भी शामिल है।
  - **सामाजिक अवसंरचना:** यदि कोई व्यक्ति स्कूल, पेयजल जैसी सुविधाएं स्थापित करना चाहता है, तो वह अधिकतम **8 करोड़ रुपये** तक का ऋण ले सकता है।
  - **अन्य:** आवास ऋण, कृषि ऋण जैसी अन्य ऋण श्रेणियों की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर्स और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पब्लिक यूटिलिटीज **(जैसे- स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण आदि)** के लिए 35 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी व्यक्तिगत आवश्यकतों के लिए एक परिवार **10 लाख रुपये** तक का ऋण ले सकता है।
- **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए PSL लक्ष्य में संशोधन:**
  - **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण:** कुल ऋण वितरण का 60% (पहले 40% था)
  - **सूक्ष्म उद्यमों को ऋण:** एडजस्टेड नेट बैंक ऋण का 7.5%
  - **कमजोर वर्गों को ऋण:** कुल ऋण का 12%
- **'कमजोर वर्ग' की परिभाषा का विस्तार:**
  - इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही, पहले की श्रेणियां बरकरार रखी गई हैं, जिनमें सम्मिलित हैं-
    - लघु और सीमांत किसान; असंगठित ऋणदाताओं से ऋण लेने के कारण कर्ज में फंसे किसान; कारीगर; स्वयं-सहायता समूह (SHGs) या संयुक्त देयता समूहों के व्यक्तिगत सदस्य।
    - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति; दिव्यांगजन; भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय; आदि।
- **व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक का ऋण** प्रदान किया जाएगा। हालांकि, यह ऋण सीमा **शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं** है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए टारगेट्स/ सब-टारगेट्स				
श्रेणियां	**टारगेट्स/ सब-टारगेट्स**			
	घरेलू वाणिज्यिक बैंक एवं 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक	**20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)**	**स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB)**
कुल PSL ऋण	40%	40% (निर्यात ऋण के रूप में अधिकतम 32%; तथा प्राथमिकता प्राप्त किसी अन्य क्षेत्रक के लिए 8% से कम नहीं)	75%	75%
कृषि	18%	लागू नहीं	18%	18%
सूक्ष्म उद्यम	7.5%	लागू नहीं	7.5%	7.5%
कमजोर वर्ग	12%	लागू नहीं	15%	12%
नोट: उपर्युक्त प्रतिशत **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC)**[32] **या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (CEOBSE)**[33] - इनमें से जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत के रूप में है।				

[32] Adjusted Net Bank Credit

[33] Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposures

अतिरिक्त प्रावधान

- **NBFC एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) द्वारा दिए जाने वाले ऋण** को अब PSL के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- **को-लेंडिंग मॉडल** (बैंक + NBFC) को PSL पात्रता के लिए मान्यता दी गई है।
- **प्रतिभूतिकरण मानदंडों को अपडेट किया गया** है। बैंकों द्वारा NBFC से प्राप्त **स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए गए ऋण को PSL का दर्जा नहीं** दिया जायेगा।
- बैंकों को PSL लक्ष्यों को पूरा करने के लिए **PSL प्रमाण-पत्र (PSLCs) की खरीद-बिक्री की अनुमति** दी गई है।
  - PSLCs एक तरह से **खरीद-बिक्री योग्य इंस्ट्रूमेंट्स** हैं। इसके तहत **जो बैंक अधिक PSLCs प्राप्त करते हैं वे इसे कम PSLCs प्राप्त करने वाले बैंकों को बेच सकते हैं।** इससे बैंकों को अपने PSL मानदंड को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए **IBPCs और डायरेक्ट असाइनमेंट मानदंडों को अपडेट** किया गया है।
  - **अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाण-पत्र (IBPCs)**[34] और **डायरेक्ट असाइनमेंट** बैंकों द्वारा लिक्विडिटी प्रबंधन और ऋण जोखिमों को साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख साधन हैं।

हाल ही में किए गए अन्य सुधार

- **PSLC:** इसे ऋण वितरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अप्रैल, 2016 में शुरू किया गया था।
  - PSL लक्ष्य को पूरा न कर पाने वाले बैंक, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, **अधिक मात्रा में PSLCs हासिल करने वाले बैंकों से इन प्रमाण-पत्रों को खरीद सकते हैं।**
  - **PSLCs के चार प्रकार हैं:** PSLC-कृषि, PSLC-MSME, PSLC-सामान्य और PSLC-कमजोर वर्ग।
- **को-लेंडिंग मॉडल:** यह व्यवस्था 2020 में बैंकों और NBFCs के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को मिलकर संयुक्त रूप से ऋण प्रदान कर सकें। इस मॉडल से पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुलभ हुई है।
  - हाल ही में, RBI ने **सभी विनियमित संस्थाओं के बीच सभी ऋण (PSL ऋण या अन्य कोई ऋण)** के लिए **को-लेंडिंग** व्यवस्था हेतु एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया है।

निष्कर्ष

भारत में PSL ऋण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस योजना ने दशकों से वंचित क्षेत्रकों को बैंकों से ऋण लेना आसान बनाया है। हालाँकि, अब इसमें अधिक सुधार और तकनीकी इनोवेशन करने का समय आ गया है। निम्नलिखित उपायों के माध्यम से भारत में PSL को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है:

- डेटा-आधारित क्रेडिट स्कोरिंग को लागू करके;
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके;
- अधिक पारदर्शिता के लिए PSLCs बाजार में सुधार करके;
- इनपुट-आधारित लक्ष्यों (कुल ऋण वितरण में PSL प्रतिशत) की जगह आउटकम-बेस्ड अप्रोच को अपनाकर; आदि।

[34] Inter-Bank Participation Certificates

3.4. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 Years of Microfinance)

सुर्खियों में क्यों?

स्वरोजगार महिला संघ (SEWA)[35] बैंक की 50वीं वर्षगांठ **भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्था (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक** है। गौरतलब है कि SEWA बैंक की स्थापना **1974** में **गुजरात** में एक **सहकारी बैंक** के रूप में हुई थी।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **परिभाषा:** माइक्रोफाइनेंस, जिसे सूक्ष्म ऋण भी कहा जाता है, एक वित्तीय सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों और छोटे व्यवसायों को ऋण जैसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
    - पारंपरिक बैंकों की तरह ही, माइक्रोफाइनेंस संस्थान भी दिए गए ऋणों पर ब्याज कमाते हैं और ऋणी के लिए नियमित किस्तों में पुनर्भुगतान की व्यवस्था करते हैं।
- **सेवाएं:** ये संस्थाएं मुख्य रूप से गरीब परिवारों और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं जमा भी स्वीकार करती हैं, वहीं कुछ संस्थाएं बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। कुछ संस्थाएं वित्तीय प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों को सलाह और प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
- **नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस** ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ **आधुनिक माइक्रोफाइनेंस संस्था की नींव** रखी थी।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

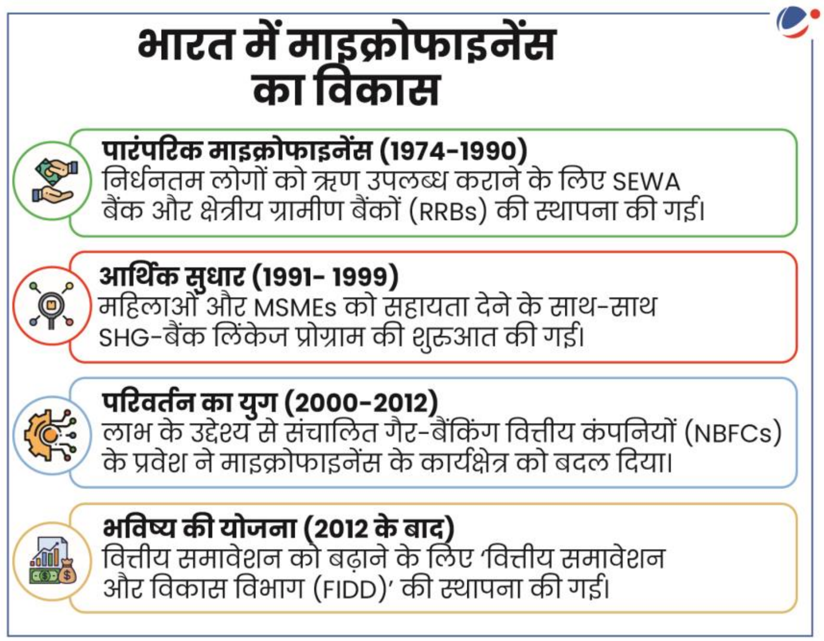

- **गरीबी उन्मूलन:** NABARD का **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)** विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को 144 लाख** से अधिक SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है।
- **आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा:** माइक्रोफाइनेंस ऋणों में से 46% ऋण ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है, ताकि **वे अपनी आय सृजन गतिविधियों और संपत्तियों (जैसे-पशुधन) के प्रबंधन के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकें।**
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं द्वारा संचालित SHGs सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों से जुड़े 88% SHGs महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
    - **केरल में कुदुम्बश्री** अपने **बचत और ऋण कार्यक्रम** के माध्यम से राज्य में वंचित महिलाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है।
- **वित्तीय समावेशन:** माइक्रोफाइनेंस उन समुदायों की आर्थिक मदद करता है जो किन्हीं वजहों से पारंपरिक बैंकों से जुड़ नहीं पाए हैं। इस तरह ये संस्थाएं हाशिए पर रह रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं।
    - पिछले दस वर्षों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ये संस्थाएं वित्त वर्ष 2024 में 140 मिलियन परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रही थीं। इनमें से केवल NBFC-MFI से ही वर्तमान में 7 करोड़ सदस्यों ने ऋण ले रखा है।

---

[35] Self Employed Women's Association

 ©Vision IAS

- **सामाजिक प्रभाव:** वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराकर माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सुधार, पारिवारिक हिंसा में कमी, बच्चों की पोषण स्थिति और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, इत्यादि में योगदान देती हैं।
  - **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** की **'छोटे कदम'** पहल ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और अस्पतालों का नवीनीकरण करके स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियां

- **ऋण जाल में फंसना:** कई मामलों में, व्यक्ति अपने ऋण को चुकाने के लिए कई अन्य माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं। इस तरह वे ऋण जाल में फंस जाते हैं।
  - MFIs की कुल 'प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (AUM)[36]' यानी उनके पास जितना भी पैसा उधार देने के लिए है, उसमें से लगभग 8 से 10 प्रतिशत ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पहले से ही चार या उससे ज्यादा जगहों से कर्ज ले रखा है। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे ऋणी पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं।
- **ब्याज दरें:** हालांकि माइक्रोफाइनेंस का उद्देश्य गरीबों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना है, लेकिन कई बार उच्च ब्याज दर होने की वजह से ऋणी ऋण नहीं चुका पाते हैं। इस तरह वे गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं।
  - माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं **आमतौर पर 12% से 30% ब्याज दर** पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करती हैं।
- **विनियमन और गवर्नेंस:** माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं समितियों, सहकारी समितियों और कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। इस वजह से इनका विनियमन कई संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इससे इनका कामकाज तो प्रभावित होता ही है, साथ ही इनकी गतिविधियों की सही से निगरानी भी नहीं हो पाती है।
  - भारत में **माइक्रोफाइनेंस बैंक का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा** किया जाता है, जबकि **राज्य सरकारें** राज्य सहकारी समिति अधिनियमों (सहकारी बैंकों के लिए) के तहत माइक्रोफाइनेंस सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को विनियमित करती हैं।
- **ऋण के बदले कोलेटरल (गिरवी) नहीं रखना और ऋण वापस नहीं मिलने का जोखिम:** माइक्रोफाइनेंस के जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियो (PAR) वाले ऋणों में निम्न आय वर्ग को दिए गए ऋणों का अनुपात काफी बढ़ गया है। इनमें 31 से 180 दिन तक की देरी से भुगतान वाली ऋण राशि पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का लंबे समय तक संचालन पर संदेह:** ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन इससे इन्हें अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है। केवल कुछ संस्थाएं ही लाभ अर्जित कर रही हैं। जाहिर है कि लंबे समय में इनका संचालन प्रभावित होगा।
- **बाहरी जोखिम:** आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदा जैसे संकटों से प्रभावित व्यक्ति माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं। इससे भी इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
  - आर्थिक अनिश्चितता के चलते माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)[37] में वृद्धि होने की संभावना है, जो वित्त वर्ष 2024 में 2.8 प्रतिशत थी और अनुमान है कि यह वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 4.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

माइक्रोफाइनेंस में सुधार के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को अधिक ऋण प्रदान करना तथा आय सृजन नहीं करने वाली गतिविधियों की बजाय उत्पादक गतिविधियों को ऋण देने में प्राथमिकता देना है।
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना:** इसके तहत लघु व्यवसायों को बिना कुछ गिरवी रखे (कोलेटरल-फ्री) 20 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ये ऋण माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं और अन्य सदस्य बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन संस्थाओं और बैंकों को **मुद्रा लिमिटेड** द्वारा फंड (पुनर्वित्त) प्रदान किया जाता है।
  - गौरतलब है कि **मुद्रा योजना के तहत** पहले 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता था, लेकिन केंद्रीय बजट 2024-25 में **तरुण प्लस नामक एक नई श्रेणी** बनाकर ऋण देने की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

---

[36] Assets under management

[37] Non-performing assets

* **RBI की नई पहल**: RBI ने 'जमा स्वीकार नहीं करने वाली' NBFC-MFIs को 2014 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी। इससे पहले NBFCs को यह कार्य करने की अनुमति नहीं थी।
* **RBI 'माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क, 2022':** इस फ्रेमवर्क के तहत माइक्रोफाइनेंस ऋण की परिभाषा, पुनर्भुगतान सीमा जैसे कई पहलुओं को स्पष्ट किया गया है।
* **NABARD द्वारा MFIs को पुनर्वित्त सहायता**: NABARD अपनी दीर्घकालिक पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि आगे वे ऋण प्रदान कर सकें।

आगे की राह

* **प्रत्येक आवेदक को अधिकतम चार की बजाय केवल तीन संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति**: स्व-विनियामक संगठन के रूप में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) ने सिफारिश की है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम तीन संस्थाओं से ही ऋण लेने की अनुमति दी जाए। साथ ही एक व्यक्ति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से 3 लाख रुपये की बजाय **अधिकतम दो लाख रुपये ही ऋण** दिए जाएं।
* **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का एकीकरण**: मशीन लर्निंग मॉडल किसी व्यक्ति के ऋण वापस करने के व्यवहार का विश्लेषण करके संभावित डिफ़ॉल्ट की समय रहते पहचान कर सकते हैं। इससे समय से पहले आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
* **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का क्षेत्रकों के आधार पर वर्गीकरण**: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वित्तीय पिरामिड के निचले स्तर तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सकता है।
* **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि में सहायक हो सकती है।
* **सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखना:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित हैं। देश के अन्य क्षेत्रों को भी इन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है।

3.5. भारत में विप्रेषण (Remittances to India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी RBI सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में भारत को खाड़ी देशों की तुलना में **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक विप्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त हुआ** है।

भारत में रेमिटेंस प्राप्ति के मुख्य ट्रेंड

* **रेमिटेंस प्राप्ति:** भारत को **2023-24 में 118.7 अरब डॉलर का रेमिटेंस** प्राप्त हुआ। यह 2011 की तुलना में दोगुना है।
* **पांच देश जहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ (2023-24): संयुक्त राज्य अमेरिका** (27.7%) पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड किंगडम (UK), सऊदी अरब और सिंगापुर का स्थान है।
    * इससे पहले खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देश (UAE और सऊदी अरब) भारत में रेमिटेंस के प्रमुख स्रोत रहे हैं। हालांकि, भारत के रेमिटेंस में इनकी संयुक्त हिस्सेदारी कम होकर 38% रह गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई है।
* **रेमिटेंस प्राप्त करने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य (2023-24)**: **महाराष्ट्र** (20.5%) पहले स्थान पर है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

रेमिटेंस प्राप्ति के ट्रेंड में बदलाव की वजहें

इसकी मुख्य वजह भारतीयों के प्रवास पैटर्न में आए बदलावों को माना जा रहा है। इस पैटर्न में बदलाव के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

* **रेमिटेंस भेजने की लागत**: डिजिटलीकरण के कारण भारत में रेमिटेंस भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम हो गई है। हालांकि, यह लागत अब भी सतत विकास लक्ष्य (SDG) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। SDG का लक्ष्य 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत को 2030 तक 3% तक सीमित रखना है।
    * हालांकि, अभी भी विशेष रूप से कम राशि के रेमिटेंस के मामले में डिजिटल माध्यम की जगह कैश भेजने का चलन जारी है।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मजबूत श्रम बाजार**: विशेषकर व्हाइट कॉलर जॉब्स की बढ़ती संख्या, वेतन वृद्धि और कोविड महामारी के बाद के आर्थिक प्रोत्साहनों की घोषणा ने प्रवासियों की आय अर्जन क्षमता को बढ़ाया है।
    - इसके विपरीत, खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) के देशों में ऑटोमेशन, आर्थिक विविधीकरण और राष्ट्रीयकरण नीतियों (जैसे- सऊदी अरब की निताक़त और कफाला श्रम नीतियां) के कारण अल्प-कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों में गिरावट दर्ज की गयी है।
- **कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का उच्चतर शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरना**: इसके साथ ही भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप' (मई 2021) जैसी नीतियों ने भी इस नए ट्रेंड में योगदान दिया है।
    - उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में प्रवास करने वाले भारतीयों की संख्या 2020 की 76,000 से तीन गुना बढ़कर 2023 में 2,50,000 हो गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रेमिटेंस क्यों महत्वपूर्ण है?

- **भुगतान संतुलन (BoP)[38] बनाए रखने में सहायक:** रेमिटेंस से भारत के **पण्य (मर्केंडाइज) व्यापार घाटे के लगभग आधे हिस्से का वित्त-पोषण** होता है। साथ ही**,** निवल रेमिटेंस प्राप्तियां बाहरी आर्थिक संकटों से निपटने **में अहम भूमिका भी निभाती** हैं।
- **घरेलू स्तर पर**: रेमिटेंस के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग **भोजन, स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं और शिक्षा** प्राप्ति जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किया जाता है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।
    - **उदाहरण के लिए,** 2021 में **केरल के राज्य घरेलू उत्पाद में रेमिटेंस** का **योगदान 36%** से अधिक था। इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई।
- **मैक्रो-इकोनॉमिक भूमिका: वर्ष 2000 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रेमिटेंस की हिस्सेदारी 3-3.5% के बीच रही** है। यह हिस्सेदारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्राप्ति की हिस्सेदारी से कहीं अधिक है।
    - रेमिटेंस निरंतर प्राप्त होते रहे हैं। इसी वजह से वैश्विक संकटों (जैसे- कोविड महामारी और युद्ध) के दौरान भी भारत आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सफल रहा है।
- **ऋण भुगतान की क्षमता बढ़ती है:** रेमिटेंस प्राप्ति आर्थिक संकटों को कम करता है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने देश में भेजी गई धनराशि (रेमिटेंस) विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। इस विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेशी ऋण के भुगतान में किया जा सकता है। ऋण भुगतान की क्षमता बढ़ने से विदेशों में देश की साख बढ़ती है और उसे कम ब्याज दर पर उधार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही बिना अधिक लागत के (कर वृद्धि किये बिना) सरकार का राजस्व भी बढ़ जाता है जिसकी मदद से वह खर्चों को पूरा कर सकती है।

[38] Balance of Payments

3.6. यूनिफाइड पेंशन स्कीम {Unified Pension Scheme (UPS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को शुरू करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम[39], 2025 को अधिसूचित किया गया।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में

- **यूनिफाइड पेंशन स्कीम** को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)[40] के तहत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिल सके।
- **क्रियान्वयन एजेंसी**: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)[41]।
- **पृष्ठभूमि**: वर्ष 2023 में NPS के पुनर्गठन के लिए **सोमनाथन समिति** का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही **यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)** की घोषणा की गई है।

***नोट:** UPS, NPS और OPS के तुलनात्मक अध्ययन तथा इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.4. देखें।*

PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संचालन) विनियम, 2025 के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) किन पर लागू होगी: UPS में शामिल होने के लिए** निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी पात्र होंगे:
  - 1 अप्रैल, 2025 तक सेवारत **'केंद्र सरकार के कर्मचारी',** जो **PFRDA अधिनियम, 2013** के अनुसार NPS के अंतर्गत आते हैं,
  - **केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुआ कोई नया कर्मचारी,** जो **1 अप्रैल, 2025** को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होता है।
  - **केंद्र सरकार का वह कर्मचारी** जो NPS में शामिल है और जो **31 मार्च, 2025** को या **उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली है** या मूल नियम 56 (j) के तहत सेवानिवृत्त हो गया है (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना गया है)।
  - पेंशन प्रणाली में शामिल सुपरएन्युएटेड या सेवानिवृत कर्मचारी (जो **यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने से पहले मृत हो चुके हैं) के विधिवत रूप से विवाहित जीवनसाथी** (पति या पत्नी)।
- **पेंशन प्राप्त करने की पात्रता:**
  - **10 वर्ष** की अनिवार्य सेवा के बाद **सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में** (सेवानिवृत्ति की तारीख से देय)।
  - **केंद्र सरकार द्वारा** (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत कोई कर्मचारी **सेवानिवृत्त होता है,** तो ऐसी सेवानिवृत्ति की तिथि से।
  - कोई कर्मचारी **25 वर्ष की** न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि के बाद **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पेंशन उस दिन से प्राप्त होगा जिस दिन वह मूल रूप से सेवानिवृत्त हुआ होता, यदि वह सेवा में बना रहता।**
- **अंशदान:**
  - **व्यक्तिगत कॉर्पस: UPS सब्सक्राइबर** का मासिक अंशदान उसके मूल वेतन (जिसमें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस शामिल है) और **महंगाई भत्ते का 10%** होगा।
  - **पूल कॉर्पस:** केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन (जिसमें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस शामिल है) और महंगाई भत्ते का **8.5%** का अतिरिक्त अंशदान।
- **निधि आधारित प्रणाली:** यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों द्वारा देय अंशदान नियमित और समय पर जमा किया जाए और उसका निवेश किया जाए, ताकि सुपरएनुएशन या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्राप्त हो सके।
- **स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN)[42]:** PRAN एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या है जो UPS में शामिल होने वाले या इसका विकल्प चुनने वाले सदस्य को आवंटित की जाती है, और जिसके अंतर्गत सभी लेनदेन CRA (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

---

[39] Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations

[40] National Pension System

[41] Pension Fund Regulatory and Development Authority

[42] Permanent Retirement Account Number

- **UPS के तहत पेंशन का भुगतान:**
    - **सुनिश्चित पेंशन:** यह सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख से तुरंत पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) के 50% के रूप में देय होगा।
        - यह लाभ UPS सब्सक्राइबर द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष की अनिवार्य सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
    - **न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान:** UPS सब्सक्राइबर द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय होगा।
    - **आनुपातिक भुगतान:** यदि किसी कर्मचारी की पात्र सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच है, तो उसे अनुपातिक पेंशन प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि पेंशन की राशि पूरी की गई सेवा अवधि के आधार पर गणना की जाएगी।
    - **देय पेंशन राशि (Admissible payout):** सुनिश्चित पेंशन भुगतान में निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों मामलों में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी:
        - **किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस (फंड),** उसके सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तिथि पर बेंचमार्क (निर्धारित) कॉर्पस से कम है।
        - **अंतिम धन निकासी,** सब्सक्राइबर द्वारा अपने व्यक्तिगत कॉर्पस से अधिकतम अनुमत 60% की निकासी कर ली गई हो।
- **पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन):** किसी ऐसे UPS सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर, जो **देय पेंशन राशि (Admissible payout)** के लिए पात्र हो, उसकी विधिवत वैवाहिक जीवनसाथी (पति/पत्नी) को जीवन भर के लिए कर्मचारी को देय पेंशन का 60% पेंशन प्राप्त होगा।
- **महंगाई भत्ता (DR):** केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली महंगाई भत्ता **देय पेंशन राशि** और पारिवारिक पेंशन, दोनों पर लागू होगा।
- **UPS को लागू करने वाले मध्यवर्ती और संस्थाएं:** UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) संरचना के माध्यम से उन मध्यवर्तियों द्वारा लागू किया जाएगा जो ऑथोरिटीज (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, प्रतिभूतियों के संरक्षक आदि) के यहां पंजीकृत हैं।

UPS के तहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान के लिए पात्रता मानदंड

- कर्मचारियों को **न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा** पूरी करनी होगी।
    - पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू होता है।
- **सेवानिवृत्ति:** यदि सेवानिवृत्ति मूल नियम 56 (j) के तहत होती है {जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड नहीं माना गया है}, तो पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू होता है।
    - **मूल नियम (FR) 56 (j)** सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्ति से संबंधित है।
- **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:** ऐसे कर्मचारी जो न्यूनतम 25 वर्षों की अनिवार्य सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो उनकी मूल सेवानिवृत्ति आयु (यानी, वह आयु जिस पर वे कार्य करना जारी रखते तो सेवानिवृत्त होते) से पेंशन प्राप्त होगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ी चुनौतियां

- **राजकोष पर बोझ:** UPS के तहत सरकार के अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा, जिससे अनुमानित **वार्षिक लागत 6,250 करोड़ रुपये** हो जाएगी।
- **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों के भुगतान में विलंब:** अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुनता है, तो उसे सुनिश्चित पेंशन भुगतान तुरंत प्राप्त नहीं होगा।
- **सीमित पारिवारिक पेंशन:** पारिवारिक पेंशन भुगतान केवल कर्मचारी के विधिवत जीवनसाथी (पति या पत्नी) को मिलेगा, लेकिन अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटियों जैसे परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा।
- **राजनीतिक विरोध:** हितधारकों, विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समर्थकों के विरोध के कारण UPS को लागू करने में बाधाएं आ सकती हैं।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुनिश्चित लाभ मिलने के साथ-साथ महंगाई से सुरक्षा भी शामिल है। इसमें राजकोष पर पड़ने वाले बोझ को भी ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस योजना के बारे में जागरूक रहें, अपने सुझाव और चिंताएं सामने रखें, तथा पारदर्शिता व कानूनी स्पष्टता की मांग करें, ताकि अधिक सुरक्षित और न्यायसंगत सेवानिवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में

- **स्थापना:** 2003 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा अस्तित्व में आया।
- PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत इसे **वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया।**

- **उद्देश्य:** वृद्धावस्था में आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन फंडों की स्थापना विकास और विनियमन करना, ताकि पेंशन फंड के अंशधारकों के हितों की सुरक्षा की जा सके और संबंधित विषयों का समुचित प्रबंधन किया जा सके।
- **यह संस्था केंद्रीय वित्त मंत्रालय** के तहत कार्य करती है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **संरचना: अध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य।** इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अर्थशास्त्र, वित्त या कानून के क्षेत्र (प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम एक सदस्य) में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों में से की जाती है।
- **कार्य:**
    - मध्यवर्तीयों को (NPS ट्रस्ट, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, पेंशन फंड) को पंजीकृत करना और विनियमित करना तथा सब्सक्राइबर्स को समयबद्ध सेवा प्रदान करना।
    - मध्यवर्तीयों के बीच के विवाद तथा मध्यवर्ती और सब्सक्राइबर्स के बीच के विवादों का निपटारा करना।
- यह संस्था **अटल पेंशन योजना (APY), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), NPS-वात्सल्य की क्रियान्वयन एजेंसी भी** है।

3.7. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Electronics Component Manufacturing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना**[43] अधिसूचित की है।

योजना के बारे में

- उत्पादन के आधार पर, **इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला** को **4 श्रेणियों में विभाजित** किया जा सकता है: **डिजाइन, घटक, असेंबली, मूल उपकरण विनिर्माण।**
- यह योजना **कंपोनेंट्स सेक्शन** (निष्क्रिय घटक या गैर-सेमीकंडक्टर घटक) जैसे कि प्रतिरोधक, कैपेसिटर, सेंसर, फिल्म, लेंस आदि पर केंद्रित है।
- यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर **चुनिंदा पार्ट के उत्पादों पर अलग-अलग मात्रा में राजकोषीय प्रोत्साहन** प्रदान करती है।

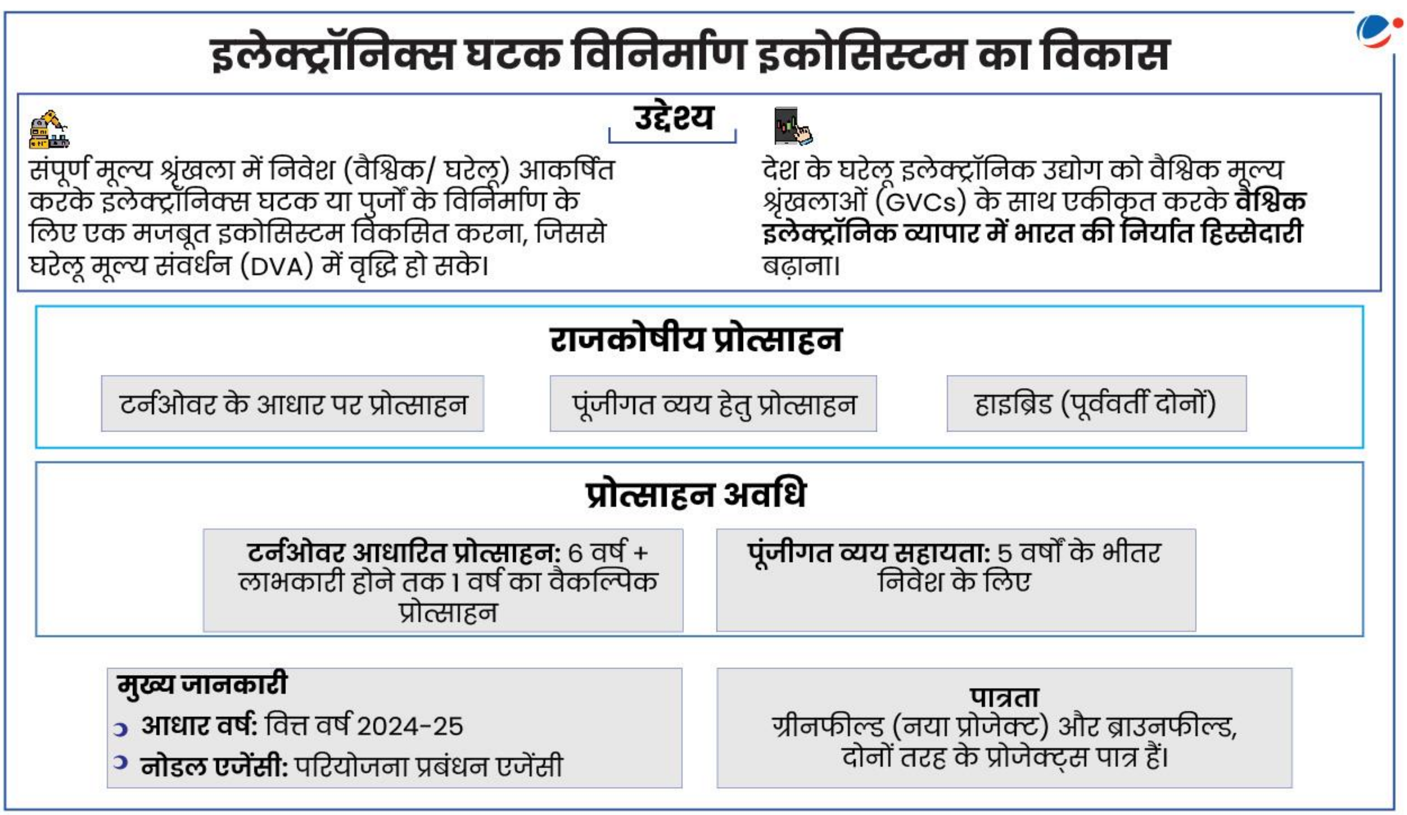

[43] Electronics Components Manufacturing Scheme

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक: एक अवलोकन

- **वर्तमान स्थिति: वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 4%** है। यह क्षेत्रक **मुख्य रूप से असेंबली पर केंद्रित** है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के पार्ट्स का डिजाइन और उत्पादन सीमित स्तर पर होता है।
- **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का घरेलू स्तर पर उत्पादन **वित्त वर्ष 2024 में लगभग 5 गुना बढ़कर 9.52 लाख करोड़ रुपये** हो गया।
  - भारत में बिकने वाले **99% स्मार्टफोन** अब **घरेलू स्तर पर निर्मित** किए जाते हैं।
- **विकास के प्रमुख चालक: विस्तृत घरेलू बाजार**; **कुशल कार्यबल** और **कम लागत वाली श्रमशक्ति**; मेक इन इंडिया और **डिजिटल इंडिया** जैसी सरकारी पहलें; बेहतर अवसंरचना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वित्तीय प्रोत्साहन; आदि।
- **प्रभुत्व:** अभी भी **असेंबली पर बहुत ज़्यादा निर्भरता** है, और डिजाइन तथा पार्ट्स बनाने के मामले में नयापन कम देखने को मिल रहा है।

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** इसे देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019:** इसका उद्देश्य भारत को **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)** के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0:** इसे लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USFF) के विभिन्न पार्ट्स के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण एवं सब-असेंबली के लिए शुरू किया गया है।
- **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM)[44] के लिए PLI योजना:** इसे मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।

भारत को इलेक्ट्रॉनिक सामानों में उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता क्यों है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विशेष रूप से रक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में **विदेश-निर्मित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनके पार्ट्स** पर निर्भरता, **डेटा के उल्लंघन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान** जैसे जोखिम पैदा करती है।
  - ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के कुल आयात में से 56% के लिए **चीन और हांगकांग पर निर्भर** है।
- **अंतिम उत्पादों या तैयार उत्पादों (End Products) के घरेलू उत्पादन के बावजूद आयात में वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के उत्पादन में वृद्धि के साथ, उनमें लगने वाले विभिन्न पार्ट्स का आयात भी बढ़ा है।
  - इसका मुख्य कारण पार्ट्स के विनिर्माण के लिए स्थानीय क्षमता का अल्पविकसित बने रहना है।
- **रणनीतिक अवसर (चीन+1 शिफ्ट):** दुनिया की कई कंपनियां अब चीन से बाहर वैकल्पिक विनिर्माण स्थानों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में, भारत के पास **पार्ट्स एवं सब-असेंबली विनिर्माण** में निवेश आकर्षित करने का एक अच्छा अवसर है।
- **भारत की प्रतिस्पर्धी अवस्थिति का लाभ उठाना:** भारत विश्व स्तर पर **सबसे अधिक लागत प्रभावी** इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनके पार्ट्स के विनिर्माण स्थलों में से एक है।
  - PWC के अनुसार, भारत में **न्यूनतम मासिक मजदूरी** थाईलैंड की तुलना में **केवल 46%** है और इसका **श्रम बल** थाईलैंड की तुलना में **12 गुना बड़ा** है।

डिजिटलीकरण द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक उद्योगों में से एक है। हालांकि, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत की क्षमता के बावजूद, घरेलू विनिर्माण तंत्र अल्पविकसित बना हुआ है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनमें उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माताओं के समक्ष चुनौतियां

- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** चीन और वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत में लीड टाइम और परिवहन लागत काफी अधिक है।
  - **उदाहरण के लिए,** चीन से एक प्रीमियम स्मार्टफोन शिप करने की लागत **0.80 डॉलर** है जबकि भारत से **8 डॉलर** (PWC)।
- **पार्ट्स के मामलों में वैश्विक अल्पाधिकार:** इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उनमें उपयोग होने वाले पार्ट्स से संबंधित बाजारों पर कुछ देशों का प्रभुत्व है, जो प्राकृतिक या नीतिगत लाभ की स्थिति में हैं।
  - **उदाहरण के लिए, जापान** मजबूत अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के कारण लाभान्वित है। **ताइवान** ने अमेरिकी समर्थन और ज्ञान हस्तांतरण के जरिए प्रगति की है।
- **अल्पविकसित सहायक उद्योग:** रसायन जैसे उद्योग अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

---

[44] Large Scale Electronics Manufacturing

- **उदाहरण के लिए,** भारत में सेमीकंडक्टर के लिए संभावित रूप से रसायनों की आपूर्ति की जा सकती है। लेकिन औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए इसे और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है।

- **महत्वपूर्ण खनिजों तक सीमित पहुंच:** इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के विनिर्माण में कई महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक होते हैं। लेकिन ये प्रायः दुर्लभ होते हैं या विश्व के चुनिंदा देशों के नियंत्रण में हैं। **उदाहरण के लिए,** चीन का गैलियम और जर्मेनियम (सिलिकॉन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है) के निर्यात में एकाधिकार है।
  - **2023 में,** भारत ने **30 महत्वपूर्ण खनिजों** की पहचान की है जिनकी प्राप्ति के लिए, विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिम बढ़ गया है।
- **कुशल कार्यबल की कमी: SMT लाइनों जैसी विशेष प्रणालियों** के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी स्थानीय विनिर्माण क्षमताओं को सीमित करती है।

निष्कर्ष

भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं उसमें उपयोग होने वाले पार्ट्स के विनिर्माण के मामले में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, नीति आयोग ने एक बहुआयामी रणनीति की सिफारिश की है। इसमें **अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन को प्रोत्साहित करना, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करना और अवसंरचना को उन्नत करना** शामिल है। ये प्रयास भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिवेश बनाने में मदद कर सकते हैं।

3.8. इक्विलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त अधिनियम, 2016 में प्रस्तावित नए संशोधनों के अनुसार, ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल कर **1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं** होगा।

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा शुरू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है। यह लेवी **डिजिटल लेन-देन** यानी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत से होने वाली आय पर लगाई जाती है।
  - इसमें विदेशी कंपनियों को **विज्ञापन (सर्च इंजन या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन) से होने वाली आय** पर टैक्स भी शामिल है। इस टैक्स का उद्देश्य **दो व्यवसायों के बीच के लेन-देन** (विज्ञापन देने वाला और विज्ञापन दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स) पर टैक्स लगाना है।
- **वित्त अधिनियम, 2020** के तहत इस लेवी के दायरे में ई-कॉमर्स **आपूर्ति और सेवाओं** को भी लाया गया है।

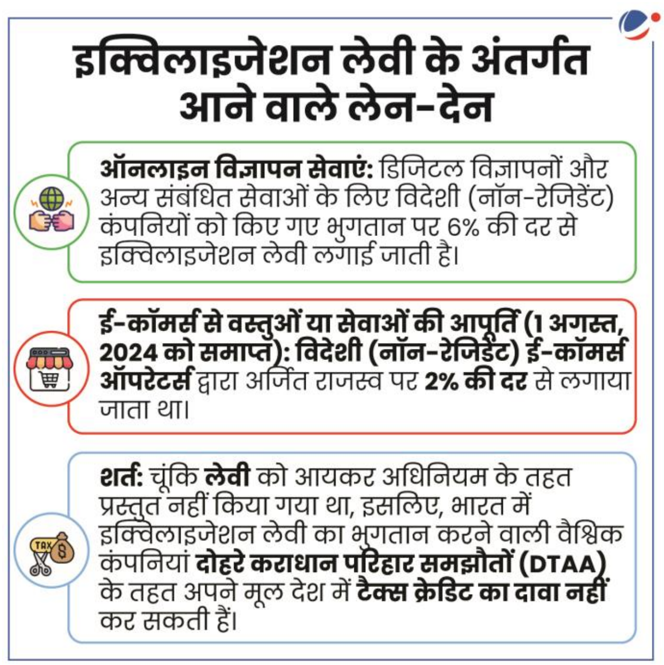

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** इसका उद्देश्य **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए समान अवसर** सुनिश्चित करना था।
- **विदेशी कंपनियों को कर के दायरे में लाना:** कई विदेशी कंपनियां डिजिटल माध्यमों से भारत से राजस्व अर्जित करती रही हैं लेकिन वे कर का भुगतान करने से बच जाती थीं क्योंकि भारत में उनका कोई ऑफिस नहीं होता था। ऐसी ही कंपनियों को इक्विलाइजेशन लेवी के दायरे में लाया गया।
- **विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** यह सुनिश्चित करना कि बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अर्जित राजस्व पर कर का भुगतान करें।
- **राजस्व के स्रोत बढ़ाने का अवसर:** विशेष रूप से कोविड महामारी की वजह से डिजिटल लेन-देन में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सरकार को इस लेनदेन पर कर लगाकर राजस्व अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने से जुड़ी चिंताएं

- **अमेरिका के साथ व्यापार विवाद:** अमेरिका की "फॉरेन ट्रेड बैरियर्स" रिपोर्ट में भारत की इक्विलाइजेशन लेवी को **विदेशी व्यापार के लिए बाधक** बताया गया है।

- **भारत पर जवाबी कर:** भारत की **इक्विलाइजेशन लेवी के प्रत्युत्तर में कई** अन्य देश भी भारतीयों पर इस तरह की लेवी लगा सकते हैं। इससे विदेशों में संचालित भारतीय कंपनियों का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है।
- **दोहरा कराधान और अनुपालन संबंधी बोझ:** विदेशी कंपनियों को दोहरे कराधान (अपने देश में और भारत में) का भुगतान करना पड़ता है। इससे उनकी व्यवसाय लागत बढ़ रही है।

3.9. किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisations: FPOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** को स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इन FPOs का गठन **"10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन"** योजना के तहत किया गया है।

'10,000 FPOs के गठन एवं संवर्धन की योजना' के बारे में

- इस योजना को **2020 में शुरू किया** गया था। इस योजना के लिए 2027-28 तक **6,865 करोड़ रुपये** के बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है।
- **योजना का प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** 10,000 नए FPOs के गठन के लिए एक समग्र और अनुकूल व्यवस्था प्रदान करना, ताकि आय अर्जक, स्थायी और संधारणीय कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही कृषक समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** इनमें लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)[45], राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)[46], नाबार्ड, नेफेड जैसी **कुल 9 एजेंसियां** शामिल हैं।
  - **कार्यान्वयन एजेंसियां,** क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (CBBOs)[47] को शामिल करेंगी, ताकि FPO को संगठित किया जा सके और उनका पंजीकरण कराया जा सके। साथ ही ये **5 साल की अवधि** के लिए प्रत्येक FPO को पेशेवर सहायता भी प्रदान करेंगे।
    - **CBBOs,** किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े सभी विषयों पर पूरी जानकारी प्रदान करने वाला प्लेटफार्म है।
- **विशेष ध्यान:** लघु, सीमांत और महिला किसान/ महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसान तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के अन्य लोगों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही **"एक जिला एक उत्पाद"** योजना को अपनाया जाएगा ताकि उत्पाद विशेष को बढ़ावा दिया जा सके और इनके लिए बेहतर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सुविधाएं और निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - **प्रोडक्ट क्लस्टर एरिया एप्रोच** एवं विशेष कमोडिटी-आधारित अप्रोच के आधार पर **FPOs का गठन** किया जा रहा है।
  - **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक FPO को **3 वर्षों** के लिए प्रबंधन लागत के लिए **18 लाख रुपये** प्रदान किए जाते हैं।
  - **इक्विटी अनुदान:** FPOs के प्रत्येक किसान सदस्य को **2,000 रुपए** का इक्विटी अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति FPO **15.00 लाख रुपये** है।
  - **क्रेडिट गारंटी सुविधा:** पात्र ऋणदाता संस्थानों से प्रति FPO **2 करोड़ रुपये** तक के प्रोजेक्ट लोन की गारंटी सुविधा प्रदान की गई है।
- **उपलब्धि:** योजना की शुरुआत के बाद से, 4,761 FPOs को **254.4 करोड़ रुपये** का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है और **1,900 FPOs** को 453 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।
  - देश में लगभग **30 लाख किसान** FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग **40% महिलाएं** हैं।

FPOs के बारे में

- FPOs का गठन **कृषि उत्पादकों** (किसानों, दूध उत्पादकों आदि) के **समूह द्वारा किया जाता** है। वे **उत्पादक संगठन में शेयरधारक** होते हैं।
- **उद्देश्य:** किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें बेहतर सहायता, आय और लाभप्रदता प्रदान करना।

---

[45] Small Farmers Agri-Business Consortium

[46] National Cooperative Development Corporation

[47] Cluster Based Business Organizations

- FPOs को या तो **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत या संबंधित राज्यों के **सहकारी समिति अधिनियम, 1912** के तहत पंजीकृत किया जाता है।
    - इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए **"FPO रजिस्ट्री पोर्टल"** पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। इसके बाद FPO को एक विशिष्ट पहचान संख्या, यानी रजिस्ट्रेशन आइडेंटी कोड (RIC) आवंटित किया जाता है।
- कृषि और किसान कल्याण विभाग (केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय) ने **लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)** को FPO के गठन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का अधिकार दिया है।

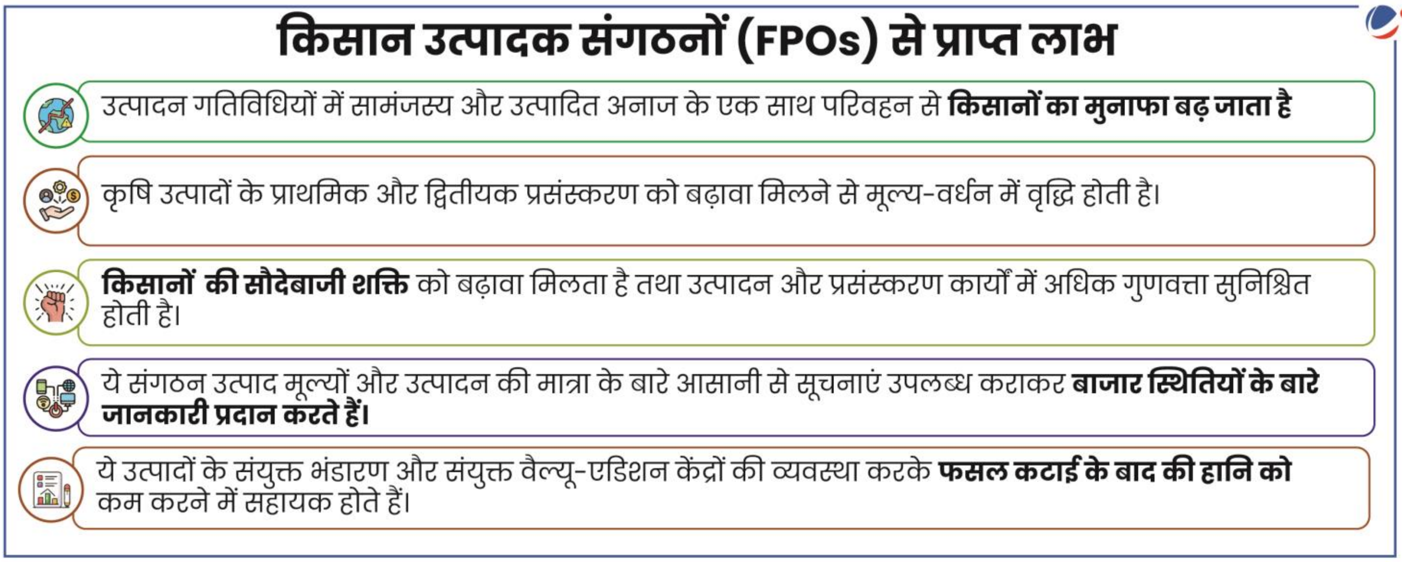

FPOs के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पेशेवर प्रबंधन कौशल का अभाव:** ग्रामीण क्षेत्रों में FPO व्यवसाय को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए अनुभवी, प्रशिक्षित एवं पेशेवर CEO की कमी है।
- **फसल कटाई के बाद का नुकसान:** FPOs को अक्सर आधुनिक कृषि तकनीकों, भंडारण सुविधाओं एवं परिवहन संबंधी अवसंरचना के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से फसल कटाई के बाद किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
- **निवेश और ऋण प्राप्ति में चुनौती:** प्राथमिक या द्वितीयक प्रोसेसिंग, भंडारण और कस्टम हायरिंग सुविधाओं में निवेश करने की किसानों की क्षमता कम है। FPOs को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण (कोलेटरल फ्री लोन) प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है।
- **गुणवत्ता संबंधी मानक और प्रमाणन:** उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और प्रमाणन प्राप्त करना जटिल एवं महंगी प्रक्रिया होती है। इससे सबसे अधिक नुकसान विशेष रूप से छोटे और संसाधन-विहीन FPOs को उठाना पड़ता है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संधारणीयता संबंधी चुनौतियां:** FPOs के पास अक्सर जलवायु-अनुकूल और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी होती है। इससे उनके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।
- **बाजार में अस्थिरता:** FPOs अक्सर **एक ही फसल या कुछ फसलों** पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे फसल के नष्ट हो जाने पर या बाजार के उतार-चढ़ाव से निपटने में समस्याएं पैदा होती हैं। इस स्थिति में FPO के सदस्यों की आय और लाभ पर असर पड़ता है।

आगे की राह

- **कृषि कार्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना:** उत्पादकता बढ़ाने एवं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रिसिजन फार्मिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक को अपनाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग:** FPO सदस्यों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संधारणीय खेती के तरीकों को अपनाने और संसाधन का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने पर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। साथ ही क्षमता निर्माण कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
- FPO के अलग-अलग चरणों के लिए एक मानक स्कोरिंग मॉडल बनाना चाहिए, ताकि वित्तीय संस्थान, निजी एजेंसियां, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR एजेंसियां और अन्य हितधारक अपना संसाधन उपलब्ध कराने से पहले संस्था (FPO) की सही स्थिति को समझ सकें।

3.10. भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (India's Bio-Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)[48] ने अपनी **13वीं वर्षगांठ** पर **"इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025" (IBER 2025)** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- बायोटेक स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **"बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव"** नामक वैश्विक मेंटरशिप पहल की भी शुरुआत की गई।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2012 में BIRAC की स्थापना की थी। यह **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक गैर-लाभकारी उद्यम** है।
    - यह **उद्योग और अकादमिक जगत के बीच समन्वय का कार्य करता** है। यह **टार्गेटेड फंडिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा प्रबंधन जैसी पहलों** को लागू करता है।
    - **प्रमुख पहलें:** बायो-नेस्ट स्कीम, बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (BIG), सीड फंड, लीप फंड, **जनकेयर-अमृत ग्रैंड चैलेंज,** आदि।

जैव-अर्थव्यवस्था (बायो-इकोनॉमी) क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जैव अर्थव्यवस्था में "जैविक संसाधनों का **उत्पादन, उपयोग और संरक्षण** सहित इनसे **संबंधित ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन** शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रकों को **जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाएं** और **सेवाएं** प्रदान करते हैं।" सरल शब्दों मेें, जैव-अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।
- भारत ने **2030 तक** जैव अर्थव्यवस्था को **300 बिलियन डॉलर** तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

भारत के लिए जैव-अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **आर्थिक विकास:** इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के अनुसार जैव-अर्थव्यवस्था का आकार **2014** में **10 बिलियन डॉलर** था, जो **2024** में बढ़कर **165.7 बिलियन डॉलर** हो गया। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में **4.25%** का योगदान देता है।

[48] Biotechnology Industry Research Assistance Council

- **उद्यमिता:** उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार बायोटेक स्टार्टअप की संख्या एक दशक में **50 से बढ़कर 10,000 से अधिक** हो गई है, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिला है।
- **किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का वैश्विक केंद्र:** भारत वैश्विक स्तर पर **फार्मा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे** और **मूल्य के हिसाब से 14वें** स्थान पर है।
    - इसके अलावा, **दुनिया की 65% वैक्सीन** का उत्पादन भारत में होता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** बायो-एग्री सेक्टर **जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों, प्रिसिजन फार्मिंग, बायो प्रोडक्ट्स, एनिमल बायोटेक आदि** के माध्यम से **कृषि एवं पशुधन उत्पादकता** में सुधार करता है।
    - **उदाहरण के लिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड** ने स्वदेशी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) **"षष्ठी (Shashthi)"** लॉन्च किया। इसे किसानों को अधिक किफायती तरीके से IVF तकनीक प्राप्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **रोजगार:** बायो इकोनॉमी में 35 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।
- **ऊर्जा-सुरक्षा:** भारत में **2014 में** पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण अनुपात **1.53%** था, जो **2024 में बढ़कर 15 फीसदी** हो गया है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
    - इससे **कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता में 173 लाख मीट्रिक टन की कमी** आई है और **CO_2 उत्सर्जन में 519 लाख मीट्रिक टन की कमी आई** है।
- **पर्यावरण को लाभ:**
    - **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा:** उदाहरण के लिए, सेकंड जनरेशन इथेनॉल रिफाइनरियां इथेनॉल उत्पादन के लिए पराली जैसे कृषि अवशेषों और बांस का उपयोग करती हैं। इसी तरह नागालैंड में कसावा से बायोप्लास्टिक बनाए जाते हैं।
    - **प्रदूषण नियंत्रण: जैव उर्वरक** (जैसे- माइकोराइजल जैव-उर्वरक), **जैव कीटनाशक** (जैसे- ट्राइकोडर्मा), और **बायो-रेमेडिएशन** (जैसे- टेरी द्वारा आयलजैपर और ऑयलीवोरस-एस) रसायनों के उपयोग को कम करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।
    - **क्लाइमेट-स्मार्ट फसलें:** उदाहरण के लिए, **सूखा-सहिष्णु, उच्च उपज देने वाली चना की किस्म 'सात्विक (NC 9)'** को खेती के लिए मंजूरी दी गई है।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली नीतियां और योजनाएं

- **BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024:** इसमें जैव-आधारित उत्पाद विकास और व्यवसायीकरण का समर्थन करने के लिए **एडवांस बायो-मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बायो-फाउंड्री क्लस्टर** एवं **बायो-ए.आई. हब** जैसी प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई है।
- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग** के नेतृत्व में और **BIRAC** द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य **उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा** देकर **टीकों, बायोसिमिलर, चिकित्सा उपकरणों आदि** में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
- **जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (Bio- RIDE)[49] योजना (2024):** जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वीकृत इस कार्यक्रम का उद्देश्य **जैव-उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा देना तथा उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना** है, आदि।
- **जीनोम इंडिया परियोजना:** इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य आनुवंशिक विविधताओं की एक ऐसी व्यापक सूची तैयार करना है जो भारतीय आबादी की विशिष्ट विविधता को दर्शाए।
- **बायोटेक-किसान (बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क):** यह **वैज्ञानिक-किसान साझेदारी कार्यक्रम** है। इसे कृषि नवाचार और वैज्ञानिक उपायों के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिलाओं तथा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018:** इसका उद्देश्य **ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना** है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं

- **विनियामक और नीतिगत समस्याएं:**
    - **ओवरलैप की समस्या, अप्रभावी होना और स्पष्टता की कमी:** भारत के जैव प्रौद्योगिकी नियम **कई मंत्रालयों** (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि) एवं कई **समितियों** (जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, आदि) द्वारा शासित होते हैं। इससे दुविधा की स्थिति बनी रहती है।

---
[49] Biotechnology Research Innovation and Entrepreneurship Development

- **कानूनों में सामंजस्य का अभाव:** उदाहरण के लिए, **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम** तथा **पेटेंट अधिनियम** के बीच विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। यह विरोधाभास मुख्य रूप से **फसल किस्म का विकास करने वालों और पेटेंट धारक के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने को लेकर है।**

- **बायोपायरेसी की चिंता (जैविक संसाधनों की चोरी):** सामान्यतः यह देखा गया है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं दवा कंपनियों द्वारा जैविक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक ज्ञान का दुरुपयोग किया जाता है।
    - उदाहरण के लिए, अमेरिकी पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय ने हल्दी के औषधीय गुणों के लिए पेटेंट प्रदान किया था जबकि भारत में हजारों वर्षों से पारंपरिक चिकित्सा उपचार में हल्दी का उपयोग किया जाता रहा है। भारत सरकार के विरोध के बाद यह पेटेंट वापस ले लिया गया।
- **अनुसंधान एवं विकास (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25):**
    - **अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश:** अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर सकल व्यय **GDP का मात्र 0.64% है**, जो चीन (लगभग 2%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग 3%) की तुलना में बहुत कम है।
    - **सभी क्षेत्रकों में अनुसंधान और विकास समान नहीं:** R&D के क्षेत्र में **फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक 40% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी** है, जबकि **जैव प्रौद्योगिकी और ईंधन क्षेत्रक 10% से भी कम हिस्सेदारी** के साथ काफी पीछे हैं।
- **अन्य प्रमुख चिंताएं**
    - **जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से** बायोलॉजिकली एक्टिव पदार्थों की रोकथाम, पर्यावरण पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के प्रभाव आदि से जुड़े हुए हैं।
    - **वित्त-पोषण की कमी का सामना करना पड़ता है;** जैसे कि कर छूट नहीं मिलना, सभी क्षेत्रकों को समान रूप से फंड नहीं मिलना, आदि।
    - जीनोमिक डेटा संग्रह, स्टोरेज और विश्लेषण आदि के लिए **पर्याप्त अवसंरचनाओं की कमी है।**
    - दवाइयों के उत्पादन में आवश्यक एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) के लिए आयात पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इससे इनकी आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है।
    - विशेष रूप से बायोइंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स जैसे क्षेत्रों में **प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।**

आगे की राह

- **IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित के माध्यम से नीतियों एवं नियमों में सुधार करना चाहिए:**
    - सभी हितधारकों के प्रतिनिधित्व वाला एक **राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन** प्रारंभ करना चाहिए।
    - जैव प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए **सिंगल-विंडो रेगुलेटरी मैकेनिज्म** की स्थापना करनी चाहिए।
    - इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम** तथा **पेटेंट अधिनियम** में संतुलन स्थापित करना चाहिए।
- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए विश्व बौद्धिक सम्पदा अधिकार संगठन (**WIPO**) के **बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान** पर **अंतर्राष्ट्रीय संधियों का लाभ उठाने** का प्रयास करना चाहिए।
- **IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित उपायों के द्वारा निवेश और वित्त-पोषण को बढ़ावा देना चाहिए:**
    - जैव प्रौद्योगिकी **अनुसंधान एवं विकास में निवेश आकर्षित करने** के लिए (विशेष रूप से निजी क्षेत्रक में अनुसंधान के लिए) **कर छूट दिया जाना चाहिए।**
    - उच्च जोखिम वाले इनोवेशन के लिए **आउटकम-आधारित वित्त-पोषण तंत्र** को लागू करना चाहिए।
    - **कॉर्पोरेट नवाचार फंड** का गठन करना चाहिए और इसमें सरकार को भी समान अनुपात में योगदान देना चाहिए।
- **IBER 2025 के अनुसार निम्नलिखित के द्वारा मानव पूंजी विकास को प्रोत्साहित करना** चाहिए:
    - अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** स्थापित करना चाहिए।
    - एकीकृत प्रौद्योगिकियों (बायो+AI, बायो+इंजीनियरिंग) के लिए **विशेष कोर्स तैयार** करना चाहिए।
- एक **राष्ट्रीय जैविक डेटा रिपॉजिटरी स्थापित** करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने के लिए **ग्लोबल एलायंस नेटवर्क** विकसित करना चाहिए।
- **सेफ्टी से जुड़े खतरों से निपटने के लिए** प्रोडक्ट डिज़ाइन में ही सुरक्षा (inherently safer design) सुनिश्चित करने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए तथा ऐसे प्रोडक्ट के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए।
    - **जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 301वीं रिपोर्ट** में सुझाव दिया गया है कि **जी.एम. फसलों** के फील्ड परीक्षणों की प्रक्रिया सीमित और नियंत्रित क्षेत्र में और **कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श** से की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो-एग्रीकल्चर और बायो-एनर्जी का एकीकरण चुनौतियों से निपटने में भारत की क्षमताओं को बढ़ा सकता है तथा वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में देश को अग्रणी भी बना सकता है। यह सोच संधारणीय, आत्मनिर्भर और जैव-संचालित अर्थव्यवस्था का भी समर्थन देती है जो इंडिया@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है।

भारत की जैव–अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। **वीकली फोकस #127-** भारत की जैव–अर्थव्यवस्था: नवाचार और संधारणीयता के माध्यम से संवृद्धि को बढ़ावा	

3.11. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission: NTTM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** के शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हुए।

तकनीकी वस्त्र सामान्य कपड़ों से अलग होते हैं। इन्हें सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि विशेष खूबियों और बेहतर काम करने की क्षमता के लिए बनाया जाता है।

- इनका इस्तेमाल उन चीज़ों में होता है जो **लोगों को सुरक्षित रखने,** मशीनों को बेहतर बनाने और रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं, **जैसे कि गाड़ियों के पार्ट्स, इमारतों में लगने वाला सामान, डॉक्टरी उपकरण और सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले कपड़े।**
- **तकनीकी वस्त्र** बाजार को उनके उपयोग के आधार पर **12 सेग्मेंट्स** में बांटा गया है। उदाहरण के लिए- **स्पोर्टेक** जिनका उपयोग **स्पोर्ट्स नेट, पैराशूट, कृत्रिम घास और टर्फ** बनाने के लिए किया जाता है।

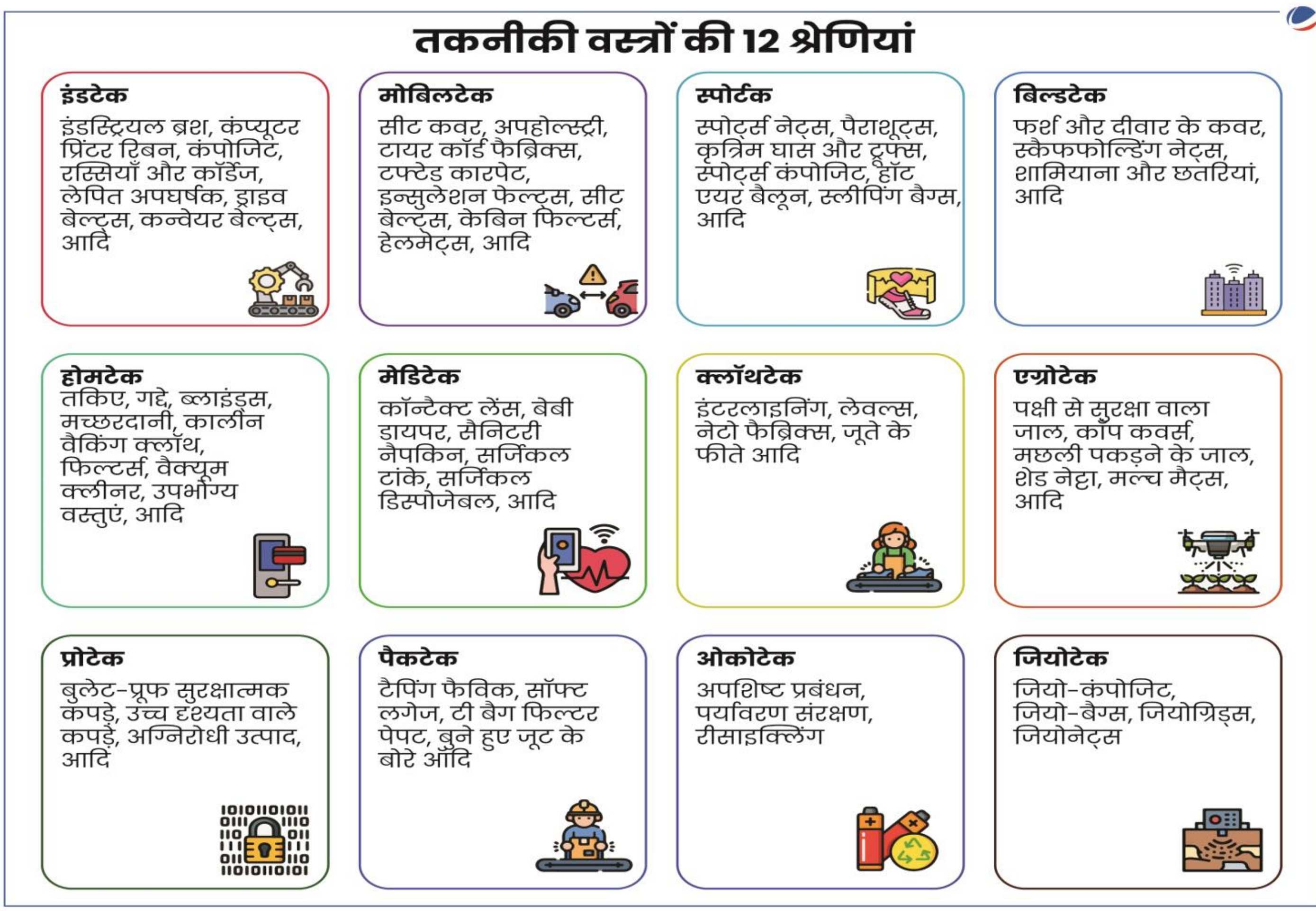

'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' के बारे में

- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य 2025-26 तक 1,480 करोड़ रुपये के बजट के साथ भारत को तकनीकी वस्त्रों के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय
- **चार घटक:**
    - **अनुसंधान, नवाचार और विकास;**
    - **प्रचार-प्रसार और बाजार का विकास;**
    - **निर्यात संवर्धन;** तथा
    - **ज्ञानवर्धन, प्रशिक्षण और कौशल विकास।**
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश का विकास करके इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना** है।

भारत के लिए तकनीकी वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग:** भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार में वास्तव में अलग-अलग क्षेत्रों में इनोवेशन हो रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- होमटेक का उपयोग गद्दों (मैट्रेस) को एंटीवायरल सुरक्षा प्रदान के लिए किया जाता है।
    - एग्रोटेक का उपयोग फसलों को अल्ट्रावायलेट (UV) विकिरणों से रक्षा करने वाले और लचीला क्रॉप सपोर्ट नेट का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
- **मांग में वृद्धि:** अब अधिक उपभोक्ताओं ने पारंपरिक वस्त्रों की तुलना में तकनीकी वस्त्रों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है क्योंकि यह **एक्टिव-वियर** या चिकित्सा क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार **लचीले, टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक क्षमता वाले वस्त्रों** की मांग को पूरा करता है।
    - इसी तरह, बढ़ती जनसंख्या, **बढ़ती जन्म दर और आबादी में वृद्धजनों के बढ़ते अनुपात के कारण हाइजेनिक और पर्सनल केयर वाले चिकित्सा उपकरणों** (मेडीटेक) एवं बिल्डटेक घटकों की मांग लगातार बढ़ रही है।
- **औद्योगिक उत्पादन:** औद्योगिक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी वस्त्रों को इंडुटेक कहते हैं। इनका उपयोग कारखानों में कई कामों के लिए होता है, जैसे कि चीजों को छानना, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, और सफाई करना। इसके अलावा, इनका इस्तेमाल यांत्रिक इंजीनियरिंग और अलग-अलग उद्योगों के लिए खास समाधान और उत्पाद बनाने में भी होता है, जैसे कि बिजली के सुचालक कपड़े और थ्री-डी बनावट वाले वस्त्र।
- **पर्यावरण संरक्षण:** तकनीकी वस्त्र, विशेष रूप से **जियोटेक और ओकोटेक** पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि **फ्लोर सीलिंग, एयर क्लीनिंग, जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट जल रीसाइक्लिंग उपचार, अपरदन से सुरक्षा और घरेलू जल सीवरेज प्लांट।**
- **आपदा प्रबंधन में सहायक:** उदाहरण के लिए, **ऑस्ट्रिया** में, हिमस्खलन से उत्पन्न गाद को जलाशय में प्रवेश करने से रोकने के लिए जियोटेक अवरोधों का उपयोग किया जाता है।
- **रक्षा आधुनिकीकरण:** मेक इन इंडिया के तहत प्रोटेक आधारित **बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षात्मक वस्त्र, उच्च क्षमता वाले मटेरियल्स का निर्माण** रक्षा आधुनिकीकरण में मदद कर सकता है।
- **प्रमुख क्षेत्रकों में मददगार:** तकनीकी **वस्त्र कृषि, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, परिवहन और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में उत्पादकता और दक्षता** को बढ़ावा देते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख आधार प्रदान करते हैं।
    - **रेलवे ट्रैक के निर्माण** में जियोटेक्सटाइल (उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत भारतीय रेलवे** द्वारा) और **जल संरक्षण के लिए जियोमेम्ब्रेन (जल जीवन मिशन**) अवसंरचना को मजबूत बना सकते हैं, रखरखाव की लागत को कम कर सकते हैं और **दीर्घकाल के लिए आर्थिक स्थिरता** सुनिश्चित कर सकते हैं।

तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम:

- **वस्त्र क्षेत्रक के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना:** देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मैन-मेड फाइबर और परिधान तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए **उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन** (PLI)[50] योजना शुरू की गई है।
- **पी.एम. मित्र योजना:** समग्र वस्त्र उद्योग और मूल्य श्रृंखला, विशेष रूप से मैन-मेड फैब्रिक (MMF) और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए **पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स (मित्र/ MITRA)** योजना शुरू की गई है।

---

[50] Production Linked Incentive

* **समर्थ योजना: समर्थ/ SAMARTH (स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर)** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना है। यह मांग-आधारित और प्लेसमेंट को बढ़ावा देने वाली योजना है। इसका उद्देश्य संगठित वस्त्र क्षेत्रक और इससे संबद्ध क्षेत्रकों में रोजगार सृजित करने के लिए उद्योगों के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
* **नए HSN कोड:** 2019 में पहचाने गए 207 तकनीकी वस्त्र आधारित वस्तुओं के अतिरिक्त, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए अलग से 30 से अधिक नए **HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) कोड** का विकास किया गया है।
* **अनिवार्य उपयोग:** वर्तमान में, दस केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए 119 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है।

तकनीकी वस्त्रों का लाभ उठाने में मौजूद चुनौतियां

* **जागरूकता की कमी: तकनीकी वस्त्रों की अधिक मार्केटिंग नहीं होने और इसके बारे में जानकारी की कमी** के कारण इसके लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं।
* **आयात पर अधिक निर्भरता:** भारत, **चीन (कम लागत वाले उत्पाद) और संयुक्त राज्य अमेरिका/ यूरोप (हाई-टेक उत्पाद) से अधिक मात्रा में तकनीकी वस्त्रों का आयात** करता है।
    * देश में **स्पेशियली फाइबर (कार्बन फाइबर, नायलॉन 66, UHMPE) का निर्माण नहीं होता है और इन्वर्टेड शुल्क संरचना** की वजह से तैयार माल की तुलना में कच्चे माल के आयात पर अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
* **कुशल कार्यबल की कमी:** तकनीकी वस्त्र उद्योग को एक **विशेष कौशल** की आवश्यकता होती है, और वर्तमान में देश में ऐसे कुशल कार्यबल की कमी देखी गई है।
    * वर्तमान प्रशिक्षण योजनाओं में **तकनीकी वस्त्र के लिए विशेष कोर्स तैयार** करने की बजाय **पारंपरिक वस्त्रों पर ही ध्यान दिया जाता है।**
* **अनुसंधान एवं विकास की कमी:** वस्त्र उद्योग **में कमोडिटी उत्पादों का वर्चस्व** है और उत्पादों में विविधता (अलग-अलग प्रकार के उत्पाद) की कमी है।
    * सरकार को **सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस** स्थापित करने चाहिए तथा **उद्योग जगत को इनोवेशन और अनुसंधान में निवेश के लिए प्रोत्साहित** करना चाहिए।
* **मानकीकरण से जुड़े मुद्दे:** तकनीकी वस्त्रों के लिए HSN कोड की स्थापना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना एक बड़ी चुनौती रही है। इस कारण न केवल उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है, बल्कि घरेलू और वैश्विक व्यापार प्रक्रियाएं भी जटिल हो जाती हैं।

आगे की राह

* **अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना:** जियोटेक, मेडिटेक और एग्रोटेक जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रकों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्राथमिकता देनी चाहिए, और अग्रणी संस्थानों के साथ सहयोग करके अत्याधुनिक इनोवेशन को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
* **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना:** भारतीय मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लाने की जरूरत है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी।
* **सततता और सर्कुलर इकॉनमी पर ध्यान देना:** भारत के LiFE मिशन के विजन के अनुरूप प्राकृतिक फाइबर तथा एग्रोटेक नेट, और अपरदन रोकने के लिए जियोटेक समाधान जैसे पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
* **विश्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से सीखना या अपनाना:** नई टेक्नोलॉजी का तुरंत उपयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (स्पोर्टेक इनोवेशन) और जर्मनी (जियोटेक एप्लीकेशन) या इजराइल (प्रोटेक इनोवेशन) जैसे टेक-अग्रणी देशों से अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाना चाहिए।

भारत के वस्त्र उद्योग क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #122- परिवर्तन का दौरः भारत का वस्त्र उद्योग एक आधुनिक भविष्य का निर्माण कर रहा है

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

3.12. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {National Waterways (Construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)[51] ने राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 जारी किए।

विनियम के बारे में

- **विनियमों का निर्माण:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा।
- **उद्देश्य:** टर्मिनल स्थापित करने में **निजी क्षेत्र से निवेश** आकर्षित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के प्रभावी तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना।

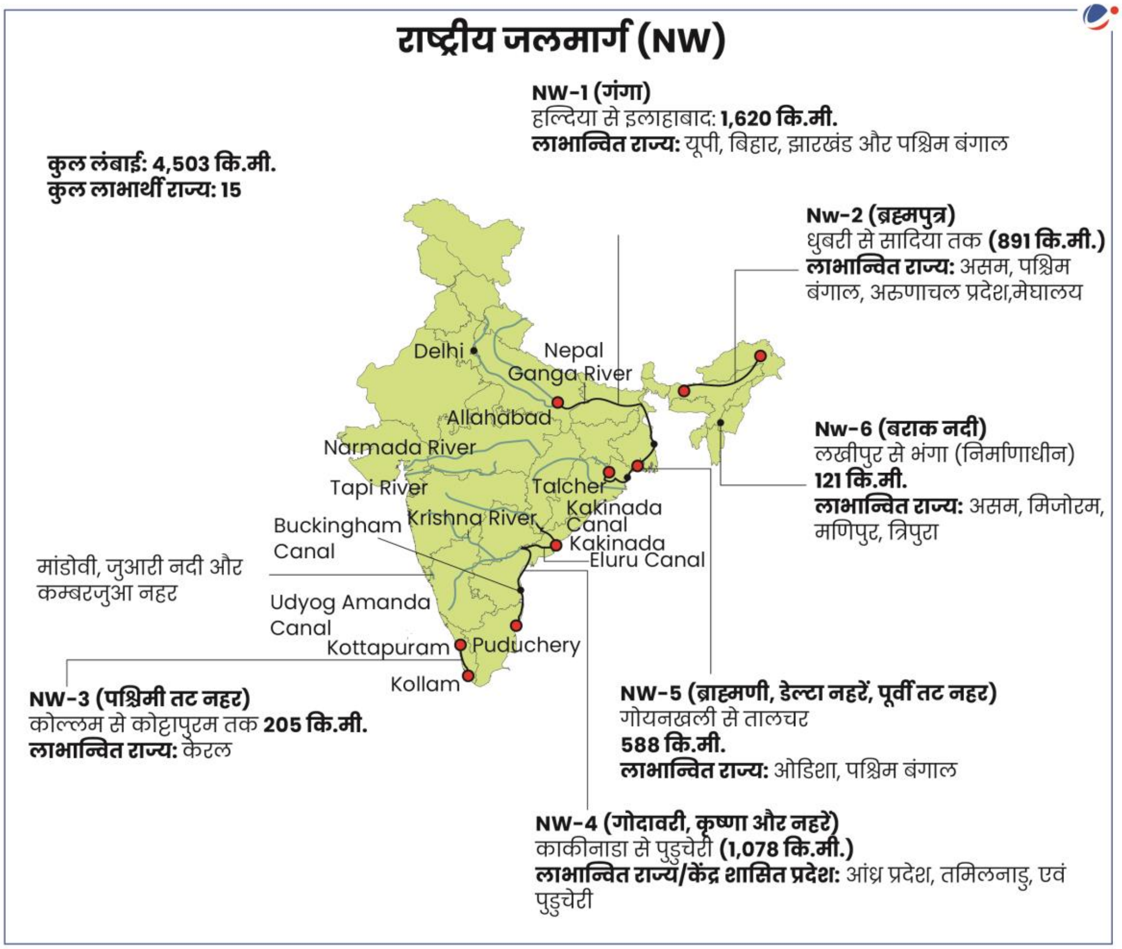

विनियम के मुख्य प्रावधान

- **किन पर लागू होगा:** कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बनाना या संचालित करना चाहती है।
    - ये नियम पहले से स्थापित और नए, दोनों तरह के टर्मिनल्स पर लागू होते हैं, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी।
- **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC)[52]:** कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, तथा जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का निर्माण या उसे संचालित करना चाहती है, उसे IWAI से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- **टर्मिनल हेतु आवेदन के लिए डिजिटल पोर्टल:** इसे दक्षता, पारदर्शिता और टर्मिनल तक पहुंच बढ़ाने के लिए IWAI द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवसाय सुगमता को आसान बनाना है।
- **टर्मिनल डेवलपर और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां:** वे टर्मिनल के तकनीकी डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे।

अंतर्देशीय जल परिवहन

- **परिभाषा:** अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) का तात्पर्य नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नौगम्य जलाशयों के माध्यम से यात्रियों और माल के आवागमन से है।

---

[51] Inland Waterways Authority of India

[52] No- Objection Certificate

- **लाभ:**
    - **ईंधन का बेहतर उपयोग:** 1 लीटर ईंधन में सड़क मार्ग से एक किलोमीटर तक 24 टन, रेल मार्ग से एक किलोमीटर तक 95 टन और अंतर्देशीय जलमार्ग से एक किलोमीटर तक 215 टन का भार परिवहन किया जा सकता है।
    - **किफायती:** अलग-अलग परिवहन साधनों से, माल ढुलाई की प्रति टन प्रति किलोमीटर लागत रेलमार्ग से 1.36 रुपये, राजमार्गों से 2.50 रुपये और अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) से 1.06 रुपये है।
    - **अवसंरचना विकास पर कम व्यय:** सड़कों और रेलवे के निर्माण और रखरखाव की तुलना में, अंतर्देशीय जलमार्गों को तैयार करना और उनका रखरखाव आम तौर पर सस्ता होता है। इनमें मुख्यतः टर्मिनल या क्वे साइड पर सीमित निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक किफायती परिवहन विकल्प बन जाता है।
    - **यातायात पर भीड़ को कम करना:** अंतर्देशीय जलमार्ग बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित करके सड़कों और रेलवे पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करता है। इससे वस्तुओं की बिना बाधा की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
    - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी:** ट्रकों की तुलना में, अंतर्देशीय जलमार्ग में उपयोग किए जाने वाली नौकाओं और अन्य जहाजों से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- **नौगम्य जलमार्ग:** भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवॉटर क्रीक आदि शामिल हैं।
    - अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) द्वारा सालाना लगभग **133.03 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो** का परिवहन किया जा रहा है।
- **अन्य देशों से तुलना:** भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)[53]:** 1986 में स्थापित यह संगठन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। इसे **राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और प्रशासित करने** का अधिकार है।
- **जलमार्ग विकास परियोजना (2014):** विश्व बैंक के समर्थन से IWAI द्वारा **वाराणसी से हल्दिया** तक **राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1** के 1,390 किलोमीटर खंड की नौगम्यता/ परिवहन क्षमता में सुधार के लिए लागू की जा रही है।
- **सागरमाला कार्यक्रम (2015):** इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रक में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
    - यह वस्तुओं के परिवहन के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम होती है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:** इसके तहत, 111 राष्ट्रीय जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए जलमार्ग सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021:** इसे **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917** के स्थान पर लागू किया गया है। यह अंतर्देशीय पोतों से संबंधित अलग-अलग समस्याओं का समाधान करता है। इनमें पोत का पंजीकरण, वर्गीकरण, प्रदूषण निवारण उपाय आदि शामिल हैं।
- **जलवाहक योजना (2024):** इसका उद्देश्य किफायती तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सुरक्षित और समय पर कार्गो की डिलीवरी करने के साथ व्यापार उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्रक के लिए प्रमुख चुनौतियां

- **जलमार्गों की कम गहराई:** नदियों को नौगम्य योग्य बनाने के लिए **कम-से-कम 3 मीटर की न्यूनतम गहराई** की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतर भारतीय नदियाँ लगभग 2 मीटर गहरी हैं, जिससे भारी वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** बढ़ते अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के कारण नदी प्रदूषण, जल के प्राकृतिक अपवाह में व्यवधान और जलीय जीव-जंतुओं के पर्यावास के नष्ट होने का खतरा है।
- **IWT जहाजों की कमी:** पोत निर्माण के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना के वित्तपोषण के लिए फंड प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **मॉडल एकीकरण:** देश में मजबूत मल्टीमॉडल कॉरिडोर की कमी है। इसके अलावा अंतर्देशीय जल परिवहन कॉरिडोर में जलमार्गों एवं औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान सही से नहीं करना तथा मल्टीमॉडल परिवहन हब की कमी अन्य बड़ी चुनौतियां हैं।

---

[53] Inland Waterways Authority of India

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्गों की पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए समग्र और समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें अवसंरचना में सुधार करना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना, और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है। उचित नीतियां बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने से वस्तुओं के परिवहन को और अधिक गति मिलेगी तथा जलमार्गों को संधारणीय परिवहन साधन और व्यापार का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।

3.13. भारत के विकास के लिए कोयला क्षेत्रक (Coal Sector For India’s Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने कोयला उत्पादन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में **20 मार्च, 2025** को **एक बिलियन टन उत्पादन आंकड़ा** को पार कर लिया।

कोयला क्षेत्रक की सफलता में योगदान देने वाली सरकारी पहलें

- **कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम[54] (CMSP एक्ट) 2015 का लागू होना:** इस अधिनियम के तहत, निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
  - 2020 में, वाणिज्यिक उद्देश्य से कोयला खनन की पहली नीलामी शुरू की गई थी।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम[55], 2021 [MMDR एक्ट] का लागू होना :** इसके तहत कैप्टिव कोयला खान के मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति दी गई है।
- **कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति, 2024:** इसे केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने जारी की है। इसका उद्देश्य निरंतर और किफायती तरीके से खानों से कोयले की निकासी के लिए लॉजिस्टिक विकसित करना है।
- **पारदर्शी नीलामी व्यवस्था:** वाणिज्यिक उद्देश्यों से कोयला ब्लॉक की नीलामी **राष्ट्रीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल और माइन क्लोजर पोर्टल** के जरिए दो चरणों वाली ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है।
- **स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला गैसीकरण योजना (2024):** इस पहल का लक्ष्य **2030 तक 100 मिलियन टन** कोयला गैसीकरण करना है।
  - **कोयला गैसीकरण** कोयले को सिंथेटिक गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करता है। इस गैस का उपयोग मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG) और उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- **'मिशन कोकिंग कोल':** इसके तहत, इस्पात क्षेत्रक को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने और वित्त वर्ष 2029-30 तक घरेलू **कोकिंग कोल उत्पादन** को **140 मीट्रिक टन तक पहुंचाने** का लक्ष्य रखा गया है।
- **अन्य उपाय:**
  - **राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI)[56]:** यह सभी बिक्री स्रोतों से कोयले की कीमतों को मिलाकर बनाया गया एक मूल्य सूचकांक है।
  - कोयला क्षेत्रक के लिए **सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल** की शुरुआत की गई है। इससे कोयला खनन के संचालन को गति देने में मदद मिलेगी।
  - कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति** दी गई है।

क्या आप जानते हैं?

> नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के बावजूद, कोयला आधारित ताप विद्युत भारत के लिए आवश्यक बनी रहेगी। अनुमान है कि **कुल स्थापित क्षमता में इसकी हिस्सेदारी 2030 तक 55% और 2047 तक 27% होगी।**

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)[57] के सम्मेलनों में कोयले की खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (फेज आउट) पर चर्चा चल रही है और विकसित देश कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। हालांकि, भारत ने ऊर्जा की बढ़ती मांग और आर्थिक संवृद्धि के मद्देनजर कोयले का उपयोग जारी रखने पर अपना रुख दोहराया है।

---

[54] Coal Mines (Special Provisions)

[55] Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act

[56] National Coal Index

[57] United Nations Framework Convention on Climate Change

- जर्मनी का लक्ष्य 2038 तक कोयले की खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, वहीं यूनाइटेड किंगडम ने 2024 में कोयला आधारित अपना अंतिम पावर प्लांट बंद कर दिया।

भारत के विकास में कोयले का महत्त्व

- **बिजली उत्पादन के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत:** केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार कोयला भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 46.88% का योगदान देता है (नवंबर 2024 तक)।
    - इस्पात (कुल खपत का 8%) और सीमेंट (5%) जैसे कई प्रमुख उद्योग भी ऊर्जा के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
- **आयात निर्भरता में कमी:** वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2024 में कोयला आयात में 8.4% की कमी आई है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और आयात पर निर्भरता में कमी आई है।
- **बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार आर्थिक संवृद्धि, बढ़ती आय और बढ़ते विद्युतीकरण के कारण भारत की बिजली खपत वर्तमान की तुलना में 2050 तक तीन गुना होने की उम्मीद है।
- **कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विकास:** कोयला खनन क्षेत्र रॉयल्टी, जीएसटी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)[58] में योगदान आदि के माध्यम से **कोयला उत्पादक क्षेत्रों को सालाना 70,000 करोड़ से अधिक** का योगदान देता है। ये फंड कोयला उत्पादक क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास और अवसंरचना के विस्तार में अहम भूमिका निभाते हैं।
- **रोजगार सृजन:** देश के 350 से अधिक कोयला खानों में लगभग 5 लाख खनिकों को रोजगार मिला हुआ है।
- **अन्य आर्थिक योगदान:**
    - **रेलवे माल भाड़ा:** कोयला भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई में सबसे अधिक योगदान करता है। यह रेलवे द्वारा माल ढुलाई से प्राप्त कुल राजस्व में 49% का योगदान देता है (वित्त वर्ष 2022-23)।
    - **पूंजीगत व्यय और अवसंरचना विकास:** कोयला क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में औसतन 18,255 करोड़ रुपये सालाना पूंजीगत व्यय में निवेश किया है।
    - **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)[59]:** कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम CSR पहलों को प्राथमिकता देते हैं। पिछले पांच वर्षों में CSR के तहत इनका औसत वार्षिक व्यय 608 करोड़ रुपये रहा है।

भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य

- विश्व में **पांचवां सबसे अधिक कोयला भंडार** भारत में है। साथ ही, भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- **कोयले का कुल अनुमानित भंडार:** 361.41 बिलियन टन (2022 तक)।
- **भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष तीन राज्य:** ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़; जिनके पास भारत का लगभग 69% कोयला भंडार है।
- **कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973** भारत में कोयला खनन के लिए पात्रता निर्धारित करने वाला केंद्रीय कानून है।
    - **2014 में शुरू की गई नीलामी-आधारित व्यवस्था** के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई। हालांकि तब वे अपने खान से निकाले गए कोयले का उपयोग केवल अपने प्लांट्स में कर सकते थे। इस तरह यह कैप्टिव कोयला खान आधारित व्यवस्था थी।
    - 2020 में, निजी कंपनियों को वाणिज्यिक उद्देश्य से कोयला खनन की अनुमति देकर इस क्षेत्र को और अधिक उदार बनाया गया। वाणिज्यिक का मतलब है कि निजी कंपनियां अपने खदान से निकाले गए कोयले को अपने उपयोग के अलावा बेच भी सकते हैं।

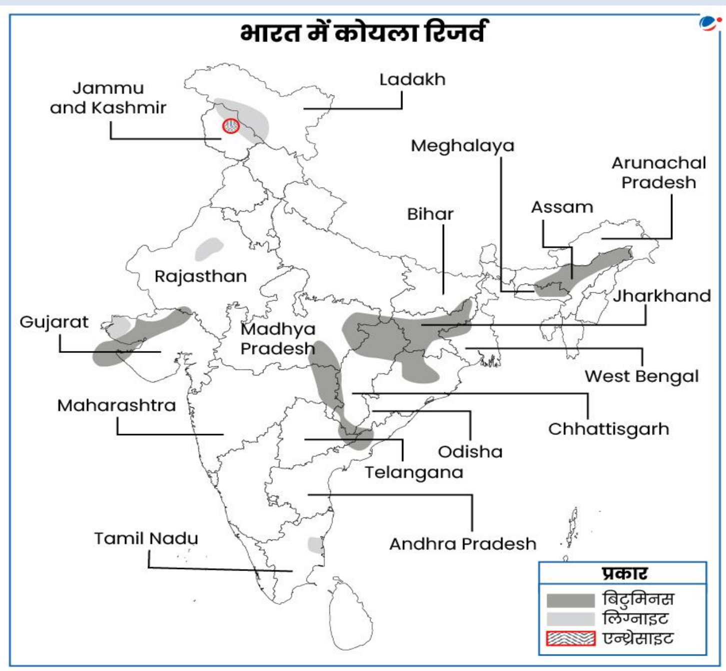

[58] District Mineral Foundation:

[59] Corporate Social Responsibility

- **भारत में पाए जाने वाले कोयले के प्रकार:**
  - **एन्थ्रेसाइट:** यह कोयले का उच्चतम ग्रेड है। इसमें कार्बन की उच्च मात्रा प्राप्त होती है।
  - **बिटुमिनस:** यह मध्यम ग्रेड का कोयला है और इसमें उच्च तापीय क्षमता होती है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए इसी कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है।
  - **सब-बिटुमिनस:** यह काले रंग का का मद्धिम (चमकदार नहीं) कोयला है। यह लिग्नाइट की तुलना में उच्च तापीय मान वाला कोयला है।
  - **लिग्नाइट:** यह सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है।

भारत में कोयला क्षेत्रक से समक्ष प्रमुख चुनौतियां

खनन और कोयला उत्पादन उद्योग से जुड़ी चिंताएं

- **पुरानी खनन तकनीकों का उपयोग**
- कोयला उत्पादक क्षेत्रों में **बेमौसम और लंबे समय तक बारिश**
- बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा **कोयले के उचित मूल्य का भुगतान न करना** और अत्यधिक बकाया राशि
- **कोयला से जुड़े क्षेत्रकों में अक्सर श्रमिक-औद्योगिक संबंध (IR) से जुड़ी समस्याएं**
- **भूमि अधिग्रहण में समस्या**

पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़ी चिंताएं (कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्रों से)

- सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसी **हानिकारक गैसों का उत्सर्जन**
- फ्लाई-ऐश, लेड (Pb), आर्सेनिक (As), कैडमियम (Cd), और मरकरी (Hg) जैसे **प्रदूषकों का आसपास के वातावरण में प्रवेश**

निष्कर्ष

कोयला उद्योग भारत के 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। सुरक्षा, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम जैसी पर्यावरण संरक्षण तकनीक और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी चिंताओं के बावजूद, कोयला क्षेत्रक भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकता है। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और कोयले के साथ बायोमास के दहन (को-फायरिंग) से संधारणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए उत्सर्जन को और कम किया जा सकता है।

3.14. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (National Programme For Dairy Development: NPDD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र **(2021-22 से 2025-26)** की अवधि के लिए राशि आवंटन बढ़ाकर **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)** को मंजूरी प्रदान की।

संशोधित NPDD के उद्देश्य

- देशभर में **10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन** करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद एवं दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमताओं को बढ़ाना।
- NPDD की चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त विशेष अनुदान सहायता के साथ **दो 'दुग्ध उत्पादक कंपनियों'** का गठन करना।
- रोजगार के 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सृजित करना जिसमें महिलाओं को रोजगार दिलाने पर विशेष ध्यान देना। गौरतलब है कि डेयरी क्षेत्रक के कुल कार्यबल में **70% महिलाएं** हैं।

भारत में डेयरी क्षेत्रक

- विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम **#1**
- वैश्विक दूध उत्पादन का **24.76%**
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में **5%** योगदान
- **भारत में डेयरी सबसे बड़ी कृषि कमोडिटी है**
- **8+ करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार** मिला हुआ है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं
- **5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR),** जो कि दूध उत्पादन में **मजबूत वृद्धि है** (2014-24)
- **दूध की उपलब्धता: 471 ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन** वैश्विक औसत (329 **ग्राम प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन**) से अधिक
- **अग्रणी डेयरी उत्पादक राज्य:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

- यह **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। इसे **2014** में शुरू किया गया था। वर्ष **2021 में** इस **योजना को पुनर्गठित** किया गया।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत **पशुपालन और डेयरी विभाग** (DAHD)।
- **उद्देश्य**
  - दुग्ध और दुग्ध-उत्पादों के लिए **अवसंरचनाओं (कोल्ड चेन अवसंरचना** सहित) का विकास और सुधार करना;
  - डेयरी कृषकों के प्रशिक्षण के लिए **प्रशिक्षण संस्थाओं** की स्थापना करना;
  - पशु-आहार, पशु आहार में खनिज मिश्रण इत्यादि के बारे में तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करके **दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना**;
  - सक्षम **मिल्क फेडरेशन/यूनियन** की पुनर्स्थापना में सहायता करना।
- **NPDD के निम्नलिखित दो मुख्य घटक हैं:**
  - **घटक A:** डेयरी सहकारी समितियों (DCSs)[60]/दूध उत्पादक कंपनियों (MPCs)[61] के गठन में सहायता करके विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचनाओं का विकास करना। इन अवसंरचनाओं में दुग्ध शीतलन प्लाट्स, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली शामिल हैं।
  - **घटक B: सहकारिता के माध्यम से डेयरी:** यह **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)-**से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से संबंधित अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का निरंतर विकास करना है।

डेयरी क्षेत्रक में सहकारी समितियों की भूमिका

- **सामूहिक सशक्तिकरण (सहकार से शक्ति):** सहकारी समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे **डेयरी क्षेत्रक** के हितधारकों को एक साथ जोड़ती है। ये समितियां लघु कृषकों के विकास के लिए **संस्था के रूप में समर्थन प्रदान करती है, उनकी सौदेबाजी की शक्ति** बढ़ाती है और **जागरूकता** प्रदान करती हैं।
- **किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण (सहकार से समृद्धि):** सहकारी समितियां अपने हितधारकों के बीच अर्जित आय का **न्यायसंगत तरीके से वितरण सुनिश्चित करती है** और **लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया** को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए- **अमूल, नंदिनी** जैसी सहकारी समितियों ने डेयरी किसानों की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है।
- **सहकारी समितियों के बीच सहयोग (सहकार से सहयोग):** यह सहकारी समितियों के बीच तालमेल बैठाने में सहायता करती है। जैसे- सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक डायरी सहकारी समितियों (PDCS) के लेनदेन में मदद करती है।

डेयरी क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां:

- **कम उत्पादकता:** भारत में प्रति मवेशी दुग्ध उत्पादन कम है। साथ ही देश में डेयरी क्षेत्रक के हितधारक अलग-अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
  - **कारण-** पशु नस्ल ब्रीडिंग कार्यक्रम अधिक सफल नहीं रहा है, विस्तार सेवाएं (एक्सटेंशन सर्विसेज) सही से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, आधुनिक तकनीकों का कम उपयोग किया जाता है, पशुओं को उपयुक्त आहार और चारा नहीं मिल पाता हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं हैं या महंगा होने के कारण किसान इन्हें खरीद नहीं सकते, आदि।
- **अनौपचारिक और असंगठित होना:** भारत में लोग स्थानीय दुग्ध उत्पादकों से ही रोजाना दूध खरीद लेते हैं। इससे सहकारी समितियों के पैकेज्ड दूध की मांग कम हो जाती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **दुग्ध की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं:** दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट एक बड़ी समस्या रही है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाना, यूरिया का उपयोग आदि।
- **पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाएँ:** पशु चिकित्सा केंद्रों की संख्या कम हैं या ये बेहतर स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, पशुओं को टीका लगाने के बारे में भी किसानों में जागरूकता की कमी है। इस वजह से आये दिन **खुरपका और मुंहपका** (Foot and Mouth Disease) **जैसे पशु रोगों के प्रकोप** का मामला सामने आता रहता है।
- **प्रशासन: सहकारी समितियों का खुद का प्रशासन सही नहीं है और** राज्य सरकारों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करने के कारण **इनकी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली** भी प्रभावित होती है।

---

[60] Dairy Cooperative Societies

[61] Milk Producers Companies

* **प्रसंस्करण एवं भंडारण की कम क्षमता:** वैल्यू एडिशन (दूध से अलग-अलग उत्पाद बनाना), प्रोसेसिंग, भंडारण और मार्केटिंग जैसी अवसंरचनाओं की कमी के कारण दुग्ध उत्पादकों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है।

डेयरी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें

* **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** मवेशियों की आबादी में **आनुवंशिक** सुधार तथा **देशी नस्ल की मवेशियों को बढ़ावा देने** और संरक्षित करने के माध्यम से **दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि** करना।
* **श्वेत क्रांति 2.0:** 2024 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू; इसके उद्देश्यों में डेयरी क्षेत्रक में **सततता और सर्कुलेरिटी और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना,** प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में **एक राज्य स्तरीय डेयरी संघ** का गठन और देश के 80% जिलों में **मिल्क यूनियन** गठन करना शामिल है।
* **डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS): नाबार्ड** द्वारा **लाभकारी परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी** प्रदान करके डेयरी उद्योग में **स्वरोजगार** के अवसर पैदा करने का कार्यक्रम।
* **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना।
* **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** यह डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उद्यमियों, निजी कंपनियों से निवेश को प्रोत्साहित निधि है। **डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF)** को AHIDF में शामिल कर दिया गया है।

आगे की राह

* **अवसंरचनाओं का विकास:** दुग्ध **उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण और अनुसंधान** से संबंधित बुनियादी ढांचे को **गांव और जिला स्तर** पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
    * उदाहरण के लिए कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, दूध से अलग-अलग उत्पाद बनाने के लिए मशीनें, आदि।
* **तकनीकों को अपनाना:** किसानों को वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के लिए सलाह प्रदान करनी चाहिए, उन्हें कम कीमत पर नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करानी चाहिए, आदि।
    * उदाहरण के लिए पशु आनुवंशिकी तथा **कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण स्थानांतरण जैसी** अलग-अलग तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
* **सहकारिता को बढ़ावा देना:** दूरदराज के क्षेत्रों में सामूहिकता की शक्ति का लाभ उठाना चाहिए और डेयरी कृषकों को सहकारिता के लाभों के बारे में बताना चाहिए।
* **प्रोसेसिंग और मार्केटिंग:** दूध की **प्रोसेसिंग** को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि अधिक मांग वाले **A2 घी, पनीर** जैसे दुग्ध उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके। **ब्रांड विकसित करने** और **डेयरी उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से** उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों की मार्केटिंग करने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

अन्य संबंधित सुर्खियां: संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

* **अधिक राशि का आवंटन:** इस मिशन के लिए अतिरिक्त **1,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं। इससे **15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26)** के लिए कुल बजट आवंटन **3,400 करोड़ रुपये** हो गया है।
* **नई पहलें:**
    * **बछिया (गाय बछिया) पालन केंद्र :** 15,000 बछियों के लिए 30 आश्रय सुविधाएं स्थापित करने में लगने वाले खर्च का 35% एकमुश्त सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

- ○ **हाई जेनेटिक मेरिट (HGM) बछिया के लिए सहायता:** दुग्ध संघों/वित्तीय संस्थानों से **हाई जेनेटिक मेरिट**-इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन बछिया खरीदने के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर **3% ब्याज छूट** प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियां**
  - ○ **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)[62]:** इसका उद्देश्य **सीमन स्टेशनों** और **कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क** में सुधार करना है।
  - ○ **सैक्स सार्टेड सीमन** का उपयोग करके **बुल प्रोडक्शन** और **नस्ल सुधार**।
  - ○ कौशल विकास और किसान जागरूकता कार्यक्रम।
  - ○ **उत्कृष्टता केन्द्रों** की स्थापना और **केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों** में सुधार करना।

3.15. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.15.1. लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की मांग की {PAC Calls for Review of GST}

संसदीय लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की।

GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले मुद्दे

- **MSMEs की समस्याएं:** इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण MSMEs GST फ्रेमवर्क के मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
- **निर्यातकों की समस्याएं:** अक्सर यह देखा गया है कि निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड काफी देर से दिया जाता है। इस वजह से उन्हें नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ता है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।
- **स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं:** स्क्रैप डीलर्स GST का भुगतान नहीं करते, जिससे इन मिलों को **दोहरे करों का भुगतान** करना पड़ता है और वे ITC का क्लेम भी नहीं कर पाते है। इसके अलावा, कुछ व्यवसाय उन राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं, जहां GST में छूट मिलती है।
- **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक द्वारा कर चोरी:** यद्यपि हाल ही में, GST कानून में इस क्षेत्रक को लक्षित करने वाले संशोधन किए गए हैं, फिर भी अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है।
  - ○ 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर **28% GST** लगाया जा रहा है।
  - ○ **ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं** के लिए IGST अधिनियम के तहत **सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
  - ○ **GST आसूचना महानिदेशालय (DGGI)** को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।

आगे की राह

- विशेष रूप से MSMEs के लिए डिजाइन किया गया **सरलीकृत GST अनुपालन फ्रेमवर्क** विकसित किया जाना चाहिए।

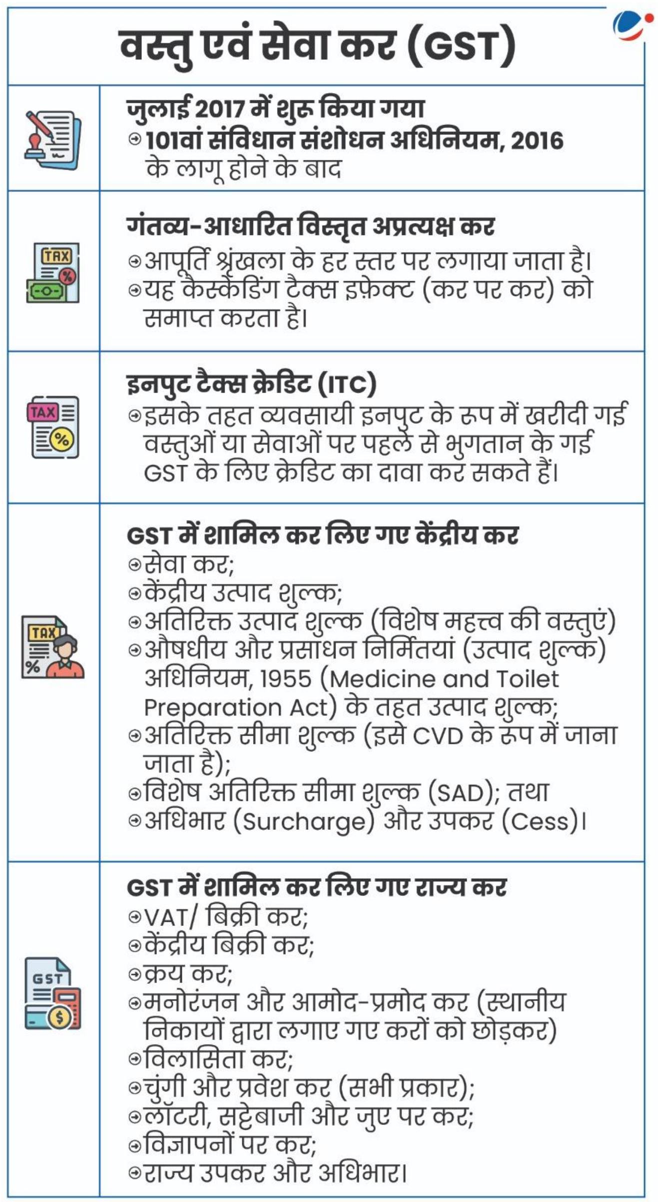

[62] Nationwide Artificial Insemination Programme

- निर्यातकों के लिए **समर्पित फास्ट-ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम** बनाया जाना चाहिए। इससे निर्यात से संबंधित उनके ITC दावों का शीघ्र निपटारा करने में मदद मिलेगी।
- अलग-अलग **गेमिंग प्लेटफॉर्म्स** द्वारा अपनाए गए **रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक स्वतंत्र अध्ययन** किया जाना चाहिए, तदनुसार दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।

3.15.2. सीएसआर, आईबीसी और ईएसजी को प्रभावी बनाना (Making CSR, IBC & ESG Effective)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) की 'अनुदान मांगों (2025-26)' पर 10वीं रिपोर्ट में विविध मुद्दों जैसे **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG) विनियमों को प्रभावी बनाना पर प्रकाश डाला गया है और कई सिफारिशें की गई हैं:-**

क्षेत्र	समस्याएं	सिफारिशें
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)	• CSR फ्रेमवर्क को लागू करने और निगरानी में **खामियां मौजूद हैं।** • **CSR के तहत व्यय की प्रभावशीलता पर विस्तृत विश्लेषण** का अभाव है। • **बिना खर्च हुई CSR राशि** का लेखा-जोखा अभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है।	• **अधिक व्यापक रिपोर्टिंग और निगरानी फ्रेमवर्क** स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, CSR संबंधी परियोजनाओं के **प्रभाव और परिणामों** पर विस्तृत रिपोर्ट का **नियमित प्रकाशन** करना। • अनुपालन न करने की स्थिति में समय पर **दंड आरोपित** किए जाने चाहिए।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)	• **हितों का टकराव और प्रावधानों की असमान व्याख्या के कारण IBC के तहत** समाधान प्रक्रिया में देरी होती है। • **IBC के तहत समाधान पेशेवरों** (RPs) के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए कोई मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है।	• **समाधान संबंधी योजनाओं को केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल** के माध्यम से **प्रत्यक्ष रूप से लागू करने हेतु प्रणाली स्थापित** की जानी चाहिए। • RPs के लिए कठोर प्रमाणन मानक और प्रदर्शन के मामले में स्वतंत्र समीक्षा लागू की जानी चाहिए। • **परिचालनरत लेनदारों** के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए लेनदारों की समिति (CoC) की संरचना की समीक्षा करनी चाहिए।
पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस (ESG)	• **ग्रीनवॉशिंग** का जोखिम लगातार **बढ़ रहा है।** • लघु व्यवसायों को ESG प्रणाली को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	• अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्रीनवाशिंग के लिए दंड आरोपित करने हेतु मंत्रालय के तहत एक समर्पित **ESG पर्यवेक्षण निकाय गठित** करना चाहिए। • निदेशकों के लिए **प्राथमिक कर्तव्यों** के रूप में ESG उद्देश्यों को शामिल करने हेतु **कंपनी अधिनियम, 2013** में संशोधन किया जाना चाहिए। • लेखापरीक्षा समितियों के समान **स्वतंत्र ESG समितियां गठित** की जानी चाहिए।

3.15.3. कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्रक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (Parliamentary Standing Committee on Agriculture Submits Report On Fisheries Sector)

इस रिपोर्ट में **मात्स्यिकी क्षेत्रक में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने** के लिए पूर्व में की गई सिफारिशों पर **सरकार की कार्यवाहियों का मूल्यांकन** किया गया है।

- **भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य-उत्पादक देश है।** विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत लगभग **8%** का योगदान देता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में **मात्स्यिकी क्षेत्रक का योगदान 4% से बढ़कर 6.72%** से अधिक हो गया है।।

रेखांकित मुख्य मुद्दे	सिफारिशें
मात्स्यिकी पर अलग शोध संस्थान का अभाव: मात्स्यिकी क्षेत्रक पर अनुसंधान भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत आता है। इससे इस क्षेत्रक पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।	**भारतीय मात्स्यिकी और जलीय-कृषि अनुसंधान परिषद (ICFAR)** की स्थापना की जानी चाहिए।
छोटी मछलियों (Juvenile Fish) के पकड़ने पर नियंत्रण: बुल ट्रॉलिंग और LED फिशिंग जैसी हानिकारक तकनीकें जलाशयों में मछलियों की संख्या (फिश स्टॉक) को कम कर रही हैं।	मछली पकड़ने के **जालीदार जालों का कानूनी तरीके से न्यूनतम आकार संबंधी नियम** को लागू करना चाहिए। साथ ही, फिश स्टॉक को कम करने वाली तकनीकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
मछुआरों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण: केवल कुछ राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर 4% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाती है।	किसान क्रेडिट कार्ड से **ब्याज-मुक्त ऋण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू** करना चाहिए।
मछली पकड़ने के बाद नुकसान और अवसंरचना: मछलियों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं की कमी है। इससे पकड़ी गई लगभग **20-25% मछलियां बाजार तक नहीं पहुंच** पाती हैं।	**प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाओं में सुधार किए जाने चाहिए।
श्रिम्प (झींगा) ब्रूडस्टॉक में आत्मनिर्भरता: भारत अभी भी **एल. वन्नामेई (L. Vannamei) झींगा ब्रूडस्टॉक** के आयात पर निर्भर है।	ICAR के माध्यम से देश में ही **ब्रूडस्टॉक के विकास को तेज** करना चाहिए।
बांध के गेट खुलने और भारी बारिश के कारण **फिश स्टॉक बह** जाते हैं।	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की तर्ज पर **बांध के आसपास के मछुआरों के लिए बीमा योजना शुरू** की जानी चाहिए।
सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानकों के अनुपालन; निर्यात प्रमाणन और ट्रेसेब्लिटी की कमी जैसी वजहों से मत्स्य **निर्यात में बाधाओं का सामना** करना पड़ता है।	निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए; प्रमाणन एवं ट्रेसबिलिटी में सुधार करना चाहिए आदि।

3.15.4. सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना (Scheme For Cooperative Sugar Mills)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **संशोधित 'इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना' के तहत सहकारी चीनी मिलों** के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है।

'सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना' के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय/ विभाग:** केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग।**
- **उद्देश्य: गन्ना-आधारित** मौजूदा **इथेनॉल संयंत्रों** को **मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों** में बदलना। इससे **मक्का और खाद्य के लिए अनुपयोगी हो चुके खाद्यान्न** जैसे अन्य कच्चे माल का उपयोग किया जा सकता है।
- **संशोधित इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना** के तहत सरकार **6% प्रतिवर्ष** की ब्याज छूट देगी या **बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा तय ब्याज दर का 50% वहन करेगी** (जो भी कम हो)।
- इस योजना से **इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा** मिलने के साथ-साथ **गैर-परंपरागत कच्चे माल का उपयोग भी बढ़ेगा।** इससे किसानों और सहकारी चीनी मिलों को लाभ मिलेगा।

3.15.5. तंबाकू (Tobacco)

पिछले चार वर्षों में **भारत का तम्बाकू निर्यात दोगुना** हो गया।

तंबाकू

- **भारत की स्थिति:** भारत **तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (ब्राजील के बाद)** देश है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** गुजरात (कुल खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन 30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।

- **अनुकूल परिस्थितियां:**
    - **तापमान: 20° से 27°C** के बीच होना चाहिए।
    - **वर्षा:** जब इसे वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है, तो फसल उगाने के मौसम के दौरान **कम-से-कम 500 मिलीमीटर अच्छी तरह से वितरित वर्षा** की आवश्यकता होती है।
        - जिस क्षेत्र में वर्षा **1200 मिमी. से अधिक** होती है, वहां पर आमतौर इसकी खेती **नहीं** की जाती है।
    - **मृदा: रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी** सबसे उपयुक्त होती है। इसका एक अपवाद है- **आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जहां गहरी काली मृदा में तंबाकू का उत्पादन** किया जाता है। इस क्षेत्र में **सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू** का उत्पादन किया जाता है।

3.15.6. विश्व बैंक ने 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना (Becoming a High-Income Economy in a Generation)' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की 'Becoming A High-Income Economy in A Generation' Report Released By World Bank

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को **2047 तक उच्च आय वाला देश (HIC)** बनने के लिए अगले **22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास** करना होगा।

- भारत **2007-08 में निम्न-मध्यम आय वाला देश (LMIC)** बन गया था। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में **2032 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश (UMIC)** बनने की राह पर है।

पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक संवृद्धि

अर्थव्यवस्था के आकार में 4 गुना वृद्धि	प्रति व्यक्ति GDP में 3 गुना वृद्धि	वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में 2 गुना वृद्धि
नॉमिनल आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था	चरम निर्धनता में उल्लेखनीय कमी और अवसंरचना में सुधार	GDP में 6.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर (कोविड महामारी से पहले)

वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी: 1.6% (2000)→3.4% (2023)

2047 तक उच्च आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को वर्तमान स्तर से 8 गुना बढ़ाना** होगा।

2047 तक उच्च आय वाले देशों (HIC) के समूह में शामिल होने की राह में मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **मंद संरचनात्मक परिवर्तन:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में **कार्यबल का 45% हिस्सा कृषि क्षेत्रक में नियोजित** है। इसके अलावा, **पारंपरिक बाजार आधारित सेवाएं और निर्माण कार्य (कम उत्पादकता) मिलकर लगभग 30%** का योगदान देती हैं।
    - इसके विपरीत, कुल रोजगार में **विनिर्माण** क्षेत्रक की हिस्सेदारी लगभग **11%** थी और **आधुनिक बाजार सेवाओं की हिस्सेदारी केवल 7%** थी।
- **निजी निवेश में गिरावट:** 1990 के दशक के सुधारों के बाद देश में निजी निवेश में वृद्धि हुई। लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से **सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में इसमें गिरावट** देखी गई।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश का कम उपयोग:** वर्ष 2000-19 के दौरान, **कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में 37.4% की वृद्धि** हुई थी, लेकिन **रोजगार में केवल 15.7% की वृद्धि** हुई थी।
    - इस अवधि के दौरान, **श्रम बल भागीदारी दर 58% से घटकर 49%** हो गई, जो कि मध्यम आय वाले देशों के मानकों से कम है।

संवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीतियां

- **निवेश को बढ़ावा देना:** बेहतर वित्तीय विनियमों द्वारा, MSME क्षेत्रक को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर और सरलीकृत FDI नीतियों के माध्यम से **2035 तक निवेश को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 40%** करना।
- **रोजगार उत्पन्न करना:** एग्रो-प्रोसेसिंग, विनिर्माण, परिवहन और केयर इकॉनमी जैसे रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस करना:** कम विकसित राज्य **मूलभूत आवश्यकताओं** (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवसंरचनाओं के विकास) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विकसित राज्य **अगली पीढ़ी के सुधारों** को आगे बढ़ाते हैं।

©Vision IAS

3.15.7. UNCTAD ने 'ए वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट 2024' जारी की (UNCTAD Released 'A World of Debt Report 2024')

सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण व्ययों को वित्त-पोषित करके विकास को गति दे सकता है, लेकिन अत्यधिक ऋण वृद्धि विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए चुनौतियां पैदा करती है।

* **यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट** में बढ़ते ऋण जोखिमों की चेतावनी दी गई है तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

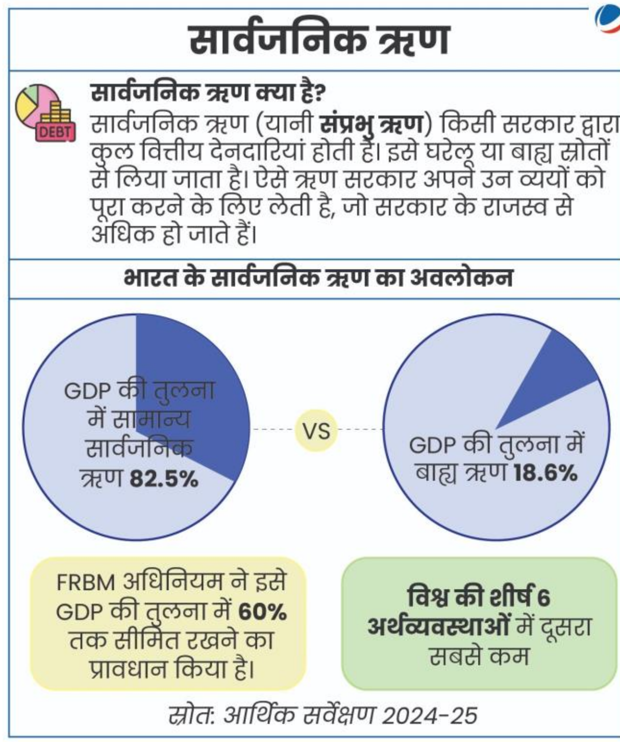

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

* **वैश्विक ऋण वृद्धि:** 2023 में सार्वजनिक ऋण **97 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था। इसके अलावा, **विकासशील देशों का ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़** रहा है।
    * **भारत का सार्वजनिक ऋण 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया है।
* **ऋण भुगतान पर अधिक व्यय: 54 विकासशील देश** अपने सामाजिक क्षेत्रक की तुलना में **ब्याज भुगतान पर अधिक धन व्यय** करते हैं।
* **असमान वित्तीय प्रणाली:** विकासशील देश विकसित देशों की तुलना में **2 से 12 गुना अधिक ब्याज** का भुगतान करते हैं।

बढ़ते वैश्विक सार्वजनिक ऋण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

* **ऋण का बोझ:** किसी देश पर अत्यधिक ऋण, उसके निवेश एवं उपभोग की क्षमता को हतोत्साहित करके आर्थिक संवृद्धि को बाधित करता है।
* **तरलता संबंधी चुनौती:** विकासशील देशों से निजी ऋणदाताओं द्वारा लगभग 50 बिलियन डॉलर की निकासी ने तरलता की कमी को और बढ़ा दिया है।
* **पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों** (निजी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणदाताओं) के साथ **ऋणदाता आधार (creditor base)** ऋण की पुनर्संरचना को महंगा बनाता है।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

* समन्वय संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए **ऋण पुनर्संरचना तंत्र** का निर्माण करना चाहिए।
* ऋण संकटों को रोकने के लिए **आकस्मिक वित्त-पोषण का विस्तार** करना चाहिए।
* वैश्विक वित्तीय गवर्नेंस में **विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा** देना चाहिए।

3.15.8. द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट (BSA) {Bilateral Swap Agreement (BSA)}

भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है।

द्विपक्षीय स्वैप एग्रीमेंट (BSA) के बारे में:

* यह **दो केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता** है। इसके तहत वे एक **मुद्रा के नकदी प्रवाह का दूसरी मुद्रा के नकदी प्रवाह से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार विनिमय** कर सकते हैं।
* **भारत-जापान BSA का उद्देश्य:** यह द्विपक्षीय करेंसी स्वैप व्यवस्था है, जिससे दोनों देश जरूरत पड़ने पर अपनी स्थानीय मुद्रा के बदले अमेरिकी डॉलर का विनिमय कर सकते हैं।
* **महत्त्व: विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित** करने और वित्तीय संकटों के दौरान तरलता प्रदान करने में सहायता करना।

3.15.9. सड़क क्षेत्रक में सबसे बड़ा InvIT मुद्रीकरण (Largest Invit Monetization in Roads Sector)

नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट (NHIT) ने सड़क क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के माध्यम से सबसे बड़ी धनराशि जुटाई है।

- NHIT **राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2020 में स्थापित InvIT** है। इसका उद्देश्य भारत के **परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम**[63] में योगदान देना है।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के बारे में

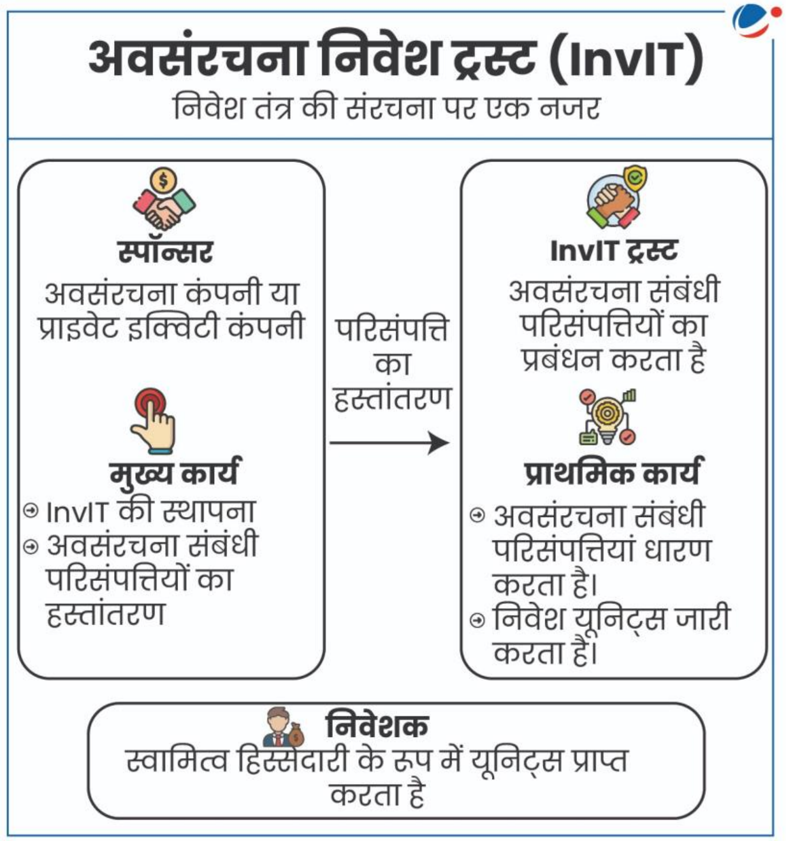

- **परिभाषा: InvITs निवेश जुटाने के साधन** हैं। ये वास्तव में **म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT)** की तरह कार्य करते हैं।
- **InvITs** किसी व्यक्ति या संस्था को **अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश** करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - एक InvIT सीधे या किसी **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) या होल्डिंग कंपनी** के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकता है।
- InvITs **टोल, रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश** के रूप में आय अर्जित करते हैं।
  - InvITs के **यूनिट होल्डर्स को ब्याज, लाभांश और रेंट से आय पर कर चुकाना** होता है।
- **InvITs का विनियमन:** InvITs को **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014** के तहत प्रशासित किया जाता है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, **InvITs को अपनी कुल आय का कम-से-कम 90% निवेशकों को वितरित** करना आवश्यक है।
  - InvITs को **"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI)"** के तहत **"उधारकर्ता" (Borrower)** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **InvITs के निम्नलिखित प्रकार हैं:**
  - सार्वजनिक क्षेत्र के InvITs;
  - निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध InvITs; तथा
  - निजी क्षेत्र के गैर-सूचीबद्ध InvITs.
- **InvITs के लाभ**
  - **रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक** बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
  - **लघु निवेशक कम राशि** भी निवेश कर सकते हैं।
  - ये निवेश **"लिक्विड"** होते हैं। यानी निवेशक जब चाहे InvITs की यूनिट्स बेच सकते हैं, क्योंकि ये **शेयर बाजारों में सूचीबद्ध** होती हैं।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) के बारे

- यह सरकार और उसके संस्थानों के लिए **अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके नए राजस्व अर्जित करने की प्रक्रिया** है।
- **भारत का मुद्रीकरण कार्यक्रम**
  - **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):** यह **नीति आयोग** की योजना है। इसका उद्देश्य **2022-2025 के दौरान सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़** रुपये जुटाना है।

---

[63] Asset Monetisation programme

- **दूसरी 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना (2025-2030')**: इसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2025-26** में की गई थी। इस योजना के तहत **मुद्रीकरण से 10 लाख करोड़** रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **अन्य योजनाएं: राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation)** की स्थापना आदि।

***नोट:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया अप्रैल, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.7 देखें।*

3.15.10. MSMEs के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (Digital Footprint-Based Lending for MSMES)

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए **डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल** लॉन्च किया

- केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक (PSBs) MSMEs को ऋण देने से पहले उनके **ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर** से करेंगे। इसके लिए उन्हें **किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं** रहना चाहिए।
- इस डिजिटल असेसमेंट मॉडल में **निम्नलिखित डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जाएगा:**
  - NSDL के जरिए नाम और पैन सत्यापन;
  - OTP के जरिए मोबाइल और ईमेल सत्यापन;
  - सेवा प्रदाता की मदद से API से GST डेटा प्राप्त करना; तथा
  - बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण।
- यह मॉडल **MSMEs को ऋण देने की मंजूरी प्रक्रिया को स्वचालित** बना देगा। इससे **लघु और मध्यम उद्यमों को तेजी से एवं पारदर्शी तरीके से ऋण** प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

3.15.11. वेंचर कैपिटल (Venture Capital)

भारत की वेंचर कैपिटल (VC) फंडिंग **2024 में 43% बढ़कर 13.7 बिलियन डॉलर** हो गई।

वेंचर कैपिटल के बारे में

- यह **निजी इक्विटी** का एक रूप है। यह **दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली स्टार्ट-अप कंपनियों तथा लघु व्यवसायों के लिए वित्त-पोषण का एक प्रकार है।**
- वेंचर कैपिटल आमतौर पर **इक्विटी शेयरों या इक्विटी पर भविष्य के दावे (जैसे- परिवर्तनीय ऋण)** का रूप धारण करती है। यह बदले में वेंचर कैपिटल फर्म को **व्यवसाय में स्वामित्व का हिस्सा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान** करती है।
- उद्यम पूंजीपति या वेंचर कैपिटलिस्ट **वित्त-पोषण, तकनीकी विशेषज्ञता या प्रबंधकीय अनुभव के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।**

3.15.12. पुनर्बीमा (Reinsurance)

वैल्यूएटिक्स री (Valueattics Re) भारत में **पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने** के लिए IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) से **मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी** बन गई है ।

- वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्रक की **जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC Re) भारत में कार्यरत एकमात्र** पुनर्बीमा कंपनी है।

पुनर्बीमा के बारे में

- पुनर्बीमा एक **जोखिम प्रबंधन पद्धति** है। इसमें **बीमा कंपनियां** स्वयं को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी **अन्य बीमा कंपनी (रीइंश्योरर/ पुनर्बीमाकर्ता) को हस्तांतरित** कर देती है।
- **विनियामक:** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण **(IRDAI)।**
- **कानून:** इसे **बीमा अधिनियम, 1938 और IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, 2018** के तहत प्रबंधित किया जाता है।

3.15.13. समर्थ (Samarth)

टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने दूरसंचार और IT क्षेत्रकों के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन कार्यक्रम 'समर्थ' का शुभारंभ किया।

समर्थ के बारे में

- **उद्देश्य:** सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करना, अत्याधुनिक संसाधनों को उपलब्ध कराना और किसी आइडिया को वाणिज्यिक रूप से सार्थक बनाने में स्टार्ट-अप्स की मदद करना।

- **कार्यान्वयन साझेदार:** सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन।

3.15.14. अपलिंक इनिशिएटिव (Uplink Initiative)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के तहत अपलिंक इनिशिएटिव से 2023-2024 के दौरान **कार्बन उत्सर्जन में 142,400 टन की कटौती** हुई।

अपलिंक इनिशिएटिव के बारे में

- यह **प्रभावशाली प्रारंभिक चरण के नवाचार** पर केंद्रित है।
- इसे **डेलॉइट और सेल्सफोर्स** के सहयोग से **WEF द्वारा 2020** में लॉन्च किया गया था।
- यह ऐसे **इकोसिस्टम्स** का निर्माण करता है, जो उद्देश्य युक्त और शुरुआती चरण के उद्यमियों को अपने व्यवसायों को उन बाजारों के लिए बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो नेट जीरो उत्सर्जन, प्रकृति के प्रति सकारात्मक (nature-positive) और न्यायसंगत (equitable) भविष्य के लिए आवश्यक हैं।
- **उद्देश्य:** प्रारंभिक चरण के नवाचारकर्ताओं को समर्थन देना, नवाचार आधारित इकोसिस्टम को सक्षम बनाना और धारणा को प्रभावित करना।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (Role of Quantum Computing in National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH)** ने **"क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी[64]"** पर एक रणनीतिक-पत्र जारी किया।

नोट: *क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जून, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.1 देखें।*

क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को कैसे बदल रही है

> **क्या आप जानते हैं?**
>
> > **फ्रंटियर टेक्नोलॉजी** को उन नई और तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी का लाभ उठाती हैं। इसमें **डिजिटल टेक्नोलॉजी** (मेटावर्स, IoT, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग), **फिजिकल टेक्नोलॉजी** (3D प्रिंटिंग) और **बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी** (बायोप्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग) जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

- **क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा:** एक शक्तिशाली **क्वांटम कंप्यूटर** व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले **पब्लिक-की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़** सकता है। इससे राष्ट्रों को अपने डेटा की सुरक्षा के लिए **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC)** को अपनाने हेतु बाध्य होना पड़ता है।
  - **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC):** ये क्वांटम हमलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए एल्गोरिदम होते हैं।
  - **उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट 2018** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भविष्य के साइबर खतरों से निपटने हेतु PQC के उपयोग पर जोर देता है।
- **इंटेलिजेंस द्वारा जुटाई गई जानकारी का बेहतर उपयोग:** क्वांटम कंप्यूटिंग विशाल और जटिल डेटासेट को पारंपरिक कम्प्यूटर की क्षमता की तुलना में काफी बेहतर तरीके से प्रोसेस करके इंटेलिजेंस विश्लेषण के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसके तहत इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से कहीं बेहतर और प्रभावी तरीके से कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट, उसका विश्लेषण एवं डिकोड कर सकती है।
  - **उदाहरण के लिए- नाटो की 2024 की रणनीति क्वांटम-रेडी डिफेंस एप्लीकेशंस को बढ़ावा देती** है। इसमें क्वांटम-रेसिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सेंसिंग, इमेजिंग और कम्युनिकेशन को सुरक्षित करना शामिल है।
- **सुरक्षित संचार: क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) के तहत** दो पक्षों के बीच एन्क्रिप्शन कीज़ को साझा करके संचार को प्रमाणित रूप से सुरक्षित बनाया जाता है।
  - **उदाहरण के लिए-** चीन ने बीजिंग और शंघाई के बीच **दुनिया का सबसे लंबा (2,000 कि.मी.) स्थलीय QKD नेटवर्क** बनाया है। इसकी मदद से संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट किया जाता है।
- **सैन्य हार्डवेयर:** क्वांटम प्रौद्योगिकियां **मटेरियल्स साइंस** में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। इससे अगली पीढ़ी का सैन्य हार्डवेयर विकसित हो सकेंगे।
  - **उदाहरण के लिए- क्वांटम-आधारित AI** स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स के संचालन को बेहतर बना सकते हैं। इससे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- **इकोनॉमिक वारफेयर:** एन्क्रिप्शन को तोड़ने की क्षमता वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकती है तथा बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को खतरे में डाल सकती है। इससे **आर्थिक सुरक्षा के लिए नए खतरे उत्पन्न** हो सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट जैसी पहल आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा दोनों के लिए क्वांटम संबंधी नवाचार की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **भू-राजनीतिक शक्ति:** क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जल्दी सफलता प्राप्त करने वाले देश इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकी और ज्ञान का आधार स्थापित करने में अग्रणी रहेंगे। ऐसे में अन्य देशों को ऐसी समान क्षमता को स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
  - उदाहरण के लिए- **चीन के मिसियस उपग्रह (2016) ने क्वांटम आधारित सुरक्षित लंबी दूरी** के संचार को संभव किया है। यह क्वांटम तकनीक और सुरक्षित नेटवर्क्स में चीन की अग्रणी स्थिति को दर्शाता है।

---

[64] Quantum Computing: National Security Implications & Strategic Preparedness

©Vision IAS

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का लाभ उठाने के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

कार्यबल की कमी
मैकिन्से (2022) के अनुसार, क्वांटम कम्प्यूटिंग संबंधी हर तीन नौकरियों के लिए केवल एक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध है।

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
क्वांटम अनुसंधान एवं विकास (R&D) में असमान निवेश रणनीतिक अंतर पैदा कर रहा है: चीन ($15 बिलियन), अमेरिका ($5.8 बिलियन), भारत ($0.758 बिलियन)।

संसाधनों में असमानता
कम निवेश वाले देशों के लिए सुरक्षित क्वांटम संचार का अभाव।

तकनीक में परिपक्वता की कमी
प्रारंभिक चरण के क्वांटम कंप्यूटरों में स्थिरता और स्केलेबिलिटी का अभाव है।
उदाहरण के लिए, IBM का 433-क्यूबिट ऑस्प्रे प्रोसेसर अभी भी त्रुटि दरों की समस्या का सामना कर रहा है।

डेटा संबंधी जोखिम
भविष्य में हैकर्स द्वारा डेटा डिक्रिप्शन का खतरा।

प्रमुख सिफारिशें

- **निरंतर निगरानी:** वैश्विक स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में प्रगति और प्रतिद्वंद्वी देशों की क्षमता को ट्रैक करने के लिए एक **क्वांटम टास्क फोर्स** की स्थापना करनी चाहिए।
- **क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस:** रक्षा, वित्त और महत्वपूर्ण अवसंरचना में क्वांटम से संबंधित सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए नियमित ऑडिट किया जाना चाहिए।
- **पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) ट्रांजिशन प्लान:** यह योजना पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) को अपनाने के लिए एक कदम दर कदम मार्गदर्शन तैयार करने के बारे में है। इसमें नई अवधारणाओं (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स या POCs) का तेजी से परीक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि वे सही तरीके से काम करें (परीक्षण और प्रमाणन), और विभिन्न उद्योगों के बीच जानकारी साझा करना शामिल है, ताकि PQC को प्रभावी और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसका उद्देश्य PQC को जल्दी अपनाना है, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटरों से होने वाले खतरों से डेटा को सुरक्षित किया जा सके।
  - उदाहरण के लिए- रियल वर्ल्ड ब्राउज़र एन्क्रिप्शन में Kyber जैसे पोस्ट-क्वांटम एल्गोरिदम के साथ गूगल क्रोम द्वारा प्रयोग करना।
- **क्वांटम कार्यबल को सशक्त बनाना:** उच्चतर शिक्षा स्तर पर क्वांटम सूचना विज्ञान (QIS) संबंधी शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए; मौजूदा क्वांटम कार्यबल को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए तथा वैश्विक प्रतिभा के लिए इमिग्रेशन नीति में सुधार करना चाहिए।
- **क्वांटम इकोसिस्टम का निर्माण:** जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम (QED-C) तथा जापान का क्वांटम स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री अलायंस फॉर रिवॉल्यूशन (Q-STAR)। इनका प्राथमिक उद्देश्य क्वांटम उद्योग को सक्षम बनाना और उसे विकसित करना है।
- **क्वांटम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** QIS प्रौद्योगिकी विकास में समन्वय हेतु सहयोग करने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ क्वांटम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- भारत और यूरोपीय आयोग ने 2022 में **"हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC), वेदर एक्सट्रीम्स एंड क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क़्वांटम टेक्नोलॉजीस पर सहयोग हेतु इंटेंट ऑफ़ को-ऑपरेशन"** पर हस्ताक्षर किए थे।
- **अन्य:**
  - **अग्रिम चेतावनी प्रणाली:** संभावित नवाचारों के लिए साइंटिफिक इंटेलिजेंस का लाभ उठाना चाहिए।
  - **क्रिप्टो एजिलिटी फ्रेमवर्क:** क्वांटम-युग को एन्क्रिप्शन संबंधी बदलावों या नवाचारों को तेजी से अपनाने में मदद करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए।
  - **अनुसंधान एवं विकास (R&D) फंडिंग में लचीलापन:** उभरते नवाचारों के आधार पर निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष: रक्षा, खुफिया और सुरक्षित संचार के क्षेत्रकों में रूपांतरणकारी क्षमता के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग भारत की रणनीतिक व सामरिक लचीलापन तथा ***विकसित भारत @2047 के विजन*** को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होगी।

क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) (2023):** इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना तथा उसे आगे बढ़ाना है। इसके अलावा, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक जीवंत व नवीन इकोसिस्टम का निर्माण करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।
- **क्वांटम-सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी (QuEST) कार्यक्रम (2018):** इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्वांटम प्रयोगशालाओं को वित्त-पोषित करके अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करना है।
- **क्वांटम अकादमिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र**
  - **IISc बेंगलुरु:** यहाँ क्वांटम एल्गोरिदम, इनफार्मेशन थ्योरी और त्रुटि सुधार पर केंद्रित एक समर्पित केंद्र है।
  - **नेशनल मिशन फॉर क्वांटम फ्रंटियर:** यह छात्रों और शोधकर्ताओं को क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **क्वांटम सूचना, संचार और कंप्यूटिंग केंद्र (CQuICC)[65]:** इसे **IIT मद्रास** ने स्थापित किया है।
- **निजी क्षेत्रक और स्टार्ट-अप्स का योगदान**
  - **QNu लैब्स** एक ऐसा स्टार्ट-अप है, जिसे NQM के तहत चुना गया है। यह दुनिया का पहला एंड-टू-एंड क्वांटम-सुरक्षित हेटेरोजेनियस नेटवर्क विकसित करने और उसे उपयोग में लाने पर काम कर रहा है।
- **अन्य:**
  - **C-DOT, दिल्ली में क्वांटम संचार प्रयोगशाला (Quantum Communication Lab)** और C-DOT द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) सोल्यूशंस।**

क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #69- भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज

65 Centre for Quantum Information, Communication and Computing

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण के रुझान, 2024 (Trends in International Arms Transfers, 2024)

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2020 से 2024 के बीच वैश्विक हथियार हस्तांतरण में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाने वाले नए आंकड़े जारी किए।

- SIPRI **एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान** है। यह **संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण** पर अनुसंधान करता है।

मुख्य आंकड़ों पर एक नज़र

- **भारत:**
  - **भारत अब यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक** है।
  - **घरेलू स्तर पर उत्पादन में वृद्धि** के कारण 2015-19 और 2020-24 के बीच **हथियारों के आयात में 9.3% की गिरावट** दर्ज की गई है।
  - **रूस अभी भी भारत के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता** बना हुआ है। यद्यपि भारत **फ्रांस, इजरायल और अमेरिका से हथियार खरीद कर हथियार के आयात में विविधता** बनाए हुए है।
- वर्ष 2020-24 के दौरान **यूक्रेन का हथियार आयात लगभग 100 गुना बढ़** गया है। इससे वह **दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक** बन गया है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक स्तर पर हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बढ़कर 43%** हो गई है।
- **रूस द्वारा हथियार निर्यात में 64% की गिरावट** आई है। इससे वह **फ्रांस के बाद तीसरे स्थान** पर आ गया है।

4.2.2. भारत में सोने की तस्करी (Smuggling of Gold in India)

हाल ही में, एक अभिनेत्री को **सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार** किया गया।

- सोने की तस्करी **मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित** है और इससे **संगठित अपराध सिंडिकेट मजबूत होते हैं**। साथ ही, इससे **देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी** आती है।
- भारत **अवैध सोने के आयात का एक प्रमुख गंतव्य** बन गया है। यहां सोना और चांदी मुख्य रूप से **संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से आते हैं,** जहां ये धातुएं कम करों के कारण कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में आने वाले कुल सोने की मात्रा का एक-चौथाई हिस्सा अवैध व्यापार के माध्यम से आता है।
- **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)** भारत सरकार का **सर्वोच्च तस्करी-रोधी निकाय** है।

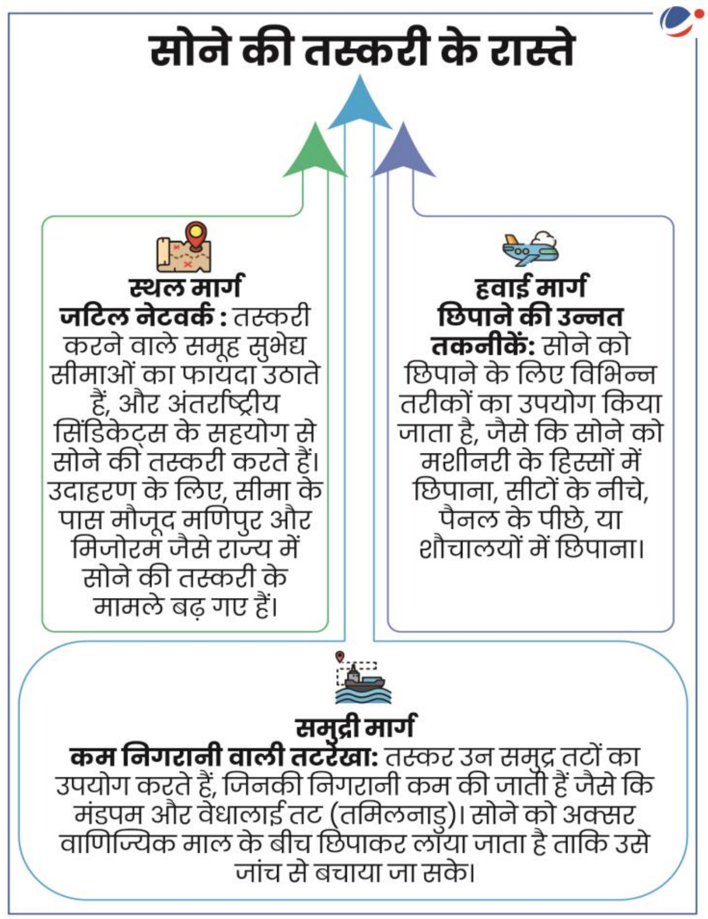

भारत में सोने की तस्करी पर रोक लगाने वाले कानून

- **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962:** यह **उचित घोषणा और लागू शुल्कों के भुगतान के बिना सोने के अवैध आयात पर प्रतिबंध** लगाता है। साथ ही, यह अधिनियम अपराधियों का माल जब्त करने, जुर्माना लगाने और कारावास सहित दंड का प्रावधान करता है।
  - **सामान नियम (बैगेज रूल्स), 2016: सोने पर सीमा शुल्क 3-10% के बीच होता है,** जो सोने के वजन तथा सोने को पुरुष या महिला द्वारा ले जाए जाने पर निर्भर करता है।

- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** तस्करी संगठित अपराध के तहत दंडनीय है। इसके तहत **"अवैध वस्तुओं की तस्करी" के लिए कम से कम पांच वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।**
- **गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA):** इसमें तस्करी को **"आतंकवादी कृत्य"** के रूप में माना जाता है, अगर **इससे "भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान" पहुंचता है।**

4.2.3. C-DOT का त्रिनेत्र (Smuggling of Gold in India)

केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए **केरल पुलिस** हेतु **'एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर' (SOC)** लॉन्च किया है।

- यह **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के 'त्रिनेत्र' (TRINETRA) प्लेटफॉर्म** पर आधारित है।
- **C-DOT** संचार मंत्रालय के **दूरसंचार विभाग (DoT)** का एक **स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र** है।

C-DOT के त्रिनेत्र के बारे में

- यह **AI-आधारित, स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म** है। इसे **उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की साइबर सुरक्षा** करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह **एंडपॉइंट्स, नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर** की निगरानी करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह सुभेद्यताओं की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और साइबर खतरों को कम करने में भी सहायक है।

4.2.4. गांडीव मिसाइल (Missile 'Gandiva')

DRDO ने अपनी **हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक** को आधिकारिक तौर पर **"गांडीव"** नाम दिया।

गांडीव/ अस्त्र MK-3 की मुख्य विशेषताएं

- यह **अस्त्र श्रृंखला** में अगली मिसाइल है। यह मिसाइल अपने **पूर्ववर्ती संस्करणों अस्त्र MK-1 और अस्त्र MK-2** की सफलता पर आधारित है।
- **प्रणोदन प्रणाली:** इसके संचालन में अत्याधुनिक तकनीक **'सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली'** का उपयोग किया गया है। यह प्रणाली **वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र** के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम है।
- **गति:** यह **300-350 किलोमीटर की विस्तारित रेंज में मैक 4.5 तक की सुपरसोनिक गति पर रहते हुए यात्रा** कर सकती है।

4.2.5. अश्विनी (Ashwini)

रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय वायु सेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार (LLTR) 'अश्विनी'** की खरीद हेतु **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

अश्विनी के बारे में

- यह **एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज़्ड ऐरे रडार** है, जो अत्याधुनिक **सॉलिड स्टेट तकनीक** पर आधारित है।
- इसे **DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास प्रतिष्ठान ने स्वदेशी रूप से विकसित** किया है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
    - यह **तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स** जैसे हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है।
    - यह रडार **200 किमी तक के क्षेत्र में लक्ष्य को ट्रैक** कर सकता है।

4.2.6. सोनिक वेपन (Sonic Weapon)

सर्बिया ने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए प्रतिबंधित 'सोनिक वेपन' के इस्तेमाल से इनकार किया।

सोनिक वेपन के बारे में

- इन्हें **एकॉस्टिक वेपन** भी कहा जाता है। ये उपकरण लंबी दूरी तक **बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न** करते हैं।

    ○ इनका उपयोग ध्वनि संदेश/ अन्य ध्वनियां पहुंचाने के लिए ध्वनि प्रवर्धक (Amplifier) की तरह भी किया जा सकता है।
- **कार्य:** इसमें आमतौर पर सैकड़ों **आधुनिक ट्रांसड्यूसर्स** होते हैं। ये **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण** होते हैं। **ट्रांसड्यूसर्स** ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अत्यधिक केंद्रित और प्रवर्धित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फिर इन साउंड बीम्स को संकेंद्रित करके विशिष्ट लक्षित क्षेत्रों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
- **प्रभाव: टिनिटस** (बिना किसी बाहरी स्रोत के कानों में गूंजने, भिनभिनाने या अन्य ध्वनियों का अनुभव होना); सुनने की क्षमता में कमी आदि।

4.2.7. गोल्डन डोम (Golden Dome)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

गोल्डन डोम के बारे में

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक **मिसाइल रक्षा कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों तथा अन्य उन्नत हवाई हमलों के खतरों से अमेरिका की रक्षा** करना है।
- इसका निर्माण **इजरायल की 'आयरन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली** से प्रभावित होकर किया जा रहा है।
    ○ आयरन डोम एक **बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली** है। इस प्रणाली का विकास **कम दूरी के खतरों से बचने** के लिए किया गया है।

4.2.8. क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (Convention on Cluster Munitions)

लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण **क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) से हटने** की घोषणा की।

क्लस्टर म्यूनिशंस क्या हैं?

- क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे हथियार होते हैं, जो हवा में विस्फोट होने के बाद **सब-म्यूनिशंस या छोटे-छोटे विस्फोटक बमों** में खंडित होकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन (CCM) के बारे में

- CCM एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि **क्लस्टर म्यूनिशंस/ हथियारों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाती है।
    ○ इसे **क्लस्टर म्यूनिशंस पर ओस्लो घोषणा-पत्र (2007)** के तहत अपनाया गया था।
    ○ यह कन्वेंशन **2008 में अपनाया** गया था और **2010 में लागू** किया गया था।
- **वैधानिक स्थिति:** यह **अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी विधि** के तहत **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि** है।
- **भारत की स्थिति:**
    ○ भारत ने इस संधि पर **हस्ताक्षर नहीं** किए हैं।

4.2.9 सुर्ख़ियों में रहे युद्ध अभ्यास (Exercises in News)

सुर्ख़ियों में रहे युद्ध अभ्यास

युद्ध अभ्यास इंद्र 2025

- युद्ध अभ्यास इंद्र का **14वां संस्करण** 28 मार्च, 2025 से 02 अप्रैल, 2025 तक **चेन्नई** में आयोजित किया गया।
- **युद्ध अभ्यास इंद्र के बारे में**
  - यह **भारत और रूस की नौसेनाओं** के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो **2003** से शुरू हुआ था।
  - यह युद्ध अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया- **पत्तन आधारित चरण (चेन्नई में) और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण।**
  - **भागीदारी:** रूसी संघ के नौसेना पोत **पेचंगा, रेज्की और अलदार त्सिडेंझापोव** तथा भारतीय नौसेना के पोत **राणा, कुथार व समुद्री गश्ती विमान P8L** शामिल हुए।

प्रचंड प्रहार अभ्यास

- **भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) ने अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं के एकीकृत बहु-क्षेत्रीय** अभ्यास, प्रचंड प्रहार का आयोजन किया।
  - इसने तीनों सेनाओं में **एकीकृत नियोजन, कमान और नियंत्रण, तथा निगरानी एवं गोलाबारी प्लेटफॉर्म्स** के निर्बाध निष्पादन को प्रमाणित किया।

वरुण सैन्य अभ्यास 2025

- हाल ही में **वरुण सैन्य अभ्यास 2025** संपन्न हुआ।
- **वरुण 2025 के बारे में**
  - यह **भारत और फ्रांस** की नौसेना के बीच **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।**
  - **स्थान: अरब सागर**
  - **उद्देश्य:** संयुक्त कौशल को बढ़ाना, नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के सिद्धांतों को कायम रखना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना आदि।
  - इसमें **फ्रांसीसी राफेल-M और भारतीय मिग-29K** के बीच हवा-से-हवा युद्ध का मॉक अभ्यास किया गया।

बोंगो सागर 2025

- **भारत-बांग्लादेश नौसैनिक** अभ्यास "बोंगो सागर 2025" और समन्वित गश्त अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किए गए थे।
  - बोंगो सागर अभ्यास में **भारतीय नौसेना की ओर से INS रणवीर** ने भाग लिया था।
  - **बोंगोसागर का पहला संस्करण 2019** में आयोजित किया गया था।
- **भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य द्विपक्षीय अभ्यास:**
  - **अभ्यास सम्प्रीति:** यह **वार्षिक संयुक्त सैन्य** अभ्यास है।
    - इसमें **आतंकवाद-रोधी अभियान, आपदा प्रतिक्रिया और सैन्य सहयोग** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

युद्ध अभ्यास खंजर

- वर्ष 2025 में युद्ध अभ्यास खंजर-XII का आयोजन **किर्गिज़स्तान** में किया जाएगा।
- **युद्ध अभ्यास खंजर के बारे में:**
  - यह **भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बलों** का युद्ध अभ्यास है।
  - यह **वार्षिक रूप से दोनों देशों में बारी-बारी** से आयोजित किया जाता है।
  - **उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों** के संबंध में अपने अनुभवों एवं सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान करना।

ट्रोपेक्स/ TROPEX - 2025

- ट्रोपेक्स का आयोजन **जनवरी से मार्च 2025 तक तीन माह** की अवधि के लिए किया गया था।
- **ट्रोपेक्स के बारे में**
  - यह **भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास** है।
  - **उद्देश्य:** भारतीय थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के समन्वय में भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों का आकलन करना तथा उनमें सुधार करना।

युद्ध अभ्यास डेजर्ट हंट 2025

- **युद्ध अभ्यास 'डेजर्ट हंट 2025'** भारतीय वायु सेना द्वारा जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया।
- **अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के बारे में**
  - यह तीनों सेनाओं के **विशेष बल का युद्ध अभ्यास** है।
  - इसमें तीनों सेनाओं की निम्नलिखित विशिष्ट इकाइयां शामिल हुईं:
    - भारतीय थल सेना के **पैरा (विशेष बल)**,
    - भारतीय नौसेना के **मरीन कमांडो (MARCOS),** और
    - भारतीय वायु सेना के **गरुड़ स्पेशल फोर्स।**
  - इस अभ्यास का मकसद यह परखना है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में हमारे सैन्य बल कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यह अभ्यास युद्ध स्थितियों में आपसी सहयोग, समन्वय और तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमताओं का मूल्यांकन करने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है।

INIOCHOS-25

- **भारतीय वायुसेना ग्रीस** में होने वाले **बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास INIOCHOS-25** में भाग लेगी।
- **INIOCHOS-25 के बारे में**
  - यह **ग्रीस की हेलेनिक एयर फोर्स** द्वारा आयोजित एक **वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास** है।
  - इस अभ्यास का उद्देश्य अलग-अलग देशों की वायु सेनाओं को **अपना कौशल बढ़ाने, सामरिक ज्ञान साझा करने और सैन्य संबंध मजबूत करने** का अवसर देना है।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जैव ईंधन (Biofuels)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन (Biofuel) उत्पादक देश बन गया है।

जैव ईंधन या बायोफ्यूल्स के बारे में

- जैव ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं, जिनका उत्पादन नवीकरणीय संसाधनों से किया जाता है और इन्हें डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर या उनके साथ मिश्रित कर उपयोग किया जाता है।
- **जैव ईंधन के प्रकार:** इन्हे **चार पीढ़ियों** में वर्गीकृत किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **प्रमुख उत्पादक देश:** संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद ब्राजील का स्थान आता है।

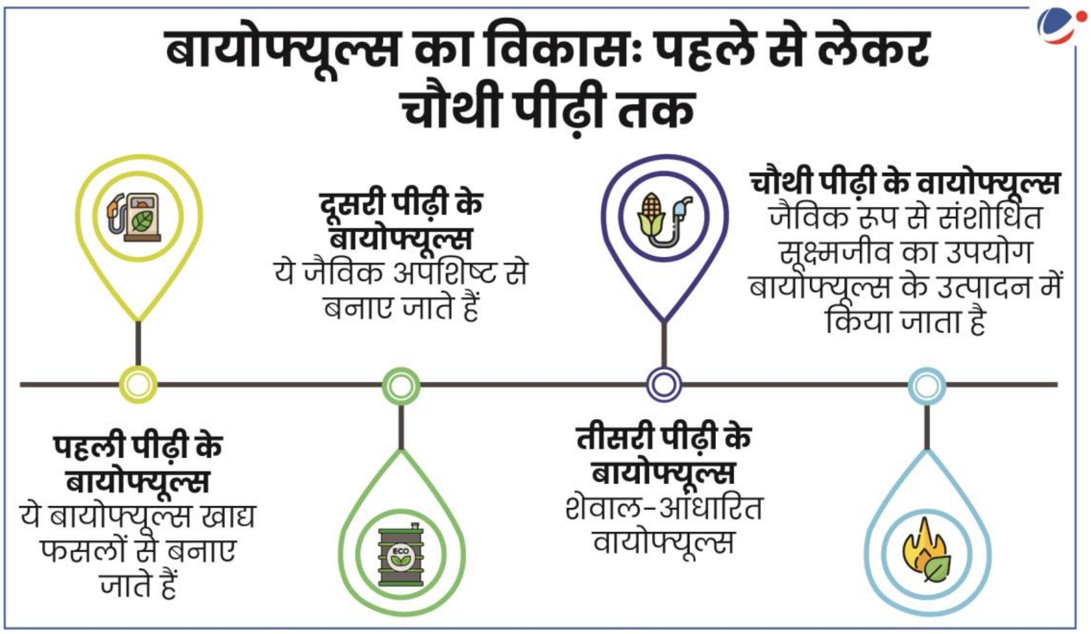

- इसमें **एथेनॉल और बायोडीजल मिश्रण, संपीड़ित बायोगैस (Compressed Biogas), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) आदि शामिल हैं।**

जैव ईंधन का महत्त्व

- **पर्यावरणीय लाभ:** जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन से लेकर उपयोग तक की तुलना में 80% तक उत्सर्जन कम कर सकते हैं।
  - जैव ईंधन पराली जलाने की समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि पराली का इस्तेमाल करके ही जैव ईंधन बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा में एशिया की पहली 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी स्थापित की गयी है।
- **ऊर्जा सुरक्षा: उदाहरण के लिए,** पिछले दस वर्षों के दौरान (2024 तक) सार्वजनिक क्षेत्रक की तेल विपणन कंपनियों द्वारा **पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण** के परिणामस्वरूप **1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।**
  - यह तेल और गैस क्षेत्रक में **बार-बार होने वाली अस्थिरता** के प्रभाव को कम करने में भी सहायक हो सकता है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था/ अपशिष्ट प्रबंधन: यह धन सृजन के साथ-साथ** व्यापक **सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने** के लिए अपशिष्ट **का उपयोग करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को संभव बनाता है**। उदाहरण के लिए- नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का इस हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: यह कृषि अवशेषों/अपशिष्टों** के लिए बाजार के विकास के जरिए किसानों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
  - इसके अलावा, जैव ईंधन आधारित फसल उत्पादन के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय भी सुनिश्चित होती है।
- **डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट के उपयोग:**
  - **नवीकरणीय मेथनॉल का उपयोग** विभिन्न प्रकार के पॉलिमर और ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
  - जैव ईंधन उत्पादन के दौरान उद्योगों के लिए उपयोगी कई प्रकार के उपोत्पाद भी उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, बायोडीजल के उत्पादन से प्राप्त **अपरिष्कृत ग्लिसरीन।**

जैव ईंधन से जुड़ी मौजूदा चुनौतियाँ

- **फीडस्टॉक संबंधी चुनौतियां:**
    - **जैव ईंधन के लिए फीडस्टॉक की आपूर्ति को** फीडस्टॉक के अन्य व्यावसायिक उपयोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, वन आधारित अवशेषों का उपयोग कागज निर्माण में भी किया जाता है।
    - कृषि अपशिष्ट की मौसमी और क्षेत्रीय उपलब्धता संबंधी बाधाएं। जैसे धान का भूसा।
    - **लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का** विघटन काफी कठिनाई से होता है, जिससे एडवांसड बायोफ्यूल के उत्पादन की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर असर पड़ता है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं: उदाहरण के लिए विकेन्द्रीकृत भंडारण** और **पृथक्करण संबंधी सुविधाओं** का अभाव है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन संबंधी दुविधा:** जैव ईंधन का अधिक उत्पादन करने के लिए गन्ने जैसी प्रमुख फसलों की अधिक खेती करने से भारत की खाद्य सुरक्षा पर और अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **वित्तपोषण की आवश्यकता: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)**[66] के अनुसार मौजूदा नीतियों के तहत तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक जैव ईंधन के क्षेत्र में कम-से-कम 100-270 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आवश्यक है।
- **परंपरागत ईंधन के साथ प्रतिस्पर्धा:** सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) परंपरागत जेट ईंधन की तुलना में 2-10 गुना अधिक महंगा है।
- **कम ऊर्जा दक्षता:** जैव ईंधन में जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है, जिससे समान बिजली उत्पादन के लिए तुलनात्मक रूप से जैव ईंधन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। **उदाहरण के लिए** डीजल प्रति किलोग्राम 46 मेगाजूल ऊर्जा प्रदान करता है जबकि जैव ईंधन 38 मेगाजूल ऊर्जा प्रदान करता है।

जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें और उठाए गए कदम

नीति और रोडमैप संबंधी पहलें

- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018, 2022 में संशोधित):** जैव ईंधन के लिए फीडस्टॉक आधार का विस्तार किया गया है। इसके तहत गन्ने के रस, ख़राब हो चुके अनाज और कृषि अपशिष्ट को फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
    - इसके अलावा, दूसरी पीढ़ी (2G) के जैव ईंधन के लिए प्रोत्साहन की भी शुरुआत की गई है।
- **एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम:** भारत ने पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण (जनवरी 2025 तक) का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साथ ही, भारत 2030 के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य से पांच वर्ष पहले 2025 तक 20% EBP को हासिल करने की राह पर है।

अवसंरचना और उत्पादन संबंधी सहायता

- **प्रधान मंत्री जी-वन योजना (2019):** इसका उद्देश्य 2G एथेनॉल क्षमता में नवीनतम प्रगति को बढ़ावा देना है।
- **गोबर- धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) योजना:** यह कृषि अपशिष्ट और पशुओं के गोबर से बायोगैस और **संपीड़ित बायोगैस (CBG) के उत्पादन को बढ़ावा देती है।**
- **किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (सतत/SATAT) पहल (2018):** इसका उद्देश्य बायोमास अपशिष्ट से संपीड़ित जैव गैस (CBG) और जैव-खाद का उत्पादन कर बायोमास अपशिष्ट के आर्थिक मूल्य को साकार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- **ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (2023):** यह जैव ईंधन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है।
- **द्विपक्षीय व्यवस्था: भारत और ब्राजील ने** सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल शुरू किया है।
    - तकनीकी आदान-प्रदान पहल से गन्ना/ मोलैसेज (शीरा) आधारित एथेनॉल की उत्पादन क्षमता में सुधार हो रहा है।

अन्य

- मिश्रण कार्यक्रम के लिए जैव डीजल की खरीद पर GST दर को 12% से घटाकर 5% किया गया है।
- E20 ईंधन, एथेनॉल 100 आदि को लॉन्च किया गया है।

निष्कर्ष

भारत का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बनना इसके ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन संबंधी प्रयासों को उजागर करता है। हालांकि जैव ईंधन आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं, फिर भी फीडस्टॉक की कमी और उच्च लागत जैसी चुनौतियों अभी भी मौजूद हैं। अनुसंधान और विकास, नीति संबंधी समर्थन, और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे एक स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर भविष्य सुनिश्चित हो सके।

---

[66] International Energy Agency

5.2. राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (National Board For Wildlife: NBWL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की हालिया बैठक **10 साल से अधिक समय** के बाद हुई है।
  - **NBWL की अंतिम पूर्ण बैठक** 5 सितंबर 2012 को हुई थी
  - NBWL की **पहली बैठक** 2003 में हुई थी।
- इस बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री ने पहली बार **'नदी डॉल्फिन' अनुमान रिपोर्ट** जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 'नदी डॉल्फिन (नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन)' की **कुल संख्या 6,327** है।
- प्रधान मंत्री ने 2025 में **शेरों की संख्या का आकलन करने के 16वें चक्र** की शुरुआत की घोषणा की। पिछली बार शेरों की संख्या का आकलन 2020 में किया गया था।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के बारे में

- यह एक **वैधानिक निकाय** है। इसका गठन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** में 2002 में किए गए संशोधन के बाद **2003 में** किया गया था।
- **उत्पत्ति:** भारत सरकार ने **1952** के दौरान **भारतीय वन्यजीव बोर्ड (IBWL)**[67] के रूप में नामित एक सलाहकार निकाय का गठन किया था।
  - **श्री जयचमराजा वाडियार** (मैसूर के पूर्व महाराजा) इसके पहले अध्यक्ष थे।
  - IBWL ने **वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972** को लागू करने, **एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान** की स्थापना एवं **बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित** करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **सदस्य**
  - **अध्यक्ष:** भारत के प्रधान मंत्री
  - **उपाध्यक्ष:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी केंद्रीय मंत्री।
  - **बोर्ड के सदस्य-सचिव:** अतिरिक्त वन महानिदेशक (वन्य जीव) एवं निदेशक, वन्य जीव संरक्षण।
  - गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए **पांच व्यक्तियों** को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
  - केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यात संरक्षणवादियों, पारिस्थितिकीविदों और पर्यावरणविदों में से **दस व्यक्तियों** को नामित किया जाता है।
- **स्थायी समिति:** NBWL, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समिति को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के उद्देश्य से एक **स्थायी समिति** का गठन करता है।
  - **अध्यक्ष:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री।
- **NBWL के कार्य:**
  - वन्य जीवन और वनों के **संरक्षण एवं विकास** को संधारणीय उपायों द्वारा बढ़ावा देना।
  - वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने तथा वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के तरीकों और साधनों पर **नीतियां बनाना** एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को **सलाह देना**।
  - राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्रबंधन तथा उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित की जाने वाली गतिविधियों के मामलों पर **सिफारिशें करना**।
  - **विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों को कार्यान्वित करना या कराना**, लेकिन वन्य जीवन या उसके पर्यावास पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना।
- **NBWL से संबंधित मुद्दे**
  - **संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्वीकृति: केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना** के तहत दौधन बांध का निर्माण करने से **पन्ना टाइगर रिजर्व** का **लगभग 100 वर्ग किलोमीटर** का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इसके बावजूद इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई।
  - **लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए, होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य (असम) में **तेल अन्वेषण** से भारत की एकमात्र कपि प्रजाति **हूलॉक गिब्बन** के पर्यावास को खतरा है।

---

[67] Indian Board for Wildlife

- **स्वतंत्र सदस्यों की भूमिका को कम करना:** 2014 के बाद से, स्थायी समिति ने संरक्षण के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों और गैर-सरकारी सदस्यों की अपेक्षित संख्या के बिना **50 बैठकें** आयोजित की हैं।
- **स्थानीय समुदायों की राय की उपेक्षा:** छत्तीसगढ़ के **हसदेव अरण्य वनक्षेत्र** में **कोयला खनन परियोजना** की मंजूरी के दौरान स्थानीय विरोध को नजरअंदाज किया गया। ध्यातव्य है कि यह वन्य हाथियों का पर्यावास है।
- **मंजूरी के बाद अपर्याप्त निगरानी:** पिछले 5 वर्षों में वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों में परियोजना संबंधी 718 प्रस्तावों को NBWL द्वारा वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस दे दिया गया है।
  - हालांकि, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा **अनुपालन प्रमाण-पत्र** नहीं भेजे जा रहे हैं। (फरवरी 2024 में आयोजित हुई स्थायी समिति की 77वीं बैठक के अनुसार)

आगे की राह

- **विशेषज्ञता की आवश्यकता:** NBWL और इसकी स्थायी समिति दोनों में **योग्य वन्यजीव वैज्ञानिकों** एवं **संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न NGOs** की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, नियमित तौर पर और समावेशी बैठकें विश्वसनीयता को बहाल कर सकती हैं।
- **मंजूरी के बाद निगरानी:** प्रस्तावित परियोजना से संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की वार्षिक प्रमाणपत्र राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा सरकार को वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- **स्थानीय सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाना:** प्रभावित जनजातीय और वन-आश्रित समुदायों से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए।
- **विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाना:** NBWL को पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहिए,जैसे- संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले सड़कों का मार्ग बदलना, सुरंगों का उपयोग करना तथा बड़े बांधों या ओपन-पिट माइनिंग की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण के लिए,** पेंच टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश) से होकर गुजरने वाले NH-7 में ओवरपास के उपयोग से बाघ गलियारों को सुरक्षित करने में मदद मिली है।
- **वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों का लाभ उठाना:** किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले उसके प्रभावों का आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए **वन्यजीव की गतिविधि से संबंधित डेटा, उपग्रह इमेजरी** और **AI-आधारित पर्यावास मॉडलिंग** का उपयोग किया जाना चाहिए।

5.3. प्रोजेक्ट लायन और IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज (Project Lion and Iucn Green Status of Species)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' के लिए वित्त-पोषण को मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने **गुजरात के जूनागढ़ जिले** में **नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ (NRC-W)** की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
  - **NRC-W** का उद्देश्य वन्यजीवों में बीमारियों की निगरानी करना है, खासकर उन बीमारियों की पहचान करना जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए, **2020 में बेबेसियोसिस** के प्रकोप से **गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में 23 शेरों की मृत्यु** हो गई थी। **बेबेसियोसिस शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है।**
  - **नोडल एजेंसी:** केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
- इसके अलावा, **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)**[68] ने शेर के लिए **ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज** के तहत **पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट** भी जारी किया है (बॉक्स देखें)।
  - IUCN ने शेरों को **"बहुत अधिक गिरावट (Largely Depleted)"** श्रेणी में रखा है।
  - आकलन से यह भी पता चला कि **मानवीय गतिविधियों का प्रभाव शेर** को उसके सम्पूर्ण प्राकृतिक पर्यावास में **पारिस्थितिक रूप से पूरी भूमिका निभाने में बाधा डालता है।**
  - इसके अलावा, आकलन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि शेर **उत्तरी अफ्रीका** और **दक्षिण पश्चिम एशिया** से विलुप्त हो चुके हैं।

IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज

यह प्रजातियों की **पुनर्प्राप्ति या पुनर्बहाली को मापने** और **संरक्षण के प्रभाव का आकलन करने** के लिए **एक वैश्विक मानक प्रदान करता** है।

- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **कवरेज:** यह सूक्ष्मजीवों को छोड़कर सभी प्रजाति को कवर करती है।
  - **ग्रीन स्टेटस की आठ श्रेणियां:** वन में विलुप्त (Extinct in the Wild), गंभीर स्तर तक गिरावट (Critically Depleted), बहुत अधिक गिरावट (Largely Depleted), मध्यम गिरावट (Moderately Depleted), कम गिरावट (Slightly Depleted), पूर्णतः पुनर्प्राप्ति (Fully Recovered), कोई गिरावट नहीं (Non-Depleted), और अनिश्चित स्थिति (Indeterminate)।
  - **रेड लिस्ट का पूरक:** रेड लिस्ट प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है। ग्रीन स्टेटस इस बात पर जानकारी प्रदान करता है कि प्रजातियों को कैसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, इसके लिए संरक्षण संबंधी कौन से उपाय करना आवश्यक है।
    - अब IUCN रेड लिस्ट में 100 से अधिक IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ़ स्पीशीज़ असेसमेंट शामिल हैं।
  - **ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज असेसमेंट, रेड लिस्ट असेसमेंट** का वैकल्पिक हिस्सा है।
- **ग्रीन स्टेटस किस प्रकार प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को निर्धारित करता है?**
  - **कोई प्रजाति पूर्णतः पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि:**
    - वह अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है (मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित);
    - वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है (विलुप्त होने का खतरा नहीं है);
    - वह अपने पर्यावास के सभी भागों में **पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती** है; आदि।

नोट: IUCN **'ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कन्सर्व्ड एरिया'** भी जारी करता है।

प्रोजेक्ट लायन (2020) के बारे में

- **उद्देश्य:** व्यापक, दीर्घकालिक संरक्षण संबंधी प्रयासों के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना।
- **फोकस के मुख्य क्षेत्र:**
  - परिदृश्य **पारिस्थितिकी-आधारित संरक्षण,** शेरों के लिए संधारणीय पर्यावास सुनिश्चित करना।
  - **शेरों के पर्यावास का पुनरुद्धार** और शेरों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों को सुरक्षित करना।

---
[68] International Union for Conservation of Nature

- ○ **सामुदायिक भागीदारी,** स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करना।
- ○ **रोग प्रबंधन,** भारत को बड़े विडाल वंशियों (Big Cat) के स्वास्थ्य अनुसंधान और उपचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।

- **समय अवधि:** 10 वर्ष
- **कार्यान्वयन:** गुजरात सरकार और **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण** जैसे अन्य हितधारकों द्वारा।

एशियाई शेर (भारतीय शेर) के बारे में

- **पर्यावास:** घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले वन।
- **वितरण:** वर्तमान में **गिर राष्ट्रीय उद्यान** और **वन्यजीव अभयारण्य** (गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर भू-क्षेत्र) एशियाई शेरों का एकमात्र पर्यावास है।
  - शेर कभी **ईरान से लेकर पूर्वी भारत के पलामू** तक पाए जाते थे।
  - **बरदा वन्यजीव अभयारण्य** शेरों के लिए "दूसरे पर्यावास" के रूप में उभरा है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - वयस्क नर शेर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं।
  - इनका **जीवनकाल** लगभग 16-18 वर्ष होता है।
  - शेर बड़े समूहों में रहते हैं, जिन्हें **प्राइड्स** कहा जाता है।
  - शेर प्रायः **रात में ही शिकार** करते हैं और इनकी **गर्भधारण अवधि** लगभग 100 से 119 दिनों तक रहती है।
  - **नर शेर नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में गश्त** लगाते हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:**
  - शेर **शीर्ष शिकारी/ कीस्टोन प्रजाति** होते है। वे शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करके वनों और घास भूमियों की संतुलित स्थिति और पुनर्बहाली को सुनिश्चित करते हैं।
  - इसके अलावा, शेर सबसे कमजोर शिकार को निशाना बनाते हैं, जिससे **शिकार आबादी** के भीतर **बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद** मिलती है।

- **आबादी की स्थिति:** 2020 में 674 (2015 में 523 थी)
- **एशियाई शेरों की संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN स्थिति:** वल्नरेबल
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** अनुसूची I और IV में शामिल
  - **CITES:** परिशिष्ट I में सूचीबद्ध
  - **प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम**[69] में शामिल।
- **शेरों की उप-प्रजातियां:**
  - **नॉर्दन लायन (Panthera leo leo):** इस उप-प्रजाति की आबादी उत्तर, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है।
    - इस उप-प्रजाति में एशियाई शेर और अपने क्षेत्र से विलुप्त बार्बरी शेर भी शामिल हैं।
  - **सदर्न लायन (Panthera leo melanochaita):** इसमें पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी शेर की आबादी शामिल है।

कई अन्य पहलों ने एशियाई शेरों के संरक्षण को और मजबूत किया है:

- **इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (IBCA):** इसे 2023 में लॉन्च किया गया। IBCA शेरों सहित बड़े विडाल वंशियों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
- **एशियाई शेर संरक्षण परियोजना:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
- **ग्रेटर गिर कांसेप्ट:** इसमें पारंपरिक गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से परे भी शेरों के लिए **अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास** को विकसित करना शामिल है।
  - संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने के लिए **गिरनार, पनिया** और **मिटियाला** जैसे अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया है।
- **संरक्षण तंत्र को मजबूत किया गया: ग्रेटर गिर रीज़न (GGR)** के लिए एक टास्क फोर्स और राज्य स्तर पर वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

---
[69] Species Recovery Programme

 ©Vision IAS

- **अन्य**
  - **वन्यजीव पर्यावास विकास** नामक **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-DWH)**[70] के अंतर्गत समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
  - पर्यावास में सुधार हेतु उपाय (जैसे- अतिरिक्त जल स्रोतों की स्थापना और रखरखाव करना)।
  - विश्व शेर दिवस (10 अगस्त) मनाना।

निष्कर्ष

पर्यावास संरक्षण, उन्नत निगरानी और संघर्ष शमन के माध्यम से एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में प्रोजेक्ट लायन एक महत्वपूर्ण कदम है। **कुनो राष्ट्रीय उद्यान** और **पालपुर-कुनो वन्यजीव अभयारण्य** (मध्य प्रदेश), आदि को गिर भू-क्षेत्र से परे शेरों के लिए अन्य संभावित वैकल्पिक पर्यावास के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

गिर भू-क्षेत्र (Gir landscape) के बारे में
- गिर वन भारत के अर्ध-शुष्क पश्चिमी भाग में **शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा सघन क्षेत्र** है।
- **स्थलाकृति:** यहाँ ऊबड़-खाबड़ भूमि, पृथक पहाड़ियां, पठार और घाटियां मौजूद हैं।
- **प्रमुख नदियां:** हिरन, मछुंदरी, रावल, शतरंजी, शिंगोडा, आदि।
- **वनस्पति:** सागौन, राइटिया टिंक्टोरिया (दुधलो), खैर, आदि।
- **जीव:** तेंदुआ, लकड़बग्घा, चीतल (हिरण), सांभर, आदि।
- **मानव बस्ती:** मालधारी (आदिवासी समुदाय) शेर के साथ सहजीवी संबंध बनाकर सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं।
  - उनकी बस्तियों को **"नेस (Nesses)"** कहा जाता है।

5.4. नदी डॉल्फिन (River Dolphins)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नदी डॉल्फिनों के अब तक के पहले व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या 6,327 है।

अन्य संभावित तथ्य
- **सर्वेक्षण किया गया:** इस सर्वेक्षण को **भारतीय वन्यजीव संस्थान** द्वारा **'प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020'** के तहत संचालित किया गया था।
- **रिपोर्ट का नाम:** इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष **"भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024[71]"** शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं।

"भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024" रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
- **समय के साथ आबादी में गिरावट:** 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिन की संख्या अनुमानतः लगभग 4,000-5,000 थी, लेकिन यह घटकर लगभग 1,800 रह गई है।
- **आबादी:** भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 है, जिसमें गंगा नदी की डॉल्फिन (6324) और सिंधु नदी की डॉल्फिन (केवल 3) शामिल हैं।
  - उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की सबसे ज्यादा आबादी दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान है। पंजाब में सबसे कम तीन डॉल्फिन दर्ज की गयी।

[70] Centrally Sponsored Scheme- Development of Wildlife Habitat

[71] Population Status of River Dolphins in India 2024

* **सिंधु नदी डॉल्फिन:** भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन (वर्तमान में ब्यास नदी में देखी जाती है) की संख्या चिंताजनक रूप से कम है। इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
* **अंब्रेला प्रजाति:** रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉल्फिन एक अंब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं और उनके संरक्षण का उनके पर्यावास एवं जैव विविधता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

* **पर्यावास:** गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदी प्रणालियों (गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगु) में पाई जाती है। नेपाल की सहायक नदियों में ये कम संख्या में पायी जाती हैं।
    * भारत में दुनिया की 90% गंगा नदी डॉल्फिन पायी जाती है।
* **भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव:** इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है।
* **स्थानीय नाम:** स्थानीय रूप से इन्हें **'सूंस'** के नाम से जाना जाता है, जो डॉल्फिन द्वारा सांस लेते समय होने वाली आवाज़ को संदर्भित करता है।
* **शीर्ष शिकारी प्रजाति:** तीन देशों में आपस में जुड़ी नदी प्रणाली की शीर्ष शिकारी प्रजाति है, जिस कारण से इसे **"टाइगर ऑफ गंगा"** कहा जाता है।
* **संरक्षण:**
    * **CITES:** परिशिष्ट I
    * **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची I
    * **IUCN स्थिति:** एनडेंजर्ड
* **संकेतक प्रजाति:** गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति है, जिसकी मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र और उस पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अन्य प्रजातियों की समग्र स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
* **सामाजिक:** गंगा नदी की डॉल्फिन अक्सर अकेले पाई जाती हैं, लेकिन वे कभी-कभी सहायक नदियों के संगम पर छोटे समूहों में इकट्ठा भी होती हैं।
* **शारीरिक विवरण:**
    * यह **अंधी** होती है और इकोलोकेशन के जरिए नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूँढती है।
    * **रंग:** गंगा नदी की डॉल्फिन आमतौर पर ग्रे या हल्के भूरे रंग की होती हैं, लेकिन पेट पर गुलाबी रंग भी हो सकता है।

क्या आप जानते है ?

* **अम्ब्रेला प्रजाति:** ऐसी प्रजाति जिसके संरक्षण से बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से संबंधित अन्य प्रजातियों के संरक्षण की संभावना भी बढ़ जाती है।
* **संकेतक/इंडिकेटर्स प्रजाति:** पर्यावरण की स्थिति को दर्शाने वाली किसी भी प्रजाति (पादप, पशु, पक्षी, कीट या बैक्टीरिया) को संकेतक प्रजाति कहते हैं। संकेतक प्रजातियां प्रायः अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तन से सबसे पहले प्रभावित होती हैं।
* **इकोलोकेशन:** इस तकनीक के तहत डॉल्फिन और अन्य जीव परावर्तित ध्वनि (Echo) का उपयोग करके किसी का स्थान या अपने शिकार की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इससे जीवों को घने अंधेरे में भी विचरण करने में मदद मिलती है, जिससे वे आसानी से रास्ता ढूंढ सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और बाधाओं से टकराने से स्वयं को बचा सकते हैं।

सिंधु नदी डॉल्फिन के बारे में मुख्य तथ्य (IUCN: एनडेंजर्ड)

* **राजकीय जलीय जीव:** सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
* **विशेषता:** सिंधु डॉल्फिन का रंग भूरे या स्लेटी (ग्रे) होता है, और ये प्रायः दृष्टिहीन होती हैं। ये अपनी दिशा और शिकार का पता लगाने के लिए इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग करती हैं, जिससे वे नदी के जल में सहजता से मार्ग खोज पाती हैं।
* **पर्यावास:** पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली और कम संख्या में पंजाब में ब्यास नदी में पाई जाती है।
* **स्थानीय नाम**: भूलन
* **गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन दो अलग-अलग प्रजातियां हैं:** वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 में आनुवंशिक और शारीरिक संरचना सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर अधिनियम की अनुसूची-I में गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन को दो अलग-अलग प्रजातियों के रूप में शामिल किया गया है।

गंगा नदी की डॉल्फिन के समक्ष मौजूद खतरा

* **मत्स्य पालन से संबंधित मृत्यु दर और असंधारणीय मत्स्यन:** नदी डॉल्फिन की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बायकैच है, जो मछली पकड़ने के उपकरणों या जालों में गलती से फंसने से होती है। बायकैच के अलावा, गंगा नदी की डॉल्फिन को उनके मांस और मछली पकड़ने के लिए चारे के रूप में जानबूझकर भी मारा जाता है।
* **मानव निर्मित जलीय अवसंरचना:** जलविद्युत बांध, सिंचाई बैराज और कृत्रिम तटबंध आदि सभी डॉल्फिन के विभिन्न पर्यावास के बीच सुचारू विचरण को प्रभावित करते हैं। इससे ये कम आनुवंशिक विविधता वाली एक छोटी उप-आबादी के रूप में पृथक हो जाती हैं।
    * उदाहरण के लिए, फरक्का बैराज गंगा नदी की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है, जो इनके प्राकृतिक विचरण को प्रभावित करता है।

- **जल की गुणवत्ता:** खनन, कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियां जल की गुणवत्ता को खराब कर रही हैं।
    - पांच अलग-अलग राज्यों से लगभग 2 बिलियन लीटर अनुपचारित मानव अपशिष्ट हर दिन गंगा नहीं में पहुँचता है।
- **मानवीय व्यवधान:** नावों की आवाजाही में वृद्धि, ड्रेजिंग गतिविधियाँ और मानवीय गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण डॉल्फ़िन के व्यवहार एवं पर्यावास की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में खारा पानी भी प्रवेश कर रहा है, जिससे ऐसे जलीय क्षेत्र डॉल्फिन जैसे जीवों के रहने के लिए अनुपयुक्त होते जा रहे हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ताजे पानी के प्रवाह में कमी और लवणता में वृद्धि के कारण सुंदरबन डेल्टा से ताजे पानी में पायी जाने वाली डॉल्फिन लुप्त हो रही है।

नदी डॉल्फिन के संरक्षण हेतु भारत द्वारा शुरू की गई पहल

- **व्यापक कार्य योजना (2022-2047):** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है, जो नदी डॉल्फिन के संरक्षण, पर्यावास में सुधार आदि पर केंद्रित है।
- **वन्यजीव पर्यावास विकास योजना:** गंगा नदी डॉल्फिन को 22 क्रिटिकली एनडेंजर्ड प्रजातियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, ताकि राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा सके और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए योजना बनाई जा सके।
- **संरक्षित क्षेत्र:** गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य (बिहार)।
- **चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र:** सरकार ने संरक्षण सम्बन्धी लक्षित प्रयासों को लागू करने के लिए इसे **डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र (Dolphin Conservation Zone)** के रूप में नामित किया है।
    - मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर के भाग को संरक्षण संबंधी लक्षित प्रयासों के लिए अनुशंसित किया गया है।
- **राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस:** डॉल्फिन के संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को **"राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस"** मनाया जाता है।
- **राज्यों के लिए दिशा-निर्देश:** राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे **इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के विनियमों के अनुरूप कार्य करें** तथा संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए **डॉल्फिन एवं व्हेलिंग कमिश्नर्स** की नियुक्ति करें।
- **भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC):** इसका उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। यह अनुसंधान केंद्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है।
- **गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग:** 2024 में, भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की सफलतापूर्वक सैटेलाइट-टैगिंग करने का लक्ष्य हासिल किया।

निष्कर्ष

नदी डॉल्फिन के प्रभावी संरक्षण के लिए आवश्यक जानकरी की पूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर सैटेलाइट-टैगिंग करने की जरूरत है। साथ ही, समुदायों को "डॉल्फिन बचाव स्वयंसेवकों" के रूप में शामिल करना, इलेक्ट्रॉनिक पिंगर्स के साथ मछली पकड़ने की संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा-पत्र जैसी पहलों के माध्यम से नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।

5.5. जंपिंग स्पाइडर्स (Jumping Spiders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक शोध में पश्चिमी घाट के **शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य** (केरल) से **जंपिंग स्पाइडर्स** की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है।

इन नई प्रजातियों के बारे में

- ये दोनों नई प्रजातियाँ एपिडेलैक्सिया (Epidelaxia) कुल से संबंधित हैं।
- यह **पहली बार है कि इस प्रजाति को भारत में दर्ज किया गया है।** इसे पहले इसे श्रीलंका की स्थानिक प्रजाति माना जाता था।

जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में:

- **कुल:** जंपिंग स्पाइडर्स, मकड़ियों (स्पाइडर्स) के सबसे बड़े कुल से संबंधित हैं।

* **पर्यावास:** ये मकड़ियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आम हैं। हालांकि, कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के उत्तर में और यहाँ तक की आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं।
* **विशेषताएँ:**
  * जंपिंग स्पाइडर्स अपने शरीर की लंबाई से **30 गुना अधिक दूरी** तक छलांग लगा सकती हैं।
  * इनकी सामने के पैर बड़े होते हैं, जो उन्हें शिकार को पकड़ने और पकडे रहने में मदद करते हैं। ये अपने पिछले पैरों का उपयोग छलांग लगाने के लिए करती हैं।
* अधिकांश मकड़ियों की **आठ या छः आंखें होती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि या देखने की क्षमता कमजोर होती है।** जंपिंग स्पाइडर्स की 8 आंखें होती हैं, जो युग्मों में व्यवस्थित होती हैं। साथ ही ये अपवाद स्वरूप मनुष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा रंग देख सकती हैं।
  * दिन में शिकार करते समय जंपिंग स्पाइडर्स **लाल स्पेक्ट्रम, हरा स्पेक्ट्रम और पराबैंगनी प्रकाश** में देख सकती हैं।

मकड़ी बनाम कीट

	मकड़ी	कीट
वर्गीकरण	➤ एरेक्निडा	➤ कीट
शारीरिक संरचना	➤ शरीर में दो खंड (सेफालोथोरैक्स, पेट) आठ पैर	➤ शरीर में तीन खंड (सिर, वक्ष, उदर) छह पैर
मुख्य विशेषताएं	➤ कोई एंटीना नहीं ➤ कोई पंख नहीं ➤ कोई रूपांतरण नहीं	➤ एंटीना होते हैं ➤ प्रायः पंख होते हैं ➤ रूपांतरण होते हैं
समानताएं	**दोनों आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित हैं,** दोनों में बाह्यकंकाल और आपस में जुड़े हुए पैर होते हैं	

* **व्यवहार:**
  * जंपिंग स्पाइडर्स **सक्रिय शिकारी** होती हैं और कीड़ों तथा अन्य मकड़ियों का शिकार करती हैं।
  * जंपिंग स्पाइडर्स अपने **रेशम** से "प्यूप टेंट" नामक आश्रय बनाती हैं, जहाँ वे वे खराब मौसम से बचने के लिए शरण लेती हैं और रात में सोती हैं।

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

* **नाम:** इस अभयारण्य का शेंदुर्नी नाम यहाँ की एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति पर रखा गया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में **"चेंकुरिंजी (Chenkurinji)"** कहा जाता है।
* **अवस्थिति:** यह केरल के **कोल्लम जिले** में स्थित है और **आगस्त्यमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र** का हिस्सा है।
* **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्द्ध-सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन।
* **प्राणी:** यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर (इंडियन बाइसन), सांबर, बोनट मकाक, नीलगिरी लंगूर और लायन-टेल्ड मकाक जैसे प्राणी पाए जाते हैं।
* **विशेष पारिस्थितिकी तंत्र:** इस अभ्यारण में **मायरीस्टिका दलदल** पाए जाते हैं। मायरीस्टिका दलदल ताजे जल के विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र में मिरिस्टिका (Myristica) प्रजाति के वृक्षों का प्रभुत्व है (एक आदिम और सदाबहार वृक्ष प्रजाति), जो दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं।
* **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** शेंदुर्नी को **बर्डलाइफ इंटरनेशनल** द्वारा **महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र** (Important Bird Area) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

 ©Vision IAS

5.6. मरीन हीटवेव्स (Marine Heatwaves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2023-24 की गर्मियों में मरीन हीटवेव्स (MHWs) के दिनों की औसत संख्या में 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस अध्ययन से सामने आये मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **प्रवृत्ति:** पिछले दो वर्ष (2023-2024) स्थल और महासागर दोनों पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं और मानवजनित वार्मिंग के कारण MHWs में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।
- **वैश्विक परिघटना:** पूरे विश्व में मरीन हीटवेव्स की घटनाएं देखी गई हैं। **साथ ही, महासागरों के 8.8% भाग में** अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक समुद्री सतही तापमान दर्ज किया गया है जो ऐतिहासिक रूप से वार्षिक औसत से **लगभग चार गुना अधिक है।**
- **क्षेत्र: मरीन हीटवेव्स की** प्रचंड घटनाएं विशेष रूप से **उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण-पश्चिम प्रशांत, पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी हिंद महासागर में स्पष्ट रूप में देखी गई हैं।**

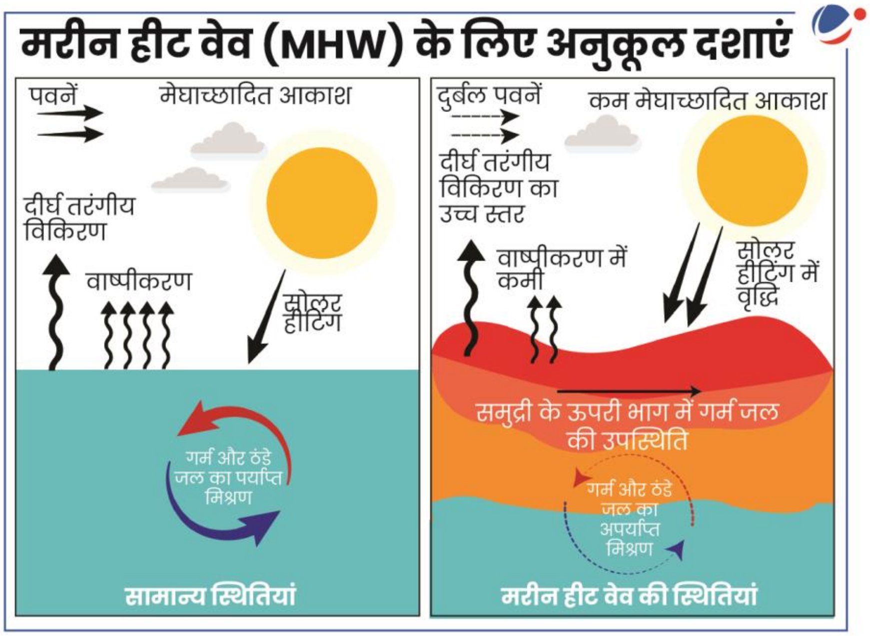

मरीन हीटवेव क्या होती है?

- मरीन हीटवेव (MHWs) की घटनाएं समुद्र में उच्च तापमान के साथ अत्यधिक अवधि के लिये होती हैं।
  - यह तब घटित होती है जब समुद्र के किसी क्षेत्र विशेष का सतही तापमान कम से कम पांच दिनों तक **औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहता है।**
- **कोई निश्चित तापमान नहीं:** स्थलीय भाग में घटित होने वाली हीटवेव्स या लू की तरह मरीन हीटवेव्स के लिए कोई निश्चित तापमान नहीं होता, क्योंकि महासागर का तापमान स्थान और समय के हिसाब से बदलता रहता है।
  - ध्रुवों के पास समुद्र का तापमान ठंडा होता है और भूमध्य रेखा के पास गर्म। साथ ही, समुद्री जल गर्मियों में सतह पर के पास गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है।
  - मरीन हीटवेव का पता आमतौर पर तब चलता है जब समुद्री जल का तापमान पिछले 90 प्रतिशत मापों की तुलना में अधिक गर्म होता है।
- **अवधि:** MHWs की स्थिति कई दिनों, हफ्तों, महीनों या यहां तक कि वर्षों तक बनी रह सकती है।
- **आवृत्ति में वृद्धि:** 1982 के बाद से समुद्री MHWs की घटनाओं की संख्या दोगुनी हो गई है।

मरीन हीटवेव की घटना के लिए जिम्मेदार कारक

- **वायुमंडलीय और महासागरीय प्रक्रियाओं का संयोजन:** उदाहरण के लिए, अलास्का की खाड़ी के ऊपर उच्च दबाव वाली मौसम प्रणाली का अवरुद्ध होना और दूरस्थ उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के मौसम प्रभाव मिलकर महासागर की स्थिति में अचानक बदलाव ला सकते हैं। यह बदलाव मरीन हीटवेव्स (MHWs) का कारण बन सकते हैं।
  - पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो के कारण इस क्षेत्र में लंबी अवधि की MHWs की घटनाएं घटित हो सकती हैं।
- **समुद्र के सतही भाग में ऊष्मा का प्रवाह:** वायुमंडल द्वारा समुद्री सतह का भाग तब गर्म होता है जब वायुमंडलीय उच्च दबाव प्रणाली संबंधित क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक बनी रहती है।
  - पेरू के तटीय भाग में 2017 के दौरान MHWs और तस्मान सागर में 2017-18 के दौरान MHWs के कारण वायुमंडल से महासागर में असामान्य रूप से ऊष्मा का उच्च प्रवाह था।
- **अभिवहन (Advection):** समुद्री जल धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र में गर्म समुद्री जल के पहुँचाने से भी MHWs के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण हो सकता है।

- उदाहरण के लिए; 2011 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में घटित MHWs और तस्मान सागर में MHWs की घटना के लिए जिम्मेदार इन क्षेत्रों में क्षैतिज प्रवाह के रूप में असामान्य से अधिक गर्म जल का पहुंचना था।

- **मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग:** हाल के दशकों में ग्रीनहाउस गैसों के वायुमंडल में पहुंचने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का 90 प्रतिशत महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। इससे 1850 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।

मरीन हीटवेव के प्रभाव

- **जैविक प्रभाव:** इसमें वैश्विक स्तर पर प्रवाल विरंजन की घटना, केल्प फॉरेस्ट्स घास, समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की क्षति शामिल है।
  - मई 2020 में मरीन हीटवेव के बाद तमिलनाडु तट के पास **मन्नार की खाड़ी में 85 प्रतिशत प्रवाल विरंजन हो गए।** इससे खाद्य जाल व्यापक रूप से प्रभावित हुआ, जिससे मछली आबादी पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।
- **मौसम के पैटर्न पर प्रभाव:** तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र और वायुमंडल के बीच ऊष्मा और नमी का संचरण बढ़ने **से रिकॉर्ड संख्या में तूफान आए हैं और काफी वर्षा हुई है।**
  - 2024 में, हरिकेन बेरिल (जो MHWs के कारण अधिक प्रचंड हो गया) तूफान इस वर्ष के मौसम के हिसाब से अब तक का सबसे जल्दी आने वाला कैटेगरी 5 का हरीकेन बन गया। इसने कैरेबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को बुरी तरह से तबाह कर दिया।
- **ऑक्सीजन की कमी:** बाल्टिक सागर पर किए गए अवलोकनों से पता चलता है कि मरीन हीटवेव के कारण विशेष रूप से उथले जल क्षेत्र के समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी हो गयी।
- **मानसून वर्षा पर प्रभाव:** बंगाल की खाड़ी में मरीन हीटवेव के चलते आमतौर पर मध्य भारत में कम वर्षा और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अधिक वर्षा होती है।
  - जून 2023 में **बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग** में प्रचंड मरीन हीटवेव की घटना के परिणामस्वरूप भारत के आमतौर पर शुष्क रहने वाले उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई थी।
- **मरीन हीटवेव द्वारा अम्लीकरण में वृद्धि:** उच्च तापमान हाइड्रोजन आयन सांद्रता ($[H^+]$) को बढ़ाता है, pH के स्तर को कम करता है और अम्लता को बढ़ाता है।
- **आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान:** बढ़ते तापमान के कारण जलीय कृषि को हानि पहुँचती है और स्नोर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे पर्यटन उद्योग तथा मछली पकड़ने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - प्रशांत महासागर में अत्यधिक वर्षा के कारण **चिली में पाले गए सैल्मन मछली की व्यापक पैमाने पर मृत्यु हो गई थी**, जिससे निर्यात के संबंध में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई थी।
- **समुद्र जल स्तर में वृद्धि:** ऊष्मा के कारण जल का आयतन बढ़ जाता है। इसे जल का तापीय विस्तार कहा जाता है, और यह हिंद महासागर के समुद्र जल स्तर में हुई वृद्धि के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। यह ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से होने वाले जल स्तर में वृद्धि से भी अधिक है।

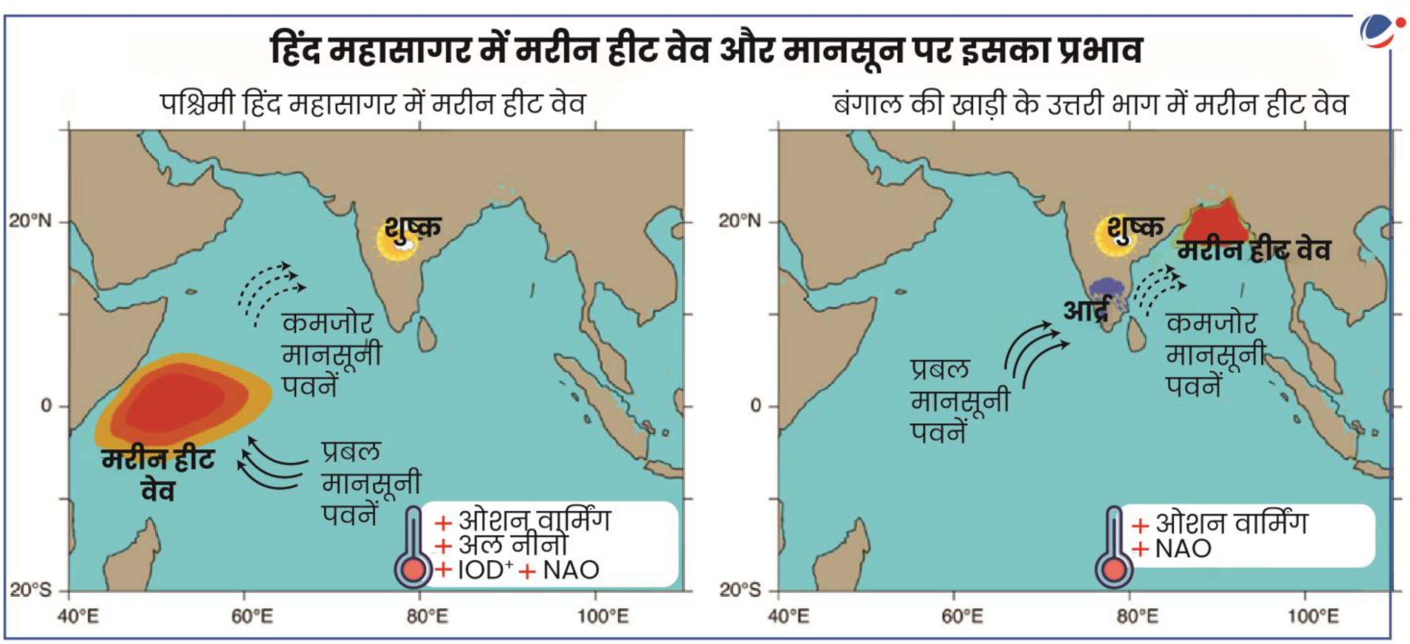

मरीन हीटवेव से निपटने की रणनीतियाँ

- **प्रभाव को कम करने के लिए पहले किए जाने वाले हस्तक्षेप:** इसमें कोरल्स को गहरे और ठंडे पानी में स्थानांतरित करना शामिल है, ताकि उन्हें विरंजन से बचाया जा सके और प्रजनन में मदद मिल सके। जैसे कि फ्लोरिडा में किया गया।
- **प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप:** इसके तहत पहले से ही बदल चुकी परिस्थितियों के जवाब में कार्य किया जा सकता है। इसमें मात्स्यिकी को बंद करना और बदल चुकी परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियों को पकड़ना जैसे कार्य करना शामिल हैं।
- **बाह्य-स्थाने संरक्षण विधियां: तस्मानिया में क्रिटिकली एनडेंजर्ड** रेड हैंडफिश की बची एक-चौथाई आबादी को एकत्रित किया गया तथा उन्हें मरीन हीटवेव के दौरान एक्वेरियम में रखा गया, ताकि उनके संरक्षण में मदद की जा सके।
- **जियो-इंजीनियरिंग हस्तक्षेप:** इसके तहत ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी हार्बर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना तथा ग्रेट बैरियर रीफ और ऊष्मा के संचरण को कम करने के लिए उत्तरी प्रशांत में समुद्री बादल की चमक को बढ़ाना आदि मदद कर सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन को रोकने वाले पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन: जैसे कि** पेरिस समझौते के तहत सहमति बनी है कि सरकारों को जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ नवीकरणीय और प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करना चाहिए।
- **मरीन हीटवेव का पूर्वानुमान लगाना:** यह प्रभावी रूप से तैयारी करने, तत्पर रहने और शमन संबंधी उपायों को लागू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में मरीन हीटवेव्स से निपटने के संबंध में निर्णय लेने वालों की मदद करने के लिए विशिष्ट नेशनल ब्रीफिंग और रीजनल रिस्पांस प्लान्स विकसित किए गए हैं।

5.7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India: GSI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की **स्थापना के 175 वर्ष पूरे हुए।**

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- इसकी परिकल्पना "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" के रूप में जॉन मैक्लेलैंड द्वारा की गई थी। इन्होंने 5 फरवरी 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से डेविड हीरॉ विलियम्स को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करने की पहल की थी।
  - हालांकि, 1851 में नए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक के रूप में **थॉमस ओल्डहम की नियुक्ति के बाद** GSI द्वारा कार्यों को करने की शुरुआत हुई थी।
  - यह सर्वे ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण संगठन है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गयी थी।
  - GSI के पहले भारतीय प्रमुख डॉ. एम. एस. कृष्णन थे।
- GSI को शुरू में रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि, समय के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक प्रमुख संगठन बन गया है, जिसके पास भू-विज्ञान संबंधी डेटा का व्यापक संग्रह है।
- **मुख्यालय:** कोलकाता
  - **छह क्षेत्रीय कार्यालय:** लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता।
- **नोडल मंत्रालय:** खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के कार्य

- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय **भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाना, उसे अपडेट करना** और **खनिज संसाधन का आकलन करना** है।
- यह निम्नलिखित **पांच प्रमुख मिशनों** के तहत सभी गतिविधियों को करता है:
  - **मिशन- I** (स्थलीय, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण),
  - **मिशन- II** (प्राकृतिक संसाधन आकलन और खनिज, कोयला एवं लिग्नाइट संसाधनों का संवर्धन),
  - **मिशन- III** (जानकारी और उनका प्रसार करना),
  - **मिशन- IV** (मूलभूत और बहु-विशेषज्ञ भूविज्ञान अनुसंधान), और
  - **मिशन- V** (प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण)।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की प्रमुख उपलब्धियां

- **बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन:** 1877 में भारत का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र प्रकाशित किया गया।
  - राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा को समेकित करने के लिए इसके द्वारा **राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (NGDR)**[72] की शुरुआत की गयी है।

---
[72] National Geoscience Data Repository

- इसके द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं, जैसे **सिस्टमैटिक जियोलॉजिकल मैपिंग (SGM), राष्ट्रीय भू-रासायनिक मानचित्रण (NGCM)**[73]।

- **प्राकृतिक संसाधन का आकलन:** यह 2024-25 में 448 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें दुर्लभ भू-तत्व, लिथियम, पोटाश, टंगस्टन, ग्रेफाइट आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं।
- **जियोइंफॉर्मेटिक्स:** यह टेक्टोनिक संबंधी अध्ययन और अनुसंधान के लिए देशभर में कई ग्लोबल नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) आधारित स्टेशनों का संचालन करता है।
  - बहु-विषयक भूवैज्ञानिक जानकारी को निशुल्क रूप से प्रसारित करने के लिए **भूकोष** (Bhukosh) नामक भू-स्थानिक पोर्टल विकसित किया गया है।
- **भूविज्ञान एवं आपदा प्रबंधन:**
  - **भूकंपीय/भूकंप भूविज्ञान:** 1899 में, GIS के **रिचर्ड डिक्सन ओल्डम ने असम में आए प्रचंड भूकंप (1897) का अध्ययन किया** और **भूकंपीय तरंगों के तीन अलग-अलग प्रकारों की** पहचान की थी। इससे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
    - GIS द्वारा भूकंप के पैमाने का विश्लेषण करने के लिए भूकंपीय डेटा की निगरानी और प्रसंस्करण के लिए सीस्मो -जियोडेटिक रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग सेंटर (SGRDPC) का संचालन किया जाता है।
  - **भूस्खलन संबंधी खतरे का अध्ययन:** यह भारत में भूस्खलन के कारणों की जांच करने के संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
    - **लैंडस्लिप (LANDSLIP) परियोजना** के माध्यम से, GIS ने वर्षा जनित भूस्खलन के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की है।
  - **अंटार्कटिक संबंधी अध्ययन:** GSI अंटार्कटिक अध्ययन कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में अध्ययन करता है। इस कार्यक्रम के तहत, गजेल्विक्फजेल्ला (Gjelsvikfjella) क्षेत्र का मानचित्रण नॉर्वेजियन स्टेशन ट्रॉल (TROLL) का उपयोग करके किया गया है। साथ ही, दक्षिण-गंगोत्री ग्लेशियर के सिकुड़ने की प्रक्रिया पर हर साल नज़र रखी जाती है।
- **अन्य कार्य:** GSI भू-धरोहर स्थलों और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा भी करता है। उदाहरण के लिए: तमिलनाडु के सत्तानुर में **राष्ट्रीय जीवाश्म काष्ठ पार्क**[74]।
  - हाल ही में, GSI ने **फ्यूचर मिनरल फोरम 2024** (सऊदी अरब) और **37वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस** (साऊथ कोरिया) में भाग लिया है।

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.8.1. IUCN ग्रीन लिस्ट (IUCN Green List)

IUCN ग्रीन लिस्ट में **चार नए स्थल** जोड़े गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सऊदी अरब का शरान नेचर रिजर्व और किंग अब्दुलअजीज रॉयल नेचर रिजर्व,**
- **जॉर्डन का अकाबा मरीन रिजर्व, और**
- **संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का सिर बु नैर संरक्षित क्षेत्र।**

IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में

- यह **प्रमाणन से संबंधित वैश्विक कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य प्रभावी, न्यायसंगत और सफल संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
- **फोकस:** संरक्षण संबंधी प्रबंधन में **सर्वोत्तम पद्धतियों** को उजागर करना तथा प्रगति के लिए **मानक निर्धारित** करना।
- **उद्देश्य:**
  - **संरक्षित एवं परिरक्षित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि करना,** ताकि उनका प्रबंधन प्रभावी एवं समतापूर्ण ढंग से किया जा सके।

---

[73] National Geochemical Mapping

[74] National Fossil Wood Park

o **संरक्षण संबंधी परिणाम** सुनिश्चित करना। इसके तहत **SDG-15 "स्थलीय जीवन" के संरक्षण** में योगदान देना और **जैव विविधता अभिसमय (CBD) के आईची लक्ष्य 11 को हासिल करने की दिशा में कार्य** करना शामिल है।

5.8.2. 58वां टाइगर रिजर्व {58th Tiger Reserve (TR)}

मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

- यह मध्य प्रदेश का **नौवां टाइगर रिजर्व है।** मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में **रातापानी, वीरांगना दुर्गावती, संजय धुबरी, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच** आदि शामिल हैं।

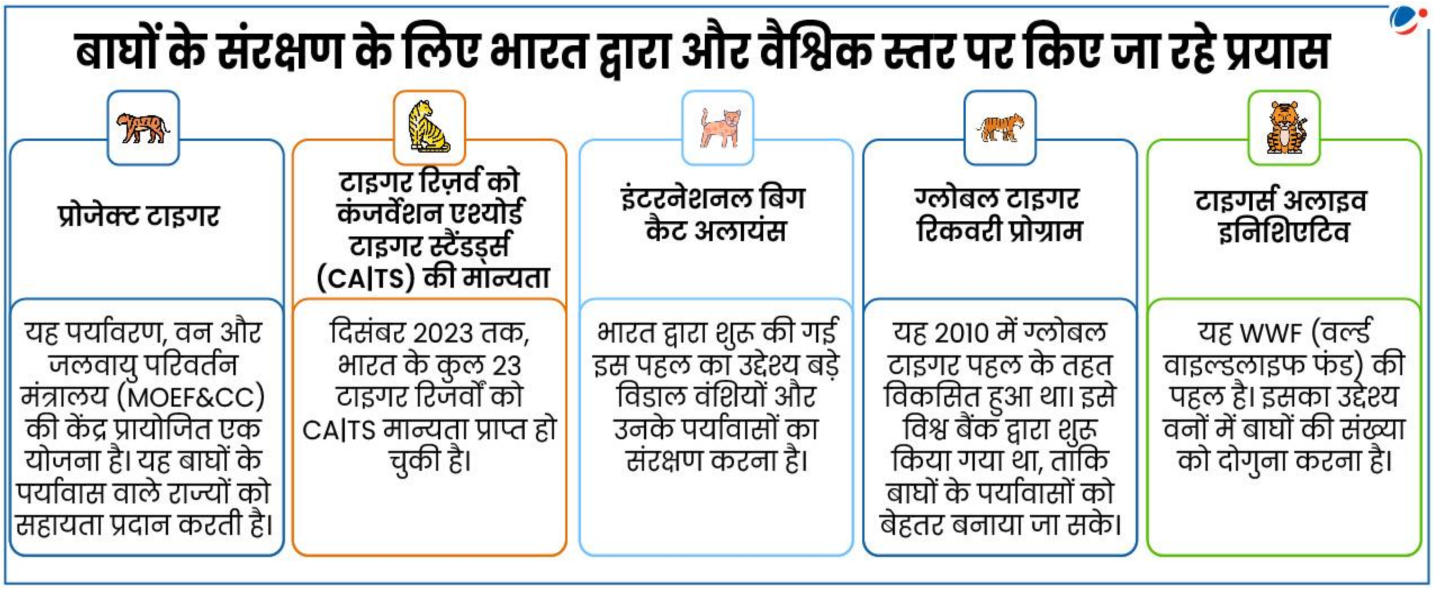

माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में भारत की मध्य उच्चभूमि** के उत्तरी छोर पर स्थित है। मध्य उच्चभूमि **ऊपरी विंध्य पहाड़ियों** का भाग है।
    - o इसे **1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित** किया गया था।
- **झीलें:** इसके **दक्षिणी भाग में साख्य सागर और माधव सागर** हैं।
- **जीव-जंतु:** बाघ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा, चीतल, बार्किंग डियर, मार्श क्रोकोडाइल, तेंदुआ, सियार, अजगर आदि।
- **वनस्पति: उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन और शुष्क कांटेदार** वन। यहां पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में मुख्य रूप से **करधई वृक्ष** अधिक पाए जाते हैं।

भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों** के अनुसार **टाइगर रिजर्व** अधिसूचित करती हैं। इसके लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** से सलाह ली जाती है।
- **अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:**
    - o **राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होना;**
    - o **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V** के अंतर्गत **NTCA** विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
    - o **NTCA** समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
    - o **राज्य सरकार** संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।

बाघ (पेंथेरा टाइग्रिस) के बारे में

- **पर्यावास:** उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, वुडलैंड्स, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान, सवाना आदि।
- **विशेषताएं:** सभी एशियाई विडाल वंशियों में सबसे बड़ा बाघ है। यह शिकार की गंध की बजाए **मुख्य रूप से अपनी देखने की क्षमता और शिकार की हलचल एवं आवाज के जरिए शिकार** करता है।
    - यह प्राय: एकांतवासी जीव है, हालांकि मादाएं अपने शावकों के साथ रहती हैं।
    - यह **रात्रिचर प्राणी है और घात लगाकर शिकार** करता है।
    - यह **अच्छा तैराक** होता है और अपने शिकार को डुबाने में सक्षम होता है।
- **संरक्षण स्थिति:** एंडेंजर्ड (IUCN)); परिशिष्ट-I (CITES); अनुसूची-1 {वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972}।

5.8.3. जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) {Biodiversity Heritage Sites (BHS)}

कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा BHS घोषित किया गया है। राज्य का **पहला BHS मदुरै में अरिट्टापट्टी** है।

- यह **डिंडीगुल जिले में अलगर्मलै रिजर्व फॉरेस्ट** के पास स्थित है।

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के बारे में

- BHS **विशिष्ट पारिस्थितिक-तंत्र** है। यह अपने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के साथ **जैव-विविधता के मामले में समृद्ध** होता है। यहां **प्रजातियों की उच्च समृद्धता; उच्च स्थानिकता; दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त प्रजातियां; कीस्टोन प्रजातियां** आदि पाई जाती हैं।
- इन स्थलों को **जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37(1) के तहत अधिसूचित** किया जाता है।
    - इस धारा में प्रावधान है कि **राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श** से जैव-विविधता महत्व वाले क्षेत्र को आधिकारिक राजपत्र में BHS के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

5.8.4. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (United Nations World Water Development Report)

UNESCO/ यूनेस्को द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में **पारिस्थितिकी-तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बनाए रखने में पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर्स (वाटर टावर्स) की महत्वपूर्ण भूमिका** का उल्लेख किया गया है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र

- **पारिस्थितिकी-तंत्र:** वैश्विक पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा, पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति मिलती है।
- **जल विनियमन:** दुनिया की दो-तिहाई सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है।
- **कार्बन भंडारण:** पहाड़ी मिट्टी (विशेष रूप से पर्माफ्रॉस्ट युक्त) में लगभग **66 पेटाग्राम (Pg)** मृदा जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का **4.5%** है।
- **जैव विविधता:** दुनिया के **34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों** में स्थित हैं। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हॉटस्पॉट्स महत्वपूर्ण कृषि और औषधीय पादपों के जीन पूल का संरक्षण करते हैं।

पर्वतीय पारिस्थितिकी-तंत्र की सुभेद्यताएं:

- **ग्लेशियर्स की हानि:** एंडीज पर्वत श्रृंखला में 1980 के दशक से अब तक **30-50%** ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हिंदू कुश हिमालय में **2100 तक 50% ग्लेशियर के पिघलने** की संभावना है। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना **जल सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा** है।

- **वाटरमेलन स्नो (ग्लेशियर ब्लड) इफेक्ट:** ग्लेशियर्स की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्बिडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है।
- **शहरीकरण:** यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़कर आपदाओं को बढ़ाता है।
- **वायुमंडलीय प्रदूषण:** लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।

5.8.5. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू (Global Energy Review)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी **'ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, 2025'** रिपोर्ट प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- 2024 में **वैश्विक ऊर्जा की मांग में 2.2% की बढ़ोतरी** हुई। इसमें **80% से अधिक योगदान** उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का रहा।
- 2024 में वैश्विक विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि में **80% नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा** का योगदान रहा। ऐसा पहली बार है **जब कुल विद्युत उत्पादन में इनका योगदान 40% से अधिक** रहा।
- 2019 से सोलर पी.वी, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक कार और हीट पम्पस का उपयोग करने से **हर साल 2.6 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम** हुआ है, जो वैश्विक उत्सर्जन का **7%** है।

5.8.6. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 (World Air Quality Report, 2024)

IQAir ने **7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024** जारी की।

- यह रिपोर्ट **वर्ष 2024 में विश्व में वायु गुणवत्ता की स्थिति** का मूल्यांकन करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **केवल 7 देशों ने WHO की वार्षिक औसत PM2.5 गाइडलाइन को पूरा किया है। ये देश हैं:** ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड।
  - **WHO के अनुसार वायु में सूक्ष्म कणीय पदार्थ (PM 2.5) की वार्षिक औसत मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (5 μg/m3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **2024 के 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं: चाड > बांग्लादेश > पाकिस्तान > कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य > भारत।**
  - **दिल्ली अब भी दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर** बना हुआ है।
- **भारत का बर्नीहाट (असम) 2024 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र** रहा है।
- **ओशिनिया** विश्व का **सबसे स्वच्छ क्षेत्र है।**

5.8.7. जलवायु कार्रवाई के लिए बजट (Budget For Climate Action)

अहमदाबाद नगर निगम (AMC) अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बना।

- इस नए अध्याय का शीर्षक **'सतत और जलवायु बजट (Sustainable and climate budget)'** है। इसके तहत अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने 2025-26 के बजट का एक-तिहाई हिस्सा जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत द्वारा 2070 तक **नेट-जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान** को लागू करने के लक्ष्य को हासिल करना है।
- इससे पहले, **बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)** ने भी AMC की भांति जलवायु बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 33% पूंजीगत व्यय जलवायु-संबंधी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था।

जलवायु बजटिंग के बारे में

- यह एक ऐसी प्रशासन प्रणाली है, जिसके तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं को **नीतियों, कार्यवाहियों और बजटीय आवंटन में प्रमुखता से शामिल** किया जाता है।

- इसके तहत, **शहरों की जलवायु कार्य योजना** से जुड़े लक्ष्यों को बजट प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाता है तथा इसके **कार्यान्वयन व निगरानी की ज़िम्मेदारी** नगर प्रशासन को सौंपी जाती है।
- **शहरों के लिए जलवायु बजट का महत्त्व:**
    - यह **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने; उत्सर्जन में कमी लाने;** और **वैश्विक एवं राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने** में सहायता करता है।
    - इसके कारण **व्यय का विश्लेषण करके जलवायु वित्त की कमी का अनुमान लगाने में मदद** मिलती है। साथ ही, इससे जलवायु वित्त जुटाने वाले नवीन वित्तीय मॉडल्स को अपनाने में भी सहायता मिलती है।

स्थानीय निकायों के लिए जलवायु वित्त हेतु उपलब्ध तंत्र

- ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉण्ड्स, उदाहरण के तौर पर- वडोदरा नगर निगम ने ग्रीन मुनि बॉण्ड जारी किए हैं।
- वर्तमान में जलवायु कार्रवाई के लिए स्थानीय सरकारों को **प्रदर्शन-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण** किया जा रहा है। उदाहरण के लिए- UNCDFs (संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष) की लोकल क्लाइमेट एडेप्टिव लिविंग फैसिलिटी (LoCAL)।
- **पॉल्यूशन एंड कंजेशन चार्ज,** उदाहरण के लिए-लंदन कंजेशन चार्ज और लो एमिशन जोन्स।

जलवायु कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन की भूमिका

- **विविध स्थानीय जलवायु कार्रवाई:** जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों की **भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक दशाओं** के आधार पर अलग-अलग होता है। इसलिए इनके समाधान के लिए **स्थानीय उपाय अधिक प्रभावी** हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- वित्त वर्ष 2024-25 में, **BMC ने शहरी बाढ़ से निपटने** के लिए अपने **पूंजीगत व्यय का लगभग 30%** हिस्सा आवंटित किया।
- स्थानीय प्रशासन जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होने वाली **चरम मौसमी घटनाओं** जैसे कि भूस्खलन आदि से निपटने में **अग्रणी भूमिका** निभाता है।
- जलवायु **अनुकूलन और शमन** के लिए **स्थानीय पारंपरिक ज्ञान** का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए- राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कुंडी वर्षा जल संचयन प्रणाली प्रचलित है।

***नोट:** जलवायु वित्त के बारे में और अधिक जानकारी के लिए नवंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.3. देखें।*

5.8.8. 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (2030 Global Forest Vision)

फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने '2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विज़न (GFV): प्रायोरिटी एक्शंस फॉर गवर्नमेन्ट्स इन 2025' रिपोर्ट जारी की।

- **फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट (FDA)** को 2015 में **न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स (NYDF) प्रोग्रेस असेसमेंट** के रूप में स्थापित किया गया था। FDA नागरिक समाज के नेतृत्व में संचालित एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य **NYDF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन** करना है।
- NYDF को **2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर-सरकारी संगठनों के गठबंधन** द्वारा अपनाया गया था। साथ ही, **2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन** किया गया था।
- NYDF **स्वैच्छिक प्रकृति** का है। इसके तहत **10 लक्ष्य** निर्धारित किए गए हैं। **भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं** किया गया है।

2030 GFV के अंतर्गत आठ प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां

- **महत्वाकांक्षा (Ambition):** राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं और UNFCCC COP-30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करना।
- **व्यापार (Trade): कानूनी, निर्वनीकरण, रूपांतरण और क्षरण-मुक्त व्यापार** को बढ़ावा देने के लिए साझेदार।
- **वित्त (Finance):** 2024 में अपनाए गए **"वन कार्बन परिणाम-आधारित भुगतान और क्रेडिट पर वन एवं जलवायु लीडर्स के वक्तव्य"** के अनुरूप वनों के संरक्षण के लिए वित्त-पोषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना।
- **अधिकार (Rights): देशज लोगों (IPs) और स्थानीय समुदायों (LCs) के भूमि अधिकारों** को सुरक्षित करना।
- **पर्यवेक्षण (Supervision):** सरकारों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों के आदेशों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा **वन-संबंधी जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन, प्रबंधन और शमन** किया जाए।
- **सब्सिडी:** वनों को नुकसान पहुंचाने वाली **सब्सिडी** को संधारणीय खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जैव-अर्थव्यवस्था में बदलाव और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में **पुनर्निर्देशित** करना।
- **गवर्नेंस:** भूमि-उपयोग क्षेत्र में **गवर्नेंस को मजबूत करना** तथा उसे वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करना।

- **ऋण (Debt):** देशों के ऋण प्रबंधन में **वनों की प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को परिसंपत्तियों के रूप में शामिल करके** बहुपक्षीय विकास वित्त में राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना।

5.8.9. अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट {Antarctic Circumpolar Current (ACC)}

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य की वजह से **2050 तक अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट लगभग 20 प्रतिशत तक धीमा** हो सकता है।

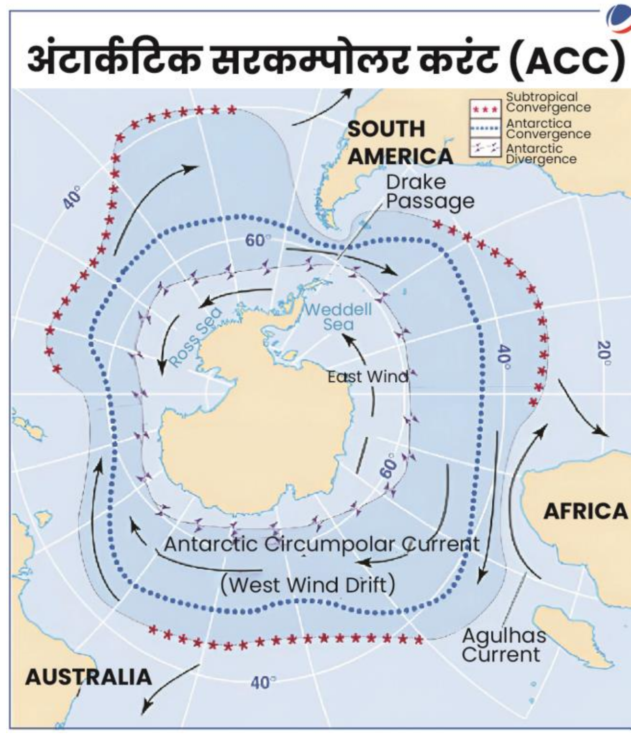

अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट क्या है?

- यह **पृथ्वी पर सबसे तेजी से प्रवाहित होने वाली और पवन-चालित सबसे बड़ी महासागरीय धारा** है। यह अंटार्कटिका के चारों ओर **दक्षिणावर्त (घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में) घूमती** है। यह **प्रबल पछुआ पवनों** (Westerly winds) द्वारा संचालित होती है।
- यह **एकमात्र महासागरीय धारा** है, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह **अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों** के जलों को जोड़ती है।
- **अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट का महत्त्व:**
  - यह एक **शीत धारा (Cold Current)** है। यह **अवरोधक** के रूप में कार्य करती हुई **गर्म जल को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती** है।
  - यह महासागर द्वारा वायुमंडल से **ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण** में बड़ी भूमिका निभाती है।
  - यह अन्य **महाद्वीपों की बुल केल्प, झींगा, मोलस्क जैसी आक्रामक प्रजातियों को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोकती** है।

अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट की गति कम होने की वजहें

- **महासागर की लवणता में परिवर्तन:** ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के आसपास **हिमखंड (ice shelves) तेजी से पिघल** रहे हैं। इससे **अंटार्कटिक बॉटम वाटर (AABW)** कमजोर हो रहा है।
  - **अंटार्कटिक बॉटम वाटर** वास्तव में **सिंकिंग प्रोसेस** है। इसका अर्थ है कि अधिक ठंडा होने की वजह से इस **जल का घनत्व बढ़** जाता है और महासागर में अधिक गहराई में पहुंच जाता है। वहां से यह उत्तर की ओर प्रवाहित होता हुआ **दक्षिणी, हिंद, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों** के सबसे गहरे भागों में पहुंच जाता है।
  - इस तरह यह विश्व में महासागर के जलों के परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण घटक है और **अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट** के परिसंचरण से भी जुड़ा हुआ है।
- **पवन की दिशा और वेग में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन **दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा व वेग** को बदल सकता है।
- **पॉजिटिव फीडबैक लूप:** समुद्री बर्फ में कमी से महासागर और अधिक सूर्य प्रकाश अवशोषित करने लगेगा। इससे महासागरीय **जल और अधिक गर्म होने लगेगा और ताजा जल महासागरों में प्रवेश करने लगेगा।** इससे **अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट और अधिक कमजोर** हो सकता है।

अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट के कमजोर होने के संभावित प्रभाव

- जलवायु में **अत्यधिक अस्थिरता बढ़ेगी।** इससे कुछ क्षेत्रों में **अधिक चरम मौसमी घटनाएं** बढ़ सकती हैं।
- महासागर की **कार्बन अवशोषण क्षमता घटने** से ग्लोबल वार्मिंग तेज हो सकती है।
- **अन्य महाद्वीपों से** आक्रामक प्रजातियां पहुंचने पर **अंटार्कटिका के नाज़ुक पारिस्थितिकी-तंत्र** पर असर पड़ सकता है।
- **अंटार्कटिक बॉटम वाटर (AABW)** के कमजोर होने के कारण विश्व की महासागरीय धाराओं की परिसंचरण प्रणाली प्रभावित हो सकती है।

5.8.10. अंटार्कटिका में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज की गई (Deep-Sea Ecosystems Discovered In Antarctica)

जॉर्ज VI आइस शेल्फ से हिमखंड के अलग होने के बाद अंटार्कटिका में समृद्ध गहरे समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र की खोज हुई।

- यह खोज **चैलेंजर 150 पहल** के तहत की गई है। इस पहल को **महासागर दशक कार्रवाई (2021-2030)** के हिस्से के रूप में **यूनेस्को/ अंतर-सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग (IOC) से समर्थन** प्राप्त है।

इस खोज के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समृद्ध पारिस्थितिकी-तंत्र: 1,300 मीटर (मेसोपेलैजिक जोन या मध्य-वेलापवर्ती मंडल) की गहराई पर बड़े कोरल और स्पंज (Sponge)** के साथ-साथ विविध जीवों से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। उदाहरण के लिए- आइसफिश और जायंट सी स्पाइडर्स।
  - ये पारिस्थितिकी-तंत्र सदियों से **150 मीटर मोटी बर्फ के नीचे अलग-थलग अपना अस्तित्व** बनाए हुए हैं। साथ ही, ये **समुद्री सतह से नितल की ओर जाने वाले** सतही पोषक तत्वों से पूरी तरह कटे हुए थे, जो **गहरे समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक** होते हैं।
- **खोजी गई नई प्रजातियां:** जायंट सी स्पाइडर्स, ऑक्टोपस, जायंट फैंटम जेलीफ़िश (1 मीटर तक के आकार वाली), फूलदान के आकार का स्पंज (संभवतः सैकड़ों वर्ष पुराना) आदि।

गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी-तंत्र के बारे में

- **परिभाषा:** ये समुद्र में **200 मीटर से अधिक गहरे** क्षेत्र या समुद्र नितल होते हैं। यहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए, इसे अप्रकाशी/ एफोटिक ज़ोन कहा जाता है। ये कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग **90%** हिस्सा हैं और इस प्रकार ये पृथ्वी के **सबसे बडे बायोम भी हैं।**
- **गहरे समुद्री पर्यावास और जैव विविधता संबंधी अनूठी विशेषताएं:**
  - **अत्यधिक विशाल सागर नितल मैदान:** ये प्रकाश रहित और पंक युक्त समुद्र नितल होते हैं। यहां मौजूद प्रजातियां **जीवित रहने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर** रहती हैं। **उदाहरण के लिए-** समुद्री खीरा।
    - **समुद्री बर्फ (Marine Snow):** ये **कार्बनिक पदार्थ** होते हैं, जो **समुद्री सतह से नितल की ओर गति** करते हैं। ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए **आहार के रूप में काम** करते हैं तथा **कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में सहायता** करते हैं।
  - **हाइड्रोथर्मल वेंट:** ये समुद्र नितल पर मौजूद छिद्र या दरार होते हैं, जिनसे गर्म व खनिज से समृद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं। यहां पाई जाने वाली प्रजातियां जीवित रहने के लिए **रसायन-संश्लेषक बैक्टीरिया पर निर्भर** रहती हैं। **उदाहरण के लिए-** ट्यूबवर्म और येति क्रेब्स।
  - **व्हेल फॉल्स:** जब व्हेल का मृत शरीर समुद्र की गहराई में डूबता है, तो यह अस्थायी पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण करता है। व्हेल का मृत शरीर अपमार्जकों के लिए आहार बन जाता है। उदाहरण के लिए: हैगफिश।

5.8.11. ओकजोकुल/ ओह-युकुल (Okjökull Glacier)

यह पहला ग्लेशियर है, जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण **आधिकारिक रूप से पूर्णतया विलुप्त** घोषित किया गया है।

- **2014 में आइसलैंड के ओह-युकुल ग्लेशियर को डेड (मृत)** घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसकी आगे की और बढ़ने की गति रुक गई थी।
- ओकजोकुल एक **गुंबद के आकार** का ग्लेशियर था। यह **आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक के उत्तर-पश्चिम में ओक शील्ड ज्वालामुखी** के क्रेटर के चारों ओर मौजूद था।
- **अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है:**
  - एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और ग्लिसन ग्लेशियर (संयुक्त राज्य अमेरिका);

- बाउमन ग्लेशियर (न्यूजीलैंड);
- काल्डेरोन ग्लेशियर (इटली);
- मार्शल सुर ग्लेशियर (अर्जेंटीना);
- पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर (वेनेजुएला);
- पिजोल ग्लेशियर (स्विट्जरलैंड);
- सारेन ग्लेशियर (फ्रांस) और
- श्रीफर्नर ग्लेशियर (जर्मनी)।

ग्लेशियरों (हिमनद) के बारे में

- ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व बारहमासी संचय होता है। यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से **धीरे-धीरे ढलान की दिशा में आगे बढ़ता** रहता है।
- ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब** होता है और **शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ** गिरती है। इससे उसका पर्याप्त संचय होता रहता है।
- **ग्लेशियरों का महत्त्व:**
    - **जल भंडार:** ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग **तीन-चौथाई ताजे जल** का भंडारण मौजूद है। इस प्रकार ये **ताजे जल के सबसे बड़े भंडार** हैं।
    - **कृषि:** ग्लेशियर कई क्षेत्रों में **सिंचाई का स्रोत** हैं। साथ ही, ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ भी बनाती हैं।
    - **जैव विविधता:** ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे **पादपप्लवकों (Phytoplankton) की संख्या में वृद्धि** होती है। पादपप्लवक जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव

- **जल चक्र में व्यवधान:** इससे ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी-तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- **प्राकृतिक आपदाएं:** इससे हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- **समुद्री जल स्तर में वृद्धि:** इससे तटीय कटाव, पर्यावास की क्षति, जैव विविधता हानि आदि हो सकती है।
- **क्लाइमेट फीडबैक लूप:** इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कम हो जाता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगती है।

ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर:** संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को अंतर-सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि द्वारा **वर्ष 2025 को 'ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** घोषित किया गया है।
- **भारत में शुरू की गई पहलें:** नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, हिमांश (HIMANSH) अनुसंधान केंद्र आदि।

5.8.12. नरव्हेल (Narwhal)

हाल ही में **नरव्हेल** का पहली बार उनके **'टस्किंग बिहेवियर'** (Tusking behaviour) के लिए अध्ययन किया गया।

नरव्हेल के बारे में

- **नरव्हेल** का एक लंबा टस्क होता है, जो वास्तव में दांत है।
- नर के टस्क होता है, जबकि आमतौर पर मादा के पास टस्क नहीं होता है। हालांकि, यह आम लक्षण नहीं है। कुछ मादाओं में छोटा टस्क देखा गया है, वहीं कुछ नर में टस्क होता ही नहीं है। **कुछ नरव्हेल में दो-दो टस्क** रिकॉर्ड किए गए हैं।
    - **टस्क के उपयोग:** जल में लवणता और तापमान का पता लगाने में सहायक होता है, शिकार करने और पर्यावरण में बदलाव के अनुसार ढलने में मदद करता है आदि।
- **वैज्ञानिक नाम: मोनोडोन मोनोसेरोस** (Monodon monoceros)। इसका अर्थ है: **एक टस्क और एक सींग वाली व्हेल।**
- **पर्यावास क्षेत्र:** कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस में फैला आर्कटिक जल।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** लीस्ट कंसर्न।
- **जीवनकाल: मादा** लगभग **100 वर्ष** जीवित रह सकती है, जबकि **नर** लगभग **84 वर्ष** तक जीवित रह सकता है।
- **प्रजनन:** गर्भकाल **(लगभग 13 से 16 महीने)।**

5.8.13. ब्लू फ्लैग (Blue Flag)

रुशिकोंडा बीच ने फिर से ब्लू फ्लैग टैग हासिल किया। ज्ञातव्य है कि खराब रखरखाव के कारण रुशिकोंडा से यह टैग वापस ले लिया गया था।

- विशाखापत्तनम का **रुशिकोंडा बीच** आंध्र प्रदेश का एकमात्र **ब्लू फ्लैग बीच** है। यह **भारत के 13 ब्लू फ्लैग बीचों** में शामिल है।

ब्लू फ्लैग टैग के बारे में

- **किसे दिया जाता है:** इसे समुद्र तटों, मरीनों (पत्तनों के निकट मनोरंजन गतिविधियों हेतु लघु जल क्षेत्र) और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक **श्रेणी के लिए अलग-अलग** मानक होते हैं।
- **कौन देता है: डेनमार्क** स्थित एक **गैर-सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE)** द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- **कैसे मिलता है:** ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने हेतु कठोर **पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों** की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना आवश्यक है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

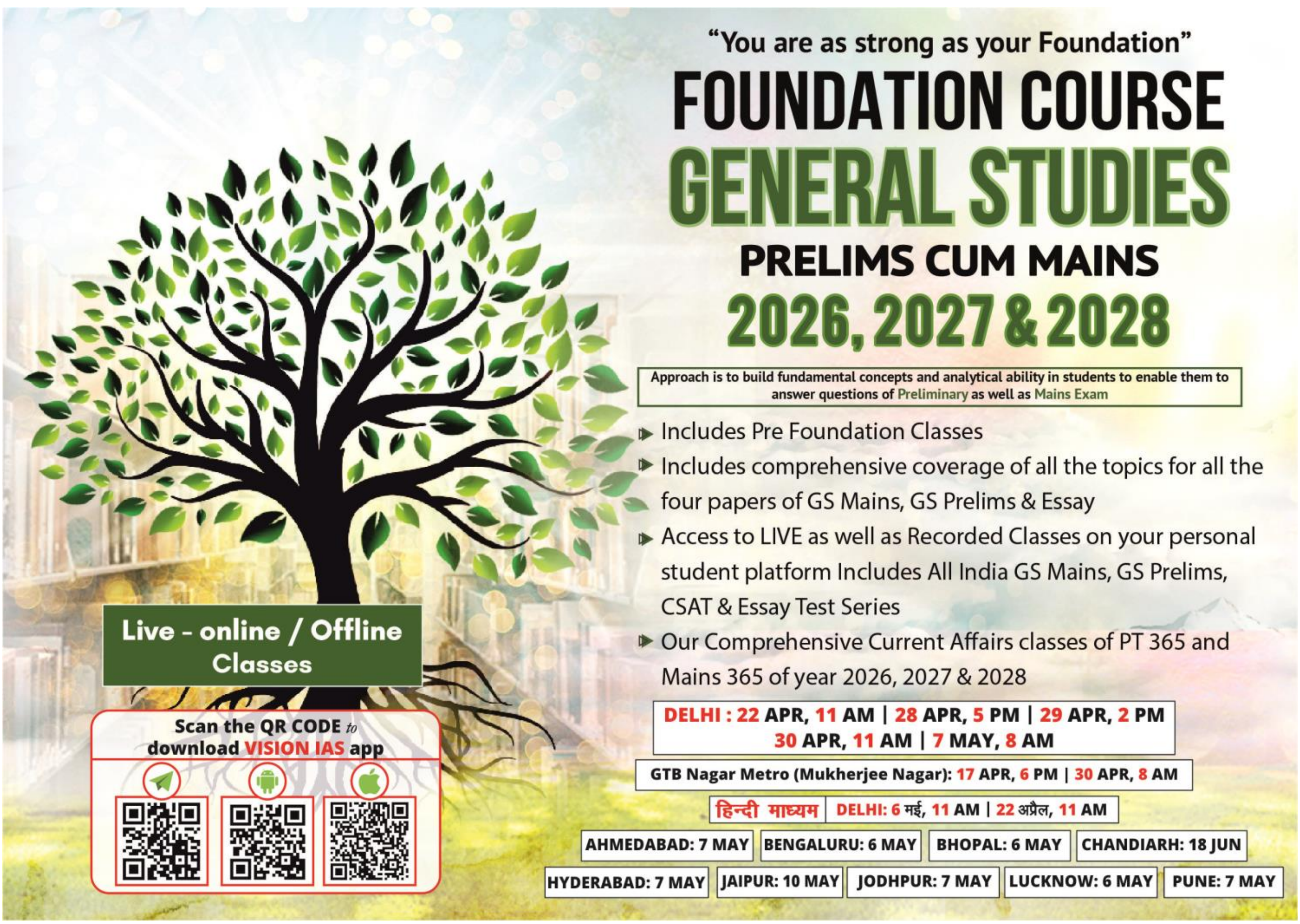

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. सिनेमा और समाज (Cinema and Society)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मीडिया में वायलेंट कंटेंट (हिंसा फैलाने वाले कंटेंट) का समाज पर प्रभाव गहरा हो सकता है, परंतु इससे निपटने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

सिनेमा के बारे में

"कला वास्तविकता का आईना नहीं है, बल्कि एक साधन है जिससे वास्तविकता को आकार दिया जा सकता है।"
— बर्टोल्ट ब्रेख्त

- सिनेमा **जन-संचार का एक लोकप्रिय माध्यम** है, जिसे **"सातवीं कला (सेवंथ आर्ट)"** के रूप में भी जाना जाता है। यह कला का सबसे नया रूप है, जो प्राचीन कलाओं के अलग-अलग रूपों को एक सूत्र में पिरोता भी है।
    - कला के अन्य 6 रूप हैं- चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, साहित्य, रंगमंच और संगीत।
- सिनेमा का उदय 19वीं सदी के अंत में हुआ था। कला का यह नया रूप **नाटक (नाट्य) को प्रदर्शित करने और भावनाओं को जगाने वाले सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक** बन गया है।
- **विविध कलात्मक और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से**, भारतीय सिनेमा ने एक अनूठे संप्रेषण माध्यम को गढ़ा है जो व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों तरह की धारणाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

भारतीय सिनेमा का विकास (1950 के दशक से 2025 तक)

भारतीय सिनेमा राष्ट्रवाद की लहर से उत्पन्न हुआ है। यह पारंपरिक मानदंडों और सामाजिक यथार्थवाद को दर्शाती है, तथा लैंगिक समानता, जातिगत भेदभाव और LGBTQ+ के अधिकार जैसे समकालीन मुद्दों को भी उठाता रहा है।

विकास अवधि	विषय-वस्तु
1950-60 का दशक: **सामाजिक यथार्थवाद और राष्ट्रवाद**	• **राष्ट्रवाद: 'हकीकत' जैसी फिल्मों ने भारत-चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को** दर्शाया, जिससे जन मन में सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान बढ़ा। • **सामाजिक यथार्थवाद: 'दो बीघा ज़मीन'** ने किसानों की दुर्दशा को दिखाया, जबकि **सत्यजीत रे की 'पथेर पांचाली' में बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों** के कठिन जीवन को दर्शाया गया। ○ **'दहेज' और 'देवी' जैसी** फिल्मों में महिलाओं को अक्सर समर्पित और आज्ञाकारी रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी का बलिदान देती हैं।
1970 का दशक: **एंग्री यंग मैन और सामाजिक अशांति (आपातकाल)**	• **सामाजिक अन्याय:** मृणाल सेन की '**कलकत्ता 71**' फिल्म नक्सल प्रभावित बंगाल की उथल-पुथल को दर्शाती है। • **समानांतर सिनेमा और सामाजिक व्यंग्य: मंथन** और **स्पर्श** जैसी फिल्मों ने हाशिए पर पड़े **समुदायों के संघर्ष, ग्रामीण जीवन और जटिल मानवीय रिश्तों** जैसे मुद्दों को रेखांकित किया।
1990 का दशक: **व्यावसायिक सिनेमा और सांस्कृतिक बदलाव**	• **वैश्वीकरण, भौतिकवाद और व्यक्तिगत पहचान:** इस दशक में फिल्मों में धन, व्यक्तिवाद और खुशहाली केंद्रीय विषय बन गए। **मिर्च मसाला** जैसी फिल्मों में महिलाओं की भूमिकाओं में बदलाव को भी दर्शाया गया। • **पितृसत्तावाद और सुधार: अस्तित्व** जैसी फिल्म ने पुरुष वर्चस्ववाद, विवाहेतर संबंध, तथा पति-पत्नी संबंधों में दुर्व्यवहार की आलोचना की, और **विवाह संबंध के बाहर महिला की स्वतंत्रता की खोज करने का प्रयास की है।** • **रिश्ते और व्यक्तिवाद: 'द प्ले ऑफ गॉड' (मलयाली, 1997) फ़िल्म** शेक्सपियर के 'ओथेलो' का रूपांतरण थी। इसी तरह मृणाल सेन की **'अंतरीन'** फिल्म भी इन्हीं विषयों को दर्शाती थी।

2000 के दशक की शुरुआत: यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना	• **यथार्थवाद: चांदनी बार** और **ब्लैक फ्राइडे** जैसी फिल्मों ने शोषण, वेश्यावृत्ति और हिंसा सहित **मुंबई के अंडरवर्ल्ड की** कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया । • **वैश्वीकरण और पहचान: द नेमसेक** ने **प्रवासन, दूसरी संस्कृतियों को आत्मसात करने और** बदलती दुनिया में **पीढ़ीगत विभाजन को दर्शाया।** • **सामाजिक मुद्दे: पिंक** जैसी फ़िल्में और मलयाली फिल्म **'जय जय जय जय हे'** ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक पूर्वाग्रहों को रेखांकित किया तथा सामाजिक मानदंडों से उनकी स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया। • **LGBTQ+ प्रतिनिधित्व: काथल, सामो-द इक्वल्स** जैसी फिल्मों ने LGBTQ+ समुदाय के मुद्दों को दर्शाया, उनकी सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा दिया और उनसे जुड़े सामाजिक लांछन को चुनौती दी।
2020 के बाद: OTT सिनेमा और क्षेत्रीय सिनेमा	• क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, जो पारंपरिक रूप से मल्टीप्लेक्स में जगह पाने के लिए संघर्ष करती रही हैं, उसे **OTT प्लेटफॉर्म** पर उचित पहचान मिली है। • OTT के विषय-वस्तु-केंद्रित दृष्टिकोण ने विशेष रूप से मजबूत कहानी वाली और कम बजट की क्षेत्रीय फिल्मों की मदद की है। • उदाहरण के लिए, **द ग्रेट इंडियन किचन** (मलयालम) ने अपनी मजबूत नारीवादी कथा के लिए देश भर का ध्यान आकर्षित किया, जबकि **कोर्ट** और **सैराट** (मराठी) **को व्यापक प्रशंसा मिली** ।

फिल्में समाज को किस प्रकार दिशा दिखाती हैं?

भारतीय समाज पर सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव

- **भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान दिलाने में:** भारतीय सिनेमा की अंतर्राष्ट्रीय सफलता, जैसे **द एलीफैंट व्हिस्परर्स** और **RRR** का ऑस्कर (बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग) जीतना, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाती है और वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और क्रिएटिविटी को प्रदर्शित करती है।
- **सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब: डेढ़ इश्किया** जैसी फ़िल्में लखनऊ की नवाबी संस्कृति को दर्शाती हैं, **पीकू** बंगाली संस्कृति को दर्शाती है, **खूबसूरत** राजस्थान के आकर्षक किले को दर्शाती है, अदि।
- **विकसित होते पारिवारिक मूल्यों का प्रतिबिंब:** भारतीय सिनेमा ने पहले की फिल्मों में पारिवारिक संघर्षों को सामाजिक मानदंडों और पश्चिमी प्रभाव के संदर्भ में दिखाया, जैसा कि **खानदान** (1965) में देखा गया। समय के साथ, फिल्मों में अवैध संबंध **(मासूम, कल हो ना हो)** जैसे मुद्दों को दिखाया जाने लगा। 2000 के दशक के बाद एकल परिवारों की समकालीन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनके कुछ उदाहरण हैं:
  - **कभी अलविदा ना कहना** ने विवाहेत्तर संबंधों और तलाक जैसे वर्जित विषयों को गंभीरता से प्रस्तुत किया।
  - **गुडबाय फिल्म** में मां के निधन के बाद बच्चों और उनके पिता के बीच के भावनात्मक सफर को दिखाया गया, जिसमें पीढ़ियों के बीच के अंतर और परिवारों के भीतर भावनात्मक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत महत्व पर बढ़ते जोर को रेखांकित किया गया है।
- **महिला सशक्तिकरण:** बंगाली फिल्म **दुर्गा सहाय** में महिला नायिका सामाजिक सीमाओं और पूर्वाग्रहों के खिलाफ जाती है और अंततः देवी दुर्गा का प्रतीक बन जाती है।
- **शिक्षा के प्रति जागरूकता: निल बटे सन्नाटा** में एक हाउसमेड मां की वापस स्कूल जाने की यात्रा को दर्शाया गया है, जो अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसा करती है। यह फिल्म **शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव** को उजागर करती है।
- **सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम**
  - **जागरूकता बढ़ाना: पा** और **तारे ज़मीन पर** जैसी फिल्मों ने दर्शकों को प्रोजेरिया और डिस्लेक्सिया जैसे विकारों के बारे में शिक्षित किया।
  - **सामाजिक सोच में बदलाव लाना: फायर** और **अलीगढ़** जैसी फिल्मों ने LGBTQ+ समुदायों के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया। **अलीगढ़, बाला** जैसी फिल्मों ने समाज में व्याप्त मानसिकताओं को चुनौती दी।
  - **राष्ट्रवादी सोच का निर्माण:** तमिल सिनेमा (मुथु, अन्नामलाई) के राजनीतिक प्रभाव से लेकर हिंदी सिनेमा की देशभक्ति आधारित फ़िल्में (स्वदेश) राष्ट्रीय घटनाओं पर जनमत को प्रभावित करती हैं।

भारतीय समाज पर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव

- **लैंगिक रूढ़िवादिता और प्रभुत्व वाली पुरुषवादी सोच:** महिलाओं को अभी भी अक्सर ऑब्जेक्ट (जैसे आइटम सॉन्ग) के रूप में दिखाया जाता है, और 'हम तुम्हारे हैं सनम', 'पुष्पा' जैसी फिल्मों में घरेलू हिंसा को सामान्य जीवन का हिस्सा बना दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **कबीर सिंह और एनिमल** जैसी फिल्में आक्रामकता और पुरुष के अनुचित व्यवहार का महिमामंडन करती हैं।

- **अवास्तविक शारीरिक मानकों को बढ़ावा देना:** सिनेमा अक्सर इस विचार को बढ़ावा देता है कि गोरी त्वचा श्रेष्ठ होती है, इसलिए अक्सर गोरी चमड़ी वाले अभिनेताओं को मुख्य भूमिकाओं में लिया जाता है।
- यह **बॉडी शेमिंग** को भी बढ़ावा देता है, जहां **बहुत पतले** और **अधिक वजन वाले** व्यक्तियों का उपहास किया जाता है।
- **पारंपरिक परिवार संस्था पर प्रश्नचिह्न:** सिनेमा में प्रेम विवाह और लिव-इन रिलेशन जैसे विषयों को स्वीकार करते हुए पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को चुनौती दी जा रही है, जैसा कि 'ओके जानू' जैसी फिल्मों में दर्शाया गया है।
- **सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में बदलाव:** पश्चिमी नृत्य शैलियों (जैसे हिप-हॉप और जैज़) और संगीत (जैसे रैप) पर सिनेमा के बढ़ते फोकस ने युवाओं की पसंद को प्रभावित किया है। ये संस्कृतियां कभी-कभी भरतनाट्यम और कथक जैसी पारंपरिक भारतीय कलाओं पर हावी हो जाती हैं।
- **कमजोर समुदायों की संवेदनाहीन प्रस्तुति:** भारतीय सिनेमा अक्सर LGBTQ+ व्यक्ति, दिव्यांगजन जैसे कमजोर समुदायों को बड़ी असंवेदनशीलता के साथ दर्शाता है, और उन्हें स्टीरियोटाइप या हास्य का माध्यम बना देता है।
    - दोस्ताना जैसी फिल्में **समलैंगिकता का मजाक** उड़ाती हैं, जबकि गोलमाल फिल्म मूक और **दृष्टिहीनता का मज़ाक** उड़ाती है।
- **मादक पदार्थों के उपयोग का महिमामंडन:** देव डी जैसी फिल्में अक्सर मद्यपान और धूम्रपान को ट्रेंडी या तनाव से निपटने के तरीके के रूप में चित्रित करती हैं, जिससे किशोरों में इसे एक "आम" जीवन-शैली के हिस्से के रूप में देखने की प्रवृत्ति पैदा होती है।
    - **समाज में विभाजन को बढ़ावा देना :** दुष्प्रचार वाली फिल्में तेजी से किसी ख़ास राजनीतिक विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही हैं, भावनाओं को भड़काने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए पुराने मुद्दों को हवा दे रही हैं, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो रहा है।

सिनेमा में कंटेंट की निगरानी पर नियम और कानून

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** अश्लील कृत्यों को अपराध घोषित करती है, और इसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान करती है।
- **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986**: यह कानून प्रकाशनों, विज्ञापनों और मीडिया में महिलाओं के अभद्र रूप से चित्रण पर रोक लगाता है।
- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रसारित कार्यक्रम सामाजिक मर्यादा के मानकों के अनुरूप हों, तथा इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:** यह फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)[75] द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य करता है।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)[76]:** यह एक स्व-विनियामक संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन सार्वजनिक मर्यादा के मानकों का पालन करें।

निष्कर्ष

सिनेमा समाज का एक शक्तिशाली दर्पण है जो हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, साथ ही यह हमारी पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती भी देता है और हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को भी दिशा देता है। सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरक माध्यम के रूप में विकसित होना चाहिए, जो समावेशिता, विविधता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दे, साथ ही जनभावनाओं का सम्मान करते हुए **संवैधानिक और सामाजिक नैतिकता** का पालन करे।

[75] Central Board of Film Certification

[76] Advertising Standards Council of India

6.2. सोशल मीडिया और किशोर (Social Media and Adolescents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज **"एडोलेसेंस (Adolescence)"** ने वैश्विक स्तर पर **ऑनलाइन कट्टरपंथवाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किशोरों की सुरक्षा** को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यह उन ज्वलंत मुद्दों को उजागर करती है, जिनका सामना बच्चे इंटरनेट के अनियंत्रित प्रभाव और उससे उत्पन्न सामाजिक परिणामों के चलते कर रहे हैं।

> इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन की अच्छाई, बुराई और 'कुरूपता' को उजागर करता है तथा उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।
>
> — डैना बॉयड

अन्य संबंधित तथ्य

- यूनाइटेड किंगडम अपने स्कूलों में इस वेब सीरीज को दिखाने की योजना बना रहा है, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिस्कशन गाइड्स भी शामिल होंगे।
- 2024 में, **ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध** लगा दिया और इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया।

अलग-अलग हितधारक किशोर-किशोरियों के व्यक्तित्व निर्माण में कैसे भूमिका निभाते हैं?

साथी

- **मूल्य निर्माण (Value Formation):** साथी समूह यह निर्धारित करते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। साथ ही ये चर्चा के माध्यम से विश्वास निर्माण में मदद करते हैं।
- **व्यवहारिक मॉडलिंग:** किशोर अक्सर अपने साथियों के अच्छे व्यवहारों को अपनाते हैं।
  - साथियों के दबाव का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, जैसे- स्कूलों में किसी को परेशान करना, साइबर बुलिंग और हिंसा।

सामाजिक

- **परिवार/माता-पिता:**
  - **प्राथमिक समाजीकरण:** परिवार और माता-पिता बच्चों को शुरुआती जरूरी बातें सिखाते हैं।
- **समाज:**
  - **सांस्कृतिक अपेक्षा और सामुदायिक मूल्य:** किशोरों के व्यवहार को दिशा देने में समाज की सांस्कृतिक अपेक्षाएँ और सामुदायिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये किशोरों को स्वीकार्य सामाजिक भूमिकाओं में ढ़ालने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

संस्थागत:

- **इंटरनेट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:**
  - **समाजीकरण:** सोशल मीडिया किशोरों को विभिन्न व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिससे उनके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व का विकास होता है।
  - **पहचान का निर्माण:** किशोर अपनी डिजिटल पहचान बना सकते हैं, दूसरों की राय की आलोचना कर सकते हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं।
- **विद्यालय/शैक्षिक संस्था:**
  - **द्वितीयक समाजीकरण:** विद्यालयों में, अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक और सहपाठियों के बीच बातचीत के माध्यम से मूल्य आधारित शिक्षा भी दी जाती है।
- **सरकार:**
  - **नीति निर्माण:** सरकार की नीतियां विशेष रूप से शिक्षा नीति किशोरों के विकास की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

©Vision IAS

ऑनलाइन स्पेस/ सोशल मीडिया का किशोरों पर हानिकारक प्रभाव

- **नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग: अविनियमित कंटेंट के संपर्क में आने से** किशोरों के **व्यक्तित्व विकास और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिए, **अश्लील कंटेंट व महिलाओं के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट लोगों में गुस्सा और नफरत** को बढ़ावा देते हैं; '**अच्छे दिखने के स्टैंडर्ड' वाले कंटेंट से किशोरों में खुद को छोटा समझने का भाव उत्पन्न हो सकता** है; आदि।
- **ऑनलाइन कट्टरपंथवाद:** सोशल मीडिया **एल्गोरिदम** एक **'इको-चेम्बर' सृजित करता है** यानी एक ऐसे समुदाय का निर्माण करता है, जो किसी ख़ास विचारधारा को ही **पूर्ण सत्य** मान लेता है।
  - उदाहरण के लिए, **"मैनोस्फीयर" से जुड़े चैट फोरम,** जो **नारीवादी विचारधारा** के जवाब में महिलाओं के प्रति नफरत और प्रभुत्व वाली पुरुषवादी सोच को उचित ठहराते हैं।
- **सोशल मीडिया की लत और अलगाव:** ऑनलाइन माध्यमों से लंबे समय तक चिपके रहने से बच्चे अपने माता-पिता और साथियों के साथ **वास्तविक दुनिया के संबंधों से कट** जाते हैं, जिससे सामाजिक संपर्क कम होता है और अलगाव बढ़ता है। साथ ही, वे **ऑनलाइन माध्यमों से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं।**
- **मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का जन्म:** किशोर, जो **पहचान बनाने के बदलाव वाली उम्र से गुजर रहे होते हैं, उन्हें चिंता, अवसाद और अपने लुक्स या बॉडी इमेज को लेकर चिंतित होना** जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
  - उदाहरण के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मॉडल पर्सनालिटी के साथ खुद की तुलना, **पीछे छूट जाने का डर** तथा को खुद को लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने का व्यवहार (जैसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की संख्या को ही वास्तविक वैल्यू समझना)।
- **सहानुभूति की कमी और साइबर-बुलिंग:** ऑनलाइन स्पेस के अधिकांश इंटरैक्शन में सहानुभूति की कमी देखने को मिलती है, जो **ट्रोलिंग, अभद्र टिप्पणियों और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले संवेदनहीन कंटेंट पोस्ट** करने में दिखती है।
  - उदाहरण के लिए, **दिल्ली में "बॉयज़ लॉकर रूम" की घटना (2020)** जिसमें स्कूली लड़कों के एक ग्रुप में आपत्तिजनक इमेजेज साझा किए गए थे।

किशोरों पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को रोकने में चुनौतियां?

"किशोरावस्था एक ऐसा समय है जब आप हर चीज को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं।"

— एडवर्ड ज़्विक

- **अप्रासंगिक हो गई नीतियां:** डिजिटल क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव नीतियों में सुधारों की गति से कहीं आगे निकल गए हैं। **इस बदलाव के साथ तेजी से ढलना माता-पिता और सामाजिक संस्थानों** (जैसे-स्कूल) **के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा** है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** किशोरों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक स्वतंत्र एजेंसी के समान हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण वे अच्छे-बुरे कंटेंट में अंतर नहीं कर पाते हैं और बिना पूरी जानकारी के अपनी सहमति (कंसेंट) दे देते हैं।
- **कंटेंट मॉडरेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियम-कानून के दायरे में लाना **विवादास्पद** बना हुआ है, मुख्य रूप से इस तर्क के कारण कि इस तरह का रेगुलेशन **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर** करता है।
  - **सूचना की प्राप्ति, आत्म-अभिव्यक्ति** के लिए एक प्लेटफार्म तथा **समान पहचान और सामान रुचियों वाले व्यक्तियों को आपस में जोड़ने में** इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं।
  - बच्चों को इन खतरों (सोशल मीडिया) से दूर रखना **अस्थायी उपाय होगा** और लंबे समय तक यह उपाय अधिक प्रभावी नहीं होगा।
- **कंटेंट मॉडरेशन में खामियां: किसी कंटेंट को बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने से भी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे डार्क वेब, पाइरेसी** आदि के जरिए इस कंटेंट तक पहुंच सकते हैं।
- **अलग-अलग पीढ़ियों के बीच डिजिटल डिवाइड:** किशोर, डिजिटल तकनीकों के संपर्क में होने के कारण, नई तकनीकों को जल्दी से अपना लेते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी उनका विरोध कर सकती है या उन्हें गलत समझ सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय अभिभावक **इमोजी या मीम्स को गलत समझते हैं।**
  - सांस्कृतिक दुविधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब **युवा उन लिबरल वैश्विक मूल्यों को अपना लेते हैं** जो पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं।
- **जागरूकता की कमी: माता-पिता में, स्कूलों और समाज में** सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी है। उदाहरण के लिए, **लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी और इमोजी** के बदलते अर्थ के माध्यम से **बदलते प्रतीकात्मक इंटरैक्शन।**

आगे की राह

- **किशोरों में डिजिटल सिटीजनशिप को बढ़ावा देना:** डिजिटल सिटीजनशिप में **कानूनी एवं सुरक्षित रूप से, सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके** से इंटरनेट का उपयोग करना शामिल होता है।
- **डिजिटल एथिक्स ऑफ़ केयर:** इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग **(डिजिटल रिस्पांसिबिलिटी)**, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना **(डिजिटल एम्पथी)**, डिजिटल माध्यम में भी दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना **(डिजिटल केयर**) और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सम्मानपूर्वक संवाद करना **(डिजिटल रेस्पेक्ट) शामिल** हैं।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** हमें बच्चों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उन्हें **निष्क्रिय उपभोक्ता से सोच-समझ वाले सक्रिय यूजर बनाने के लिए सशक्त बनाने** की आवश्यकता है।
- **माता-पिता की देखरेख:** माता-पिता को **खुले संवाद** को बढ़ावा देने तथा **सामाजिक अलगाव और अकेलेपन को रोकने** के लिए **बेहतर भावनात्मक माहौल** प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **स्कूल के माहौल में सुधार:** स्कूलों को बेहतर एंटी-बुलिंग कार्यक्रम लागू करने चाहिए, सलाह-सहायता प्रदान करनी चाहिए, माता-पिता के साथ सहयोग करनी चाहिए तथा किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाली समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उनसे निपटने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की तरह **रिलेशन्स, सेक्स और हेल्थ एजुकेशन (RSHE)** को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
- **नीतिगत सुधार:** एक बहुआयामी अप्रोच अपनाते हुए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बच्चों का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी हितधारकों—जैसे पुलिस, स्कूल, सोशल मीडिया कंपनियां, अभिभावक और समाज—की सामूहिक जिम्मेदारी है।
  - **शिक्षा नीतियों, किशोर न्याय कानूनों और डेटा सुरक्षा कानूनों** में भी किशोरों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
- **सूचना-प्रौद्योगिकी (टेक) कंपनियों की जवाबदेही**: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बजाय, हमें टेक कंपनियों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए सुरक्षित और उनके अनुकूल बनाने के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए।

6.3. पारिवारिक संस्था में बदलाव (Changing Institution of Family)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि **पारिवारिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं,** क्योंकि **माता-पिता और बच्चे** संपत्ति और भरण-पोषण के मामलों को लेकर **एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाज़ी कर रहे हैं।** इससे देश **"एक व्यक्ति, एक परिवार[77]"** मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो कि **"वसुधैव कुटुंबकम्"** की भावना के विपरीत है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया था कि **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007** बुजुर्ग माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिनियम बच्चों को उनके घर से बेदखल करने की स्पष्ट अनुमति नहीं देता।

भारत में बदलती परिवार संस्था

पहलू	पारंपरिक परिवार	नवीन प्रवृत्तियां
संरचना	**संयुक्त परिवार प्रणाली** जिसमें दादा-दादी, चाचा-चाची, भतीजे-भतीजियां सहित कई पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रहती हैं।	मुख्यतः **एकल परिवार,** जिसमें अक्सर केवल माता-पिता और गैर-वयस्क बच्चे ही शामिल होते हैं।
निर्णय लेना	**पितृसत्तात्मक पदानुक्रम,** जिसमें निर्णय **सामूहिक रूप से बुजुर्गों द्वारा लिए जाते हैं।**	अब **अधिक समतामूलक दृष्टिकोण** अपनाया जा रहा है, जहां **पुरुष और महिलाएं मिलकर निर्णय लेते हैं।**
विवाह प्रथाएं	बुजुर्गों द्वारा तय की जाने वाली पारंपरिक विवाह प्रणाली; **वंश और पारिवारिक एकता पर बल।**	**प्रेम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप** और **समलैंगिक संबंधों जैसे गैर-पारंपरिक संबंधों** की स्वीकार्यता बढ़ी है।
जीवन मूल्य	सामूहिकता पर बल: परिवार की वफादारी, एकता, परस्पर निर्भरता।	**गोपनीयता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर ध्यान; व्यक्तिवादिता में वृद्धि।**

[77] One Person, One Family

भारतीय परिवार संस्था में बदलाव के कारक

- **आर्थिक कारक:** शहरीकरण, श्रम बाजार की बढ़ती मांग, शहरी क्षेत्रों में जीवन-यापन की उच्च लागत, दोहरी आय वाले परिवार, आदि।
- **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन:** महिलाओं की शिक्षा और औपचारिक रोजगार तक बेहतर पहुँच ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी है।
- **पाश्चात्य प्रभाव:** व्यक्तिवादी मूल्यों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अब लोग **छोटे और निजता-प्रधान परिवारों को अधिक महत्त्व** देने लगे हैं।
- **वैश्वीकरण:** मीडिया और वैश्विक संपर्क के माध्यम से **विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ाव** ने पारिवारिक संरचनाओं और मूल्यों के नए विकल्प सामने रखे हैं। उदाहरण के तौर पर, **बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) की कार्य संस्कृति** छोटे और लचीले पारिवारिक ढांचे को बढ़ावा देती है।
- **तकनीक की भूमिका:** Skype, WhatsApp जैसे आधुनिक संचार माध्यमों ने दूर रहते हुए भी संपर्क बनाए रखने में मदद की है, लेकिन आमने-सामने बातचीत की कमी ने पारिवारिक संबंधों की गहराई और भावनात्मक निकटता को धीरे-धीरे प्रभावित किया है।

पारिवारिक संस्था में बदलाव के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव

• **सक्रिय पालन-पोषण: पिता** अब बच्चों के पालन-पोषण में पहले से कहीं अधिक सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। वे केवल पारंपरिक रूप से वित्तीय प्रदाता की भूमिका तक सीमित नहीं रहकर, संवेगात्मक और दैनिक देखभाल में भी योगदान दे रहे हैं।
• **माता-पिता और बच्चों के बीच मजबूत बंधन:** एकल परिवारों में बच्चों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर विशेष ध्यान देने से माता-पिता और बच्चों के बीच गहरे भावनात्मक बंधन बनते हैं। इससे खुला संवाद और आपसी विश्वास भी सशक्त होता है।
• **पारिवारिक संघर्ष में कमी:** एकल परिवार में रहने से अंतर-पीढ़ी नियंत्रण या संपत्ति से संबंधित विवाद कम हो सकते हैं।
• **अधिक स्वायत्तता:** व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को स्वतंत्र तरीके से जीवन व्यतीत करने का अवसर।
	• **अंतर-पीढ़ीगत संघर्ष:** माता-पिता और बच्चों के बीच जीवन मूल्यों और जीवन शैली में अंतर, जिसे तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक परिवेश और गहरा कर देते हैं, अक्सर आपसी गलतफहमियों एवं टकराव का कारण बन जाते हैं।
	• **पारंपरिक मूल्यों की हानि: व्यक्तिवाद** पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण, एकल परिवारों में पले-बढ़े बच्चे **बड़ों के प्रति सम्मान, सामूहिकता और सामाजिक मानदंडों** जैसे मूल्यों को सीखने से वंचित रह जाते हैं, जो पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों में सिखाए जाते हैं।
	• **अकेलापन:**
	  ○ **बच्चों में:** छोटे परिवारों में भाई-बहनों या चचेरे भाई-बहनों की अनुपस्थिति से **अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है,** जिसका असर बच्चे के कल्याण पर पड़ता है।
	  ○ **माता-पिता में:** इसी प्रकार, वृद्धावस्था में उपेक्षा के कारण माता-पिता में **शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक रूप से हाशिए पर जाने की समस्या हो सकती है।**
	• **सामाजिक बुनियादी ढांचे पर दबाव:** संस्थागत तरीके से बुजुर्ग देखभाल, बाल देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहायता की अधिक मांग।

आगे की राह

- **समुदाय-आधारित समर्थन प्रणालियों को मजबूत करना:** पड़ोस-आधारित बेहतर बुजुर्ग देखभाल सेवाएं, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और मानसिक कल्याण केंद्र स्थापित करना।
  - स्थानीय सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देने के लिए RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) और पंचायतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, केरल का कुदुम्बश्री नेटवर्क समुदाय आधारित सेवाओं और देखभाल अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है, विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए।
- **शिक्षा और सामाजिक जागरूकता:** पारिवारिक सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में मूल्य संबंधी शिक्षा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को शामिल किया जाना चाहिए।
- **शहरी नियोजन के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत जीवन को बढ़ावा देना:** ऐसी आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना, जो बहु-पीढ़ीगत परिवारों के लिए अनुकूल आवास सुविधाएं प्रदान करती हों।
- **परिवार की अवधारणा को पुनः परिभाषित करना:** राज्यों की नीतियों और शासन संरचनाओं में पारंपरिक परिवार की परिभाषाओं (संयुक्त/ एकल) से आगे बढ़कर, एकल माता-पिता वाले परिवारों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों आदि को भी समाहित और समायोजित करने की आवश्यकता है।
  - इससे विभिन्न प्रकार के परिवारों के लिए **कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में मदद मिल सकती है।**
- **नीतिगत हस्तक्षेप: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007** का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चे यदि अपने माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करते हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उपेक्षा या दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध कर सकें।

भारत में पारिवारिक संरचना के बदलते स्वरूप के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #118- भारत में पारिवारिक संरचना का बदलता स्वरूप

6.4. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (Women-Led Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन** की 30वीं वर्षगांठ पर, विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर एक घोषणा-पत्र अपनाया। यह घोषणा-पत्र महिलाओं के नेतृत्व में विकास के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA) के बारे में

- इसे मूल रूप से **1995** में **महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन** में अपनाया गया था। इसमें बिना किसी अपवाद के हर महिला और लड़की के लिए सभी प्रकार के **मानवाधिकारों** और **मौलिक स्वतंत्रता** को बनाए रखने पर जोर दिया गया था।
- इसकी 30वीं वर्षगांठ पर, **बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा** जारी किया गया, जिसमें **निम्नलिखित 6 प्रमुख प्राथमिकताएं** शामिल थीं:
    - **डिजिटल क्रांति**: नए कौशल की प्राप्ति, महिलाओं के मामले में डिजिटल डिवाइड को दूर करना,आदि।
    - **गरीबी से मुक्ति**: सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और केयर) प्रदान करना।
    - **हिंसा की समाप्ति**: समुदाय-आधारित संगठनों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएं अपनाना।
    - **निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण और समान शक्ति**: निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में।
    - **शांति और सुरक्षा**: महिलाओं को विशेष ध्यान रखने वाली मानवीय कार्रवाइयों को बढ़ावा देना।
    - **क्लाइमेट जस्टिस**: आदिवासी समुदायों की महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देना, ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना, आदि।

महिलाओं का विकास बनाम महिलाओं के नेतृत्व में विकास

महिलाओं का विकास	महिलाओं के नेतृत्व में विकास
• इसमें **महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए कार्यक्रमों** को शामिल किया जाता हैं, हालांकि इन योजनाओं के निर्माण, इनके कार्यान्वयन और मूल्यांकन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। • **उदाहरण के लिए,** मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालिका शिक्षा परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए कोटा, आदि। • **इसके तहत महिलाओं को विकास कार्यक्रमों के केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है।** • महिलाओं के विकास से संबंधित **निर्णय लेने के टॉप-डाउन अप्रोच में** महिलाओं की **पर्याप्त भागीदारी का अभाव** है।	• यह एक ऐसे **परिवर्तन को दर्शाता** है, जिसमें महिलाओं को न केवल लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, बल्कि **विकास-प्रक्रिया के लीडर, नीति- निर्माता और इनोवेटर्स** के रूप में भी देखा जाता है। • **उदाहरण के लिए,** स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी, कॉर्पोरेट जगत में उनका नेतृत्व,आदि। • यह माना जाता है कि महिलाओं के पास अक्सर **समुदाय की जरूरतों को समझने की विशिष्ट अंतर्दृष्टि होती है,** और वे अपने **जीवन के अनुभवों के आधार पर इनोवेटिव समाधान** प्रस्तुत कर सकती हैं। • निर्णय लेने में **महिलाओं की भागीदारी** को प्रोत्साहित करने के लिए **बॉटम-अप अप्रोच** को अपनाया जाता है। **उदाहरण के लिए, स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन।**

'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **सशक्तीकरण की प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं**: महिलाओं को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने की सोच से आगे बढ़कर, उन्हें सशक्तिकरण के माध्यम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- **लैंगिक समानता**: यह पीढ़ीगत असमानताओं का समाधान करता है (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024: भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर)। यह लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और लैंगिक असमानता को जारी रखने वाले सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करने की दिशा में कार्य करता है।

- **आर्थिक सशक्तीकरण**: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार भारत की आबादी में 48% हिस्सेदारी महिलाओं की है, फिर भी वे GDP में केवल 18% का योगदान करती हैं। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से देश की GDP में 30% तक की वृद्धि की जा सकती है।
- **ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन**: महिला के नेतृत्व वाली पहलें गाँवों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं।
    - **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)** ने 8.01 करोड़ गरीब और वंचित समुदायों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिससे उनकी घरेलू आय में 22% की वृद्धि हुई।
- **समावेशी विकास**: यह महिलाओं की क्षमता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से आकार देने और आगे बढ़ाने में सहायता करता है।
- **संधारणीयता**: जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी निर्णयों में महिलाओं को सशक्त बनाने से समुदाय को जलवायु की चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है और उन्हें बदलते पर्यावरण के अनुसार ढाला जा सकता है।
    - **डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी** लगभग 5,000 दलित और आदिवासी महिला लघु किसानों के साथ मिलकर संधारणीय कृषि पद्धतियों के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमियों को उर्वर बना रही है।

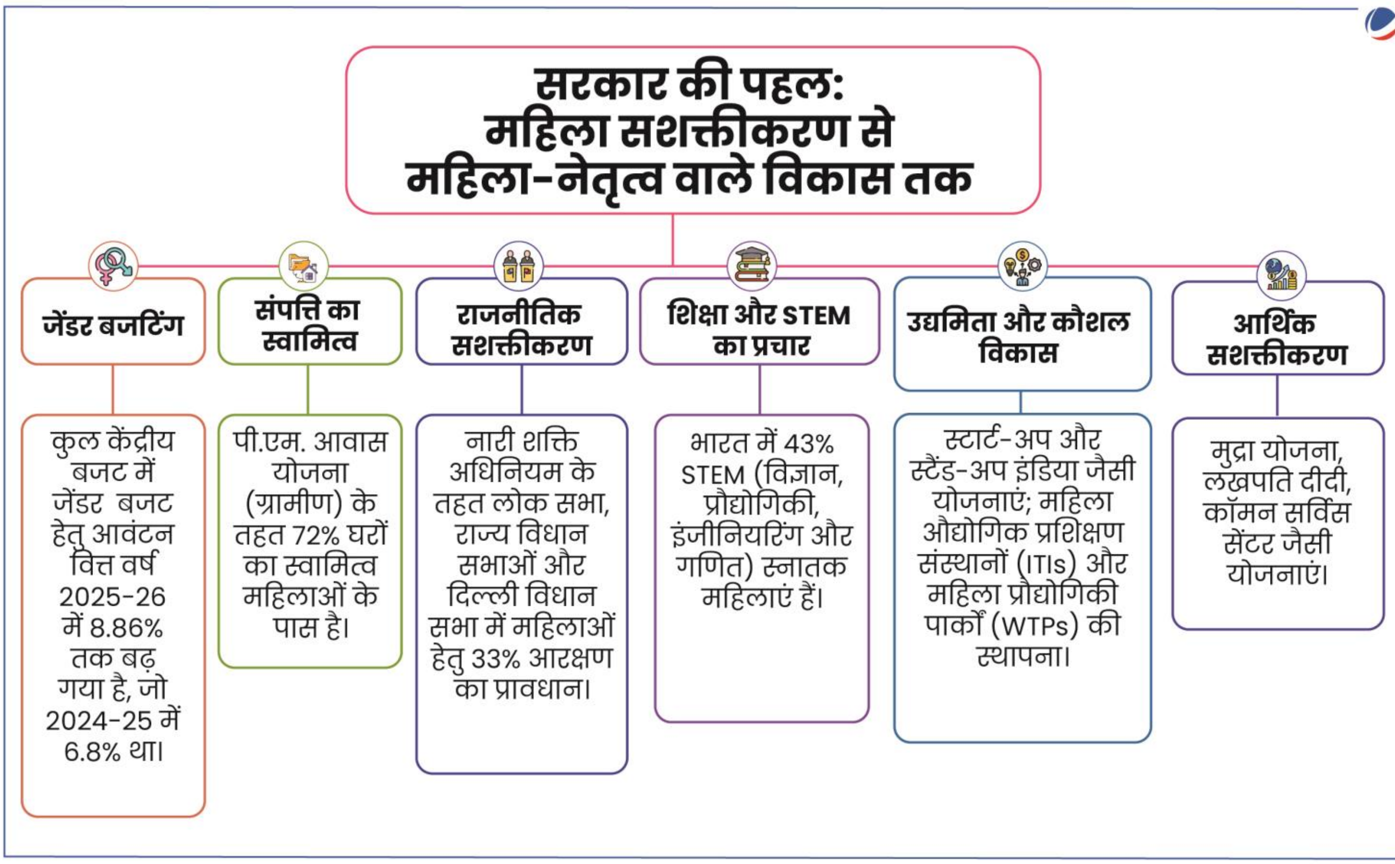

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की राह में मुख्य चुनौतियां

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड:** गहरी जड़ें जमा चुका पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकारों को सीमित करता है और लैंगिक असमानता को जारी रखता है।
    - NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, केवल 3% महिलाएं ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।
    - महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अवैतनिक 'देखभाल और घरेलू कार्यों' का अधिक बोझ उठाना पड़ता है।
- **शिक्षा:** वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत साक्षरता दर 79.9% है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे (62.3%) है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** महिलाओं को ग्लास-सीलिंग प्रभाव के कारण उत्पीड़न, असमान वेतन और करियर के सीमित विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - विश्व आर्थिक मंच (WEF) की जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त होता है।

- **लैंगिक डिजिटल डिवाइड:** भारत में केवल 15% महिलाओं की ही इंटरनेट तक पहुँच है (मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021)।
- **बाल विवाह और मातृत्व की जिम्मेदारी**: कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के दबाव से महिलाओं की शिक्षा और करियर की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं।
    - **NFHS-5** के अनुसार, 20-24 वर्ष के आयु वर्ग की 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी।
- **महिलाओं की सुरक्षा**: बढ़ती हिंसा महिलाओं की आवाजाही और स्वतंत्रता को सीमित करती है।
    - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट** के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक पहलें

- **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)[78], 1979**: यह कन्वेंशन **संयुक्त राष्ट्र-महिलाओं की स्थिति पर आयोग** के सहयोग से अपनाया गया।
    - यह आयोग महिलाओं की स्थिति की निगरानी और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1946 में स्थापित किया गया था।
- **यूएन वूमेन (UN Women)**: इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह संस्था लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**: यह पूरे विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है। यह सभी राष्ट्रों, सभी नृजातीय समुदायों, सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों तथा सभी प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देता है।
    - **2025 की थीम** थी: "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार, समानता, सशक्तिकरण (For ALL Women and Girls: Rights. Equality. Empowerment)"

निष्कर्ष

विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार देकर सशक्त बनाने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से, महिलाएं अब ना केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी रह गई हैं, बल्कि समाज में सक्रिय बदलाव की अग्रदूत बन गई है। समान अधिकार, अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भारत में **सतत** प्रगति और महिलाओं के नेतृत्व वाले वास्तविक विकास मॉडल का मार्ग प्रशस्त करता है।

[78] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.5.1. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के लिए नया SDG संकेतक अपनाया {New SDG Indicator On Minimum Dietary Diversity (MDD) Adopted By Un Statistical Commission}

यह संकेतक 2017 में अपनाए गए **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के फ्रेमवर्क के अंतर्गत पहले से ट्रैक किए जा रहे लगभग 250 संकेतकों** में शामिल हो गया है।

- इस **नए संकेतक का प्रबंधन खाद्य व कृषि संगठन (FAO) और यूनिसेफ (UNICEF) संयुक्त** रूप से करेंगे। यह संकेतक स्वस्थ आहार के मामले में **SDG की प्रगति को ट्रैक करने में आ रही कमी को दूर** करेगा।
- यह संकेतक **उन पहलुओं पर ध्यान देगा, जो कुपोषण को समाप्त करने और SDG-2 को हासिल करने तथा व्यापक एजेंडा 2030 की प्रगति को ट्रैक** करने हेतु उपलब्ध नहीं थे।
    - **SDG-2: भुखमरी को समाप्त करना।**

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, न्यूनतम आहार विविधता को तब हासिल किया जा सकता है जब आहार में **निम्नलिखित 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल हों:**
    - **माता का दूध; अनाज; फलियां; डेयरी उत्पाद; मांस खाद्य पदार्थ; अंडे; फल और सब्जियां तथा विटामिन A से भरपूर फल और सब्जियां। 5 से कम** खाद्य समूहों से आहार का सेवन **न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF)** माना जाता है।

न्यूनतम आहार विविधता (MDD) संकेतक का महत्त्व

- **पोषण का बेहतर आकलन:** यह विशेष रूप से महिलाओं (MDD-W) और बच्चों (MDD-C) की पोषण संबंधी जरूरतों को ट्रैक करती है। ज्ञातव्य है कि महिलाएं व बच्चे कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करना:** यह SDG-2 का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करना और पोषण में सुधार करना है।
- **नीति संबंधी साधन:** यह आहार संबंधी खराब आदतों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों का समाधान करने के मामले में नीति निर्माताओं को कुपोषण से निपटने के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद करती है।
- **पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन:** यह पोषण संबंधी पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करती है।

भारत में न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) की स्थिति (वर्ष 2019-21):

- **क्षेत्रीय असमानताएं:** भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से **उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता (MDDF) से पीड़ित** हैं।
- **MDDF पर आयु का प्रभाव: 77% कम आयु वर्ग यानी 6-23 महीने** के बच्चों में उच्च आयु समूहों की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है।

- **कमजोर वर्ग:** अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** के बच्चों में **सबसे ज़्यादा MDDF (79%)** है। उसके बाद **अनुसूचित जाति (77.2%) और अनुसूचित जनजाति (76%)** का स्थान है।

6.5.2. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (World Happiness Report)

यह रिपोर्ट **ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड** के साथ मिलकर प्रकाशित की है।

रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **कैंट्रिल सेल्फ-एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल (कैंट्रिल लैडर) से प्राप्त एक प्रश्न** पर आधारित है।
    - स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा **'बहुत खुशहाल जीवन'** का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला हिस्सा **'बिल्कुल भी खुशहाल नहीं'** जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।
- **रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदण्ड:**
    - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद,
    - सामाजिक समर्थन,
    - जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा,
    - जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता,
    - उदारता और
    - भ्रष्टाचार की धारणाएं।
- **सबसे खुशहाल देश: फिनलैंड (पहला स्थान), इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड** का स्थान है।
- **भारत का स्थान: 147 देशों में से 118वां स्थान।**

6.5.3. स्वावलंबिनी (Swavalambini)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से **स्वावलंबिनी - महिला उद्यमिता कार्यक्रम** शुरू किया है।

स्वावलंबिनी–महिला उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में

- यह **लैंगिक रूप से समावेशी उद्यमिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।**
- **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को उद्यमिता के लिए आवश्यक **कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन** उपलब्ध कराकर उन्हें सक्षम बनाना है।
- **संरचना:** इसमें **उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम,** महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मार्गदर्शन और फैकल्टी ट्रेनिंग भी शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन निकाय: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान।**
- **प्रभाव:** इसका लक्ष्य **प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 10% को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है,** जिससे भारत में महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6.5.4. पीएम-युवा 3.0 (PM-Yuva 3.0)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम-युवा 3.0 (यंग, अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स) लॉन्च किया।

पीएम-युवा 3.0 के बारे में

- यह **लेखक-मेंटरशिप कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **30 वर्ष से कम उम्र के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित** करना है। यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप है।
- **उद्देश्य:** पढ़ने, लिखने और पुस्तक-संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारतीय लेखन को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: नेशनल बुक ट्रस्ट।**
- **कुल 50 लेखकों का चयन निम्नलिखित विषयों पर आयोजित एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा:**
    - राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान;
    - भारतीय ज्ञान परंपरा;
    - आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025) आदि।

- चयनित पुस्तकों को **NBT द्वारा प्रकाशित** किया जाएगा और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। इससे **सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा मिलेगा तथा **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** की भावना को मजबूत किया जाएगा।

6.5.5. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee)

जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक **क्रिस्टी कोवेंट्री** IOC की **पहली महिला अध्यक्ष** बनीं।

- IOC एक **गैर-लाभकारी स्वतंत्र** निकाय है, जो **ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन** करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के बारे में

- **मुख्यालय:** लॉज़ेन (ओलंपिक राजधानी), स्विट्जरलैंड।
- **उत्पत्ति: पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस** में स्थापित (1894)।
- **विज़न:** खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना।
- **वित्त-पोषण:** पूर्णतः **निजी तौर पर वित्त-पोषित तथा अपने राजस्व का 90%** सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है।
- **कार्य:**
  - **ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन** का निर्णय लेना।
  - एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOCs) और खेल महासंघों सहित ओलंपिक हितधारकों के बीच **सहयोग को सुगम** बनाना।
    - **भारतीय ओलंपिक संघ (IOC)** भारत के NOC के रूप में कार्य करता है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. मानव संवर्धन (Human Enhancement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में IMARC द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव संवर्धन उद्योग का आकार 2024 में 125 बिलियन डॉलर था और इसके 2033 तक बढ़कर 348.5 बिलियन डॉलर तक हो जाने की संभावना है।

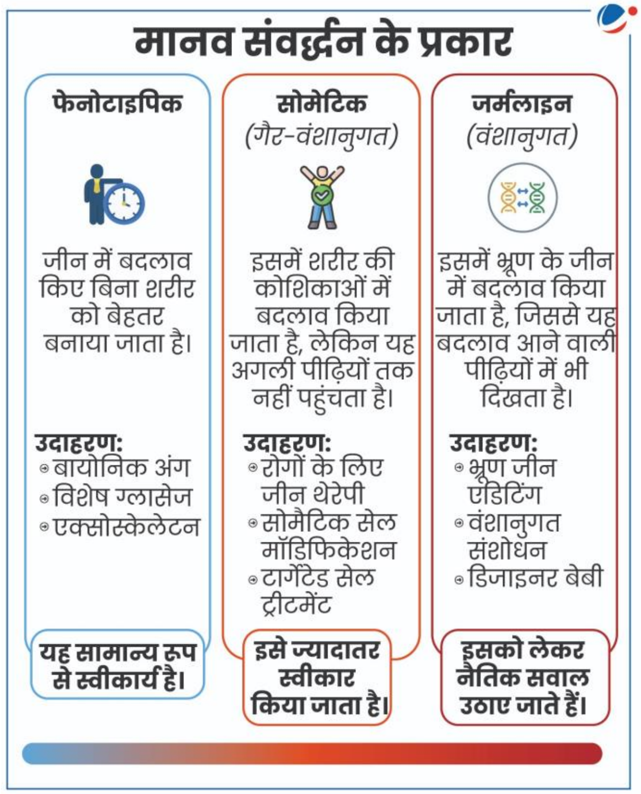

मानव संवर्धन क्या होता है?

- मानव संवर्धन के अंतर्गत **व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक, कृत्रिम तथा तकनीकी माध्यमों से ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, जो उसकी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं[79] में वृद्धि** करते हैं।
- यह कार्य **दवाइयों, हार्मोन, इम्प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आहार संबंधी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी** जैसे तरीकों से पूरा किया जाता है।
  - **पारंपरिक चिकित्सा** में बीमारी का इलाज किया जाता है, जबकि **मानव संवर्धन का उद्देश्य मानव की सामान्य क्षमता के दायरे को बढ़ाना होता है।**
    - उदाहरण के लिए, मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मलेरिया, टी.बी. और लाइम जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके प्रति प्रतिरोध प्रदान करती हैं।
- **मानव संवर्धन के बारे में दो मुख्य विचारधाराओं पर चर्चा की जाती है:**
  - **ट्रांसह्यूमैनिस्ट (Transhumanists):** यह विचारधारा मानव क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि करने और जीवनकाल को बढ़ाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों का समर्थन करती है।
  - **बायोकंजरवेटिव (Bioconservatives):** यह विचारधारा मानव की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने का समर्थन करती है और प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव जीवन को आमूलचूल रूप से बदलने या उसे बढ़ाने का विरोध करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विचारधारा का मानना है कि इन सबसे मानवता की मौलिकता को खतरा हो सकता है।

मानव संवर्धन से जुड़ी चिंताएं

- **समानता:** मनवा संवर्धन तक सभी की पहुँच समान नहीं हो सकती है, परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता बढ़ सकती है।
- **पहचान:** मानव के मूल गुणों में बदलाव करने से मानव के रूप में हमारी प्राकृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है।
- **सहमति:** बिना सहमति के या किसी प्रकार की मजबूरी में किया गया मानव संवर्धन, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
- **सामाजिक दबाव:** यदि संवर्धन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है जो स्वयं को इससे दूर रखना चाहते हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** मानव संवर्धन हेतु आनुवंशिक या तंत्रिका में किए गए बदलावों के दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है।
- **पर्यावरण:** लंबे जीवनकाल से संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है।
- **आनुवंशिक विविधता:** आनुवंशिक इंजीनियरिंग से विविधता में कमी आ सकती है, जिससे बीमारियों के प्रति सुभेद्यता बढ़ सकती है।
- **विनियमन:** इन प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, न्यायपूर्ण और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

मानव संवर्धन प्रौद्योगिकियां मानव की क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं व जीवनकाल को लंबा कर सकती हैं तथा प्रगति को संभव कर सकती हैं, लेकिन ये नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी उत्पन्न करती हैं। इस तकनीक से संबंधित उत्तरदायी विनियमन, समान पहुंच और दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि मानव होने के मूल्यों को बनाए रखा जा सके।

---

[79] Cognitive and physical capabilities

7.2. रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (Strategic Crypto Reserve: SCR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक **रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व (SBR)**[80] और एक **यू.एस. डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल** की स्थापना की गई है, ताकि एक **रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR)** तैयार किया जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR)** में **बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना (SOL) और कारडैनो (ADA)** जैसी क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करना है, ताकि अमेरिका के क्रिप्टो उद्योग को बढ़वा दिया जा सके।
- इसका उद्देश्य क्रिप्टो प्रबंधन में मौजूद कमियों को दूर करना भी है, क्योंकि SBR को स्थापित करने वाले प्रारंभिक देशों में शामिल होकर अमेरिका रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है?

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है।
- पारंपरिक फिएट मुद्राओं के विपरीत, क्रिप्टोकरेंसी पर किसी देश या सरकार या केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है।
- **उदाहरण:** बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), रिपल (XRP), टेथर (USDT), आदि।

रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) के बारे में

- रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) मूलतः **सरकार के नियंत्रण में रखी गई क्रिप्टोकरेंसी का भंडार या स्टॉकपाइल** होता है। इसे **राष्ट्रीय वित्तीय भंडार** के रूप में रखा जाता है ताकि आर्थिक अनिश्चितताओं से सुरक्षा, वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से **ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग** किया जा सके।
- यह पारंपरिक करेंसी रिजर्व जैसे विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार के बजाय एक डिजिटल मुद्रा भंडार के रूप में कार्य करता है।
- रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व (SCR) के संचालन की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से तय नहीं की गई है।
    - हालांकि, इसे **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार**[81] के समान समझा जा सकता है, जिसका उपयोग सरकार पेट्रोलियम आपूर्ति में रुकावट के प्रभावों को कम करने के लिए करती है।

---
[80] Strategic Bitcoin Reserve

[81] Strategic Petroleum Reserve

क्या भारत को भी रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व स्थापित करना चाहिए?

पक्ष में तर्क

- **राष्ट्रीय रिजर्व का विविधीकरण:** क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक संपत्तियों जैसे कि स्वर्ण, बॉण्ड और शेयर से ज्यादा संबंधित नहीं होती है, जिससे पोर्टफोलियो संबंधी जोखिम कम हो जाता है।
- **आर्थिक झटकों से बचाव:** यह यू.एस. डॉलर के उतार-चढ़ाव और वैश्विक मौद्रिक अस्थिरता से बचाव का एक उपाय हो सकता है।
  - **उदाहरण:** यह भू-राजनीतिक तनावों (जैसे कि आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार युद्ध, आदि) के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकता है।
- **लागत प्रभावी विप्रेषण[82]: क्रिप्टो लेन-देन** विप्रेषण शुल्क को 6.4% (वैश्विक औसत) से घटाकर 1% से भी कम कर सकते हैं, जिससे भारत को सालाना अरबों रुपये की बचत हो सकती है।
- **तकनीकी रूप से अग्रणी:** भारत की तकनीकी प्रतिभा का उपयोग करके ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस (DeFi) के क्षेत्र में नवाचार किया जा सकता है।
- **उच्च रिटर्न की क्षमता:** क्रिप्टो करेंसी का इतिहास देखें तो इसने पारंपरिक संपत्तियों की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है। अतः यह विकास के बहुआयामी अवसर प्रदान करती है।
  - **उदाहरण:** पिछले 10 सालों में बिटकॉइन ने 200 गुना की वृद्धि की है, जबकि NVIDIA और Apple जैसे बड़े स्टॉक्स ने 50 गुना और 10 गुना की वृद्धि की।
- **वित्तीय संप्रभुता:** यह बाहरी वित्तीय प्रणालियों (जैसे- SWIFT) पर निर्भरता को कम करता है और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है।

विपक्ष में तर्क

- **अस्थिरता और बाजार संबंधी जोखिम:** क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव (जैसे- 2022 में बिटकॉइन के मूल्य में 80% की गिरावट) क्रिप्टो रिजर्व को अस्थिर बना सकता है।
- **RBI की आपत्तियां और नीतिगत रुख:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बार-बार क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है और जिसमें वित्तीय अस्थिरता को प्रमुख कारण बताया गया है।
  - RBI विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** को प्राथमिकता देता है, क्योंकि RBI विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा मानता है।
- **विनियामक चुनौतियां:** इसमें मौजूदा वित्तीय कानूनों से टकराव और भविष्य में संभावित विनियमों के संबंध में अनिश्चितता आदि शामिल है।
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** क्रिप्टो वॉलेट्स या एक्सचेंज पर साइबर हमले से भारी नुकसान हो सकता है।
  - **उदाहरण:** 2021 में 600 मिलियन डॉलर का पॉली नेटवर्क हैक।
- **पर्यावरणीय प्रभाव**: क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग प्रक्रिया (जैसे: बिटकॉइन का प्रूफ-ऑफ-वर्क) में बिजली की खपत अधिक होती है, जो जलवायु संबंधी लक्ष्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- **स्वीकृति संबंधी बाधाएं**: इसमें क्रिप्टो के प्रति आम लोगों में संदेह और रिजर्व संपत्ति के रूप में इसकी सीमित संस्थागत विश्वसनीयता, आदि शामिल हैं।
  - **तरलता संबंधी समस्याएं:** व्यापक क्रिप्टो होल्डिंग्स को फिएट मुद्रा में कन्वर्ट करने में तरलता संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

भारत के लिए आगे का राह

- **लघु स्तर पर शुरुआत:** भारत ट्रायल के तौर पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 1-2% (लगभग 6-12 बिलियन डॉलर) हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के लिए निर्धारित कर सकता है।
- **विनियामक फ्रेमवर्क का निर्माण:** भारत सिंगापुर और जापान के संतुलित मॉडल से सीख ले सकता है, ताकि जोखिम को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
- **तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना:** देश की स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करके क्रिप्टो को सुरक्षित रूप से भंडारित करने के उपायों के साथ-साथ ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा सकता है।
- **उपयोगिता पर ध्यान देना:** विप्रेषण और DeFi में क्रिप्टो के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि जमीनी स्तर पर इसके उपयोग को बढ़ावा मिल सके।
- **वैश्विक प्रवृत्तियों पर नजर रखना:** भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों (जैसे: अमेरिकी बिटकॉइन ETF, EU के MiCA रेगुलेशन) के अनुरूप नियम बना सकता है।

---

[82] Cost-Efficient Remittance

7.3. लाइट सुपरसॉलिड (Light Supersolid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार **प्रकाश से सुपरसॉलिड का निर्माण** किया है।

सुपरसॉलिड क्या होता है?

- **परिभाषा**: यह पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है, जो ठोस जैसी संरचना और घर्षण रहित प्रवाह दोनों का प्रदर्शन करती है।
  - इसे क्वांटम यांत्रिकी (Quantum mechanics) द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसके तहत पार्टिकल्स एक सुव्यवस्थित व क्रिस्टल जैसी ठोस अवस्था में एकत्र या घनीभूत होते हैं, लेकिन वे श्यानता (Viscosity) रहित द्रव की भांति प्रवाह भी करते हैं।
- **प्रारंभिक शोध:** 1960 के दशक में सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की गई **सुपरसॉलिड अवस्था** को अंततः 2017 में अल्ट्राकोल्ड **बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BEC)** का उपयोग करके प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया।
  - अब तक सुपरसॉलिड अवस्था हेतु **अत्यधिक निम्न तापमान (सामान्यतः निरपेक्ष शून्य यानी 0 केल्विन या -273.15°C) अनिवार्य होता था,** जिस पर क्वांटम प्रभाव दिखाई देते हैं।
  - इस तापमान पर **परमाणुओं में न्यूनतम ऊर्जा** होती है और पदार्थ एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसे **पदार्थ की पाँचवीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BECs)** के रूप में जाना जाता है।
  - हालांकि, वैज्ञानिक पूर्ण शून्य, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रयोगशाला में वे इसके बेहद करीब का तापमान प्राप्त करने में सक्षम हैं।
- **वर्तमान शोध:** नए शोध में **"पोलारिटॉन" सिस्टम** की विशेषताओं पर आधारित एक **नई तकनीक** का उपयोग किया गया है।
  - **पोलारिटॉन** वस्तुतः प्रबल विद्युत-चुम्बकीय इंटरएक्शन के तहत प्रकाश और क्वासि-पार्टिकल्स जैसे एक्साइटोन के आपस में जुड़ने से बनते हैं।
  - क्वासि पार्टिकल्स गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिसके तहत पदार्थों में होने वाले मूलभूत बदलावों (जैसे- स्पिन वेव्स) को कणों या पार्टिकल्स के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
    - **ये पदार्थ से नहीं बने होते हैं,** इसलिए इन्हें क्वासि पार्टिकल्स कहा जाता है।

प्रकाश को सुपरसॉलिड में बदलने का महत्व क्या है?

- सुपरसॉलिड प्रकाश, **क्वांटम कंप्यूटिंग** में अधिक स्थिर क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **प्रकाश को इस तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता ऑप्टिकल उपकरणों, फोटोनिक सर्किट्स, और यहां तक कि बुनियादी क्वांटम यांत्रिकी संबंधी शोध में क्रांति ला सकती है।**
- इस स्तर पर प्रकाश को नियंत्रित करने की क्षमता शोधकर्ताओं को मटेरियल साइंस के नए क्षेत्रों का अन्वेषण करने में सक्षम बनाती है। साथ ही, यह ऊर्जा का उपयोग करने और उसे समझने के हमारे तरीके में भी नए मार्ग खोल सकती है।

प्रकाश के बारे में

- ब्रह्मांड में **प्रकाश की गति सबसे अधिक** है। **प्रकाश की गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड** है।
- यह माना जाता है कि प्रकाश वेव-पार्टिकल **ड्युअलिटी** प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि प्रकाश **कभी-कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी-कभी कण की तरह।**
  - पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, किसी कण या पार्टिकल में ऊर्जा और अन्य विशिष्ट गुण स्पेस-टाइम के एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित माने जाते हैं, जबकि तरंग एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती है।
- **क्वांटम यांत्रिकी** हमें बताती है कि प्रकाश एक साथ **कण और तरंग, दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है।**

नोट: *बोस-आइंस्टीन कंडेन्सेट्स (BEC) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया नवंबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.2. देखें।*

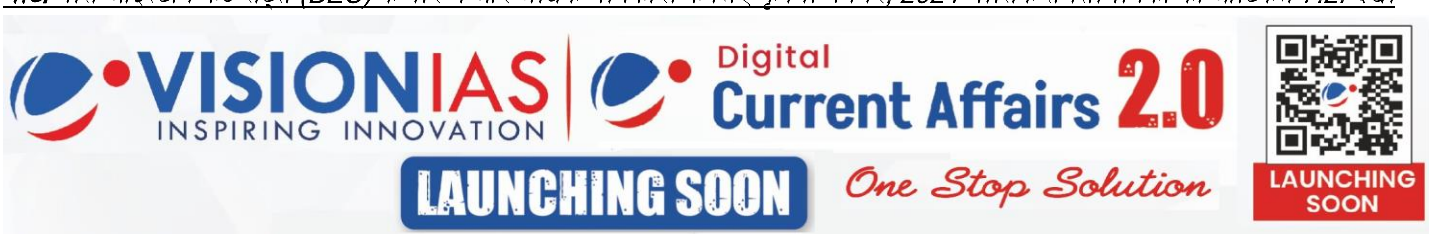

7.4. एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां {Anti-Retroviral Therapy (ART) Drugs}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को HIV/AIDS (PLHIV) से पीड़ित रोगियों के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाओं की आपूर्ति और खरीद में आ रही समस्याओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) दवाइयां क्या होती हैं?

- **ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (HIV)** से संक्रमित रोगी का इजाल **एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART)** से किया जाता है, जिसमें रोगी को **एंटी-HIV दवाइयां** दी जाती हैं।
- ART का मुख्य उद्देश्य **शरीर में वायरस की मात्रा या प्रभाव को बहुत कम स्तर (अनडिटेक्टेबल) तक लाना** है, जिससे HIV के फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है।
  - इसे **"अनडिटेक्टेबल=अनट्रांसमिटेबल" (U=U)** कहा जाता है।
- ART में आमतौर पर **2 से 4 दवाइयों का संयोजन** दिया जाता है, जो HIV को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे **हाइली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (HAART)** भी कहा जाता है।
  - **उदाहरण:** TLD टैबलेट (टेनोफोविर, लैमिवुडिन, और डोल्यूटेग्राविर)।
- यहां यह समझना जरूरी है कि **एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी HIV का इलाज नहीं** है, लेकिन यह HIV से संक्रमित लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है।
- भारत में ART दवाओं का प्रबंधन **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)** द्वारा किया जाता है, जो इनकी खरीद, वितरण और विनियमन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।
  - NACO द्वारा **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)**[83] लागू किया गया है।

HIV/AIDS के बारे में

- **HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस):** यह एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और खासतौर पर **CD4 कोशिकाओं** (T कोशिकाओं) को नष्ट करता है। ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं।
- **AIDS (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम):** यह HIV संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। इसमें इम्यून सिस्टम इतनी कमजोर हो जाती है कि वह जीवन-धातक संक्रमणों से नहीं लड़ पाती है।
  - हर HIV संक्रमित व्यक्ति को AIDS हो जाए, यह जरूरी नहीं है, खासकर जब समय पर सही इलाज और देखभाल मिल रही हो।
- **संक्रमण:** HIV वस्तुतः संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे- असुरक्षित यौन संपर्क, ब्लड-टू-ब्लड संपर्क, संक्रमित माँ से बच्चे में संक्रमण फैलना, आदि।
- **भारत में स्थिति**:
  - हाल ही में प्रकाशित **इंडिया HIV अनुमान 2023** रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **2.5 मिलियन** से अधिक लोग HIV से पीड़ित हैं।
  - देश के पूर्वोत्तर राज्यों में युवा आबादी HIV से सबसे अधिक पीड़ित है (मिजोरम में 2.70%, नागालैंड में 1.36%, मणिपुर में 1.05%)।
  - **आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु** जैसे राज्यों में HIV संक्रमण की दर अधिक है। इन राज्यों में देश के कुल HIV संक्रमित रोगियों में से लगभग 55% पाए जाते हैं।

उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास:**
  - **UNAIDS 95-95-95 लक्ष्य (2030 तक)**:
    - **95%** लोग जो HIV से संक्रमित हैं, उन्हें **अपनी बीमारी की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए।**
    - **95%** लोग जिन्हें HIV का पता चला है, उन्हें **एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) उपलब्ध कराना चाहिए।**

---

[83] National AIDS Control Programme

    - **95%** लोग जो ART प्राप्त कर रहे हैं, उनमें **वायरस के स्तर को कम-से-कम करना चाहिए।**
  - **एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष**[84]: यह विकासशील देशों में HIV/ AIDS, टी.बी. (तपेदिक) और मलेरिया रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **भारत में किए गए प्रयास**:
  - **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP):** इसे 1992 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इसका पांचवां चरण (NACP-V) चल रहा है, जिसकी अवधि 2021-2026 तक है।
  - **नि:शुल्क ART उपचार और देखभाल:** भारत में 700+ ART केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में नि:शुल्क ART दवाइयां प्रदान की जाती है।
  - **कानूनी संरक्षण: HIV/ AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017** HIV से संक्रमित सभी व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क ART की व्यवस्था करना अनिवार्य करता है।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.5.1. मोटापा (Obesity)

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बताया कि **वैश्विक स्तर पर हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त** है, और **5 से 19 वर्ष के बच्चों व किशोरों में इसके मामले चार गुना बढ़ गए हैं।** उन्होंने यह बात 2022 के WHO के आंकड़ों के आधार पर कही।

- प्रधान मंत्री ने मोटापा कम करने के लिए खाद्य तेल की खपत में लोगों से 10% की कटौती करने का आह्वान किया है।

मोटापा के बारे में

- WHO के अनुसार, मोटापा शरीर में **असामान्य या अत्यधिक वसा का संचय** है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।
  - मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए **बॉडी मास इंडेक्स (BMI)** का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना व्यक्ति के **वजन (किलोग्राम)** को उसकी **लंबाई (वर्ग मीटर)** से विभाजित करके की जाती है **(kg/m^2)।**
    - **25 या इससे अधिक BMI** वाले व्यक्ति को **अधिक वजन** वाला माना जाता है।
    - **30 या इससे अधिक BMI** वाले व्यक्ति को मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है।
- **मोटापे का स्वास्थ्य पर प्रभाव:** हृदय रोग में वृद्धि, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां, आदि।

NFHS-5 (2019-2021) के अनुसार, भारत में मोटापे की स्थिति

- कुल मिलाकर, **24% महिलाएं और 23% पुरुष** अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं।
- अखिल भारतीय स्तर पर, **2015-16 से 2019-21** के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में **अधिक वजन की दर 2.1% से बढ़कर 3.4%** हो गई।

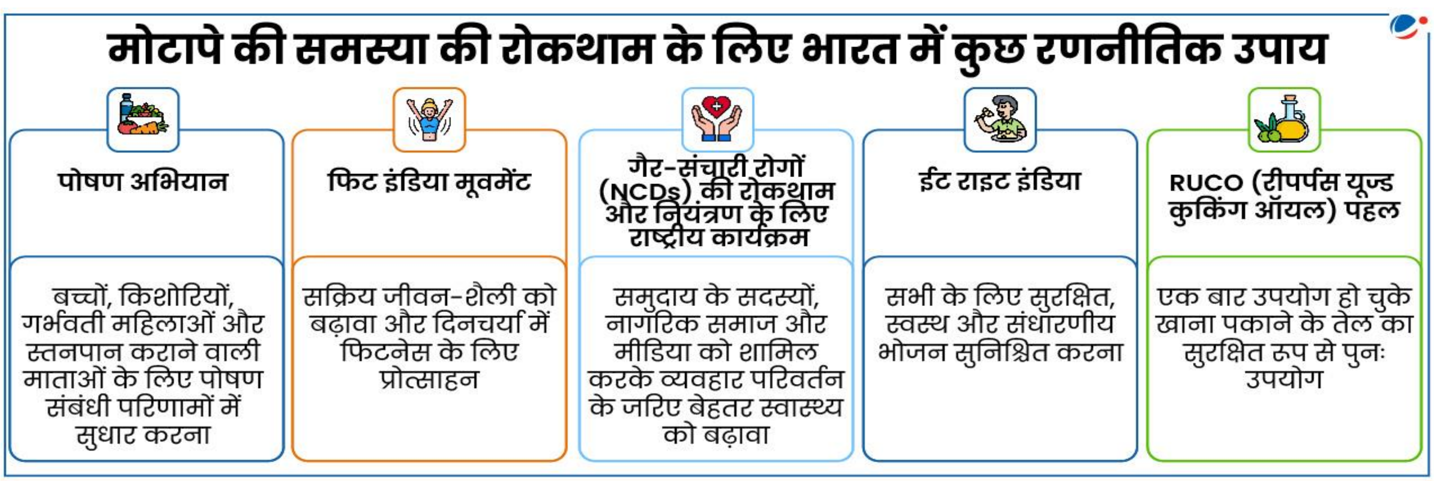

[84] Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

©Vision IAS

भारत में मोटापे को बढ़ावा देने वाले कारक

- **उच्च-कैलोरी एवं कम-पोषक तत्व वाले आहार:** रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एवं सैचुरेटेड फैट्स यानी संतृप्त वसा की खपत में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच, आदि।
- **भाग-दौड़ वाली जीवन-शैली:** लंबे समय तक बैठे रहना, स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताना, शारीरिक गतिविधियों पर बहुत कम ध्यान देना, आदि।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग:** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें मानव शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं और वजन में अवांछित वृद्धि का कारण बन सकती हैं।

7.5.2. राष्ट्रीय जीन बैंक (National Gene Bank)

केंद्र सरकार ने **दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा** की। इसका उद्देश्य **भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रॉप (फसल) जर्मप्लाज्म का संरक्षण** करना है।

- पहला NGB **1996 में नई दिल्ली स्थित ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR)** में स्थापित किया गया था।

जीन बैंक के बारे में

- जीन बैंक ऐसे **जैव-भंडार** होते हैं, जहां **पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित** किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
- **जीन बैंक के प्रकार**
  - **सीड बैंक (बीज बैंक)** – जैसे **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे।**
  - **फील्ड जीन बैंक** – प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पादपों का संरक्षण।
  - **क्रायो-प्रिजर्वेशन बैंक** – ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए।
  - **पोलन (पराग) और DNA बैंक।**
- **भारत में अन्य जीन बैंक**
  - **पशु जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), हरियाणा।
  - **माइक्रोबियल जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (NBAIM), उत्तर प्रदेश।

7.5.3. ट्रांसजेनिक जीव (Transgenic Organism)

'ट्रांसजेनिक चूहों' के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्ख़ियों में आए।

- **ट्रांसजेनिक** से तात्पर्य ऐसे जीव या कोशिका से है, जिसके जीनोम को **किसी अन्य प्रजाति** से लिए गए **एक या अधिक DNA अनुक्रमों** के उस जीनोम में प्रवेश द्वारा उसे बदल दिया गया है। जीनोम वस्तुतः **कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण सेट** होता है।

ट्रांसजेनिक जीवों के बारे में

- **अवधारणा:** ट्रांसजेनिक जीव वे होते हैं, जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। 'ट्रांस' का अर्थ है 'एक से दूसरे तक' और 'जेनेटिक' का अर्थ है 'जीन'।
- **ट्रांसजेनिक चूहा:** ट्रांसजेनिक चूहे को जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जीनोमिक संरचनाएं मानव से मिलती-जुलती हैं।
- **इसके उद्देश्य एवं उपयोग**
  - **सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं (फिजियोलॉजिकल) को समझना:** उदाहरण के लिए- **चयापचय और रक्त कोशिका उत्पादन का अध्ययन** करने के लिए **ट्रांसजेनिक चूहों** का उपयोग किया जाता है।

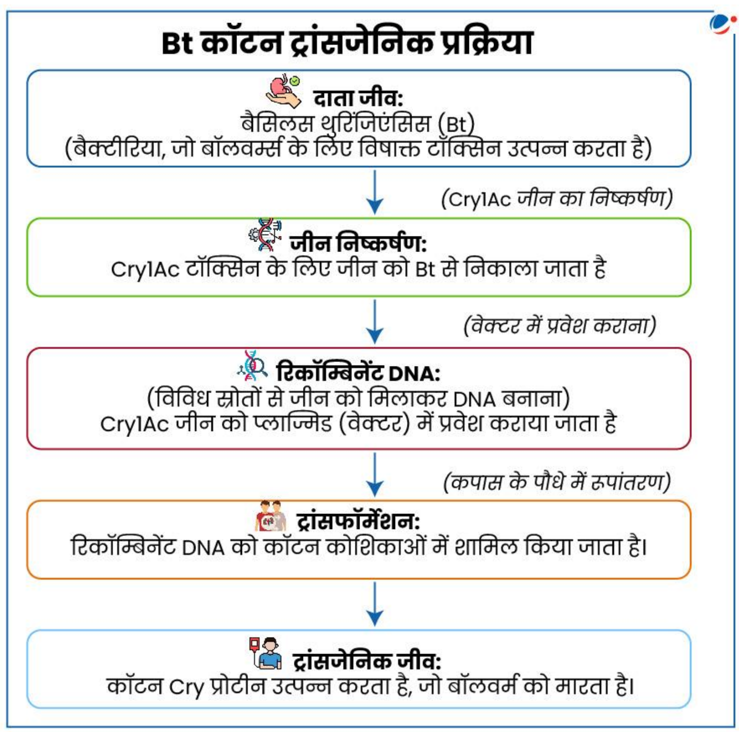

- **मानव रोगों का मॉडल बनाना:** उदाहरण के लिए- **अल्जाइमर जैसे मानव रोगों का मॉडल बनाने** के लिए **ट्रांसजेनिक सूअरों** का उपयोग किया जाता है।
- **नये उपचारों का विकास करना:** उदाहरण के लिए- **ट्रांसजेनिक जेब्राफिश** के कारण **दवा के परीक्षण और उपचार के विकास में तेजी** आई है।
- **थेराप्यूटिक प्रोटीन का उत्पादन: ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन** (रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन) का उत्पादन करने के लिए **ट्रांसजेनिक बकरियों** का विकास किया गया है।
- **रोग प्रतिरोधी फसलें:** उदाहरण के लिए- **Bt कॉटन** आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जो **बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी** है।

- **चुनौतियां**
  - **नैतिक चिंताएं:** इसमें पशु पर अत्याचार से संबंधित पक्ष तथा आनुवंशिक संशोधन के कारण अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है।
  - **पर्यावरणीय जोखिम:** ट्रांसजेनिक जीवों का पारिस्थितिकी-तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।
- **इससे संबंधित भारत में विनियमन:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'नियम, 1989'; जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) आदि।

7.5.4. MeitY ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की (MeitY Launched Multiple Initiatives To Boost The AI Ecosystem)

इन पहलों को **इंडिया AI मिशन का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन** के तहत लॉन्च किया गया है।

लॉन्च की गई प्रमुख पहलें

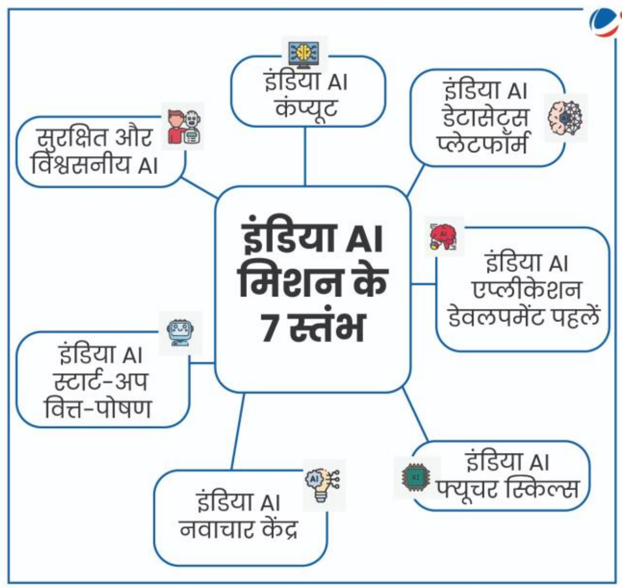

- **AI कोष: इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म:** यह डेटासेट, AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के साथ इनके उपयोग के मामलों की एक सुरक्षित रिपॉजिटरी है।
- **इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल:** यह सब्सिडी वाली AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं के साथ-साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) भी उपलब्ध कराता है।
  - GPU एक **सर्किट** होता है, जो ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है।
- **AI कंपीटेंसी फ्रेमवर्क:** यह सार्वजनिक क्षेत्रक के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए iGOT-AI:** यह GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।
- **अन्य पहलें:** इनमें **इंडिया AI स्टार्ट-अप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम, इंडिया AI इनोवेशन चैलेंज और इंडिया AI फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप** शामिल हैं।

इंडिया AI मिशन के बारे में

- **शुरुआत:** इसे मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य: सार्वजनिक-निजी भागीदारी** और एडवांस्ड AI अवसंरचना के माध्यम से AI संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना।
  - **इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा-**
    - कंप्यूटिंग एक्सेस के लोकतंत्रीकरण द्वारा,
    - स्टार्ट-अप्स के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके,
    - सामाजिक रूप से प्रभावी AI परियोजनाओं को सुनिश्चित करके,
    - एथिकल AI को बढ़ावा देकर आदि।
- **मंत्रालय:** यह **MeitY** का अम्ब्रेला प्रोग्राम है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग **"इंडिया AI".**

7.5.5. AI वॉशिंग (AI Washing)

कई वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टार्ट-अप्स द्वारा फंड प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले **AI-वॉशिंग** तरीके से चिंतित हैं।

AI-वॉशिंग के बारे में

- AI वॉशिंग वह प्रक्रिया है, जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों में **AI** के उपयोग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं।
- **"AI वॉशिंग" शब्दावली "ग्रीनवॉशिंग" से प्रेरित** है।
  - ग्रीनवॉशिंग के तहत कंपनियां अपनी सेवा या अपने उत्पाद के पर्यावरण-अनुकूल होने के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं।
- **AI-वॉशिंग के उदाहरण:**
  - ऑटोमेशन को AI बताकर गलत तरीके पेश करना;
  - **AI संबंधी सतही दावे** करना;
  - **"AI-संचालित"** जैसे बजवर्ड्स का उपयोग करना।

7.5.6. नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च (NIDAR) {National Innovation Challenge For Drone Application and Research (NIDAR)}

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI)** के सहयोग से **स्वयान/ SwaYaan पहल** के तहत **NIDAR** का शुभारंभ किया।

- NIDAR का लक्ष्य **भारत के छात्र और अनुसंधान समुदायों को सहयोगात्मक स्वायत्त ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें शामिल** करना है। इसके माध्यम से **आपदा प्रबंधन और परिशुद्ध कृषि** के क्षेत्र में वास्तविक विश्व की चुनौतियों का समाधान खोजा जाएगा।

स्वयान के बारे में

- इसे **2022 में MeitY ने मंजूरी प्रदान** की थी।
- इसका उद्देश्य ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों सहित मानव रहित विमान प्रणालियों (UAS) में **मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान** देना है।

7.5.7. उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना (North India's First Nuclear Power Project)

उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी।

- गोरखपुर परियोजना में **दो जुड़वा (यानी 4) परमाणु ऊर्जा इकाइयां** स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (Pressurized Heavy Water Reactor: PHWR)** होगा। इस परियोजना की **कुल क्षमता 2800 MW** होगी।

PHWR के बारे में

- PHWR में **शीतलक और मंदक** दोनों के लिए **भारी जल (D_2O)** का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में **प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग किया जाता है।
    - भारी जल वह जल है, जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर **भारी हाइड्रोजन** होता है। इस भारी हाइड्रोजन को **ड्यूटेरियम** भी कहा जाता है।
    - भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान **न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा** कर देता है तथा इसमें **न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम** होती है।
- **भारत के PHWR संयंत्र का विकास**
    - इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में **भारत-कनाडा परमाणु सहयोग** के माध्यम से शुरू हुई थी।
    - **राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (RAPS-1)** में पहला **220 MW का रिएक्टर** बनाया गया था।
    - **पोखरण-1 (1974)** के बाद, कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद **भारत ने 220 MW के PHWR डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित** किया था।

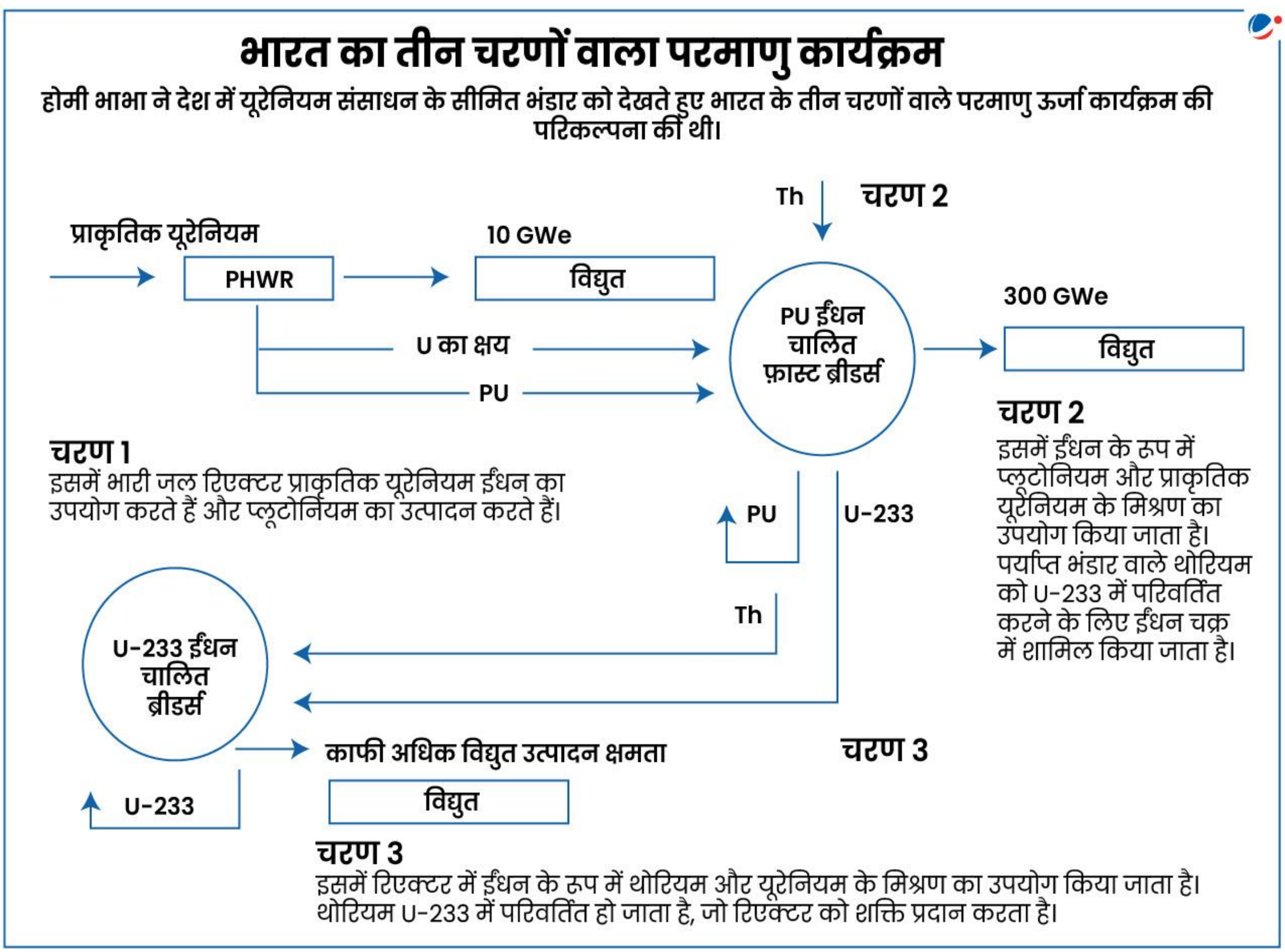

भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास

- **परमाणु ऊर्जा मिशन** के अंतर्गत **2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    - वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग **8.1 GW** है।
- **भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान, झारखंड की जादुगुड़ा माइंस** में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है।
- **गुजरात के काकरापार में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 MWe के PHWR की पहली दो इकाइयों (KAPS- 3 और 4)** ने वित्त वर्ष 2023-24 में **वाणिज्यिक परिचालन शुरू** कर दिया है।
- **देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR 500 मेगावाट)** ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
- **NPCIL** और **NTPC** ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम **अश्विनी (ASHVINI)** का गठन किया है। **4x700 मेगावाट PHWR माही-बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना** इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है।

***नोट:** परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1. देखें।*

7.5.8. नासा के अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे (NASA'S Astronauts Return To Earth After Being Stuck in Space For 286 Days)

ये अंतरिक्ष यात्री **बोइंग के CST-100 स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** पर गए थे।

- स्टारलाइनर में **हीलियम गैस के लीक होने और एक खराब थ्रस्टर की समस्या** के चलते यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा । थ्रस्टर प्रणाली पृथ्वी के वायुमण्डल में पुनः प्रवेश के दौरान **अंतरिक्ष यान की दिशा और नियंत्रण** में मदद करती है।
- सोवियत अंतरिक्ष यात्री **वालेरी पोल्याकोव** के नाम अंतरिक्ष में एक ही बार में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने **मीर स्पेस स्टेशन पर 438 दिन** बिताए थे।

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मिलने वाले अवसर:

- **चिकित्सा अनुसंधान:** यह मानव शरीर पर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के प्रभावों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी परीक्षण:** इससे यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि जीवन-सहायक प्रणालियां, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यान पर लगे उपकरण निर्धारित मिशन अवधि के बाद कैसा प्रदर्शन करते हैं।
- **डीप स्पेस मिशन की तैयारी:** यह भविष्य में मंगल और चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। ऐसे मिशनों में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहना पड़ेगा।

अंतरिक्ष में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:

- **अंतरिक्ष विकिरण:** खगोलीय और सौर विकिरणों के संपर्क में आने से **कैंसर एवं अन्य विकिरण जनित बीमारियों का खतरा बढ़** जाता है।
- **गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र:** माइक्रोग्रैविटी (अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण) से मांसपेशियों के अट्रॉफी और हड्डी के घनत्व में कमी आ सकती है। साथ ही, पृथ्वी पर आने के बाद शारीरिक संतुलन एवं तालमेल प्रभावित हो सकता है।
    - माइक्रोग्रैविटी में **हड्डियों की क्षमता में प्रति माह 1% से 1.5% तक** का नुकसान हो सकता है।
- **अकेलापन और मानसिक दबाव:** पृथ्वी से दूर सीमित स्थानों में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव **मानसिक स्वास्थ्य और टीम के तालमेल को प्रभावित** कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)

- यह एक **रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो निम्न भू-कक्षा (370-460 कि.मी. की ऊंचाई पर)** में स्थित है।
- **प्रमुख साझेदार:** यूरोपीय देश (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व), संयुक्त राज्य अमेरिका {नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)}, जापान (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी), कनाडा (कनाडाई स्पेस एजेंसी) और रूस (रोस्कोस्मोस)।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी परीक्षण, गहन अंतरिक्ष में अन्वेषण की तैयारी करना, आदि।

7.5.9. स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट (Starlink Satellite Internet)

भारतीय दूरसंचार कंपनियों **एयरटेल और जियो** ने स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया।

- स्टारलिंक **विश्व का पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट्स का समूह है। निम्न भू-कक्षा में स्थापित यह सैटेलाइट्स समूह उच्च गति और कम विलंबता वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट** प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट या उपग्रह आधारित इंटरनेट के बारे में

- यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से एक **वायरलेस इंटरनेट** को व्यक्त करता है। यह वैश्विक कवरेज प्रदान करने में सक्षम है।
- उपग्रह **लेजर के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे ग्राउंड स्टेशनों** पर निर्भरता कम हो जाती है।

स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा

- वर्तमान में, लगभग **7,086 स्टारलिंक उपग्रह** कक्षा में हैं।
- **प्रत्येक स्टारलिंक उपग्रह:**
  - **3 स्पेस लेजर (ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लिंक या ISLs)** होते हैं, जो **200 Gbps** तक की स्पीड प्रदान कर सकते हैं। अतः इनका पूरा समूह मिलकर एक वैश्विक इंटरनेट जाल का निर्माण करता है।
  - इसमें उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए **5 एडवांस्ड Ku-बैंड फेज्ड ऐरे एंटीना और 3 ड्यूल बैंड (Ka-बैंड व E-बैंड) एंटीना का उपयोग** किया जाता है।

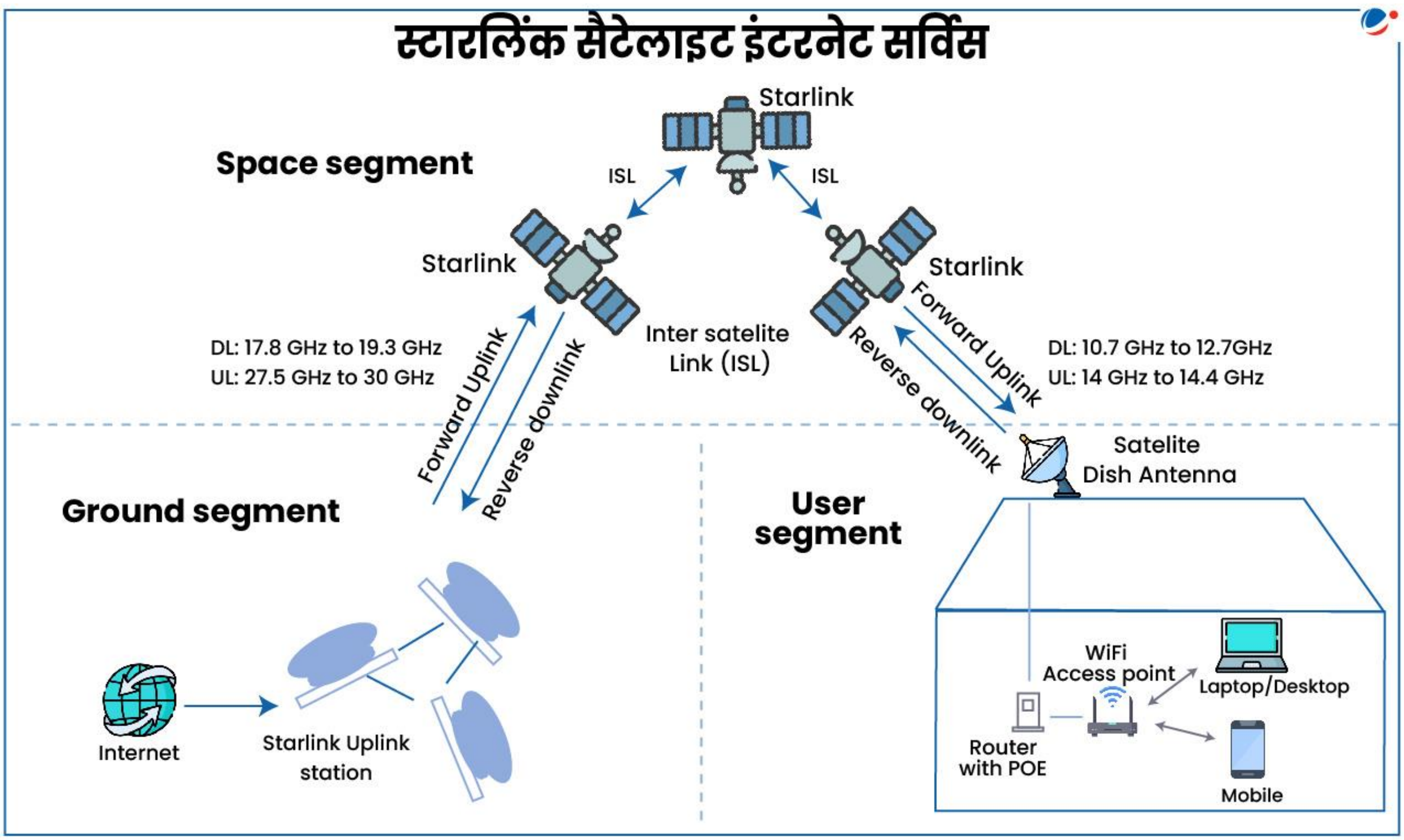

सैटेलाइट इंटरनेट का महत्त्व

- **कनेक्टिविटी पहुंच में सुधार:** यह दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त है।
- **आपदाओं के दौरान कनेक्टिविटी:** स्टारलिंक ने टोंगा में विशाल ज्वालामुखी प्रस्फुटन और सुनामी के बाद कनेक्टिविटी प्रदान की थी।
- **सैन्य उपयोग:** यह सैन्य ठिकानों और सैन्य विमानों, जहाजों, ड्रोन आदि के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट से संबंधित चिंताएं

- **खगोलीय हस्तक्षेप:** रात्रिकालीन आकाश में उपग्रहों द्वारा उत्सर्जित तेज प्रकाश खगोलीय निरीक्षणों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **वायुमंडलीय परिवर्तन:** स्टारलिंक उपग्रहों की उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न मलबे से वायुमंडलीय रासायनिक दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा है।
- **तकनीकी सीमाएं:** इसकी सेवाओं में चरम मौसमी दशाओं और भू-चुंबकीय तूफानों से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

7.5.10. उल्काभ (Meteorite)

वैज्ञानिकों ने बीड (महाराष्ट्र) के एक गांव में उल्का पिंड गिरने की पुष्टि की।

- जब कोई **उल्काभ** वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर **पृथ्वी के धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड** कहते हैं।

उल्काभ, उल्का और उल्कापिंड के बीच अंतर

अंतरिक्ष में उल्काभ (Meteoroid)

- ये आम तौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टकराकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे-छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। जैसे ग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु आदि।
- ये **चट्टानी और/ या धातुमय दोनों** रूप में हो सकते हैं।
- इनका आकार **क्षुद्रग्रहों से छोटा** होता है और इनमें **धूमकेतुओं की तुलना में कम जल एवं बर्फ** होती है।

वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उल्का (Meteor)

- ये तब बनते हैं, जब उल्कापिंड पृथ्वी या किसी ग्रह के **वायुमंडल में प्रवेश** करते हैं।
- इन्हें '**शूटिंग स्टार**' कहा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करते हुए घर्षण के दबाव के कारण जल जाते हैं।
- '**उल्का वर्षा**' एक खगोलीय घटना है, जिसमें एक लघु अवधि के दौरान **कई उल्काएं** पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं।

धरातल से टकराने पर उल्कापिंड (Meteorite)

- जब कोई **उल्काभ** वायुमंडल से गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट न होकर **धरातल से टकराती है, तो उसे उल्कापिंड** कहते हैं।
- **प्रकार:** इसकी संरचना **चट्टानी, लौहयुक्त, और चट्टानी-लौहयुक्त** हो सकती है।
- इसका **बाहरी आवरण गहरे रंग का और जला हुआ होता है तथा तापीय अपक्षय** के कारण इसकी सतह खुरदरी, चिकनी या थंबप्रिंट जैसी होती है।
- यह धरातल से टकराकर '**क्रेटर**' बना सकता है। उदाहरण के लिए **लोनार झील (महाराष्ट्र)**।

नोट 1: पृथ्वी पर 50,000 से अधिक उल्कापिंड पाए गए हैं। इनमें से 99.8% क्षुद्रग्रहों के खंड हैं। (स्त्रोत-नासा)

नोट 2: भारत में, **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GIS)** देश में गिरे सभी उल्कापिंडों का संरक्षक है।

उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्व

- **सौर प्रणालियों को समझने में सहायक:** इनमें **सौर मंडल के इतिहास के प्रमाण** मिल सकते हैं।
- **भूवैज्ञानिक संरचना:** ये ग्रहों एवं सौर मंडल के **भू-रसायन विज्ञान और खनिज संरचना के बारे में जानकारी प्रदान** करते हैं।
- **ये ग्रहों के उद्भव और जीवन की उत्पत्ति एवं विकास** को समझने मदद कर सकते हैं।

इनके अन्वेषण से संबंधित पहलें

- **नासा ऑल स्काई फायरबॉल नेटवर्क:** यह **आकाश में शुक्र ग्रह से भी अधिक चमकीली उल्का का अवलोकन** करने के लिए कैमरों का एक नेटवर्क है। इन अधिक चमकीली उल्काओं को **फायरबॉल** कहा जाता है।
- **कनाडा का CMOR (कैनेडियन मिटियोर ऑर्बिट रडार):** इसका उद्देश्य **उल्काभ की गति, दिशा और अवस्थिति** का पता लगाना है।

7.5.11. ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) {Global Astrometric Interferometer For Astrophysics (GAIA)}

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, GAIA को बंद कर दिया।

ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (GAIA) के बारे में

- यह हमारी आकाशगंगा, **मिल्की वे का त्रि-आयामी मानचित्र बनाने** का एक मिशन था।
- GAIA को **लैग्रेंज पॉइंट-2 (L-2)** में स्थापित किया गया है। यदि सूर्य से अवलोकन किया जाए तो, **L-2 पृथ्वी के पीछे** है। GAIA पृथ्वी से लगभग **1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी** पर है।
  - **लैग्रेंज पॉइंट्स** पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ-साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल (centripetal force), दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहां पर स्थापित अंतरिक्षयान अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं।

- **उद्देश्य:** इसे तारों और अन्य खगोलीय पिंडों की अवस्थिति एवं गति की सटीक माप के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था।
    - **एस्ट्रोमेट्री:** ब्रह्मांड का मानचित्रण करने का विज्ञान।

7.5.12. एबेल पुरस्कार (Abel Prize)

जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा (78) को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर **"गणित का नोबेल"** कहा जाता है।

- यह पुरस्कार उन्हें **बीजगणितीय विश्लेषण, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, डी-मॉड्यूल्स और क्रिस्टल बेसिस** में उनके कार्यों के लिए दिया गया है।

एबेल पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार **हर साल गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान** के लिए दिया जाता है।
- इसका नाम **नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-1829)** के नाम पर रखा गया है।
    - एबेल ने **सामान्य पंचम समीकरण को मूलांकों की मदद से हल करने की असंभवता को सिद्ध** किया था।
    - वे **दीर्घवृत्तीय फलनों (एबेलियन फलनों)** के क्षेत्र में भी अग्रणी थे।
- यह पुरस्कार **नॉर्वे सरकार द्वारा 2002 में स्थापित** किया गया था।
- इसे **नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **प्रथम विजेता:** जीन-पियरे सेरे (2003)।
- **पुरस्कार राशि: 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (720,000 डॉलर) और एक कांच की पट्टिका** दी जाती है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने यूनेस्को के सहयोग से वर्ष 2000 को विश्व गणितीय वर्ष घोषित किया था।

QUIZ SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Sites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने **2025 में भारत के लिए संभावित सूची में छह स्थलों/ स्मारकों** को शामिल करने का निर्णय लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- संभावित सूची **उन स्थलों/ स्मारकों की एक "सूची"** है, जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनने के योग्य हैं।
- **प्रक्रिया:** किसी स्थल/ स्मारक के संभावित सूची में शामिल होने के बाद, देश को एक **नामांकन दस्तावेज** तैयार करना होता है, जिस पर **यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति** द्वारा विचार किया जाता है।
    - भारत में इस प्रक्रिया में **भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग (INCCU)**[85] और **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)**[86] की मुख्य भूमिका होती है।
- **भारत में, 62 स्थल/ स्मारक** यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं।
- **नवीनतम शामिल 6 स्थल/ स्मारक निम्नलिखित हैं-**
    - **मुदुमल महापाषाण मेन्हिर** (तेलंगाना);
    - **कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान** (छत्तीसगढ़);
    - विविध राज्यों में स्थित **अशोक के अभिलेख;**
    - मध्य प्रदेश और ओडिशा का **चौसठ योगिनी मंदिर;**
    - उत्तर भारत में **गुप्तकालीन मंदिर;** तथा
    - मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित **बुंदेलों के महल-किले।**

क्या आप जानते हैं?

> अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद (ICOMOS) **18 अप्रैल** को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में मनाता है, जिसे **विश्व धरोहर दिवस** के रूप में भी जाना जाता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल/ स्मारक (WHS) क्या है?

- विश्व धरोहर स्थल/ स्मारक वे स्थल/ स्मारक होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके **"विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्य"** के लिए मान्यता दी जाती है।
- यह **"विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय[87]"** द्वारा निर्देशित है। इसे **विश्व धरोहर अभिसमय** भी कहा जाता है।
- **विश्व धरोहर स्थलों/ स्मारकों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:** सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर तथा मिश्रित धरोहर (सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों)।

चयन के लिए मानदंड

- **किसी स्थल/ स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना चाहिए:**
    - मानव की रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हो,
    - सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्त्व का प्रदर्शन करता हो,
    - स्थापत्य कला, पारिस्थितिकी या भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या
    - असाधारण प्राकृतिक सौंदर्यता और जैव विविधता का प्रदर्शन करता हो।
    - यह स्थल/ स्मारक मानव विरासत, चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं या संरक्षण प्रयासों में योगदान देने वाला होना चाहिए।
    - अन्य बातें जो ध्यान में रखी जाती हैं: स्थल/ स्मारक की सुरक्षा, प्रबंधन, प्रामाणिकता और अखंडता।

---

[85] Indian National Commission for Co-operation with UNESCO

[86] Archaeological Survey of India

[87] Convention Concerning Protection of World Cultural and Natural Heritage

©Vision IAS

विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में

- इसे **यूनेस्को की महासभा द्वारा 1972 में अपनाया** गया था। यह अभिसमय **1975** में प्रभावी हुआ था।
- इसमें उन **प्राकृतिक या सांस्कृतिक स्थलों/ स्मारकों** के प्रकार को परिभाषित किया गया है, जिन्हें **विश्व धरोहर सूची** में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
- **विश्व धरोहर समिति (WHC)** का गठन अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार यूनेस्को के भीतर किया गया है।
- **वर्ष 1975** में अभिसमय के तहत **'वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर'** सूची और **'वर्ल्ड हेरिटेज फंड'** की स्थापना की गई थी।
- **भारत** ने इस अभिसमय की **अभिपुष्टि 1977** में की थी।

विश्व धरोहर सम्मेलन के अंतर्गत प्रमुख विकास

- **विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा-पत्र (2002):** रणनीतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया- **"4Cs"** अर्थात् **विश्वसनीयता (Credibility), संरक्षण (Conservation), क्षमता निर्माण (Capacity-building)** और **संचार (Communication)**
- 4Cs को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए **'समुदाय (Community)'** शब्द जोड़कर **"5Cs"** के रूप में संशोधित किया गया है।

विश्व धरोहर साझेदार पहल (PACT) (1992): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना और विश्व धरोहर स्थलों (WHSs) के संरक्षण में विविध संस्थाओं एवं व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना।

सांस्कृतिक विरासत की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण पर वारसॉ अनुशंसा (2018): सशस्त्र संघर्षों, आपदाओं एवं प्राकृतिक खतरों के बाद WHS की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निर्माण हेतु सार्वभौमिक दिशा-निर्देश प्रदान करना।

यूनेस्को विश्व धरोहर समिति (असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी समिति)

- **संरचना:** यह समिति **196 सदस्य देशों** में से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी होती है। **भारत वर्तमान में इसका सदस्य है।**
- **कार्यकाल: 6 वर्ष** (हालांकि अधिकांश देश **स्वेच्छा से 4 वर्षों तक** ही सदस्य रहने का निर्णय लेते हैं।)
- **कार्य:**
  - इसकी **वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक** होती है। बैठक में WHS की **सूची में नए स्थलों/ स्मारकों को शामिल करने, पुराने स्थलों/ स्मारकों को हटाने या संशोधित** करने पर विचार-विमर्श किया जाता है।
  - समिति नामित स्थलों/ स्मारकों का **नियमित निरीक्षण** करती है, और यदि कोई स्थल/ स्मारक गंभीर खतरे में हो, तो उसे **"वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर"** के रूप में नामित करती है।
  - यदि किसी स्थल/ स्मारक का **असाधारण सार्वभौमिक मूल्य** समाप्त हो जाए या वह नष्ट हो जाए, तो समिति उसे **विश्व धरोहर सूची से हटा** सकती है।
- भारत ने पहली बार **जुलाई 2024 में नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक** की मेजबानी की थी। इसका आयोजन **संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** ने किया था।
  - **'मोइदम्स' अहोम** राजवंश की एक अंत्येष्टि विधि थी। हाल ही में इसे भारत की **43वीं प्रविष्टि** के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
- **वर्ल्ड हेरिटेज फंड (असाधारण सार्वभौमिक मूल्य की विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कोष):** इसकी स्थापना **1977 में** WHC के तहत की गई थी।
  - **वित्त-पोषण:** सदस्य देशों तथा सरकारों, फाउंडेशंस, निजी क्षेत्रक या आम लोगों द्वारा किया गया स्वैच्छिक योगदान।

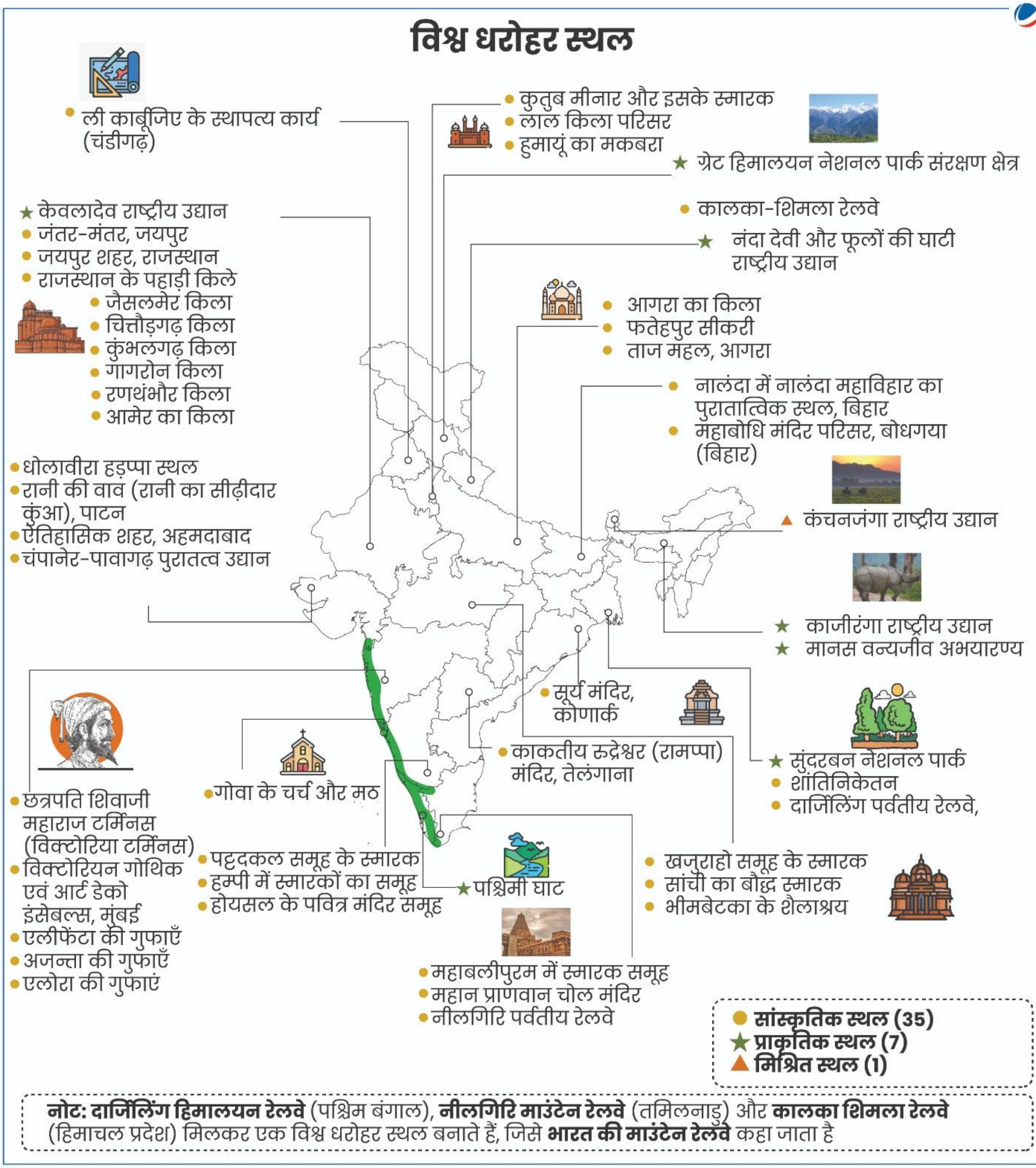

भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #123- भारत की सांस्कृतिक विरासतः अतीत का संरक्षण, भविष्य के लिए प्रेरणा

8.1.1. अशोक के अभिलेख स्थल (Ashokan Edict Sites)

- **अवधि: मौर्य सम्राट अशोक** (268 ई.पू. - 232 ई.पू.) ने अपने शासनकाल के दौरान **प्रस्तर, स्तंभों, शिलाओं और गुफा की भित्तियों** पर 30 से अधिक अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे।
    - अशोक के अभिलेख हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद **भारत में पहले लिखित अभिलेख** हैं।
    - अशोक ने **14 वृहद शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख और कुछ लघु शिलालेख** उत्कीर्ण करवाए थे।
- **उद्देश्य:** अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के **शाही आदेश** थे। अधिकतर अभिलेखों पर अशोक द्वारा दिए गए आदेशों को उत्कीर्ण करवाया गया है। ये आदेश **सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक मामलों** से संबंधित हैं। इनके माध्यम से अशोक ने **कुलीनों, अधिकारियों तथा आम जनता को संबोधित** किया था।
- **भाषा:** मुख्यतः **प्राकृत,** लेकिन **उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र** में खोजे गए कुछ अभिलेखों की भाषा **अरामाईक और ग्रीक** है।
- **लिपि: ब्राह्मी** (मुख्य लिपि), **खरोष्ठी** (गांधार क्षेत्र में प्रयुक्त), **ग्रीक** और **अरामाईक** (उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में)।
- **निर्माण सामग्री:** अशोक के स्तंभ अभिलेखों का निर्माण **चुनार से लाए गए बादामी रंग के कठोर बलुआ पत्थर और मथुरा से लाए गए धब्बेदार लाल एवं सफेद बलुआ पत्थर** से किया गया है।
- **अभिलेखों की अन्य विशेषताएं:**
    - अशोक ने अभिलेखों (धम्म लिपि) का उत्कीर्णन मुख्यतः अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए कराया था। हालांकि, इन अभिलेखों से अशोक के विशाल साम्राज्य की सीमाओं का भी पता चलता है।
        - विशेष रूप से **ब्राह्मी लिपि को धम्म लिपि** कहा जाता है।
    - चार स्थानों, यथा- **मास्की व ब्रह्मगिरी (कर्नाटक), गुज्जरा (मध्य प्रदेश), और नेट्टूर (आंध्र प्रदेश)** से मिले अभिलेखों में **अशोक का नाम "देवानांपिय"** (देवताओं का प्रिय) मिलता है।
    - **कर्नाटक** में एक स्तूप पर उत्कीर्ण **कंगनहल्ली अभिलेख** में अशोक को **"रान्यो अशोक"** (राजा अशोक) कहा गया है।

- **वृहद शिलालेख: गिरनार** (गुजरात), **धौली** (ओडिशा), **जौगढ़** (ओडिशा), **सोपारा** (महाराष्ट्र), **कालसी** (उत्तराखंड), **एर्रागुडि** (आंध्र प्रदेश), **सन्नती** (कर्नाटक), **शिशुपालगढ़** (ओडिशा); **मानसेहरा** और **शाहबाजगढ़ी** (पाकिस्तान); तथा **कंधार** (अफगानिस्तान) (सबसे पुराना ज्ञात अशोक शिलालेख)।
- **लघु शिलालेख: सासाराम और रतनपुरवा** (बिहार), **पंगुरारिया, रूपनाथ एवं गुज्जरा** (मध्य प्रदेश), **बैराठ** (राजस्थान), **ब्रह्मगिरि, सिद्धपुरा, जटिंग-रामेश्वर, मास्की, गविमठ, पाविगुंडा, उदेगोलम, नेट्टूर** (कर्नाटक); **राजुला मंदागिरी और एर्रागुडि** (आंध्र प्रदेश), **बहापुर** (दिल्ली) तथा **अहरौरा** (उत्तर प्रदेश)।
- **स्तंभ शिलालेख: प्रयाग-** कौशांबी से अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया (रानी का अभिलेख- उत्तर प्रदेश), **लौरिया-अरेराज, लौरिया-नंदनगढ़ और रामपुरवा** (बिहार); **दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-टोपरा तथा साँची** (मध्य प्रदेश)।
- **अन्य: सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ** (उत्तर प्रदेश), **बाराबर गुफा अभिलेख** (बिहार) आदि।

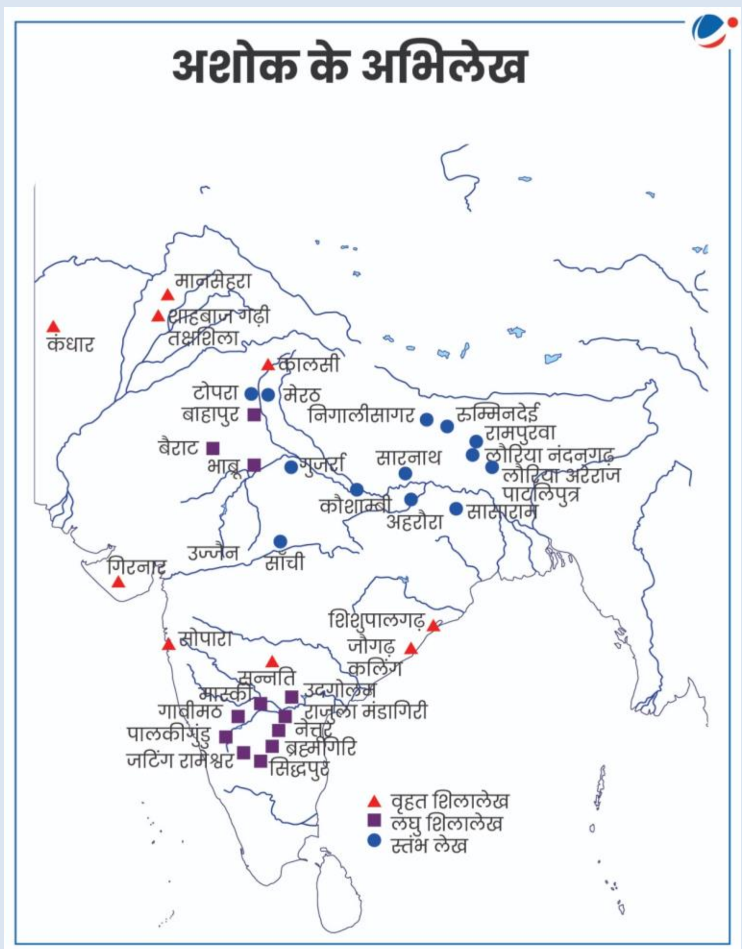

 ©Vision IAS

अशोक के वृहत शिलालेख

वृहत शिलालेख	विवरण
I	**पशु वध और उत्सव के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध** लगाने का उल्लेख मिलता है; अशोक ने भी **स्वयं शिकार करने की प्रथा बंद** कर दी थी।
II	**मनुष्यों/ पशुओं के लिए चिकित्सा देखभाल** का विवरण मिलता है; **चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र तथा यूनानी शासक एण्टियोकस द्वितीय** का भी उल्लेख मिलता है।
III	इसे राज्याभिषेक के 12 साल बाद उत्कीर्ण करवाया गया था; **ब्राह्मणों के प्रति उदारता** को बढ़ावा देने की बात कही गई है; **युक्तों** (अधीनस्थ अधिकारियों), **प्रादेशिकों** (जिला प्रमुखों) और **राजुकों** (ग्रामीण अधिकारियों) को धम्म का प्रसार करने का निर्देश दिया गया है।
IV	**भेरीघोष (युद्ध विजय) की बजाय धम्मघोष (धर्म विजय)** को अपनाने का उल्लेख मिलता है; **नैतिकता एवं नैतिक शासन** पर जोर दिया गया है; समाज में शांति और धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है।
V	इसमें अशोक घोषणा करता है कि **"प्रत्येक मानव मेरी संतान है"; धम्म महामात्रों की नियुक्ति** का विवरण मिलता है; **दासता** का उल्लेख किया गया है।
VI	**कल्याण और प्रशासन** पर बल दिया गया है; **अशोक के प्रजा के साथ संचार** का विवरण मिलता है।
VII	धर्मों/ संप्रदायों के बीच **सहिष्णुता** और **सम्मान** को प्रोत्साहित किया गया है।
VIII	अशोक की **बोधगया की पहली धम्म यात्रा** का उल्लेख मिलता है।
IX	**फिजूलखर्ची वाले समारोहों की निंदा** की गई है; **धम्म से जुड़े सरल अनुष्ठानों** पर जोर दिया गया है।
X	प्रसिद्धि और खुद के गुणगान की आलोचना की गई है; **भौतिकवाद पर धम्म को प्राथमिकता** दी गई है।
XI	**धम्म को प्राथमिक नीति** घोषित किया गया है; बड़ों के प्रति सम्मान की बात की गई है; **सेवकों/ दासों के प्रति दया** व नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है।
XII	धर्मों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है; महिलाओं के कल्याण के लिए महामात्रों को आदेश दिया गया है; **कंधार ग्रीक शिलालेख** में अंकित है।
XIII	**सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत** शिलालेख; **कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप** व्यक्त किया गया है; यूनानी शासकों **(एण्टियोकस द्वितीय, टॉलेमी द्वितीय, मैगस, एंटीगोन और एपिरस का अलेक्जेंडर)** तथा दक्षिण भारतीय राजवंशों **(पाण्ड्य, चेर और चोल)** के साथ अशोक की धम्म कूटनीति का उल्लेख किया गया है।
XIV	साम्राज्य भर में **शिलालेखों के प्रसार** का उल्लेख मिलता है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
OUR ACHIEVEMENTS
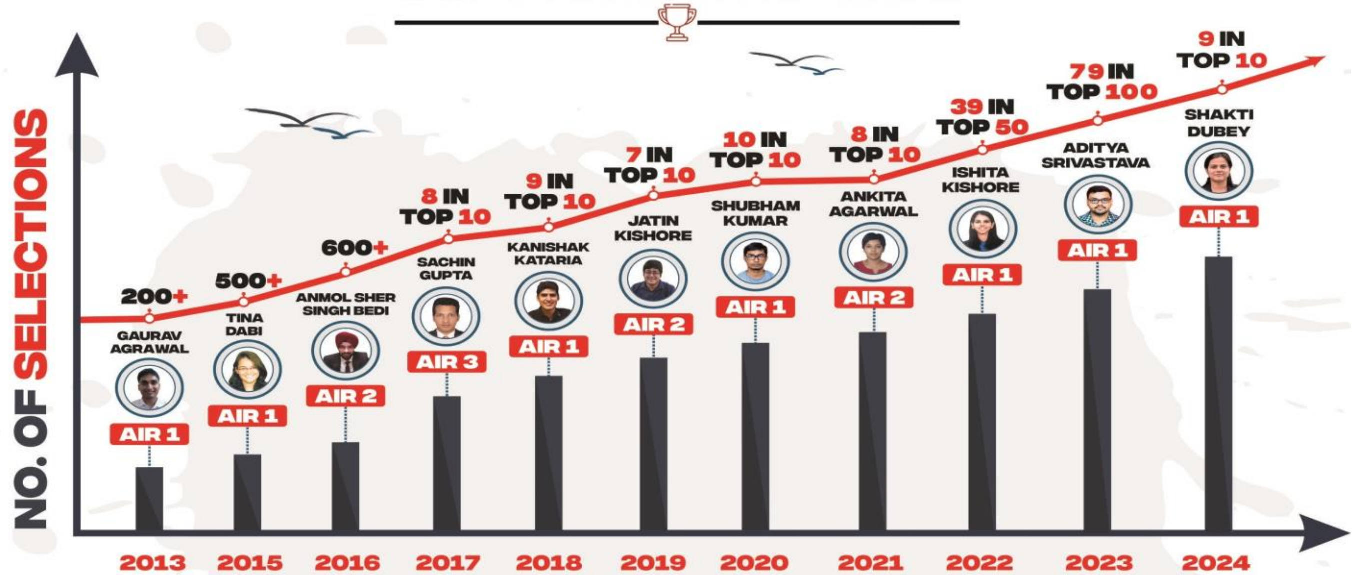

8.1.2. गुप्तकालीन मंदिर (Gupta Temples)

- गुप्त काल (लगभग 320 ई. - 550 ई.) **प्राचीन भारत का "स्वर्ण युग"** माना जाता है। इसकी मुख्य वजह इस काल में मंदिर स्थापत्य कला में आया महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बदलाव है।
- गुप्त स्थापत्य कला में **नागर (उत्तर भारतीय) स्थापत्य का प्रभाव है,** हालांकि इसमें **द्रविड़ (दक्षिण भारतीय) शैली के तत्वों का मिश्रण** भी देखने को मिलता है।
- गुप्तकालीन आरंभिक मंदिर **साधारण व सपाट छत** वाले थे। हालांकि, इस काल में बाद में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें विविध नई संरचनाएं {जैसे- **गर्भगृह, मंडप (स्तंभों वाले सभाकक्ष), मुखमंडप और ऊंचे शिखर** आदि} देखने को मिलती हैं।
- **चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय** जैसे गुप्त शासकों के समय **विष्णु, शिव एवं शक्ति** को समर्पित मंदिरों को **राजकीय संरक्षण** प्राप्त था।
- **गुप्तकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं:**
  - **गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के विकास का आरंभिक चरण:** इस अवधि में निर्मित मंदिरों के स्थापत्य पर **बौद्ध और हिंदू परंपराओं** दोनों तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है।
  - **संरचनात्मक स्थायित्व:** इस अवधि में मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि अब मंदिर निर्माण में लकड़ी जैसी नाशवान सामग्रियों की जगह पत्थर और ईंटों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा था।
  - **गुप्त काल में पांच प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ:** वर्गाकार सपाट छत वाले मंदिर, प्रदक्षिणा पथ वाले वर्गाकार मंदिर, अर्ध-बेलनाकार छत वाले आयताकार मंदिर, वक्रीय शिखर वाले वर्गाकार मंदिर और गोलाकार/ अष्टकोणीय मंदिर।
  - **स्तंभ:** गुप्त काल के मंदिरों के स्तंभों में नए प्रकार का शीर्ष भाग देखने को मिलता है, जिसे **"कलश शीर्ष"** या "**पूर्णकलश**" कहा जाता है। इसने **मौर्य काल के उल्टे कमल या घंटीनुमा शीर्ष** की जगह ली है।
  - **अन्य विशेषताएं:** सोपानिक चबूतरे, बारीक और सुंदर नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों का अंकन आदि।
- **सामाजिक-आर्थिक महत्त्व:** गुप्त काल के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि **आर्थिक गतिविधियों के केंद्र** भी थे। इन्हें **भूमि दान (देवदान)** के ज़रिए आय प्राप्त होती थी। मंदिर **कृषि व्यवस्था** को भी नियंत्रित करते थे। **उत्तरापथ (ग्रैंड ट्रंक रोड)** जैसे व्यापारिक मार्गों पर स्थित मंदिर **व्यापारियों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित** करते थे। मंदिरों ने **शहरीकरण एवं विशेष श्रमिक संघों (श्रेणियों/ Guilds) के विकास** में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

गुप्तकालीन मंदिर

दशावतार मंदिर, देवगढ़ (उत्तर प्रदेश)

- यह एक **उत्तर गुप्तकालीन मंदिर** है। इसका निर्माण **6ठी शताब्दी की शुरुआत** में कराया गया था।
- मंदिर **बेतवा नदी के तट** पर अवस्थित है। नदी इस मंदिर को **तीन तरफ** से घेरे हुए है।
- इस मंदिर का नाम **भगवान विष्णु के 10 अवतारों** से लिया गया है।
- इस मंदिर ने **शिखर शैली** की शुरुआत की थी। इसका शिखर **ब्रह्मांडीय केंद्र के रूप में मेरु पर्वत** का प्रतीक है।
- इसका ऊंचा वक्राकार **लैटिना या रेखा-प्रसाद शिखर,** इसे मंदिर निर्माण की **नागर शैली** का आरंभिक उदाहरण बनाता है।
- यह मंदिर **'पंचायतन' शैली** में निर्मित है। इस शैली में **मुख्य मंदिर का निर्माण एक आयताकार चबूतरे** किया जाता है। मुख्य मंदिर के **4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर** भी बनाए गए हैं।

भितरगांव मंदिर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

- यह **पूर्व दिशा की ओर मुख वाला तथा ईंटों से बना 5वीं सदी** का मंदिर है।
- मंदिर की मुख्य विशेषता **धार्मिक ज्यामिति के अनुसार ईंटो का डिजाइन** है।
- मंदिर योजना **वर्गाकार** है। मंदिर की अन्य संरचनाओं में **अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह** शामिल हैं।

नचना-कुठार मंदिर, पन्ना (मध्य प्रदेश)

- **5वीं-6वीं शताब्दी ई.** में निर्मित, यह **मंदिर भगवान शिव को समर्पित** है।
- इसे **पार्वती मंदिर** के रूप में भी जाना जाता है। इसके स्थापत्य में **नागर और द्रविड़ स्थापत्य** तत्वों का मिश्रण है।

महाबोधि मंदिर, बोधगया (बिहार)

- मूल मंदिर का निर्माण **सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ई.पू.** में करवाया था। वर्तमान मंदिर **5वीं-6वीं शताब्दी** के बीच का है।
- यह **पूर्णतया ईंटों से निर्मित भारत के सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों** में से एक है। यह मंदिर **उत्तर गुप्त काल** से लेकर अब तक सुरक्षित अवस्था में है।

गुप्तकालीन अन्य मंदिर

- **मध्य प्रदेश:** वामन मंदिर, देवरी; गुफा संख्या 1, उदयगिरि; मंदिर क्रमांक 17, साँची में गुप्त मंदिर; आदि।
- **बिहार:** सोपानबद्ध ईंटों से बना मंदिर, लौरिया- नंदनगढ़; नालंदा महाविहार में गुप्त मंदिर; मुंडेश्वरी मंदिर, रामगढ़ (अष्टकोणीय योजना के साथ बलुआ पत्थर से निर्मित) आदि।
- **उत्तर प्रदेश:** भीतरी मंदिर, आदि।
- **राजस्थान:** भीम चंवरी या भीम की चौरी (दर्रा) आदि।

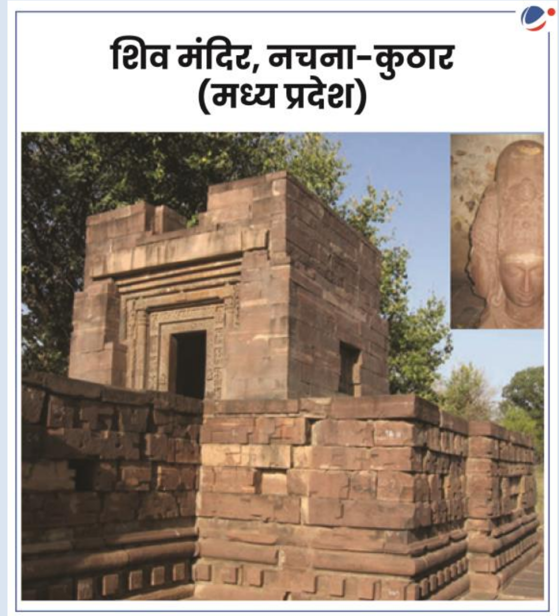

8.1.3. तेलंगाना के मुदुमल मेन्हिर (Mudumal Menhirs of Telangana)

- यह भारत की सबसे विशाल और बेहतर तरीके से संरक्षित **महापाषाण (मेगालिथिक) खगोलीय वेधशालाओं** में से एक है।
- **समय अवधि:** लगभग 3500-4000 वर्ष प्राचीन
- **अवस्थिति:** तेलंगाना में **कृष्णा नदी** के तट के निकट
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - **सबसे बड़ा महापाषाण समाधि स्थल:** दक्षिण भारत में
  - **रात्रिकालीन आकाश का चित्रण:** यह **दक्षिण एशिया** का एकमात्र स्थल है, जहां रात्रि में आकाश के विविध नक्षत्रों जैसे- **सप्तऋषि (Ursa Major), सिंह (Leo) तारामंडल** आदि को पत्थरों के माध्यम से भौतिक रूप से दर्शाया गया है।
  - **प्राचीन वेधशाला:** यहां के मेन्हिर (सीधे खड़े पत्थर) खगोलीय घटनाओं जैसे **संक्रांति, विषुव** आदि के अनुरूप स्थापित हैं।
  - **सांस्कृतिक महत्त्व: मेन्हिर को स्थानीय लोग पवित्र मानते थे,** और उन्हें ***"निलुरल्ला तिमप्पा"*** (खड़े पत्थरों के तिमप्पा) कहते थे। इन मेन्हिर में से एक को **देवी येल्लम्मा** के रूप में पूजा जाता था।

महापाषाण स्थल क्या हैं?

- मेन्हिर मानव निर्मित लंबवत रूप में स्थित **पत्थर** है, जो शीर्ष की ओर हल्का **शंक्वाकार** होता जाता है। आमतौर पर इन संरचनाओं का उपयोग **शवाधान स्थल/ स्मारक** के रूप में किया जाता था। डोल्मेन, मेन्हिर आदि संरचनाओं का संबंध **प्रागैतिहासिक संस्कृतियों** से है।
- इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण सर्वप्रथम मुख्य रूप से **नवपाषाण युग** में आरंभ हुआ था और यह परंपरा **ताम्र-पाषाण युग, कांस्य युग तथा लौह युग** तक जारी रही।

भारत में महापाषाण संस्कृति (लगभग 1000 ईसा पूर्व से - पहली शताब्दी ईस्वी तक)

- दक्षिण भारत में **महापाषाण संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित एक लौह युगीन संस्कृति** थी।
- महापाषाण संस्कृति मुख्य रूप से **समाधि स्थलों और काले व लाल (BRW) रंग के मृदभांड** से संबंधित थी।
  - **कर्नाटक के ब्रह्मगिरि क्षेत्र में स्थित पिकलीहल और हल्लूर** नामक स्थानों पर ऐसे सबसे पुराने महापाषाणिक शवाधान खोजे गए हैं, जिनमें लौह युग की शुरुआती पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं।
- **महापाषाण समाधि स्थलों के प्रकार:**
  - **बहु-पाषाणीय (Polylithic)**-डोल्मेन, केयर्न, क्रोमलेख, सिस्ट, आदि।
  - **एकल-पाषाणीय (Monolithic)**- मेन्हिर, आदि। (इन्फोग्राफिक देखें)।

- **भौगोलिक वितरण:** महापाषाण स्थल **महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना** में पाए गए हैं।
    - भारतीय उपमहाद्वीप में **1400 से अधिक महापाषाण स्थल** ज्ञात हैं। इनमें से **1116 स्थल केवल प्रायद्वीपीय भारत** में हैं।
- **निर्वाह:** आरंभ में माना जाता था कि ये **घुमंतू चरवाहों** की बस्तियां थीं।
    - हालांकि, बाद के प्रमाण यह संकेत देते हैं कि सुदूर दक्षिण में आरंभिक लौह युग के समुदाय **कृषि, शिकार, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों** पर निर्भर थे, जो यह दर्शाता है कि वे **स्थायी रूप से बसकर जीवन यापन** करते थे।
- **मृदभांड के प्रकार:** इसमें काले एवं लाल (BRW) तथा लाल एवं चमकदार काले मृदभांड शामिल हैं।

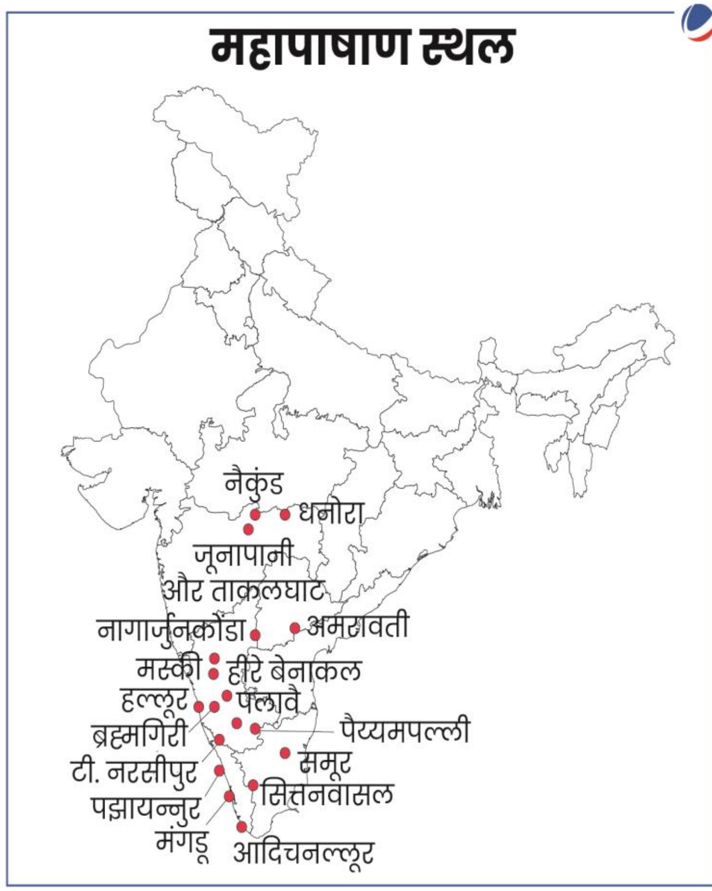

8.1.4. मध्य प्रदेश और ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर (Chausath Yogini Temples in Madhya Pradesh and Odisha)

- चौसठ योगिनी मंदिर में मंदिर की **परिधि** में स्थित कक्षों में **योगिनियों की 64 प्रतिमाएं** स्थापित हैं।
  - **योगिनी** योग का अभ्यास करने वाली महिला को संदर्भित करता है और **चौसठ** हिंदी में **संख्या 64** के लिए शब्द है।
- **मंदिर के खुले केंद्रीय प्रांगण में भगवान शिव या शक्ति** को समर्पित एक **गर्भगृह** है, जो प्रत्येक कक्ष से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि नर्तक/नर्तकियां संभवतः इसी केंद्रीय प्रांगण में प्रदर्शन करते थे/ करती थीं।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - ये मंदिर आमतौर पर **वृत्ताकार** हैं, **ऊँचे स्थान (या पीठ)** पर बने होते हैं और **आसमान की ओर खुले** होते हैं।
    - हालांकि, अधिकांश मंदिरों की योजना **वृत्ताकार** है, लेकिन **खजुराहो, बड़ोह और रिखियां** में स्थित मंदिर **आयताकार** हैं।
  - **प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व:** वृत्ताकार योजना **समय चक्र, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह** को दर्शाती है।
  - **नक्काशी:** ये मंदिर **सरल पत्थर का भार वहन करने वाली संरचनाएं** हैं। इनमें मुख्य मंदिर संरचना पर **साधारण नक्काशी** होती है, जबकि **मूर्तियां बारीकी से उकेरी** गई हैं।
  - **तांत्रिक और योगिक साधनाएं:** इन मंदिरों में **नारी शक्ति, कामुकता और प्रजनन क्षमता** का उत्सव मनाते हुए **तांत्रिक एवं योगिक अनुष्ठान** किए जाते थे।

भारत में चौसठ योगिनी मंदिर

- **मध्य प्रदेश:** खजुराहो, मितौली (मुरैना), दुधई (जबलपुर), बड़ोह, हिंगलाजगढ़, शहडोल और नारेसर
- **उत्तर प्रदेश:** लाखेरी व रिखियां
- **तमिलनाडु:** कांचीपुरम
- **ओडिशा:** हीरापुर व रानीपुर

चौसठ योगिनी मंदिर, मुरैना (इकत्तरसो महादेव मंदिर)

- यह एक **वृत्ताकार** मंदिर है, जिसका निर्माण **कच्छपघात वंश के महाराजा देवपाल** ने **1323 ईस्वी** में करवाया था।
- यह मंदिर **स्थानीय बलुआ पत्थर** से निर्मित है। इसकी बाहरी एवं भीतरी दीवारों पर जटिल नक्काशी व मूर्तियां देखने को मिलती हैं।
- इस योगिनी मंदिर की विशिष्टता इसकी **वृत्ताकार आकृति** है। ऐसा माना जाता है कि **पुराने संसद भवन की संरचना इसी मंदिर की संरचना से प्रेरित** है।
- इसका वृत्ताकार विन्यास **श्री यंत्र का प्रतीक** माना जाता है, जो हिंदू धर्म में एक पवित्र ज्यामितीय आरेख है। यह आरेख **ब्रह्मांड और दिव्य नारी शक्ति (शक्ति)** का प्रतीक माना जाता है।

चौसठ योगिनी मंदिर, खजुराहो (9वीं शताब्दी में चंदेल वंश के संरक्षण में निर्मित)

- भारत के सभी चौसठ योगिनी मंदिरों में से खजुराहो का मंदिर निर्माण में **सबसे प्राचीन** है। इसका **आयताकार** स्वरूप इसे विशिष्ट बनाता है।
- यह पूरी तरह से **स्थानीय** रूप से पाए जाने वाले **बड़े दानों वाले ग्रेनाइट पत्थर** से बना है, जबकि खजुराहो के अन्य मंदिर मुख्य रूप से **बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन)** से निर्मित हैं।

चौसठ योगिनी मंदिर, बड़ोह (गदरमल मंदिर)

- इसमें एक **आयताकार गर्भगृह** है, जिसके ऊपर एक **विशाल शिखर** बना हुआ है। इसके सामने एक छोटा सा **द्वारमंडप** है।
- इस मंदिर के ऊपर **छत बाद में जोड़ी** गई थी। मूल रूप से बड़ोह मंदिर अन्य योगिनी मंदिरों की तरह बिना छत (Hypaethral) वाला रहा होगा।

8.1.5. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल-किले (Palace-Fortresses of The Bundelas in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh)

- बुंदेलों के महल-किलों में **बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित 6 प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं-**
  - **गढ़कुंडार किला:** यह **गढ़कुंडार** में स्थित है, जो बुंदेल राजपूतों की **प्रारंभिक राजधानी** थी।
  - **राजा महल (ओरछा):** यह महल बुंदेला शासक **मधुकर शाह** के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था।
    - **16वीं शताब्दी** में राजधानी को **ओरछा स्थानांतरित** कर दिया गया था।
  - **जहांगीर महल (ओरछा):** इसका निर्माण **मधुकर शाह** के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख निर्माण **बीर सिंह देव** के शासनकाल में हुआ था।
  - **दतिया महल:** इसका निर्माण **1620 ई. में बीर सिंह देव** ने करवाया था। यह **पांच मंजिला** भवन है, जिसे **बीर सिंह देव महल** के नाम से भी जाना जाता है।
  - **झाँसी का किला:** यह किला **17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीर सिंह देव** ने बनवाया था।
  - **धुबेला महल:** यह महल **17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल** ने बनवाया था और यह **धुबेला झील** के पास स्थित है।

- **बुंदेलों के महल-किलों की मुख्य विशेषताएं:**
  - **बुंदेल राजपूत शैली और मुगल शैली का संश्लेषण:** छतरियों और जटिल नक्काशी जैसी पारंपरिक राजपूत विशेषताओं को बरकरार रखते हुए **ओजी मेहराब, गुंबद और गुंबददार मार्ग** जैसे मुगल तत्वों को शामिल किया गया है।
  - **मुगल रूपांकनों व भित्ति चित्रों की स्थानीय पुनर्व्याख्या:** मुगल शैली के साथ-साथ **रागमाला और रासलीला** जैसे प्रतीकात्मक विषयों से प्रेरित हैं।
  - **रक्षा और सौंदर्यशास्त्र का एकीकरण:** छतरियों, अलंकरणीय गुंबदों और मेहराबदार खिड़कियों के रूप में सौंदर्यशास्त्र के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थलाकृति के अनुकूल उन्नत किलेबंदी रणनीतियों का समन्वय किया गया है।
  - **स्थापत्यकला:** यह **मंडल** रूपी सममित योजना पर आधारित है। इसके केंद्र में एक खुला प्रांगण है, जो आसमान की ओर खुला है।

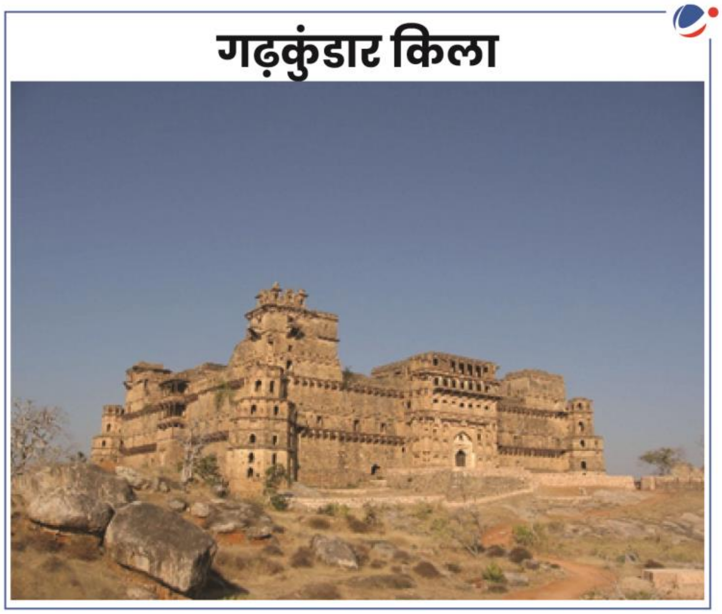

बुंदेलों के बारे में

- बुंदेला राजपूत मूल रूप से **गहरवार क्षत्रिय** हैं। **राजा पंचम** ने बुंदेल साम्राज्य की स्थापना **12वीं शताब्दी के अंतिम चरण** में की थी।
- जब **चंदेलों** की सत्ता का पतन हो रहा था, तब बुंदेलों ने **गढ़कुंडार को अपनी राजधानी** बनाया था।

8.1.6. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (बस्तर, छत्तीसगढ़) {Kanger Valley National Park (NP) (Bastar, Chhattisgarh)}

- **अवस्थिति:** यह **दक्कन प्रायद्वीप-पूर्वी उच्च भूमि** का हिस्सा है।
- **स्थापित:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत **1982** में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित।

- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी **कांगेर** है।
  - यह **खोलाबा नदी** के तट पर स्थित है। यह **गोदावरी** की एक सहायक नदी है।
  - **विविध स्थलाकृति:** निम्न समतल भूमि, हल्की ढलान, खड़ी ढलान, पठार, गहरी खाइयां, घाटियां, घुमावदार जलधाराएं आदि।
  - **वनस्पति:** यह उद्यान एक-दूसरे के निकटवर्ती क्षेत्र में **अलग-अलग प्रकार की वनस्पति** के अनुकूल है, जैसे- **उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन।**
    - यह **प्रायद्वीपीय भारत में साल और सागौन वनों के बीच एक प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र (इकोटोन क्षेत्र)** बनाता है।
  - **भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताएं:**
    - **कार्स्ट स्थलाकृति:** इसमें **भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएं** पाई जाती हैं, जिनमें **स्पेलोथेम्स** पाए जाते हैं।
    - यहां तीन अद्वितीय गुफाएं यानी **कुटुंबसर, कैलाश और दंडक** पाई जाती हैं। ये **स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं** के लिए प्रसिद्ध हैं।

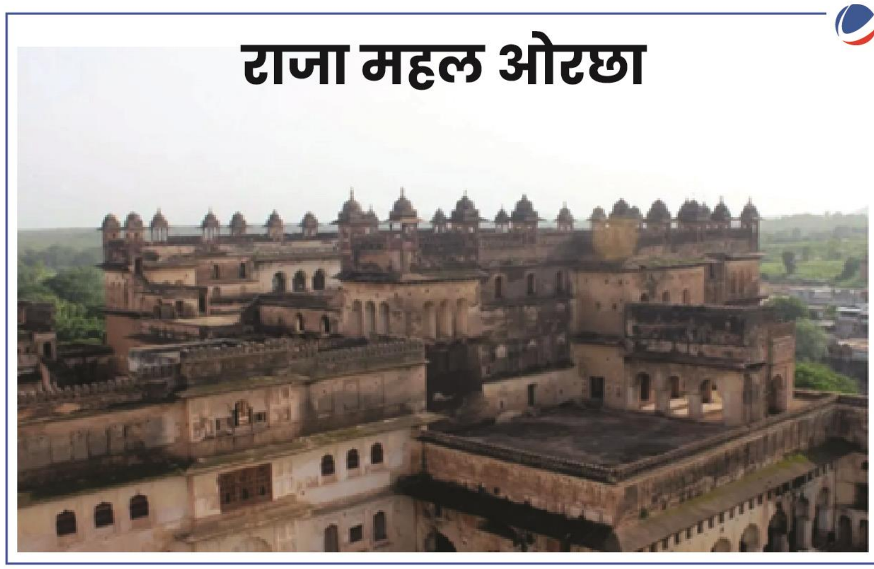

  - **अन्य आकर्षण:** तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात (एक टेक्टोनिक घटना द्वारा निर्मित) आदि।
  - **मुख्य जीव-जंतु:** तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घा और ढोल (जंगली कुत्ते); **पूर्वी पहाड़ी मैना (छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी), विशाल गिलहरी (यह प्रजाति केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है) आदि।**
    - **उच्च स्तर की स्थानिकता:** इस राष्ट्रीय उद्यान की **चूना पत्थर की गुफाओं में मकड़ी की ऐसी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो केवल** यहीं पाई जाती हैं।

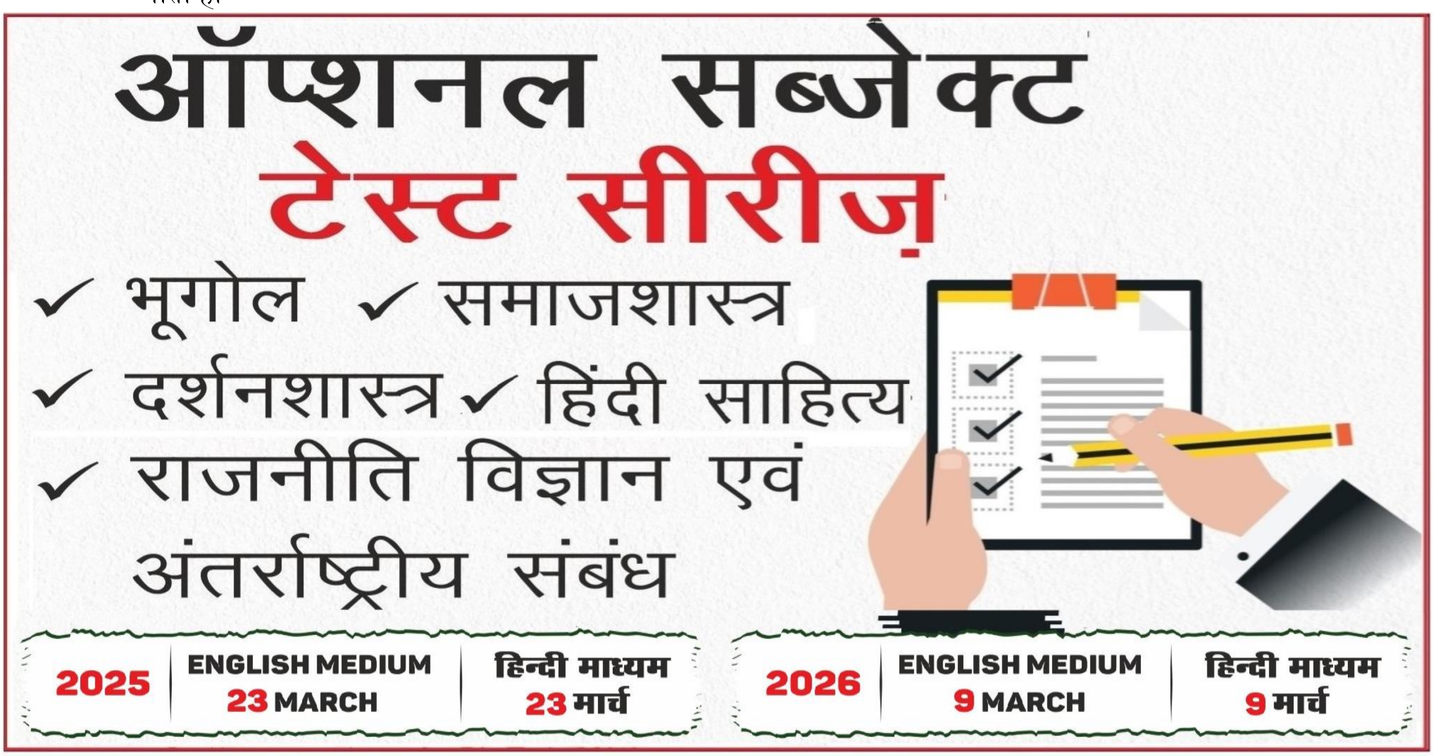

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. विक्रमशिला विश्वविद्यालय (Vikramshila University)

बिहार में शिक्षा के एक अन्य प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। इससे पूर्व सरकार ने एक दशक पहले **राजगीर की तलहटी में बसे नालंदा विश्वविद्यालय** को पुनर्जीवित किया था।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में

- **स्थापना:** इसका निर्माण **पाल शासक धर्मपाल (8वीं-9वीं शताब्दी ई.)** ने कराया था। यह नालंदा के साथ-साथ विकसित हुआ था।
    - धर्मपाल ने ही **आधुनिक बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार** की स्थापना की थी।
- विक्रमशिला विश्वविद्यालय में **वज्रयान/ तंत्रयान बौद्ध धर्म, गुप्त विद्या (Occult studies) और धर्मशास्त्र** आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था।
- **तिब्बत** से कई विद्वान यहां अध्ययन के लिए आते थे। कई पांडुलिपियों की **संस्कृत में रचना की गई थी और उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद भी** किया गया था।
- **पाल साम्राज्य** के बौद्ध विद्वान **आतिश दीपांकर (980-1054 ई.)** विक्रमशिला विश्वविद्यालय के **अध्यक्ष** थे।
- 12वीं शताब्दी के अंत में **कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी** ने इसे नष्ट कर दिया था।

8.2.2. गीत गवई (Geet Gawai)

मॉरीशस की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री का स्वागत **पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति गीत गावई** के साथ किया गया।

गीत गवई के बारे में

- यह **विवाह-पूर्व समारोह है।** इसमें अनुष्ठान, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य शामिल होते हैं।
- इसे **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल** किया गया है।
- इसका प्रदर्शन मॉरीशस में भारतीय मूल के **भोजपुरी भाषी समुदायों** द्वारा किया जाता है।
    - **प्रतिभागी:** परिवार की महिला सदस्य और पड़ोसी।
- **मुख्य वाद्य यंत्र:** ढोलक।
- इसका प्रदर्शन **सार्वजनिक रूप** से भी किया जा सकता है और वर्तमान में **पुरुष भी इसमें भाग** लेते हैं।

8.2.3. ज्ञानपीठ पुरस्कार (Jnanpith Award)

विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार **भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान** माना जाता है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में

- **ज्ञानपीठ पुरस्कार** भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए **1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ** द्वारा दिया जाता है।
    - **भारतीय ज्ञानपीठ** की स्थापना **1944** में हुई थी। यह भारत की प्रमुख **साहित्यिक संस्थाओं** में से एक है।
- यह पुरस्कार **भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल** दिया जाता है।
    - 2013 से **अंग्रेजी भाषा** में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह पुरस्कार **केवल भारतीय नागरिकों** को ही दिया जाता है।

8.2.4. भारत के पारंपरिक नववर्ष (India's Traditional New Year Festivals)

भारत के अलग-अलग भागों में **विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए** जा रहे हैं।

देश भर में पारंपरिक नववर्ष मनाया गया

चैत्र सुक्लादी	यह **हिंदू नववर्ष की शुरुआत** का प्रतीक है, जो **चंद्र पंचांग (कैलेंडर)** पर आधारित है। उत्तर भारत में प्रचलित **विक्रम संवत भी चैत्र** से ही शुरू होता है।
उगादी	**आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष** के रूप में मनाया जाता है। "उगादी" शब्द **"युग" (काल) और "आदि" (शुरुआत)** से मिलकर बना है।
गुड़ी पड़वा	मुख्य रूप से **महाराष्ट्र, गोवा** आदि में मनाया जाता है।
चेटी चंड	यह **सिंधी** समुदाय के लिए **नए साल की शुरुआत** का प्रतीक है। इसे **"झूलेलाल जयंती"** भी कहा जाता है, जो सिंधी का धार्मिक पर्व है।
साजिबू चेइराओबा	**साजिबू नोंग्मा पनबा चेइराओबा मेइतेइ** नव वर्ष का प्रतीक है। यह **मणिपुर** में मनाया जाता है। यह **साजिबू माह (मार्च/ अप्रैल) के प्रथम चंद्र दिवस** पर आता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

9 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 25+ चयन

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. अनुनय (Persuasion)

परिचय

सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के साथ-साथ स्मार्टफोन्स की पहुंच में भी बढ़ोतरी होने के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा भ्रामक सूचनाओं की चपेट में आ गया है। ऐसे समय में अनुनय एक सामाजिक साधन के रूप में लोगों के विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करके भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।

अनुनय के तरीके (Modes of Persuasion)

एथोस (विश्वास और विश्वसनीयता संबंधी आग्रह)	पैथोस (भावना संबंधी आग्रह)	लोगोस (तर्क संबंधी आग्रह)
उदाहरण: शोधकर्ता अपनी योग्यता और पिछले कामों का हवाला देते हैं, ताकि वे नए निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले अपनी विश्वसनीयता साबित कर सकें।	उदाहरण: राष्ट्रीय प्रतीकों या ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग करके गर्व और एकता की भावना जागृत करना।	उदाहरण: एंटी-टोबैको अभियान में धूम्रपान को रोकने के लिए फेफड़े के कैंसर के आंकड़े दिखाना।

एक अवधारणा के रूप में अनुनय

- अनुनय जानबूझकर किया गया ऐसा प्रयास है जिसमें दूसरों के **विश्वासों या कार्यों को तर्क, भावना या विश्वास के जरिए बदलने** का प्रयास किया जाता है। इसमें जबरन या सूचनाओं का हेरफेर करके अपनी बात मनवाना शामिल नहीं है।
- **विशेषताएं:** अनुनय की प्रक्रिया ज्यादातर **जानबूझकर, स्पष्ट और मौखिक** होती है। इसमें समान भाषा और रुचियों के जरिए मित्रता जैसा भाव पैदा कर विश्वास हासिल करने की कोशिश की जाती है।

अनुनय को प्रभावित करने वाले कारक

- **स्रोत:** स्रोत की विश्वसनीयता, आकर्षण, विशेषज्ञता, अधिकार, आदि इसके स्रोत हैं।
  - **उदाहरण के लिए**, डॉ. रणदीप गुलेरिया (पूर्व निदेशक, AIIMS दिल्ली) द्वारा कोविड-19 से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना।
- **संदेश सामग्री:** दर्शकों के लिए संदेश की प्रासंगिकता, संदेश की स्पष्टता और अस्पष्टता, आदि।
  - **उदाहरण के लिए,** स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता और स्वास्थ्य व गरिमा पर इसके प्रभाव के बारे में स्पष्ट व प्रासंगिक संदेशों का उपयोग करना।
- **दर्शकों की विशेषताएं:** दर्शकों का मौजूदा विश्वास और जानकारी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदि।
  - **उदाहरण के लिए,** वित्तीय साक्षरता से जुड़े कार्यक्रमों को आबादी के अलग-अलग वर्गों के आधार पर तैयार करना, जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरल भाषा में संदेश, जबकि शहरी पेशेवरों के लिए थोड़ा अधिक परिष्कृत कंटेंट तैयार करना।
- **पारस्परिकता:** अनुरोध करने से पहले कुछ मूल्यवान चीज देना।
  - **उदाहरण के लिए,** LPG सब्सिडी के लिए 'गिव इट अप' अभियान के बाद पी.एम. उज्ज्वला योजना लॉन्च करना।
- **सामाजिक प्रमाण:** यह प्रदर्शित करना कि दूसरे लोगों ने पहले से ही इस विश्वास या व्यवहार को अपना लिया है।
  - **उदाहरण के लिए,** 'आदर्श ग्राम योजना' के तहत कुछ गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना ताकि अन्य गांवों को भी उनके समान विकास प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके।
- **समय और संदर्भ:** वह परिवेश जिसमें संदेश दिया जाता है, जैसे- वर्तमान मुद्दे, आदि।
  - **उदाहरण के लिए, 'वोकल फॉर लोकल' अभियान** को महामारी के दौरान शुरू किया गया, जब आत्मनिर्भरता की भावना और स्थानीय उत्पादों के समर्थन की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही थी।

गलत जानकारी के खतरे

हिंसा और अशांति
झूठी जानकारी के कारण हिंसा और अशांति फैलने की संभावना।

राजनीतिक हेरफेर
राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी का उपयोग।

पर्यावरणीय मुद्दों पर निष्क्रियता
पर्यावरणीय मुद्दों पर गलत जानकारी के कारण उपयुक्त कार्रवाई न करना।

आर्थिक कुप्रबंधन
गलत आंकड़ों के आधार पर खराब आर्थिक फैसले लेना।

सामाजिक सद्भाव पर असर
झूठ और गलत जानकारी के कारण विश्वास की कमी एवं समुदाय की एकता के समक्ष बाधा।

भ्रामक सूचना के विरुद्ध अनुनय कैसे काम कर सकता है?

- **विश्वास बनाना और विरोध को कम करना:** अनुनयकारी संचार में सहानुभूति और भरोसेमंद संदेशवाहकों (जैसे- समुदाय के नेतृत्वकर्ता या परिचित लोग) का उपयोग करके अनुनय के लिए एक सामान्य आधार तैयार किया जाता है। इससे विरोध में कमी आती है और सुधारों के लिए खुलेपन को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण के लिए,** कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों की हिचकिचाहट को दूर करने में, स्थानीय डॉक्टरों या धार्मिक नेताओं द्वारा टीकों के महत्त्व के बारे में जानकारी देना अधिक कारगर साबित हुआ।
- **व्याप्त धारणाओं के विरुद्ध नई धारणाओं का सहारा लेना:** केवल आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, अनुनयकारी संचार में कहानियों, दृश्यों और भावनात्मक अपील का प्रयोग किया जाता है। यह चीज लोगों से उसी स्तर पर जुड़ने में मदद करती है जिस स्तर पर भ्रामक सूचना काम करती है।
  - **उदाहरण के लिए,** भ्रामक सूचनाओं के कारण उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों की कहानियां साझा करना (जैसे- किसी व्यक्ति ने पहले कोविड का उपचार लेने से मना किया हो और फिर बाद में इसे पछताना पड़ा हो) केवल वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देने की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है।
- **टकराव के बिना आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना: सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग (सावधानीपूर्वक निर्मित प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग),** वैकल्पिक स्पष्टीकरण देना और लोगों को खुद स्रोतों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना, आदि अनुनय के महत्वपूर्ण पक्ष है। ये सभी व्यक्ति को रक्षात्मकता रवैया अपनाने की जगह चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** कट्टरता से बाहर निकालने से जुड़े कार्यक्रमों में **खुले संवाद** द्वारा व्यक्ति की विचारधारा संबंधी कमजोरियों पर सवाल किए जाते हैं। इससे व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित होता है।
- **समय के साथ निरंतर जुड़ाव:** यदि कोई व्यक्ति किसी **भ्रामक सूचना या विश्वास** को मानता है, तो वह **सिर्फ एक बार समझाने से नहीं समझेगा।** इसके लिए अनुनयकारी को बार-बार सम्मानजनक तरीके से उससे बात करनी होगी। इस प्रकार के निरंतर जुड़ाव से उसकी सोच को धीरे-धीरे बदला जा सकता है।
  - यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार का फैक्ट-चेक कभी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि **गलत जानकारी भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी** होती है।

> "लोग आमतौर पर उन कारणों से अधिक प्रभावित होते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं खोजा होता है, न कि उन कारणों से जो दूसरों के मन में उत्पन्न हुए हों।"

— ब्लेज़ पास्कल

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप भारत के एक ग्रामीण जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं, जहाँ हाल ही में व्हाट्सएप पर एक झूठी अफवाह फैली है, जिसमें दावा किया गया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए स्थानीय जल आपूर्ति में जहर मिला दिया है। इस गलत सूचना के कारण तनाव बढ़ गया है, कुछ ग्रामीण पानी पीने से इनकार कर रहे हैं और अन्य कई व्यक्ति आरोपी समुदाय के खिलाफ हिंसा की धमकी दे रहे हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है, और सांप्रदायिक हिंसा का खतरा बढ़ रहा है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस स्थिति में आपके सामने आने वाली नैतिक और प्रशासनिक चुनौतियों की पहचान कीजिए। इस संकट का समाधान करने के लिए आप अपनी कार्रवाइयों को किस प्रकार प्राथमिकता देंगे?
- अनुनय के सिद्धांतों (लोकनीति, भावनात्मकता और तर्क) का उपयोग करते हुए, गलत सूचना का मुकाबला करने और ग्रामीणों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए एक रणनीति तैयार कीजिए।
- शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आप अपने जिले में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से दीर्घकालिक उपाय प्रस्तावित करेंगे?

9.2. प्रसन्नता/ सुख (Happiness)

परिचय

"प्रसन्नता एक चयन है जो कभी-कभी प्रयास की मांग करता है" - ऐस्चिलस। यह उद्धरण हाल ही में जारी **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025** में भारत की स्थिति को देखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें **147 देशों की सूची में भारत 118वें स्थान** पर है। भारत की स्थिति इसके पड़ोसी देशों, जैसे- नेपाल और पाकिस्तान से भी खराब है।

प्रसन्नता क्या है?

प्रसन्नता को आम तौर पर **"अपने संपूर्ण रूप से जीवन के व्यक्तिपरक आनंद"** के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उस स्तर को दर्शाता है जिस स्तर तक कोई व्यक्ति **अपने जीवन को अपने अनुकूल और आनंदमय** मानता है। विद्वान आम तौर पर प्रसन्नता को दो मौलिक प्रकारों में विभाजित करते हैं:-

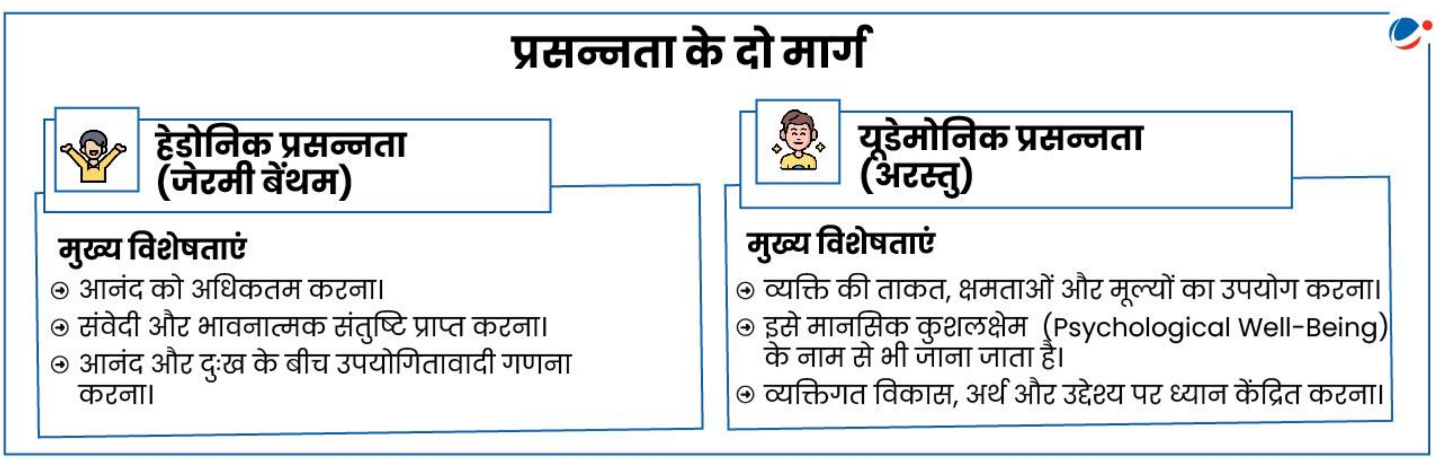

प्रसन्नता की खोज: एक दार्शनिक यात्रा, पूर्व और पश्चिमी दृष्टिकोणों के आधार पर

प्रसन्नता की अवधारणा दार्शनिक वाद-विवाद के लिए एक क्रीड़ास्थल की तरह रही है, जो विभिन्न परंपराओं में प्रकट होती है:

भारतीय परिप्रेक्ष्य	पश्चिमी परिप्रेक्ष्य
चार्वाक नीतिशास्त्र: चार्वाक मानते हैं कि **काम (Enjoyment)** जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और **अर्थ (Wealth)** उस लक्ष्य को पाने का साधन। **उद्धरण:** ***"यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्*** **- जब तक जियो, सुख से जियो"**	**एपिक्यूरियनवाद (मध्यम सुखवाद):** शारीरिक दर्द और मानसिक चिंता से मुक्ति असली प्रसन्नता है। **उदाहरण के लिए, आवश्यक और अनावश्यक सुखों के बीच संतुलन बनाना।**

भगवद् गीता (निष्काम कर्म): तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। **उद्धरण:** ***"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन:"*- अध्याय 2, श्लोक 47**	**कांट (कर्तव्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य):** "कर्तव्य के लिए कर्तव्य" का पालन करना, अर्थात्, नैतिक कर्तव्य ही व्यक्ति को वास्तविक प्रसन्नता की ओर ले जाता है।
बौद्ध धर्म (मध्यम मार्ग): सुख कहीं पहुँचने में नहीं, बल्कि जीवन को अनुभव करने में है। सुख का कोई मार्ग नहीं है, सुख ही मार्ग है - **महात्मा बुद्ध**	**लॉक (प्रसन्नता की खोज नैतिकता और सभ्यता की नींव है):** लॉक का कहना है कि यदि प्रसन्नता प्राप्त करने की हमारी कोई इच्छा नहीं होती, तो **हम भोजन करने और सोने जैसे साधारण सुखों से भी संतुष्ट** रहते, लेकिन **प्रसन्नता की इच्छा ही हमें आगे, महान और उच्च सुखों की ओर ले जाती है।**
भक्ति परंपरा (भक्ति और समर्पण के माध्यम से सुख): भौतिक और आध्यात्मिक सुख एक भावना (संवेग) और/या एक प्रसन्न मन की अवस्था है, जो आनंद, उत्साह, संतोष, प्रसन्नता और तीव्र प्रेम से युक्त होती है।	**उपयोगितावाद (अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख):** जहां जेरेमी बेंथम सभी सुखों को मात्रात्मक रूप से समान मानते हैं, वहीं **जे.एस. मिल** सुखों के बीच गुणात्मक भेद करते हैं। मिल के अनुसार, उच्च सुख, जैसे- बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्य अनुभव; निम्न सुखों, जैसे- इंद्रिय और शारीरिक आनंद; की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं।
गुरु नानक (संतोख: संतोष): संतोष शाश्वत सुख है।	**स्टोइकवाद (नियंत्रण योग्य को नियंत्रित करना):** प्रसन्नता का केवल एक ही मार्ग है और वह है उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देना जो हमारी इच्छाशक्ति की सीमा से परे हैं। **उद्धरण: "तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे मन पर है - बाहरी घटनाओं पर नहीं" - मार्कस ऑरेलियस।**
लोकोत्तर परिप्रेक्ष्य: जब व्यक्ति सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ जाता है तब उसे **"आनंद"** यानी परम सुख की प्राप्ति होती है। उपनिषदिक परंपरा के अनुसार, **"सत्-चित्-आनंद" परम सत्य (ब्रह्म) के तीन गुणों को संदर्भित करता है: सत् (अस्तित्व/ होना), चित् (चेतना/ जागरूकता), और आनंद (परम सुख/ प्रसन्नता)।**	**ईसाई धर्मशास्त्र (सेंट ऑगस्टीन):** वास्तविक प्रसन्नता ईश्वर के साथ अंतिम मिलन में निहित है जिसे विश्वास और दिव्य अनुग्रह के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान जीवन-शैली में प्रसन्नता के समक्ष मौजूद बाधाएं

बाह्य कारक

- **नकारात्मक सामाजिक तुलनाएं:** मौजूदा दौर में अवास्तविक मानक (जैसे- शरीर, सुंदरता, आदि) व्यक्तियों के आत्म-मूल्य और प्रसन्नता में कमी लाने का काम कर रहे हैं।
- **सामाजिक समर्थन प्रणालियों की कमी:** 2023 में हुए एक सर्वे के अनुसार, दुनिया भर में 19% युवाओं ने बताया कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर वे सामाजिक सहयोग के लिए विश्वास कर सकें।
- **वित्तीय दबाव और असुरक्षा:** उदाहरण के लिए, गरीबी एक ऐसा बोझ है जो व्यक्तियों की सोचने-समझने की शक्ति को कम कर देती है।
- **हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना:** उदाहरण के लिए, मादक पदार्थों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है और व्यक्ति को अशांत और दुखी बना देता है।

आंतरिक कारक

- **आत्म-संदेह एवं आत्म-सम्मान में कमी:** उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति खुद को नकारात्मक रूप में देखने लगता है तो इससे चिंता, अवसाद और दूसरों के प्रति कृतज्ञता की भावना कम हो जाती है।
- **वर्तमान क्षण में न जीना:** लगातार नकारात्मक सोचना, हर बात को ज़्यादा सोचते रहना और अनसुलझे मानसिक आघात इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। वह हर समय यही सोचता रहता है कि "कहीं कुछ गलत न हो जाए।"
- **अत्यधिक स्क्रीन टाइम:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, स्क्रीन टाइम में वृद्धि और खुले में खेलने के समय में कमी युवाओं को एक 'चिंतित पीढ़ी' के रूप में तब्दील कर रही है।

सिविल सेवक नागरिकों के बीच प्रसन्नता के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं

"समाज की प्रसन्नता ही सरकार का उद्देश्य है"- जॉन एडम्स। सिविल सेवक सुशासन, समावेशी नीतियों और सहानुभूतिपूर्ण प्रशासन लागू करके नागरिकों की प्रसन्नता और कल्याण के स्तर को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं:

- **जन-केंद्रित गवर्नेंस और कुशल सेवा वितरण को अपनाना:** उदाहरण के लिए, **ग्राम पंचायत विकास योजना।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा-परीक्षण आदि के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना।
- **मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए, टेली-मानस (टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन), लचीले काम के घंटे आदि के प्रावधानों द्वारा वर्क-लाईफ संतुलन, आदि।
- **सामाजिक सद्भाव और समुदाय निर्माण को प्रोत्साहन देना:** उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **प्रसन्नता को नीति का एक घटक बनाना:** उदाहरण के लिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (भूटान), हैप्पीनेस मंत्री, आदि।

निष्कर्ष

प्रसन्नता, जिसे अक्सर एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है, वास्तव में सुनियोजित प्रैक्टिस और रणनीतियों के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है जो समग्र रूप से व्यक्ति के कल्याण को बेहतर बनाते हैं। अपने जीवन में प्रसन्नता के स्तर को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने और ऐसी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो प्रसन्नता के हेडोनिक और यूडेमोनिक, दोनों आयामों के अनुरूप हों।

केस स्टडी

XYZ जिले में पिछले दशक में तेजी से आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक और तकनीकी प्रगति तथा शहरीकरण में पर्याप्त निवेश को इसका कारण बताया गया है। जिले की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और यह क्षेत्र व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बन गया है। सरकारी पहलों से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। हालांकि, इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, हाल के अध्ययनों से यहां के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं के बीच तनाव, चिंता संबंधी विकारों, अवसाद, सामाजिक अलगाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव, असफलता का डर और भावनात्मक लचीलेपन की कमी इस मानसिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा रहे हैं।

a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, आर्थिक संवृद्धि के बावजूद अप्रसन्नता में हो रही वृद्धि को दूर करने के लिए कौन-कौन से नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकते हैं? गवर्नेंस, सार्वजनिक नीति और सामुदायिक विकास के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

b) प्रसन्नता मानव विकास का एक अनिवार्य घटक है। नीतिगत लक्ष्य के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या नीतिगत फ्रेमवर्क में प्रसन्नता को भी आर्थिक संवृद्धि की तरह समान महत्त्व दिया जाना चाहिए।

9.3. परोपकार: सामाजिक भलाई के लिए एक नैतिक अनिवार्यता (Philanthropy: A Moral Imperative For Social Good)

परिचय

"दूसरों की सेवा करना इस पृथ्वी पर हमारे रहने का किराया है" - मुहम्मद अली। यह विचार भारत में बढ़ती परोपकार की भावना को दर्शाता है। इंडिया फिलैन्थ्रॉपी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत में परोपकारी वित्त-पोषण में वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण है- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत व्यय, अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों (UHNIs) का योगदान, और मध्य वर्ग में परोपकारिता की बढ़ती की संस्कृति। **परोपकारिता प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कई संस्कृतियों का हिस्सा रही है।** आइए देखें कि वर्तमान संदर्भ में इसका वास्तव में क्या अर्थ है।

आधुनिक संदर्भ में परोपकारिता

परोपकारिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है **"मानवता के लिए प्रेम"।** इसका आशय है कि व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों को स्वेच्छा से समाज के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि शिक्षा, सामाजिक कल्याण, विज्ञान आदि में इस उद्देश्य से प्रदान करे कि अधिक से अधिक लोगों के जीवन में भलाई और सुख का विस्तार हो सके।

- दान का उद्देश्य आमतौर पर जरूरतमंदों को तात्कालिक राहत प्रदान करना होता है, जबकि परोपकार का लक्ष्य **व्यापक स्तर पर और दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना** होता है, जिससे पूरे समुदायों का सतत विकास और उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।

परोपकारिता का दार्शनिक आधार

भारतीय परिप्रेक्ष्य

- **चाणक्य का अर्थशास्त्र:** लोक कल्याण के लिए राज्य को अपने राजस्व का 1/6 भाग दान करना चाहिए।
- **विवेकानंद का 'दरिद्र नारायण' का विचार:** गरीबों की सेवा करना ईश्वर की पूजा करने के समान है।
- **गांधीजी का न्यासिता का सिद्धांत:** धनवान व्यक्तियों को केवल सामाजिक धन के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **धार्मिक:**
  - **हिंदू धर्म:** दान और दक्षिणा की अवधारणाएं
  - **इस्लाम:** ज़कात (निर्धारित दान) और सदकात (स्वैच्छिक दान)
  - **बौद्ध धर्म:** भिक्षा (भोजन या अन्य दान)
  - **सिख धर्म:** लंगर (सामुदायिक रसोई)

पश्चिमी परिप्रेक्ष्य

- **परिणामवादी दृष्टिकोण (सद्गुण नीतिशास्त्र):** उदारता और करुणा महत्वपूर्ण सदगुण हैं।
- **कांट का नीतिशास्त्र (नैतिक दायित्व):** परोपकारी होना हमारा कर्तव्य है।
- **रॉल्स का सिद्धांत (निष्पक्षता के रूप में न्याय):** सबसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देना।
- **उपयोगितावाद:** अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना।
- **उदारवाद:** इसके समर्थक सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता की तुलना में परोपकारिता की नैतिक श्रेष्ठता पर जोर देते हैं।

परोपकारिता के बहुआयामी पहलू

परोपकारी नैतिकता	प्रथागत	उद्यमशीलता	आध्यात्मिकता/ प्रभावी परोपकारिता
परिभाषा	यह पर्याप्त चिंता दिखाकर परोपकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है	अच्छी तरह से सोची-समझी, सतत सामाजिक परियोजनाएं, जो सामाजिक उन्नति के अवसर पैदा करती हैं	यह संस्थागत कमियों को दूर करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक पहलों, सांस्कृतिक मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों से प्रेरित है
उद्देश्य	सुधारात्मक	परिवर्तनकारी	विकासात्मक
रणनीति	अवसर-संचालित	परिवर्तन-संचालित	आवश्यकता और परिणाम-संचालित
परियोजना	उत्तरदायी	सक्रिय	सहायक
निवेश	व्यक्तिपरक	वस्तुनिष्ठ	अनिवार्य और विवेकाधीन
भागीदारी	सीमित सहभागिता	व्यापक सहभागिता	समग्र सहभागिता
प्रमुख फोकस क्षेत्र	सामुदायिक एकता, दान से जुड़ी पहलें	व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, अवसरों तक समान पहुंच	उत्तरदायी पूंजीवाद, विरासत, विकासात्मक लक्ष्य

विकास के साधन के रूप में परोपकार का महत्त्व

- **वित्त-पोषण की कमी को समाप्त करना:** परोपकार, सरकारों द्वारा दी गई **बजटीय सहायता के पूरक** के रूप में कार्य करता है।
- **विकास संबंधी खामियों को दूर करना:** परोपकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
  - **उदाहरण के लिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन** ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:**तकनीक आधारित पहलों जैसे कि **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, हेल्थकेयर स्टार्टअप्स आदि के जरिए समाज में बदलाव** लाया जा सकता है।
  - **उदाहरण के लिए,** बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप स्वच्छता संबंधी नवाचारों को बढ़ावा दिया है।

"परोपकार का अर्थ धन देना नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान करना है।"

— बिल गेट्स

परोपकारिता से जुड़ी नैतिक चुनौतियां

- **सामाजिक एजेंडे पर अभिजात वर्ग का कब्जा:** विशेषज्ञों का तर्क है कि बड़े दानदाता नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे धनी लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो सकता है। इसके अलावा, कई विद्वान यह मानते हैं परोपकारिता का उपयोग प्रायः कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
- **कॉर्पोरेट दुविधा:** व्यवसायों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसे में परोपकारी खर्चों को शेयरधारकों की संपत्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जा सकता है।
- **कल्याणकारी जवाबदेही में कमी:** यह कल्याणकारी व्यय के लिए सरकार की जवाबदेही को कम कर सकता है, जिससे सार्वजनिक जिम्मेदारी निजी हितधारकों पर स्थानांतरित हो सकती है।
- **क्षेत्रीय और भौगोलिक असमानता:** परोपकारी दान प्रायः कुछ क्षेत्रों या शहरों तक केंद्रित हो गए हैं। **महाराष्ट्र और कर्नाटक को अधिकतम CSR फंड मिलता है, जबकि बिहार और ओडिशा इस मामले में काफी पीछे हैं।**
    - **सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह:** कई दान दाता अपने निजी विश्वासों और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार दान देते है।

> मैं दान में विश्वास नहीं रखता, और न ही मैं विरासत में विश्वास करता हूँ। कोई भी वास्तव में परोपकारी नहीं होता; हम सभी वही देते हैं जो हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप होता है। पारंपरिक दान के साथ यही समस्या है कि वह अक्सर वास्तविक बदलाव लाने के बजाय अच्छा महसूस करने का एक माध्यम बन जाता है। वास्तव में काम वही आता है जो स्थायी व विस्तार योग्य हों और लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सक्षम बनाएं।
>
> **— निखिल कामत, ज़ेरोधा**

- **जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी:** विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों में से कुछ ही संगठन आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इस वजह से सरकार ने कई गैर-सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया है। इससे संप्रभुता संबंधी चिंताओं बनाम विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करने की बहस छिड़ गई है।

निष्कर्ष

परोपकार की आधारशिला ऐसे नैतिक मूल्यों पर टिकी होनी चाहिए जो समानता और न्याय को बढ़ावा देते हुए एक समानतावादी समाज की दिशा में कार्य करे। इसकी विशिष्टता यह है कि यह समाज के उन अंतिम वर्गों तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जहां देश के करोड़ों लोग निवास करते हैं – ऐसे क्षेत्र जहां न तो राज्य की योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंच पाती हैं और न ही बाजार की ताकतें। इसलिए, परोपकारिता का प्रभावी उपयोग समाज के सबसे वंचित और उपेक्षित वर्गों तक सहायता पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए।

परोपकारिता का भविष्य केवल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत किए गए दान तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे एक ऐसे निवेश के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो विश्वास, सोच और नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी हो, न कि केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों तक सीमित रहे। परोपकारिता का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि इसे न्याय के पूरक और प्रणालीगत बदलाव लाने वाले एक प्रभावशाली साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि इसका वास्तविक और दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

> "परोपकार का कार्य सराहनीय है, लेकिन परोपकारी व्यक्ति को यह नहीं भूलना होगा कि आर्थिक अन्याय की कुछ स्थितियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से परोपकार की जरूरत पड़ती है।"
>
> **- मार्टिन लूथर किंग जूनियर**

केस स्टडी

एक धनी उद्योगपति, श्री X, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये दान करते हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक प्रशंसा मिलती है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपये की कर चोरी की और दान का उपयोग करके लाभ का दावा करते हुए अपनी कंपनी की छवि सुधारने का प्रयास किया। आलोचकों का तर्क है कि उनका परोपकार व्यक्तिगत लाभ का एक साधन है, जबकि समर्थकों का कहना है कि स्कूलों से समाज को अभी भी लाभ होता है।

A. “कर लाभ से प्रेरित परोपकार दान नहीं बल्कि स्मार्ट अकाउंटिंग है।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लाभ और सामाजिक कल्याण को संतुलित करते हुए, आधुनिक भारत में नैतिक कॉर्पोरेट परोपकार का मार्गदर्शन गांधीजी का “न्यासिता” का सिद्धांत कैसे कर सकता है?

B. “सामाजिक कल्याण के लिए निजी परोपकार पर सरकारों की बढ़ती निर्भरता राज्य की जिम्मेदारी के क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ाती है।” भारत की विकास संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में, इस कथन का परीक्षण कीजिए।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **पशुधन क्षेत्रक** के विकास को बढ़ावा देने के लिए **संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)** को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि (वित्त-वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **एडवांस प्रौद्योगिकी** का उपयोग करके गोजातीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में **निरंतर** वृद्धि करना।
• प्रजनन के लिए **उच्च अनुवांशिक गुणों वाले बैलों/ सांडों** का उपयोग कर **आनुवंशिक सुधार** को बढ़ावा देना।
• **ब्रीडिंग नेटवर्क को मजबूत** करके **कृत्रिम गर्भाधान** के दायरे का विस्तार करना। साथ ही, किसानों को पास में ही ये सेवाएं उपलब्ध कराना।
• **वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण** का उपयोग **करके देशी नस्ल की मवेशियों और भैंसों का पालन-पोषण एवं संरक्षण** को प्रोत्साहित करके **देशी नस्ल को बढ़ावा देना।**
	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के बारे में
	• यह मिशन **2014** में **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम** के तहत शुरू किया गया था।
	• **मंत्रालय:** यह केंद्रीय **मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी** मंत्रालय की योजना है।
	• **कार्यान्वयन विभाग: पशुपालन एवं डेयरी** विभाग।
	• **वित्त पोषण:** कुछ अपवादों को छोड़कर, **केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान** के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
	  ○ इसे एक **केंद्रीय क्षेत्रक घटक** के रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय (पहले 2400 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। इससे कुल परिव्यय बढ़कर **3400 करोड़ रुपये (2021-22 से 2025-26 तक)** हो जाएगा।
	संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जोड़े गए नए घटक:
	• **बछिया पालन केंद्र (HRCs)[88]:** कुल 15000 बछियों के लिए 30 आश्रय केंद्रों के निर्माण को लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों को **बछिया पालन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत का 35% तक एकमुश्त सहायता** प्रदान की जाएगी।
	  ○ बछिया कोई भी युवा, मादा, घरेलू गोजातीय मवेशी है जिसने संतति पैदा नहीं की है।
	• **उच्च-अनुवांशिक गुणों वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) बछियों के लिए सहायता:** सरकार उच्च-अनुवांशिक-विशेषताओं वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) बछियों को खरीदने वाले किसानों को ऋण पर 3% ब्याज छूट देगी।
	राष्ट्रीय गोकुल मिशन के पहले के घटक
	• **वंश परीक्षण और वंशावली चयन** के माध्यम से नंदी बैल उत्पादन कार्यक्रम के तहत **उच्च-अनुवांशिक गुणों वाले जर्मप्लाज्म** की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
	  ○ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का क्रियान्वयन किया जाएगा।
	• देश में मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान (AI) में प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण भारत में बहु-उद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान (AI) तकनीशियनों (MAITRIs) की नियुक्ति करके **कृत्रिम गर्भाधान (AI) नेटवर्क का विस्तार** किया जाएगा।
	  ○ राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन को लागू किया जाएगा, जो **रोग और इसके प्रसार की रिपोर्टिंग सहित सभी प्रकार के इनपुट को प्राप्त करने में मदद करेगा।**
	• उन गौशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों को सहायता के माध्यम से **देशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण किया जाएगा**, जो उत्कृष्ट देशी नस्लों के पशुओं का पालन-पोषण कर रहे हैं।
	• किसानों को उनके घर भी ही उनकी मवेशियों के लिए निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** के माध्यम से **जागरूकता बढ़ाया जायेगा।**

[88] Heifer Rearing Centres

	○ किसान को **गोपाल रत्न/ कामधेनु** जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। • **कौशल विकास** के अंतर्गत पेशेवरों और मौजूदा मवेशी कृत्रिम गर्भाधान से जुड़े कर्मियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • गोजातीय प्रजनन में **अनुसंधान, विकास और इनोवेशन** को प्रोत्साहित किया जाएगा। **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पहलें** • **देशी गोजातीय पशुओं के लिए:** गोजातीय पशुओं की देशी नस्लों को पालने के लिए किसानों/ प्रजनक समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे- गोपाल रत्न पुरस्कार, कामधेनु पुरस्कार। ○ **गोकुल ग्राम** की स्थापना। ○ **राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों** की स्थापना: सभी देशी नस्लों की मवेशियों के देशी **जर्मप्लाज्म** संरक्षण हेतु इन केंद्रों को एक भंडारगृह के रूप में विकसित किया गया है। इसके केंद्र आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। • **ई-पशु हाट - नकुल प्रजनन बाज़ार:** यह एक ई-मार्केट पोर्टल है, जो ब्रीडर्स और किसानों को जोड़ता है। यह उच्च गुण वाले और रोग-मुक्त गोजातीय जर्मप्लाज्म उपलब्ध कराएगा। • **एडवांस्ड प्रजनन तकनीक:** रोग-मुक्त मादा गोजातीय पशुओं की उपलब्धता में सुधार करना। **राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रभाव:** • **पिछले दस वर्षों में दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि दर्ज की गई है,** साथ ही प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन थी, वह 2023-24 में बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। • **पिछले दस वर्षों में डेयरी उत्पादकता** में भी **26.34% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

भारत

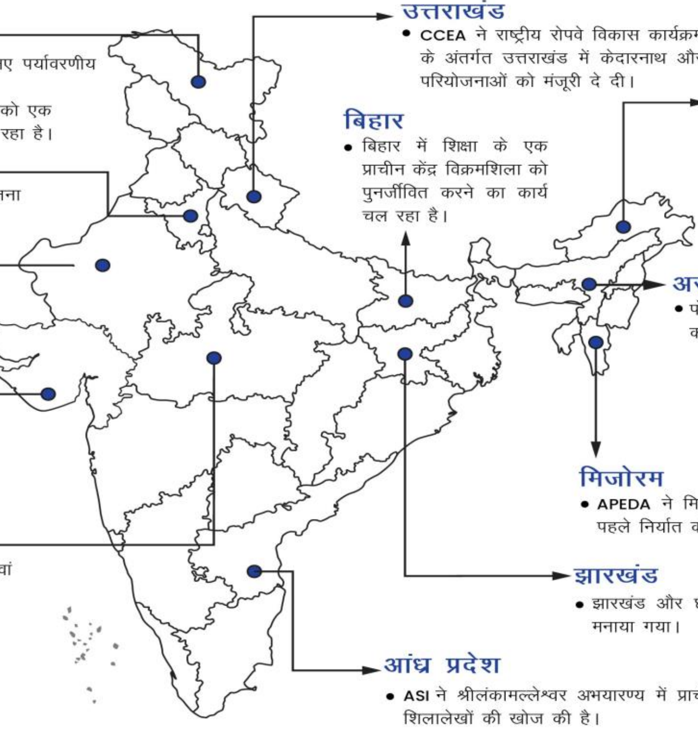

जम्मू और कश्मीर
- कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना एक नए पर्यावरणीय खतरे के रूप में उभर रहा है।
- नियंत्रण रेखा (LoC) के करीब स्थित बंगस घाटी को एक इकोटूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

हरियाणा
- उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी।

राजस्थान
- एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 'जयपुर घोषणा–पत्र' को अपनाया।

गुजरात
- धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

मध्य प्रदेश
- मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

उत्तराखंड
- CCEA ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम–पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

बिहार
- बिहार में शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है।

अरुणाचल प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश ने "राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्रवाई (SBSAP): एक जन योजना" शुरू की। यह जिला स्तरीय कार्य योजनाओं को शामिल करने वाली पहली ऐसी SBSAP है, जो NBSAP तथा KMGBF के अनुरूप है।

असम
- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में तामुलिदोबा बील का सूखना चिंता का कारण बनकर उभरा है।

मिजोरम
- APEDA ने मिजोरम से सिंगापुर के लिए एंथुरियम फूलों के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की।

झारखंड
- झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया गया।

आंध्र प्रदेश
- ASI ने श्रीलंकामल्लेश्वर अभयारण्य में प्राचीन शैल कला और शिलालेखों की खोज की है।

विश्व

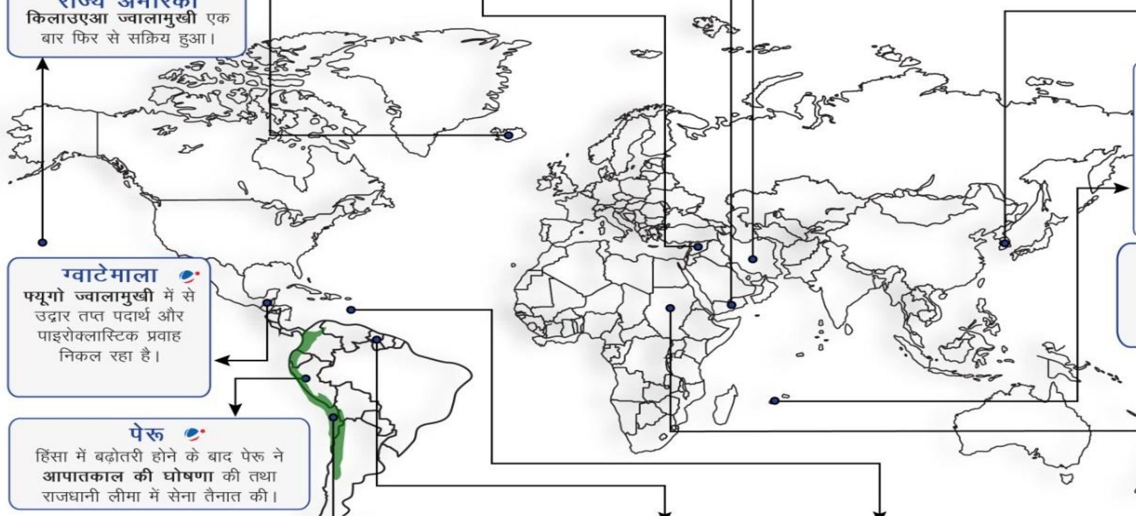

आइसलैंड
उपग्रह से प्राप्त इमेज से पता चला कि **ओह–युकुल ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त** हो गया है।

सीरिया
सीरिया में संघर्ष के दौरान **अलावी अल्पसंख्यकों** पर हमला हुआ।

यमन
संयुक्त राज्य अमेरिका ने **यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अचानक हवाई हमले** किए।

ईरान
रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में ग्रेटर टुन्ब, लेसर टुन्ब और अबू मूसा द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणालियों का अनावरण किया।

हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका
किलाउएआ ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ।

दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया अपनी अब तक के सबसे भीषण वनाग्नि की घटना का सामना कर रहा है।

मॉरीशस
- भारत और मॉरीशस ने **उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए एक संयुक्त विज़न** का अनावरण किया।
- **भारत ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता के संबंध में मॉरीशस** के रुख का समर्थन किया।

ग्वाटेमाला
फ्यूगो ज्वालामुखी में से उद्गार तप्त पदार्थ और पाइरोक्लास्टिक प्रवाह निकल रहा है।

टोंगा (राजधानी: नुकु'आलोफ़ा)
टोंगा के नजदीक 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

पेरू
हिंसा में बढ़ोतरी होने के बाद पेरू ने **आपातकाल की घोषणा** की तथा राजधानी लीमा में सेना तैनात की।

एंडियन क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका
ग्लेशियरों के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है।

फ़ॉकलैंड द्वीप समूह
INSV तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा II अभियान के तहत फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के **पोर्ट स्टेनली** में प्रवेश किया।

सूरीनाम
भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को 1 मिलियन डॉलर मूल्य की मशीनरी भेजी।

बारबाडोस
भारतीय प्रधान मंत्री को कोविड–19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के सम्मान में **'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस'** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सूडान
युद्धग्रस्त सूडान से गम अरेबिक की तस्करी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रही है।

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 श्री हरिचंद ठाकुर	हाल ही में, श्री **हरिचंद ठाकुर की जयंती** मनाई गई। **हरिचंद ठाकुर के बारे में** • उनका जन्म **बंगाल के नामशूद्र (अस्पृश्य समुदाय) में ओरकांडी** में हुआ था। वर्तमान में यह जगह **बांग्लादेश** में है। • उन्होंने बंगाल में **मतुआ संप्रदाय** की स्थापना की थी। **मुख्य योगदान** • **निम्न वर्ग का उत्थान**: उन्होंने धार्मिक सुधार के माध्यम से **करुणा और न्याय को बढ़ावा** दिया था। ▹ उन्होंने **चांडाल आंदोलन** नामक अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। • **हरिचंद का सिद्धांत**: यह तीन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है– **सत्य, प्रेम और पवित्रता।** • **सामाजिक सुधार**: मतुआ संप्रदाय **पुरुष और महिला को समान** मानता है; **बाल विवाह को हतोत्साहित** करता है; तथा **विधवा पुनर्विवाह की अनुमति** देता है। • **शिक्षा**: ओरकांडी में निम्न जाति के लोगों के लिए **अंग्रेजी माध्यम में एक हाई स्कूल** की स्थापना की थी।	**समानता और करुणा** • उन्होंने जाति–आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सत्य, प्रेम एवं पवित्रता पर आधारित सिद्धांत को बढ़ावा दिया। • उनके सुधारों ने शिक्षा और आध्यात्मिक समावेशन के जरिए हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान में योगदान दिया।
 माता कर्मा	**डाक विभाग** ने माता कर्मा की **1009वीं जयंती** पर एक **डाक टिकट** जारी किया। **माता कर्मा के बारे में** • वे **साहू तेली** समुदाय से संबंधित थीं। वे एक **भक्ति संत और समाज सुधारक** थीं। माता कर्मा अपनी **अटूट भक्ति और सामाजिक योगदान** के लिए जानी जाती हैं। **प्रमुख योगदान** • **भक्ति**: कहा जाता है कि **भगवान कृष्ण ने पुरी में माता कर्मा की खिचड़ी** को स्वीकार किया था। ▹ तभी से **पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर** में माता कर्माबाई की खिचड़ी का पहला भोग भगवान **जगन्नाथ** को चढ़ाया जाता है। • **सामाजिक सुधार**: अस्पृश्यता व रूढ़िवाद का विरोध किया तथा **महिलाओं को सशक्त** बनाने में योगदान दिया।	**भक्ति और सामाजिक न्याय** • अटूट भक्ति और जातिगत रूढ़िवादिता को चुनौती देना समावेशी आध्यात्मिक विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। • उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया।

वीर नारायण सिंह

1857 के विद्रोह के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को उनकी पुण्यतिथि (25 फरवरी) पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीर नारायण सिंह के बारे में

- वे **छत्तीसगढ़ के सोनाखान** के जमींदार थे।
- उनके पूर्वज **गोंड जनजाति** से संबंधित थे और सारंगढ़ में रहते थे। बाद में, उनके पूर्वजों ने गोंड से **बिंझवार जनजाति** में जाति परिवर्तन किया और रायपुर जिले में बस गए।

प्रमुख योगदान

- **1856 के भयंकर अकाल** के दौरान, उन्होंने **अन्न भंडार** से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा, ताकि वे भुखमरी से बच सकें।
  - 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें एक **व्यापारी के अनाज भंडार को लूटने के आरोप में** गिरफ्तार कर लिया।
- **1857 के विद्रोह** के दौरान, वे जेल से भाग निकले और **सोनाखान में 500 सैनिकों की एक आर्मी बनाई।**
- उन्होंने छत्तीसगढ़ में **1857 के विद्रोह का नेतृत्व** किया। इसलिए, उन्हें **"प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी"** माना जाता है।

साहस और समानुभूति

- उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करके और उत्पीड़ित समूहों के लिए आवाज उठाकर अपार साहस का प्रदर्शन किया।
- अकाल के दौरान गरीबों को अनाज वितरित करने के उनके कार्य ने वंचित वर्गों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति की भावना को दर्शाया।

लाला हरदयाल

हाल ही में, लाला हरदयाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

लाला हरदयाल के बारे में

- वे एक **राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी** थे।
- **प्रारंभिक प्रभावः** उन पर आर्य समाज, मेजिनी, कार्ल मार्क्स और मिखाइल बाकुनिन का गहरा प्रभाव था।

प्रमुख योगदान

- वे **ग़दर पार्टी (1913) के संस्थापक सदस्य** थे। उन्होंने इसके **महासचिव** के रूप में कार्य किया था।
- उन्होंने **प्रवासी भारतीयों को संगठित** किया था और उन्हें स्वतंत्रता **आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित** किया था।
- उन्होंने संयुक्त **राज्य अमेरिका में इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म** में भाग लिया था। साथ ही, उन्होंने **इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव** के रूप में भी कार्य किया था।
- **उनकी प्रमुख रचनाएंः** 'सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस', 'फोर्टी–फोर मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की', 'द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन', 'ट्वेल्व रिलिजन्स एंड मॉडर्न लाइफ' आदि।

राष्ट्रवाद और बौद्धिक स्वतंत्रता

- एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में, उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए विद्वत्तापूर्ण गहरे विचारों के साथ राजनीतिक सक्रियता को जोड़ा।
- ग़दर आंदोलन के दौरान उनके लेखन कार्य और नेतृत्व कौशल ने स्वतंत्रता की साहसिक भावना को प्रदर्शित किया।

गोविंद बल्लभ पंत

प्रसिद्ध **स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री** गोविंद बल्लभ पंत को उनकी **पुण्यतिथि (7 मार्च) पर याद** किया गया।

गोविंद बल्लभ पंत के बारे में

- **जन्म**: खूंट गांव (अल्मोड़ा, उत्तराखंड) में।
- उन्होंने **1921 में राजनीति में प्रवेश** किया था तथा **आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत की विधान सभा** के लिए चुने गए थे।

मुख्य योगदान

- कांग्रेस ने उन्हें **काकोरी कांड** में शामिल **रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों का पक्ष रखने के लिए** नियुक्त किया था।
- उन्होंने **नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था। उन्हें **1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाने के कारण गिरफ्तार** कर लिया गया था।
- **उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगदान**: उन्होंने **जमींदारी प्रथा का उन्मूलन** किया था। **हिंदू कोड बिल** पारित कर **हिंदू महिलाओं को तलाक देने का अधिकार और पैतृक संपत्ति में अधिकार** दिलाया था।
- **भारत के गृह मंत्री के रूप में योगदान**
  - उन्होंने **भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में भूमिका** निभाई थी।
  - उन्होंने केंद्र सरकार में और कुछ राज्यों में **हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई थी।
- **सम्मान**: उन्हें **1957 में भारत रत्न से सम्मानित** किया गया था।

न्याय और लोक सेवा

- उन्होंने क्रांतिकारियों को कानूनी मदद की थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की थी। इससे स्वतंत्रता और न्याय का पक्ष लेने के उनके मूल्य का पता चलता है।
- शासन और नीति–निर्माण में उनका योगदान सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र–निर्माण के लिए समर्पित जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो एक एकीकृत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण पर केंद्रित है।

चन्द्रशेखर वेंकट रमन

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके द्वारा की गई **'रमन प्रभाव'** की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- **रमन प्रभाव**: जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है, तो वह उसके अणुओं के साथ संपर्क करके **ऊर्जा का आदान–प्रदान** करता है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ बिखरा हुआ प्रकाश अपनी **तरंगदैर्घ्य और रंग बदल** लेता है।
  - **उदाहरण**: **समुद्र का नीला रंग** इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। **आसमान का नीला रंग** इसलिए दिखता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हवा के कणों से टकराकर बिखरता है।

सी.वी. रमन के बारे में

- **जन्मः तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में।**
- **स्थापनाः इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज आदि।**

पुरस्कार:

- **1929**: **नाइटहुड** से सम्मानित।
- **1930**: **भौतिकी में नोबेल पुरस्कार** (रमन प्रभाव के लिए)।
- **1954**: **भारत रत्न।**

वैज्ञानिक योग्यता और ज्ञान

- एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझने में अनुकरणीय रुचि प्रदर्शित की।
- प्रकाश की प्रकृति पर उनके अग्रणी कार्य को एक वैज्ञानिक मील का पत्थर माना जाता है।

अम्मू स्वामीनाथन

'संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान' पुस्तक में वर्णित 15 महिलाओं में से एक **श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन को उनके योगदान के लिए याद** किया गया।

- यह **भारत के संविधान का मसौदा तैयार** करने में उनकी भूमिका के प्रति **विधि एवं न्याय मंत्रालय** की ओर से एक श्रद्धांजलि है।

अम्मू स्वामीनाथन के बारे में

- **प्रारंभिक जीवनः** उनका जन्म **केरल के पलक्कड़** में हुआ था और उन्हें प्यार से **'अम्मुकुट्टी'** कहा जाता था।
- **राजनीतिक करियरः**
  - **भारत छोड़ो आंदोलन (1942)** के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
  - **1946** में उन्हें **मद्रास** से संविधान सभा के लिए चुना गया था।
- **प्रमुख योगदानः**
  - **जातिगत प्रथा को चुनौतीः** उन्होंने स्वयं को **'शूद्राची'** कहकर उच्च जातीय गर्व को चुनौती दी थी।
  - **महिला अधिकारः** माना जाता है कि उन्होंने **1917 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर विमेंस इंडिया एसोसिएशन (WIA)** की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और मताधिकार के लिए संघर्ष करना था।

लैंगिक समानता और साहस

- उन्होंने जातिगत पदानुक्रम और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं के अधिकारों हेतु लड़ने के लिए विमेंस इंडिया एसोसिएशन की सह–स्थापना की।
- संविधान सभा में उनकी उपस्थिति ने सामाजिक सुधारों के लिए उनके साहसिक प्रयासों को दर्शाया।

डॉ. राम मनोहर लोहिया

हाल ही में **डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती** मनाई गई।

डॉ. राम मनोहर लोहिया के बारे में

- डॉ. लोहिया का जन्म **अकबरपुर, उत्तर प्रदेश** में हुआ था।
- वे एक **दूरदर्शी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय** के समर्थक थे।

मुख्य योगदान

- **स्वतंत्रता संग्रामः** उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में भाग लिया था तथा जीवन में कई बार जेल गए थे।
  - उन्होंने **गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन** किया था।
- **सामाजिकः** लोहिया ने **आर्थिक लोकतंत्र** के माध्यम से जाति व वर्ग के बीच और लैंगिक **असमानताओं को खत्म** करने की बात की थी।
- **राजनीतिकः** लोहिया ने **नव–समाजवाद के लिए छह सूत्री योजना** पेश की थी, जिसमें शामिल थेः
  - अधिकतम प्राप्य समानता,
  - वैश्विक जीवन स्तर,
  - विश्व सरकार आदि।
- **साहित्यिक कृतियांः** कास्ट सिस्टम; व्हील ऑफ़ हिस्ट्री; मार्क्स, गांधी और समाजवाद आदि।

सामाजिक न्याय और समानता

- उन्होंने जातिहीन और वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए प्रयास किया। साथ ही, आर्थिक लोकतंत्र और लैंगिक समानता की वकालत की।
- उनके समाजवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य गहराई से व्याप्त असमानताओं को समाप्त करना था।

 बिजयानंद पटनायक	प्रधान मंत्री ने **ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजयानंद पटनायक** को उनकी जयंती पर याद किया। **बिजयानंद पटनायक (5 मार्च 1916–17 अप्रैल 1997) के बारे में** • वे **आधुनिक ओडिशा के मुख्य निर्माताओं** में से एक थे। उन्हें **बीजू पटनायक** के नाम से भी जाना जाता है। **मुख्य योगदानः** • उन्होंने **भारत छोड़ो आंदोलन (1942)** में हिस्सा लिया था। • वे **भारतीय वायु सेना में पायलट** थे। • 1961 में वे **ओडिशा के मुख्यमंत्री** बने थे। • उन्होंने **कलिंग फाउंडेशन** की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य **विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार** करना था। उन्होंने **यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार** की भी स्थापना की थी। • **उपलब्धियांः** इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए **इंडोनेशियाई सरकार ने उन्हें भूमि पुत्र (सन ऑफ सॉयल) की उपाधि से सम्मानित** किया था।	**साहस और दूरदर्शी नेतृत्व** • उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेकर और इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। • विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व कौशल ने उनकी दूरदर्शी सोच और सेवा–उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाया।
 श्री नानाजी देशमुख	केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की **15वीं पुण्यतिथि** पर आयोजित स्मृति दिवस समारोह को संबोधित किया। **श्री नानाजी देशमुख के बारे में** • नानाजी देशमुख का जन्म **महाराष्ट्र के हिंगोली जिले** में हुआ था। • नानाजी ने **पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानववाद'** के दर्शन को मान्यता दिलाने के लिए **1972 में दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) की स्थापना** की थी। **प्रमुख योगदान** • वे **लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संचालित 'संपूर्ण क्रांति'** के प्रवर्तक थे। उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल का विरोध किया था। • उन्होंने **आचार्य विनोबा भावे** द्वारा शुरू किए गए **भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप** से भाग लिया था। • उन्होंने **चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय** की स्थापना की थी तथा इसके प्रथम कुलाधिपति नियुक्त किए गए थे। यह भारत का पहला **ग्रामीण विश्वविद्यालय** था।	**निःस्वार्थ सेवा और सामाजिक उत्थान** • उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण विकास और राष्ट्र–निर्माण के लिए समर्पित कर दिया; एकात्म मानववाद को बढ़ावा दिया और समुदायों को सशक्त बनाया। • शिक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण कल्याण पर उनका ध्यान निःस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

22 अप्रैल, 11 AM | 6 मई, 11 AM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024** from various programs of **Vision IAS**

1 AIR Shakti Dubey

2 AIR Harshita Goyal

3 AIR Dongre Archit Parag

4 AIR Shah Margi Chirag

5 AIR Aakash Garg

6 AIR Komal Punia

7 AIR Aayushi Bansal

8 AIR Raj Krishna Jha

9 AIR Aditya Vikram Agarwal

10 AIR Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 25+ चयन CSE 2024 में

137 AIR Ankita Kanti

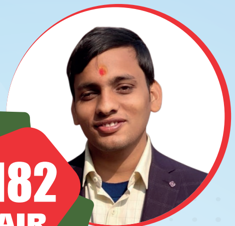

182 AIR Ravi Raaz

438 AIR Mamata

448 AIR Sukh Ram

509 AIR Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची